दृष्टि
The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

दिसम्बर, 2019

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

नोट :

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **11**

- राज्यसभा सांसद 11
- पत्थलगड़ी अभियान 12
- स्वतंत्र निदेशकों का डेटाबैंक 12
- लोकसभा की आचार समिति 13
- विधायिका में SC/ST आरक्षण 14
- आवश्यक दवाओं की कीमत में वृद्धि 15
- राष्ट्रीय गंगा परिषद 16
- राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान 17
- सूचना का अधिकार और ईवीएम 18
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग 19
- विधानसभा सदस्य की सदस्यता रद्द 21
- नागपुर संकल्प 22
- धारा 144 23
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 25
- अटल भू-जल योजना 26
- उच्च शिक्षा में सुधार के लिये नवाचार 28
- महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना 29
- OCI कार्डधारकों को राहत 31
- जेम संवाद 32
- लोक संपत्तियों के नुकसान की क्षतिपूर्ति 32
- 'रन थ्रू फाइल्स' सिस्टम 33
- द्वीपीय देश समोआ 34
- सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक -2019 35

आर्थिक घटनाक्रम **38**

- वैश्विक समावेशी समृद्धि सूचकांक 38
- स्टैंडर्ड एंड पूअर्स रेटिंग 38
- वाहन मिशन योजना 2016-26 39
- GST क्षतिपूर्ति का मुद्दा 40
- भारत बॉण्ड ETF 41

नोट :

- रिज़र्व बैंक के लघु वित्तीय बैंक संबंधी दिशा निर्देश 42
- विदेशी मुद्रा भंडार 42
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक-2019 43
- कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 44
- निर्यात उत्पादों पर शुल्कों तथा करों में छूट 45
- स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म 46
- आवर्तनशील कृषि 47
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में संकुचन 48
- सातवीं आर्थिक जनगणना 49
- आंशिक ऋण गारंटी योजना 50
- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर 52
- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक मसौदा 52
- GST परिषद की 38वीं बैठक 54
- राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण 55
- उदय योजना 56
- निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति की बैठक 58
- म्यूचुअल फंड में निवेश हेतु नए नियम 59
- अनिवासी सामान्य खाता 60

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **62**

- इंसटेक्स' वस्तु-विनिमय प्रणाली 62
- G-20 का अगला मेज़बान : सऊदी अरब 62
- भारत-स्वीडन संबंध 63
- चिली में विरोध प्रदर्शन 64
- अमेरिका का उइगर विधेयक, 2019 66
- नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि 67
- भारत सरकार और ADB के बीच समझौता 68
- भारत मॉरिशस संबंध 68
- फिलिस्तीन-भारत टेक्नो पार्क 69
- हिंद महासागर रिम कूटनीति 70
- पोर्ट्स ऑफ कॉल 72
- WTO अपीलीय निकाय 72
- लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट 73
- अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग 74
- वैश्विक शरणार्थी मंच 75
- भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग 76
- भारत-अमेरिका 'टू प्लस टू वार्ता' 77
- यातना के विरुद्ध यू.एन. कन्वेंशन 78
- भारत-ईरान संयुक्त आयोग 79
- यूनाइटेड किंगडम चुनाव 80

नोट :

- चीन, जापान और दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय बैठक 81
- तमिल शरणार्थी समस्या 83
- UPU के संविधान में 10वाँ अतिरिक्त प्रोटोकोल 84
- भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 85
- इनिशियल पब्लिक ऑफर 87

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी **89**

- जेलीफ़िश आकाशगंगा 89
- नासा का प्रथम इलेक्ट्रिक विमान 90
- भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र 90
- सफेद बौना तारा 91
- पार्कर सोलर प्रोब द्वारा अध्ययन 92
- ट्रेकिया सॉफ्टवेयर 93
- वाई-फाई कॉलिंग 94
- दुर्लभ मृदा तत्त्व 95

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी **98**

- ऑपरेशन 'क्लीन आर्ट' 98
- पराली की समस्या और स्वीडिश तकनीक 98
- जलवायु आपातकाल 99
- वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 100
- देश में बाघ गलियारे 101
- कार्बन बाज़ार पर विवाद 103
- महासागरों में घटता ऑक्सीजन स्तर 104
- तटीय पर्यावरण 105
- हरित ऊर्जा वित्त के लिये 'ग्रीन विंडो' 105
- कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़ (COP) का 25वाँ सत्र संपन्न 107
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2020 108
- पॉल्युशन एंड हेल्थ मीट्रिक्स रिपोर्ट 109
- यूरोपीय संघ ग्रीन डील 110
- हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट 111
- पश्चिमी तट पर मैक्रो तथा माइक्रोप्लास्टिक से संबंधित अध्ययन 113
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) 114
- हर्बिसाइड प्रदूषण एवं कार्बन डॉट्स 115
- फुकुशिमा परमाणु संयंत्र 116
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट -2019 117

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 121

- भारत के मुख्य शीत लहर क्षेत्र 121
- प्राचीन नदी सरस्वती 121
- शीत अयनांत 122
- गुजरात में टिड्डियों का हमला 123
- सूर्य ग्रहण 125

सामाजिक मुद्दे 127

- पॉलीडेक्टली क्या है ? 127
- विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 128
- अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान 129
- एकल विद्यालय अभियान 130
- टाइफाइड कॉनज्युगेट वैक्सीन 130
- मानव विकास सूचकांक 131
- भारत में दुर्लभ रोग 132
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर कैग की रिपोर्ट 133
- आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक 135
- ब्रेस्ट मिल्क बैंक 135
- सुगम्य भारत अभियान 136
- लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2020 138
- टेक कंपनियों पर बाल श्रम कराने का आरोप 140
- डिब्बा-बंद खाद्य पदार्थों का स्वास्थ्य पर प्रभाव 141
- अल्पसंख्यकों की पहचान 142
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 143
- WHO: ट्रास्टूजुमैब बायोसिमिलर्स 144
- जनसंख्या स्थिरता पर नीति आयोग की कार्ययोजना 145
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) 146
- भारतीय भेषज संहिता 147
- वैश्विक तंबाकू खपत में कमी 148
- भारत में मानसिक विकार की समस्या 148
- हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद 149
- भारत में कुपोषण की स्थिति 151
- पोषण अभियान और आवंटित धन का उपयोग 152

कला एवं संस्कृति 154

- अजंता और एलोरा की गुफाएँ 154
- संस्कृत शिलालेख 155

नोट :

आंतरिक सुरक्षा **157**

- विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2019 157
- गुजरात का आतंकवाद निरोधक अधिनियम (GCTOC) 158
- सार्वजनिक संपत्तियों का विनाश तथा संबंधित कानून 160
- भारत में इंटरनेट का निलंबन 161
- नगालैंड में AFSPA 162

नीतिशास्त्र **164**

- गांधी विश्वकोश 164

चर्चा में **165**

- मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा 165
- नगालैंड स्थापना दिवस 165
- ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य 165
- टैनबो कला 166
- पावर ऑफ़ साइबेरिया 167
- अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 167
- टाइफून कम्मुरी 167
- अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 168
- हॉर्नबिल महोत्सव 168
- भारतीय नौसेना दिवस 169
- एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल 169
- विश्व मृदा दिवस 170
- पहला 'ईट राइट स्टेशन' 170
- ज़ीरो एफआईआर 171
- प्लॉगिंग रन 171
- अभ्यास इन्द्र- 2019 172
- मॉरिटानिया 172
- डीम्ड फ़ॉरेस्ट 172
- नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 173
- ब्रिक्स दूरसंवेदी आभासी उपग्रह समूह 173
- सत्रिया नृत्य 174
- टायर पायरोलिसिस 174
- नाट्यशास्त्र उत्सव 175
- सार्क का स्थापना दिवस 176
- एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह 176
- व्हाइट आइलैंड 177
- मानवाधिकार दिवस 177
- वोल्कर नियम 178

नोट :

- विश्व धरोहर सप्ताह 2019 178
- फ्रॉगफोन 179
- कीर्ति मठ की 25वीं स्थापना वर्षगाँठ 180
- वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 180
- भारतीय संस्कृति पोर्टल 181
- नवआर्म्स- 2019 181
- पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान 181
- शोर मंदिर 182
- ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन 183
- सुब्रह्मण्य भारती 183
- आई.बी.एम. ग्राफ 184
- पुष्पा वीणा 184
- कुचिपुड़ी नृत्य 185
- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण 185
- अटल भूजल योजना 185
- मुल्लापेरियार बांध 186
- अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कॉन्ग्रेस 186
- सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम 187
- सतत् तटीय प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय केंद्र 187
- जंगुबाई गुफा मंदिर और कपलाई गुफाएँ 188
- सतत् विकास सेल 188
- स्ट्रैंडहॉग बग 189
- विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव 189
- कावेरी वन्यजीव अभयारण्य 190
- दक्षिण एशियाई साहित्य के लिये डीएससी पुरस्कार- 2019 191
- महाराजा दलीप सिंह 191
- जीईएम संवाद 192
- आंध्र प्रदेश के लिये तीन राजधानियाँ 192
- कालेश्वरम् लिफ्ट सिंचाई परियोजना 193
- बालिमेला जलाशय 194
- होउबारा बस्टर्ड 194
- मंथन 194
- मकाउ की 20वीं वर्षगांठ 195
- प्याज की नई किस्में 195
- गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार 196
- पिनाका निर्देशित रॉकेट प्रणाली 196
- गोवा मुक्ति दिवस 197
- सशस्त्र सीमा बल 197
- भारत की जैव प्रौद्योगिकी संस्था 198
- ईको नेटवर्क 199

नोट :

- अपाचे हेलीकॉप्टर 199
- इस्लामिक सहयोग संगठन 200
- स्पंदन 201
- मिशन शत-प्रतिशत 201
- रिया उपग्रह 202
- चिल्ले/चिल्लाई- कलां 202
- 'इकोक्लब' 203
- 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 203
- कोंडा रेड्डी आदिवासी 205
- हिम दर्शन एक्सप्रेस 205
- अटल सुरंग 205
- बार हेडेड गूस 206
- अमूर फाल्कन और हूलॉक गिब्बन 206
- राजस्व आसूचना निदेशालय 207
- पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती 207
- राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस- 2019 208
- ईट राइट मेला 209
- कलारिपयट्टु 209
- बेलम गुफा महोत्सव 210
- स्नोएक्स 211
- पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर 211
- राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान 212
- एमसीएक्स इंडिया कमोडिटी इन्डिसीज़ 212
- फ्लेमिंगो महोत्सव 212
- डल झील 213
- खोंड जनजाति 213
- चीन, रूस और ईरान का संयुक्त नौसेना अभ्यास 214
- टाइफून फानफोन 214
- चक्रवात सराय 214
- लाल रेत बोआ सांप 215
- ब्रह्मोस मिसाइल 215
- तेलंगाना औद्योगिक स्वास्थ्य क्लिनिक 216
- बांधवगढ़ रिज़र्व फॉरेस्ट 216

विविध **217**

- विश्व एड्स दिवस 217
- सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस 217
- उ.प्र. का जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 217
- हरित फिल्मोत्सव 218
- सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 218

नोट :

- मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 218
- अग्नि-3 का रात में पहली बार सफल प्रक्षेपण 218
- सोमा रॉय बर्मन 218
- हरिमोहन 219
- भास्कर मेनन 219
- राष्ट्रीय आयुष ग्रिड 221
- सुपर 30-आनंद कुमार 222
- एशियाई अकादमी क्रिएटिव अवाड्र्स 222
- हैंड-इन-हैंड सैन्याभ्यास 222
- गोल्डन टारगेट अवॉर्ड 222
- वन धन विकास केंद्र 223
- मिस यूनिवर्स 223
- सना मरीन 223
- उत्तर प्रदेश में काऊ सफारी 223
- उत्तर प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट 224
- अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 224
- म्याँमार को INS सिंधुवीर पनडुब्बी 224
- गिरीश चंद्र चतुर्वेदी 224
- अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 225
- अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 225
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 225
- भारत-मालदीव संयुक्त आयोग की बैठक 225
- सोशल मीडिया पोर्नोग्राफी पर अंकुश के लिये समिति 226
- मल्टी सेल बॉक्स लोड क्लास 70 पुल 226
- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 226
- 44 हज़ार वर्ष पुराना भित्तिचित्र 226
- ज़मीन पर सबसे गहराई वाली जगह की खोज 227
- लिसिप्रिया कंगुजम 227
- भारत का सिक्सर किंग 227
- नवाचार किसान मॉडल के लिये समझौता 227
- नेपाल ने 72 साल पुराने त्रिपक्षीय समझौते की समीक्षा की मांग की 228
- मनोज मुकुंद नरवणे 228
- राजस्थान में देश का चौथा भालू अभयारण्य 228
- भारतीय शांति रक्षक पुरस्कृत 229
- मिस वर्ल्ड 229
- बी.एस. सिरपुरकर 229
- प्रवीर कुमार 229
- डा. श्रीराम लागू 229
- साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2019 230
- अभ्यास अपहरण 230

नोट :

- रॉय जॉर्जन स्वेनिंगसेन 230
- सेतुरमण पंचनाथन 230
- वसीम ज़ाफर 231
- नागरिकता शिक्षा पुरस्कार 231
- फोर्ब्स इंडिया लिस्ट 231
- अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 231
- सबसे पुराना जीवाश्म वन 231
- इंडियन फार्माकोपिया 231
- सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम- बेल्जियम 232
- बोइंग का परीक्षण 232
- राष्ट्रीय गणित दिवस 232
- अमेरिकी स्पेस कमांड 232
- चार्ल्स मिशेल 233
- सेतुरमन पंचनाथन 233
- त्रिपुरा में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र 233
- मैनुअल मार्रेरो/मरेरो 233
- रोहित शर्मा 233
- हनुक्का फेस्टिवल 234
- वर्नन फिलेंडर 234
- भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी: 234
- केंद्र सरकार आल इंडिया रेडियो: 234
- गंगा प्रसाद विमल: 234
- भारत की प्रथम 'CNG बस': 235
- मिग-27 235
- सुशासन संकल्प वर्ष 235
- पोलियो मार्कर 235
- मर्चेंट डिस्काउंट रेट 235
- प्रधानमंत्री आवास योजना 235
- शिजियान-20 236
- चीनी भाषा में साइन बोर्ड 236
- सेतुरमन पंचनाथन 236
- देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय 236
- पश्चिमी अफ्रीकी देशों की साझी मुद्रा 'इको' 236
- CBDT ने बढ़ाई पैन को आधार से जोड़ने की तारीख 236
- हुआवे को 5G ट्रायल की अनुमति 237
- पीटर सिडल 237
- क्रिस्टीना कोच 237

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

राज्यसभा सांसद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यसभा सांसदों ने राज्यसभा में बहस के लिये अतिरिक्त समय की मांग की है।

मुख्य बिंदु:

- राज्यसभा सचिवालय द्वारा सांसदों की अतिरिक्त समय की मांग को पूरा करने के लिये पूर्ववर्ती उदाहरणों का अध्ययन किया जा रहा है।
- कुछ छोटे राज्य भी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं।

बहस के लिये समान समय की मांग:

- राज्यसभा के ऐतिहासिक 250वें सत्र के दौरान सदन में 'भारतीय राजनीति में राज्यसभा की भूमिका तथा आगे की राह' पर एक बहस का आयोजन किया गया।
- इस बहस में भाग लेने वाले सदस्यों में से एक-चौथाई सदस्यों ने राज्यसभा में होने वाली बहस में सभी सदस्यों के लिये समान समय आवंटित करने का मुद्दा उठाया।
- चूँकि राज्यसभा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्त्व करने वाला सदन है अत: सदस्यों ने सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्त्व प्रदान करने की मांग करते हुए कहा कि इससे सही अर्थों में संघवाद की प्राप्ति होगी।
- राज्यसभा सदस्यों ने प्रत्येक सदस्य को अपने विचार सार्थक रूप से व्यक्त करने के लिये उसे न्यूनतम पाँच मिनट का समय देने की मांग की। वर्तमान में विभिन्न दलों के सदस्यों को सदन में उनकी सामर्थ्य के अनुसार समय मिलता है जिससे स्वतंत्र, मनोनीत और छोटे दलों से संबंधित सदस्यों को बहस में बहुत कम समय मिल पाता है।
- राज्यसभा सचिवालय के अनुसार, प्रत्येक सदस्य के लिये न्यूनतम समय सीमा तय करना उचित है, लेकिन सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान के लिये कानूनी राय तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

राज्यसभा:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है।
- राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है।
- इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्र के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
- यह एक स्थायी सदन है अर्थात् राज्यसभा का विघटन कभीं नहीं होता है।
- राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है एवं प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
- वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक (31) है।
- राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्त्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है।
- राज्यसभा में दो पदाधिकारी होते हैं- सभापति (Chairman) और उपसभापति (Deputy Chairman)
- इन दो पदाधिकारियों के अलावा राज्यसभा में एक और अधिकारी होता है जो राज्यसभा महासचिव कहलाता है।
- महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। यह सभापति, सदन एवं सदस्यों के संसदीय कृत्यों और क्रियाकलापों संबंधी मामलों का सलाहकार होता है।

नोट :

पत्थलगड़ी अभियान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने वनों पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले वनाधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act, 2006) में किये गए संशोधनों को वापस ले लिया है।

पृष्ठभूमि:

- झारखंड की राज्य सरकार ने छोटानागपुर किरायेदारी एक्ट, 1908 (Chotanagpur Tenancy Act, 1908) और संथाल परगना किरायेदारी एक्ट, 1876 (Santhal Parganas Tenancy Act, 1876) में संशोधन कर भूमि अधिग्रहण के मानदंडों को आसान बनाने का प्रयास किया, जिससे समस्या और बढ़ गई।
  - हालाँकि बाद में इन संसोधनों को वापस ले लिया गया।
- इस फैसले ने आदिवासी क्षेत्रों में पत्थलगड़ी की घटनाओं (Pathalgadi Movement) को जन्म दिया है जो वन अधिकार अधिनियम, 2006 और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 [Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996- PESA] के कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं।

छोटानागपुर किरायेदारी एक्ट, 1908 (Chotanagpur Tenancy Act, 1908)

- आदिवासियों के खिलाफ शोषण और भेदभाव के खिलाफ बिरसा मुंडा द्वारा किये गए संघर्ष के फलस्वरूप वर्ष 1908 में छोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम पारित हुआ।
- इस अधिनियम ने आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों के लिये पारित होने को प्रतिबंधित किया।

संथाल परगना किरायेदारी एक्ट, 1876 (Santhal Parganas Tenancy Act, 1876)

- संथाल परगना किरायेदारी एक्ट, 1876 बंगाल के साथ लगी झारखंड की सीमा में संथाल परगना गैर-आदिवासियों को आदिवासी भूमि की बिक्री पर रोक लगाता है।

पत्थलगड़ी अभियान के बारे में:

- झारखंड के कई गाँवों में गाँव की सीमा को इंगित करने , ग्राम सभा को एकमात्र संप्रभु प्राधिकरण घोषित करने तथा अपने क्षेत्र के बाहरी लोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिये पत्थरों की पट्टिकाएं लगाई जाती हैं।
  - इन पत्थरों को ही पत्थलगड़ी कहते हैं जो हरे रंग से रंगे होते हैं तथा इन पर संदेश लिखे होते हैं।
  - इन संदेशों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंश शामिल होते है तथा बाहरी लोगों को गाँव में प्रवेश न करने की चेतावनी होती है
- झारखंड राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों में पत्थलगड़ी एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है।
- मुंडा जनजाति परंपरा के अनुसार एक विशाल पत्थर को जमीन में गाढ़ना एक व्यक्ति की मृत्यु का प्रतीक होता है।
  - पत्थलगड़ी आंदोलन आदिवासी समुदाय के पूर्वजों को सम्मानित करने की परंपरा पर आधारित है।
- यह मुख्य रूप से राज्य के चार जिलों खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम में केंद्रित है।

स्वतंत्र निदेशकों का डेटाबैंक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs- MCA) द्वारा नई दिल्ली में 'स्वतंत्र निदेशकों का डेटाबैंक' (Independent Director's Databank) पोर्टल प्रारंभ किया गया है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- स्वतंत्र निदेशकों के कामकाज़ को मज़बूती प्रदान करने के उद्देश्य से कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए जाने वाले नियमों को ध्यान में रखते हुए 'स्वतंत्र निदेशकों का डेटाबैंक' शुरू किया है।
- इस डेटाबैंक के बारे में जानकारी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- इस डेटाबैंक पोर्टल को भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (Indian Institute for Corporate Affairs) द्वारा विकसित किया गया है।

स्वतंत्र निदेशकों का डेटाबैंक (Independent Director's Databank):

- यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक अभूतपूर्व कदम है, इसके तहत वर्तमान स्वतंत्र निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशक बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को पोर्टल पर पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध होगी।
- इस डेटाबैंक के ज़रिये वे कंपनियाँ भी अपना पंजीकरण करा सकती हैं, जो कुशल व्यक्तियों को चुनकर उनसे जुड़ना चाहती हैं तथा उन व्यक्तियों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना चाहती हैं।
- इसके तहत विभिन्न विषयों पर ई-लर्निंग पाठ्यक्रम की विस्तृत श्रेणी उपलब्ध होगी। इससे उपयोगकर्त्ताओं को विभिन्न संसाधनों के माध्यम से आसानी से ज्ञान प्राप्त करने तथा अलग-अलग प्रकार के कौशल विकसित करने में सहायता मिलेगी तथा यह के कंपनी संचालन, नियमों और अनुपालन को लेकर उनके ज्ञान में वृद्धि करेगा।
- इसके तहत सभी मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों को 1 दिसंबर, 2019 से तीन महीने के भीतर डेटाबैंक में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- पंजीकृत व्यक्तियों को 1 मार्च, 2020 से 1 वर्ष के भीतर एक ऑनलाइन स्व-मूल्यांकन परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।
- पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इसके तीन आसान चरण हैं–
  - मंत्रालय की वेबसाइट पर यूज़र अकाउंट के ज़रिए लॉग-इन करना।
  - लॉग-इन करने के बाद यूज़र के लिये डेटाबैंक खुल जाएगा।
  - ई-लर्निंग और ई-प्रोफिशियंसी मूल्यांकन के लिये सब्सिक्रिप्शन प्लान चुनना।

लोकसभा की आचार समिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान इसके सदस्यों की आचरण संबंधी शिकायतों की खबरें चर्चा में रहीं जिसके बाद लोकसभा की आचार समिति को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अत: इस संदर्भ में लोकसभा की आचार समिति (Committee on Ethics) तथा इसके कार्यों को समझना आवश्यक है।

आचार समिति (Committee on Ethics)

- लोकसभा की आचार समिति के बारे में लोकसभा की नियमावली (Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha) में दिया गया है।
- इसके अनुसार लोकसभा में एक आचार समिति होगी जिसमें 15 सदस्य होंगे तथा इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा।
- आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होगी।
- यह समिति लोकसभा की कार्यवाही के दौरान किसी सदस्य द्वारा किये गए अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायतों की सुनवाई करेगी जिसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संज्ञान में लिया गया हो।
- समिति लोकसभा के सदस्यों के लिये आचार संहिता का निर्माण करेगी तथा उसे समय-समय पर इसमें संशोधन एवं बदलाव करने का अधिकार होगा।
- इस समिति के लिये निर्दिष्ट किसी शिकायत पर प्राथमिक जाँच होगी। जाँच पूरी होने के बाद समिति द्वारा की गई सिफारिशों (Recommendations) को एक रिपोर्ट के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

नोट :

- लोकसभा अध्यक्ष इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की अनुमति देगा जिसके बाद इस पर सदस्यों द्वारा चर्चा या सवाल-जवाब किया जाएगा। इस प्रकार की चर्चा आधे घंटे से अधिक की नहीं होगी।
- चर्चा के बाद सदस्यों की सहमति या असहमति के आधार पर इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा।

आचार संहिता

- लोकसभा में पहली आचार समिति का गठन 16 मई, 2000 को हुआ था।
- आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इसमें लोकसभा की रूलबुक (Rulebook) में संशोधन से संबंधित सुझाव दिये।
- 18 दिसंबर, 2014 को यह रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई तथा इसके सुझावों को लोकसभा की विनियम समिति (Rules Committee) की रिपोर्ट में शामिल किया गया।
- इसमें कहा गया है कि आचार समिति लोकसभा के सदस्यों के लिये एक आचार संहिता का निर्माण करेगी तथा समय-समय पर इस संहिता में संशोधन करेगी या नए प्रावधान जोड़ेगी।
- तब से यह मामला आचार समिति के पास लंबित है।

विधायिका में SC/ST आरक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (Scheduled Castes- SC) एवं अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes- ST) के लिये आरक्षण को आगामी 10 वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

मुख्य बिंदु:

- संविधान द्वारा SC तथा ST वर्ग को संसद में मिलने वाला आरक्षण जनवरी, 2020 में समाप्त हो रहा है। इस स्थिति में सरकार ने इस आरक्षण को जनवरी 2030 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
- ध्यातव्य है कि लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद-334(a) के तहत SC/ST वर्ग तथा 334(b) के तहत आंग्ल-भारतीय समुदाय (Anglo-Indian Community) के आरक्षण की अवधि को बढ़ाने की व्यवस्था है।
- इसके द्वारा वर्ष 1950 में SC/ST तथा आंग्ल-भारतीयों हेतु आरक्षण की इस व्यवस्था को वर्ष 1960 तक के लिये बढ़ाया गया था एवं प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर इसे लगातार विस्तारित किया गया।
- वर्ष 2009 में 95वें संविधान संशोधन द्वारा इस आरक्षण को वर्ष 2020 तक बढ़ाया गया था।
- हालाँकि सरकार द्वारा जहाँ SC/ST हेतु आरक्षण की अवधि बढ़ाने पर अपनी सहमति ज़ाहिर की गई है, वहीं आंग्ल-भारतीय समुदाय के आरक्षण के विस्तार पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
- इस निर्णय को लागू करने के लिये सरकार द्वारा संसद में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा जिसके बाद यह नियम संसद तथा प्रत्येक राज्य विधानसभाओं में लागू होगा।

विधायिका में आरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान के अनुच्छेद-330 के अनुसार, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
- अनुच्छेद-331 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि लोकसभा में यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उक्त समुदाय के दो प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है।
- संविधान का अनुच्छेद-332 राज्य की विधानसभाओं में SC/ST वर्ग के लिये जबकि अनुच्छेद-333 आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये आरक्षण का प्रावधान करता है।
- हालाँकि लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में SC/ST वर्ग के लिये सीटें आरक्षित की गई हैं लेकिन उनका चुनाव, निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है।

नोट :

- SC/ST वर्ग के प्रतिनिधियों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है।
- लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में नामित आंग्ल-भारतीय सदस्यों को अन्य सदस्यों की भाँति मत देने का अधिकार होता है लेकिन ये राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते।

आवश्यक दवाओं की कीमत में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceuticals Pricing Authority-NPPA) द्वारा 12 आवश्यक दवाओं (Essential Medicines) की कीमतों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

मुख्य बिंदु:

- NPPA द्वारा पहली बार दवाओं की कीमतों में वृद्धि की गई है, जबकि यह दवाओं की कीमतों में नियंत्रण के लिये जानी जाती है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) के अनुसार, आवश्यक दवा उन दवाओं को कहा जाता है जो लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य आवश्यकतों की पूर्ति करती हैं तथा लोगों के स्वास्थ्य के लिये इन दवाओं का पर्याप्त मात्रा में मौजूद होना आवश्यक है।
- ये दवाएँ पहली पंक्ति के उपचार (First Line of Treatment) के तौर पर प्रयोग की जाती हैं तथा देश के स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये अतिमहत्त्वपूर्ण हैं।
- कीमतों में वृद्धि का यह निर्णय टी.बी. (Tuberculosis) के इलाज के लिये बी.सी.जी. वैक्सीन, विटामिन C, एंटीबायोटिक दवा मेट्रोनिडाज़ोल (Metronidazole) तथा बेंजाइलपेनिसिलिन (Benzylpenicillin), मलेरिया के उपचार की दवा क्लोरोक्वीन (Chloroquine) और लेप्रोसी की दवा डेस्पोन (Dapsone) आदि पर लागू होगा।

मूल्य वृद्धि का कारण:

- इन दवाओं की सही कीमत न मिल पाने की वजह से निर्माता कंपनियों ने इनका उत्पादन करने से मना कर दिया था।
- NPPA के अनुसार, ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश (Drug Price Control Order-DPCO) के पैरा-19 के तहत पिछले दो वर्षों से कंपनियों की तरफ से दवाओं के मूल्य में वृद्धि हेतु प्रार्थना-पत्र भेजे जा रहे थे।
- इन दवाओं की निर्माता कंपनियों का कहना है कि दवा बाज़ार में एपीआई (Active Pharmaceutical Ingredient-API) की बढ़ती कीमतों, लागत मूल्य तथा विनिमय दर (exchange rates) में वृद्धि की वजह से इनके उत्पादन को जारी रखना नामुमकिन था। भारतीय दवा कंपनियाँ दवाओं के निर्माण के लिये आवश्यक 60 प्रतिशत API के लिये चीन पर निर्भर हैं।
- NPPA ने इस मामले की पूरी जाँच के लिये एक समिति का गठन किया जिसने इन दवाओं की आवश्यकता, प्रार्थी कंपनियों का मार्केट शेयर तथा इन दवाओं के अन्य विकल्पों का अध्ययन किया।
- समिति की रिपोर्ट को पुनर्वीक्षण हेतु नीति आयोग की वहनीय दवाओं तथा स्वास्थ्य उत्पादों पर स्थायी समिति (Standing Committee on Affordable Medicines and Health Products-SCAMHP) को सौंपा गया। जिसने 12 दवाओं की कीमतों में 50 प्रतिशत की वृद्धि का सुझाव दिया।
- NPPA के अनुसार, इन आवश्यक दवाओं की वहनीयता (Affordability) सुनिश्चित करने के लिये इनकी उपलब्धता (Access) से समझौता नहीं किया जा सकता तथा लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इनकी कीमतों में वृद्धि करना जरूरी है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA):

यह एक स्वायत्त निकाय है तथा देश के लिये स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक दवाओं (National List of Essential Medicines-NLEM) एवं उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करता है।

नोट :

NPPA के कार्य:

- विनियंत्रित थोक औषधियों व फॉर्मूलों का मूल्य निर्धारित व संशोधित करना।
- निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप औषधियों के समावेशन व बहिर्वेशन के माध्यम से समय-समय पर मूल्य नियंत्रण सूची को अद्यतन करना।
- दवा कंपनियों के उत्पादन, आयात-निर्यात और बाज़ार हिस्सेदारी से जुड़े डेटा का रखरखाव।
- दवाओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर संसद को सूचनाएँ प्रेषित करने के साथ-साथ दवाओं की उपलब्धता का अनुपालन व निगरानी करना।

राष्ट्रीय गंगा परिषद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य बिंदु:

- इस बैठक में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, बिहार के उपमुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
- पश्चिम बंगाल से कोई प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं था, जबकि झारखंड राज्य में जारी चुनाव और आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण किसी प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया।
- प्रधानमंत्री के अनुसार, गंगा का कायाकल्प देश के लिये दीर्घकाल से लंबित चुनौती है।

बैठक से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- इस बैठक में 'स्वच्छता', 'अविरलता' और 'निर्मलता' पर ध्यान केंद्रित करते हुए गंगा नदी की स्वच्छता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
- इस बैठक में गंगा के कायाकल्प के लिये 'सहयोगात्मक संघवाद' पर अधिक ज़ोर दिया गया।
- इस बैठक में 'नमामि गंगे कार्यक्रम' के अंतर्गत किये गए कार्यों जैसे- प्रदूषण उन्मूलन, गंगा का संरक्षण और कायाकल्प, कागज़ मिलों की रद्दी को पूर्ण रूप से समाप्त करने तथा चमड़े के कारखानों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने आदि लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किये गए विभिन्न सरकारी प्रयासों की एकीकृत गतिविधियों की चर्चा की गई।
- इस बैठक में प्रधानमंत्री ने गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ 'नमामि गंगे' को 'अर्थ गंगा' जैसे एक सतत् विकास मॉडल में परिवर्तित करने का आग्रह किया।

अर्थ गंगा: एक सतत् विकास मॉडल (Arth Ganga)

- इस प्रक्रिया में किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें शून्य बजट खेती, फलदार वृक्ष लगाना और गंगा के किनारों पर पौध नर्सरी का निर्माण शामिल है।
- इन कार्यों के लिये महिला स्व-सहायता समूहों और पूर्व सैनिक संगठनों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- जल से संबंधित खेलों के लिये बुनियादी ढाँचे के विकास और शिविर स्थलों के निर्माण, साइकिलिंग एवं टहलने के लिये ट्रैकों आदि के विकास से नदी बेसिन क्षेत्रों में धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन जैसी महत्त्वपूर्ण पर्यटन क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- पारिस्थितिक पर्यटन और गंगा वन्यजीव संरक्षण एवं क्रूज पर्यटन आदि के प्रोत्साहन से होने वाली आय को गंगा स्वच्छता के लिये आय का स्थायी स्रोत बनाने में सहायता मिलेगी।
- नमामि गंगे और अर्थ गंगा के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं तथा पहलों की कार्य प्रगति एवं गतिविधियों की निगरानी के लिये प्रधानमंत्री ने एक डिजिटल डैशबोर्ड की स्थापना के भी निर्देश दिये।
- इसके माध्यम से नीति आयोग और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दैनिक रूप से गाँवों और शहरी निकायों की कार्य प्रगति और गतिविधि संबंधित डेटा की निगरानी की जाएगी।

नोट :

गंगा प्रदूषण रोकने के लिये किये गए क्रमवार प्रयास:

- गंगा एक्शन प्लान: यह पहली नदी कार्ययोजना थी जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्ज़न और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे (पहचानी गई प्रदूषणकारी इकाइयों से) को नदी में प्रवेश करने से रोकना था।
- राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण: इसका गठन भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा -3 के तहत किया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसने गंगा को भारत की 'राष्ट्रीय नदी' घोषित किया।
- वर्ष 2010 में सरकार द्वारा 'सफाई अभियान' को यह सुनिश्चित करने के लिये प्रारंभ किया गया था कि वर्ष 2020 तक कोई भी अनुपचारित नगरपालिका सीवेज या औद्योगिक अपवाह नदी में प्रवेश न करे।
- वर्ष 2014 में, 'नमामि गंगे कार्यक्रम' को राष्ट्रीय नदी 'गंगा' के संरक्षण और कायाकल्प तथा प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिये एक एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया था।
- राष्ट्रीय गंगा परिषद: राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। इसने राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया है। इसे गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण, और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- हाल ही में कानपुर में संपन्न हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक इसकी पहली बैठक है।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) द्वारा राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान (National Broadband Mission) की शुरुआत की गई।

प्रमुख बिंदु:

- यह अभियान, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 (National Digital Communications Policy, 2018) का हिस्सा है।
- अभी तक भारतनेट (BharatNet) कार्यक्रम के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाएँ 142,000 गाँवों के ब्लॉकों तक पहुँच चुकी हैं।

विज़न:

- राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान का विज़न डिजिटल संचार ढाँचे का त्वरित विकास, डिजिटल अंतर की समाप्ति, डिजिटल सशक्तीकरण तथा समावेश पर आधारित है।

उद्देश्य:

- इस अभियान का उद्देश्य तीन सिद्धांतों पर आधारित है:
  - सभी के लिये ब्रॉडबैंड की उपलब्धता
  - गुणवत्तायुक्त सेवा
  - किफायती सेवा।

लक्ष्य:

- ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों समेत पूरे देश में वर्ष 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा को उपलब्ध कराना।
- वर्ष 2024 तक टावर घनत्व प्रति एक हजार की आबादी पर 0.42 से बढ़ाकर 1.0 करना।
- मोबाइल और इंटरनेट सेवा की गुणवता बेहतर करना।
- राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्य करने के लिये राइट ऑफ वे (Right of Way- RoW) मॉडल विकसित किया जाएगा।
  - यह मॉडल ऑप्टिक फाइबर बिछाने समेत डिजिटल अवसंरचना के विस्तार संबंधी नीतियों के लिये सहायक होगा।

नोट :

- राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में उपलब्ध डिजिटल संचार अवसंरचना और अनुकूल नीति ईको-सिस्टम को मापने के लिए ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (Broadband Readiness Index- BRI) विकसित किया जाएगा।
- पूरे देश के लिये डिजिटल फाइबर मानचित्र तैयार किया जाएगा। इसमें संचार नेटवर्क व अवसंरचना, आप्टिक फाइबर केबल, टावर आदि को शामिल किया जाएगा।
- डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं के निर्माण तथा विस्तार को गति प्रदान करने के लिये नीतिगत एवं नियामक संबंधी नियमों में बदलाव करना।
- हितधारकों द्वारा 100 बिलियन डॉलर का निवेश। इसमें यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund- USOF) का 70,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है।
- अभियान में निवेश के लिये संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों समेत सभी हितधारकों के साथ कार्य करना।

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund- USOF)

- यह ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में लोगों तक वहन योग्य कीमतों पर गैर-भेदभावपूर्ण गुणवत्तापूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology- ICT) सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करता है।
- इसका गठन वर्ष 2002 में दूरसंचार विभाग के तहत किया गया था।
- इस फंड के लिये संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसे भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है।

सूचना का अधिकार और ईवीएम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission- CIC) के उस निर्णय को खारिज कर दिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Electronic Voting Machine-EVM) को सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) के अंतर्गत 'सूचना' की परिभाषा में शामिल बताया गया था।

मुख्य बिंदु:

- निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्रीय सूचना आयोग के 12 फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें कहा गया था कि आयोग के पास एक वस्तु के रूप में मौजूद ईवीएम आरटीआई एक्ट के तहत एक 'सूचना' है।
- निर्वाचन आयोग ने भी यह स्पष्ट किया था कि ईवीएम RTI Act, 2005 के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि इनका संबंध मुख्य रूप से दस्तावेज़ी रिकॉर्ड और प्रतिनिधि तंत्र से संबंधित है।
- निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए ईवीएम का उपयोग क़ानूनी तौर पर पूरे देश में चुनाव संचालन में किया जाता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रमों में कुछ ईवीएम का प्रयोग अपनी सख्त निगरानी में करता है।
- इस वर्ष फरवरी में केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा था कि RTI Act, 2005 के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) 'सूचना' की परिभाषा में आती है। आयोग के पास एक वस्तु के रूप में मौजूद ईवीएम RTI Act, 2005 के तहत एक 'सूचना' है। इसके बाद 12 फरवरी को निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय सुचना आयोग के इस आदेश को अदालत में चुनौती दी थी।
- केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा था कि RTI Act, 2005 की धारा 2 (f) रिकॉर्ड, दस्तावेज़, मेमो, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात आदि किसी भी सामग्री को 'सूचना' के रूप में परिभाषित करती है।

केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)

- केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गई।
- 12 अक्तूबर, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया।

नोट :

- यह अधिनियम प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्त्व की भावना के विकास हेतु लाया गया है।
- यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों से मिलकर बनता है।
- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति (प्रधानमंत्री के नेतृत्त्व में, लोकसभा में विपक्ष का नेता व प्रधानमंत्री द्वारा विनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री) की सिफारिश पर करता है।
- मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्त पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र (जो भी पहले हो) तक पदधारण करते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध लाए गए महाभियोग (Impeachment) प्रस्ताव पर अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा (House of Representative) में बुधवार को मतदान हुआ।

- अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के लिये निचले सदन में दो प्रस्ताव पेश किये गए थे। पहले में उन पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया जो 197 के मुकाबले 230 मतों से पास हुआ।
- दूसरे प्रस्ताव में महाभियोग मसले पर संसद के कार्य में बाधा डालने का आरोप था जो कि 198 के मुकाबले 229 मतों से पास हुआ।
- प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी चार भारतीय अमेरिकी सदस्यों ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में मतदान किया।
- हालाँकि राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार को कोई खतरा नहीं है क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया निचले सदन से पास होने के बावजूद सीनेट में इसका पारित होना मुश्किल है। सीनेट में सत्तारूढ़ रिपब्लिकंस पार्टी का बहुमत है। राष्ट्रपति ट्रंप को केवल एक ही स्थिति में हटाया जा सकता है, जब उनकी पार्टी के सांसद उनके विरुद्ध मतदान करें जिसकी आशंका नहीं है।
- निचले सदन के बाद अब राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने के लिये उच्च सदन यानी सीनेट में महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी। अमेरिका के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हैं जब किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है।
- वर्ष 1868 में एंड्रू जॉनसन और वर्ष 1998 में बिल क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालाँकि दोनों ही बार राष्ट्रपति को सत्ता से हटाया नहीं जा सका था। वर्ष 1974 मंई राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पर अपने एक विरोधी की जासूसी करने का आरोप लगा था। इसे वॉटरगेट स्कैंडल का नाम दिया गया था।

क्या है मुद्दा:

- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर वर्ष 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में संभावित प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन समेत अन्य नेताओं की छवि खराब करने के लिये यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्लादीमेर जेलेंसकी से गैरकानूनी रूप से सहायता मांगने का आरोप है। राष्ट्रपति ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग के साथ-साथ कानून निर्माताओं को जाँच से रोकने का भी आरोप हैं।

अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया:

भारत और अमेरिका के संविधान की तुलना:

- भारत और अमेरिका की सरकारों की कार्यप्रणालियाँ अर्थात् विधायिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका में एक विशिष्ट प्रकार का संबंध है।
- भारत में जहाँ कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है और न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र इससे अलग होता है,वहीं अमेरिका की सरकार की कार्यप्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्पष्ट विभाजन है अर्थात् कोई एक-दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते हैं।
- इस प्रकार जहाँ भारत में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत पूर्णत: लागू नहीं होता है, वहीं अमेरिका में यह पूर्णत: लागू होता है।

शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत (Theory of Separation of Power):

शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं।

नोट :

पृष्ठभूमि:

- इस सिद्धांत से संबंधित आधारभूत विचार नवीन नहीं है। राजनीतिशास्त्र के जनक अरस्तू ने सरकार को असेंबली, मजिस्ट्रेसी तथा जुडीशियरी नामक तीन विभागों में बाँटा था, जिनसे आधुनिक व्यवस्था का शासन तथा न्याय विभाग का पता चलता है।
- 16वीं सदी के विचारक जीन बोंदा ने स्पष्ट कहा है कि राजा को कानून निर्माता तथा न्यायाधीश दोनों रूपों में एक साथ कार्य नहीं करना चाहिये। लॉक द्वारा भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है।

मॉण्टेस्क्यू:

- मॉण्टेस्क्यू के पूर्व अनेक विद्वानों ने इस प्रकार के विचार प्रकट किये थे, किंतु विधिवत् और वैज्ञानिक रूप में इस सिद्धांत के प्रतिपादन का कार्य फ्राँसीसी विचारक मॉण्टेस्क्यू द्वारा ही किया गया। मॉण्टेस्क्यू लुई चौदहवें का समकालीन था इसलिये उसने राजा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग के प्रभाव को भलीभाँति देखा।
- मॉण्टेस्क्यू के अनुसार "प्रत्येक सरकार में तीन प्रकार की शक्तियाँ होती हैं – व्यवस्थापन संबंधी, शासन संबंधी तथा न्याय संबंधी। इसी आधार पर उसने वर्ष 1762 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'स्पिरिट ऑफ लॉज़' (Spirit of Laws) में शासन संबंधी शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

डोनल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रक्रिया

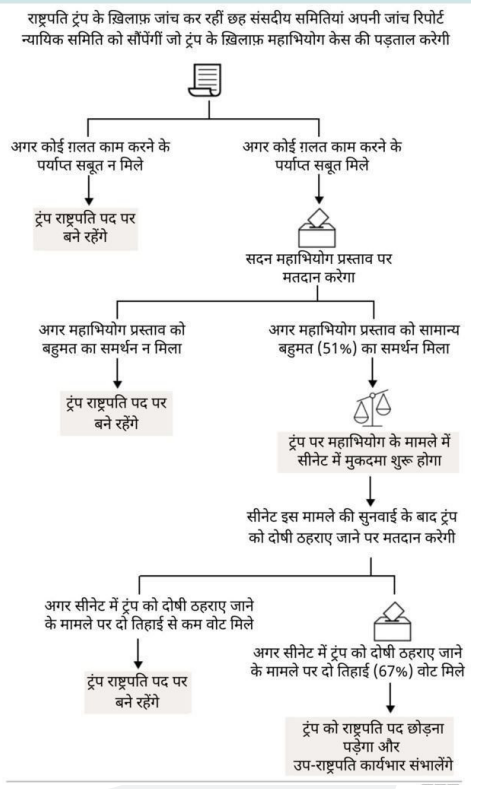

सिद्धांत का प्रभाव:

- शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का तत्कालीन राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ा। अमेरिकी संविधान निर्माता इस सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे और इसी कारण उन्होंने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था।
- इसी प्रकार मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया आदि अनेक देशों के संविधान में भी इसको मान्यता प्रदान की गई है।

सिद्धांत के पक्ष में तर्क

- निरंकुशता और अत्याचार से रक्षा।
- विभिन्न योग्यताओं का उपयोग अर्थात् शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाना इसलिये भी आवश्यक और उपयोगी है कि सरकार से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिये अलग-अलग प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है।
- कार्य विभाजन से बेहतर निष्पादन।
- न्याय की निष्पक्षता।

सिद्धांत की आलोचना:

- ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत: मांटेस्क्यू के अनुसार, उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन इंग्लैंड की तत्कालीन शासन पद्धति के आधार पर किया है, लेकिन इंग्लैंड की शासन व्यवस्था कभी भी शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित नहीं रही है।
- शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं: आलोचकों का कथन है कि सरकार एक आंगिक एकता है, उसी प्रकार की स्थिति शासन के अंगों की है। इसलिये शासन के अंगों का पूर्ण व कठोर पृथक्करण व्यवहार में संभव नहीं है।
- अमेरिकी संघीय व्यवस्थापिका अर्थात् कॉन्ग्रेस कानूनों का निर्माण करने के साथ-साथ राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों और संधियों पर नियंत्रण रखती है तथा महाभियोग लगाने का न्यायिक कार्य भी कर सकती है। इसी प्रकार कार्यपालिका के प्रधान, राष्ट्रपति को कानूनों के संबंध में निषेध का अधिकार और न्याय क्षेत्र में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने एवं क्षमादान का अधिकार प्राप्त है।
- शक्ति का पृथक्करण अवांछनीय भी है: शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाना न केवल असंभव वरन् अवांछनीय भी है। व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य तथा कार्यपालिका प्रशासन का कार्य ठीक प्रकार से कर सके, इसके लिये दोनों अंगों के बीच पारस्परिक सहयोग अति आवश्यक है।

नोट :

निष्कर्ष:

- शक्ति के पृथक्करण का आशय यह है कि सरकार के तीन अंगों को एक-दूसरे के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप से बचते हुए अपनी सीमा में रहना चाहिये, और इस रूप में शक्तियों के विभाजन सिद्धांत को अपनाना न केवल उपयोगी बल्कि आवश्यक भी है।

भारत और अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया की तुलना:

- भारत में संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के उल्लंघन के आधार पर प्रारंभ की जा सकती है वहीं अमेरिका में देशद्रोह, रिश्वत और दुराचार जैसे मामलों के आधार पर संसद के प्रतिनिधि सदन द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है।
- भारत में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव पर कम-से-कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं, वहीं अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के 51% सदस्यों की सहमति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।
- भारत में महाभियोग प्रस्ताव को पेश किये गए सदन के कुल सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किये जाने पर इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जबकि अमेरिका में महाभियोग प्रस्ताव सदन में पारित होने के बाद एक ज्यूरी के पास भेजा जाता है जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। इस ज्यूरी में राष्ट्रपति बचाव पक्ष के रूप में एक अधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है। इस ज्यूरी में प्रस्ताव पास होने के बाद उसे सीनेट में भेजा जाता है।
- भारत में दूसरे सदन में भी प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक है जबकि अमेरिका में प्रस्ताव को 67% सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है।

विधानसभा सदस्य की सदस्यता रद्द

चर्चा में क्यों ?

16 दिसंबर, 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले की स्वार विधानसभा सीट से निर्वाचित विधानसभा सदस्य अब्दुल्ला आज़म खान की सदस्यता रद्द कर दी।

क्या था मामला ?

- स्वार विधानसभा सीट पर वर्ष 2017 के चुनाव में पराजित उम्मीदवार द्वारा वर्ष 2017 में ही दाख़िल याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 दिसंबर, 2019 को उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पाया कि चुनाव के वक्त (वर्ष 2017) में विजयी उम्मीदवार की आयु संविधान द्वारा निर्धारित आयु (25 वर्ष) से कम थी।
- उच्च न्यायालय की जाँच में विजयी उम्मीदवार के चुनावी हलफ़नामे (30 सितंबर, 1990) और हाई स्कूल अंकतालिका (1 जनवरी, 1993) में दर्ज जन्मतिथियों में अंतर पाया गया।

संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम योग्यता:

भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति के राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिये निम्नलिखित अनिवार्यताएँ प्रस्तावित हैं -

- वह भारत का नागरिक हो। (संविधान के अनुच्छेद 173 (1) के अनुसार)
- आवेदन करते समय प्रत्याशी की आयु न्यूनतम 25 वर्ष हो। (संविधान के अनुच्छेद 173(2) के अनुसार)
- प्रत्याशी को निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सामने निम्नलिखित शपथ अथवा प्रतिज्ञा लेनी अनिवार्य है -
  - वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा तथा इसके प्रति वफादार रहेगा।
  - वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिये प्रतिबद्ध रहेगा।

इसके अलावा प्रत्याशियों को संसद द्वारा पारित जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of peoples Act) 1951 की निम्न धाराओं का पालन करना अनिवार्य है-

- प्रत्याशी संबंधित राज्य की किसी विधानसभा का एक निर्वाचक हो। [जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5 (3)]
- वह आरक्षित जाति या आरक्षित जनजाति से संबंधित हो यदि वह उपरोक्त जातियों के लिये आरक्षित किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहता है।

नोट :

प्रत्याशी की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान :

- यदि वह किसी राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश में किसी लाभ के पद (Office of Profit) पर हो।
- यदि उसे किसी न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से बीमार घोषित किया गया हो।
- यदि वह अघोषित रूप से दिवालिया हो।
- यदि वह भारत का नागरिक न हो अथवा उसके पास किसी विदेशी राष्ट्र की स्वेच्छा से ग्रहण की गई नागरिकता हो।

यदि वह संसद द्वारा पारित जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की निम्नलिखित में से किसी धारा के अनुसार अयोग्य हो-

- यदि वह किसी अपराध का दोषी है तथा उसे 2 वर्ष या इससे अधिक की सज़ा दी गई है। [जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3)]
- जेल में बंद कोई भी ऐसा व्यक्ति निर्वाचन में मत नहीं डाल सकता, जिसे कारावास की सज़ा दी गई हो, देश निकाला हो या पुलिस की कानूनी हिरासत में हो। [जन-प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1951 की धारा 62(5)]
- प्रत्याशी ने आवेदन के समय अपनी आय व संपत्ति का सही ब्यौरा न दिया हो।

नागपुर संकल्प

चर्चा में क्यों ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) के तहत कार्यरत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा नागपुर में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान नागपुर संकल्प (Nagpur Resolution)- नागरिकों के सशक्तिकरण के लिये एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाया।

प्रमुख बिंदु:

- इस सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और जन शिकायतें विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances- DARPG) और महाराष्ट्र सरकार तथा जन सेवा अधिकार के लिये महाराष्ट्र राज्य आयोग के सहयोग से किया गया।
- सरकार का बल शासन में पारदर्शिता, नागरिक केंद्रितता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन पर है।
- इससे पहले भी सुशासन के लिये, शिलांग घोषणा (Shillong Declaration) और जम्मू संकल्प (Jammu Resolution) को अपनाया गया है।
- इस सम्मेलन में छह तकनीकी सत्रों का भी आयोजन किया गया:
  - सेवा का अधिकार कानून के लागू होने से किस प्रकार सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायिगी के सुधार में सहायता मिली है।
  - सार्वजनिक सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक प्रदायिगी।
  - सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार के संबंध में समाज में जागरूकता पैदा करना।
  - केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायतें- निवारण और निगरानी प्रणाली।
  - सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायिगी के बारे में नवोन्मेषी प्रचलन।
  - एक भारत-श्रेष्ठ भारत पर फोकस के साथ महाराष्ट्र और ओडिशा के ज़िलों में सार्वजनिक सेवा प्रदायिगी में सुधार करना।

नागपुर संकल्प का उद्देश्य:

- **बेहतर सेवा वितरण (Better Service Delivery):**
  - नागरिक चार्टर का समय पर उन्नयन, लगातार सुधार के लिये अधिनियमों और आधारभूत मानकों के माध्यम से बेहतर सेवा प्रदायिगी के लिये नीतिगत प्रयासों द्वारा नागरिकों को सशक्त बनाना।

नोट :

- **शिकायतों का सुधार (Grievance Redressal):**
  - शिकायत निवारण की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर सुधार लाने और शिकायत निवारण में लगने वाले समय को कम करने के लिये उचित दृष्टिकोण अपनाकर नागरिकों को सशक्त बनाना।
  - उन्नत मैपिंग, निगरानी प्रणाली के गठन, आँकड़े संग्रह और शिकायत निवारण की गुणवत्ता के मूल्यांकन के माध्यम से प्रणालीगत समग्र दृष्टिकोण को अपनाना।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग (Use of Technology):**
  - वेब पोर्टलों (Web Portals) के निर्माण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर सेवा प्रदायिगी के लिये समग्र दृष्टिकोण अपनाने हेतु राज्यों, भारत सरकार के मंत्रालयों ओर विभागों में सक्षम वातावरण उपलब्ध कराना।
- **गतिशील नीति बनाना (Dynamic Policy Making):**
  - गतिशील नीति निर्माण और रणनीतिक निर्णय, कार्यान्वयन की निगरानी, प्रमुख कर्मियों की नियुक्ति, समन्वय तथा मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना।
- **तकनीकी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान (Exchange of Technical Expertise):**
  - 'एक भारत - श्रेष्ठ भारत' के तहत युग्मित राज्यों के बीच बेहतर सेवा प्रदायिगी के क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान द्वारा सामान्य पहचान (Common Identity) की भावना को विकसित करना।
- **सुशासन सूचकांक(Good Governance Index):**
  - 10 क्षेत्रों, विशेष रूप से केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर पर कल्याण और बुनियादी ढाँचे से संबंधित क्षेत्रों में, शासन की गुणवत्ता की पहचान के लिये सुशासन सूचकांक के प्रकाशन को समय पर सुनिश्चित करना।

धारा 144

चर्चा में क्यों ?

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (Citizenship Amendment Act- 2019) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लोक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC), 1973 की धारा 144 (Section 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई।

धारा 144 क्या है ?

- धारा 144 आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक कानून है जो औपनिवेशिक काल से बना हुआ है। धारा 144 ज़िला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को हिंसा या उपद्रव की आशंका और उसे रोकने से संबंधित प्रावधान लागू करने का अधिकार देता है।
- मजिस्ट्रेट को एक लिखित आदेश पारित करना होता है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों या आमतौर पर किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में आने-जाने के संबंध में लोगों को निर्देशित किया जा सकता है। आपातकालीन मामलों में मजिस्ट्रेट बिना किसी पूर्व सूचना के भी इन आदेशों को पारित कर सकता है।

इस कानून के तहत प्रशासन के पास क्या अधिकार हैं ?

- इसमें आमतौर पर आंदोलन पर प्रतिबंध, हथियार ले जाने और गैरकानूनी रूप से असेंबलिंग पर प्रतिबंध शामिल हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि धारा 144 के तहत तीन या अधिक लोगों की सभा निषिद्ध है।
- धारा 144 के तहत पारित कोई भी आदेश उसके जारी होने के दिनांक से दो महीने तक ही लागू रह सकता है किंतु यदि राज्य सरकार चाहती है तो इसे 6 महीने तक बढाया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में धारा 144 के अंतर्गत जारी किया गया आदेश 6 महीने से ज़्यादा प्रभावी नहीं रह सकता है।

नोट :

- धारा 144 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति विशेष को भी प्रतिबंधित करने का प्रावधान कर सकता है। गौरतलब है कि मजिस्ट्रेट यह आदेश किसी व्यक्ति को विधिवत रूप से नियोजित करने या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के खतरे, सार्वजनिक सुरक्षा में गड़बड़ी को रोकने, दंगे रोकने इत्यादि संदर्भों में जारी कर सकता है।

धारा 144 के उपयोग पर प्रशासन की आलोचना क्यों की जाती है ?

- ज़िला मजिस्ट्रेट के पास इस कानून के तहत प्राप्त अत्यधिक शक्ति संकेंद्रण के कारण इसकी आलोचना की जाती है। ध्यातव्य है कि इस कानून के क्रियान्वयन में ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी शक्ति के दुरुपयोग की आशंका के कारण भी इस कानून की आलोचना की जाती है।
- इस कानून के अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इसलिये भी इस कानून की आलोचना की जाती है। यद्यपि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय जाने का विकल्प सदैव रहता है।

धारा 144 के संदर्भ में न्यायालय की राय:

- वर्ष 1939 में बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि धारा 144 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट स्वतंत्रता को बाधित करता है किंतु उसे यह तभी करना चाहिये जब तथ्य सार्वजनिक सुरक्षा के संदर्भ में ऐसा करने को प्रमाणित करते हों तथा उसे ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिये जो मामले की आवश्यकताओं से परे हो।
- वर्ष 1961 के बाबूलाल परते बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने इस कानून की संवैधानिकता को बरक़रार रखा।
- वर्ष 1967 में राम मनोहर लोहिया मामले में इस कानून को पुन: न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया और इस कानून के पक्ष में कहा कि "कोई भी लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता यदि उस देश के किसी एक वर्ग के लोगों को आसानी से लोक व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने दिया जाए"।
- वर्ष 1970 में मधुलिमये (Madhu Limaye) बनाम सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने धारा 144 में मजिस्ट्रेट की शक्ति के संदर्भ में कहा कि "मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रशासन द्वारा प्राप्त आम शक्ति नहीं है बल्कि यह न्यायिक तरीके से उपयोग की जाने जाने वाली शक्ति है जिसकी न्यायिक जाँच भी की जा सकी है।"
  - न्यायालय ने कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए कहा कि धारा 144 के अंतर्गत लगे प्रतिबंधों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अंतर्गत आता है।
- वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के प्रावधान का उपयोग केवल सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिये गंभीर परिस्थितियों में किया जा सकता है और इस प्रावधान का उद्देश्य केवल हानिकारक घटनाओं को घटित होने से रोकना है।

क्या धारा 144 दूरसंचार व्यवस्था पर भी प्रतिबंध लगाती है ?

- दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के अंतर्गत देश के गृह मंत्रालय के सचिव या राज्य के सक्षम पदाधिकारी को दूरसंचार सेवाओं के निलंबन का अधिकार दिया गया है।
  - यह कानून भारतीय टेलीग्राफ़ अधिनियम,1885 से शक्ति प्राप्त करता है। ध्यातव्य है कि भारतीय टेलीग्राफ़ अधिनियम,1885 की धारा 5(2) के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे लोक संकट या जन सुरक्षा या भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संदेश सेवा (Messaging) को प्रतिबंधित कर सकती हैं।
- हालाँकि भारत में शटडाउन हमेशा सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं के निर्धारित नियमों के तहत नहीं होते हैं। धारा 144 का इस्तेमाल अक्सर दूरसंचार सेवाओं पर रोक लगाने और इंटरनेट बंद करने के आदेश के लिये किया जाता रहा है।
  - उत्तर प्रदेश में ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 के तहत इंटरनेट सेवाएँ निलंबित कर दी गईं। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक तनाव के कारण मोबाइल इंटरनेट, केबल सेवाओं और ब्रॉडबैंड को ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 के तहत बंद कर दिया गया।

आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता :

- आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्यवन के लिये मुख्य कानून है। यह सन् 1973 में पारित हुआ तथा 1 अप्रैल, 1974 से लागू हुआ।

नोट :

- CrPC आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है। जब कोई अपराध किया जाता है तो सदैव दो प्रक्रियाएँ होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जाँच करने में अपनाती हैं।
- एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। CrPC में इन प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया गया है।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कुछ प्रमुख धाराएँ :

- धारा 41 (b): गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्त्तव्य
- धारा 41 (d): इस धारा के अनुसार, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा पुलिस द्वारा उससे परिप्रश्न किये जाते हैं, तो परिप्रश्नों के दौरान उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा किंतु पूरे परिप्रश्नों के दौरान नहीं।
- धारा 46: गिरफ्तारी कैसे की जाएगी ?
- धारा 51: गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने की प्रक्रिया।
- धारा 52: आक्रामक आयुध का अधिग्रहण - गिरफ्तार व्यक्ति के पास यदि कोई आक्रामक आयुध पाए जाते है तो उन्हें अधिग्रहीत करने के प्रावधान हैं।
- धारा 55 (a): इसके अनुसार अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की युक्तियुक्त देख-रेख करे।

इस प्रकार धारा 144 आपातकालीन स्थिति में कानून व्यवस्था को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिये एक अच्छा उपकरण है किंतु इसका गलत प्रयोग इसके संबंध में चिंता उत्पन्न करता है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उच्च रक्षा प्रबंधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (Chief of Defence Staff- CDS) के पद के सृजन को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु:

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की घोषणा 15 अगस्त, 2019 को की गई थी। यह भारत की जल, थल एवं वायु सेना के एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा व आपस में उनके संपर्क को स्थापित करेगा।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का वेतन और अतिरिक्त सुविधाएँ सर्विस चीफ (Service Chief) के बराबर होंगी।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सैन्य मामलों के विभाग (Department of Military Affairs- DMA) का भी प्रमुख होगा।
- इसका गठन रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के तहत किया जाएगा और वह उसके सचिव के रूप में कार्य करेगा।

कार्य:

- CDS के नेतृत्व में DMA निम्नलिखित कार्यों का नेतृत्व करेगा:
  - संघ की सशस्त्र सेना अर्थात सेना, नौसेना और वायु सेना।
  - रक्षा मंत्रालय के समन्वित मुख्यालय जिनमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायु सेना मुख्यालय और रक्षा प्रमुख मुख्यालय शामिल है।
  - प्रादेशिक सेना, सेना, नौसेना और वायु सेना से जुड़े कार्य।
  - चालू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़कर सेवाओं के लिये विशिष्ट खरीद।
  - सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख होने के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी के अध्यक्ष भी होंगे।
  - वे सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन इसके साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेनाओं के संबंध में सलाह देना जारी रखेंगे।
  - चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ तीनों सेनाओं के प्रमुखों को कमांड (Command) नहीं करेंगे और नहीं किसी अन्य सैन्य कमान के लिये अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि राजनीतिक नेतृत्व को सैन्य मामलों में निष्पक्ष सुझाव दे सके।

नोट :

- इसके अलावा सैन्य मामलों के विभाग के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित बातें भी शामिल होंगी:-
  - एकीकृत संयुक्त योजनाओं और आवश्यकताओं के माध्यम से सैन्य सेवाओं की खरीद, प्रशिक्षण और स्टॉफ की नियुक्ति की प्रक्रिया में समन्वय लाना। संयुक्त संचालन के माध्यम से संसाधनों के तर्कसंगत इस्तेमाल के लिये सैन्य कमानों के पुनर्गठन और संयुक्त थिएटर कमानों के गठन की सुविधा।
  - सेनाओं द्वारा स्वदेश निर्मित उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
- चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ निम्नलिखित कार्य करेंगे:-
  - वे तीनों सैन्य सेवाओं के लिये प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख करेंगे। तीनों सेवाओं से जुड़ी एजेंसियों, संगठनों तथा साइबर और अंतरिक्ष से संबंधित कार्यों की कमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ के हाथों में होगी।
  - CDS रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलहकार की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति के सदस्य होंगे।
  - परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे।
  - प्रथम CDS के पदभार संभालने के बाद तीन वर्षों के भीतर तीनों ही सेवाओं के परिचालन, लॉजिस्टिक्स, आवाजाही, प्रशिक्षण, सहायक सेवाओं, संचार, मरम्मत एवं रखरखाव इत्यादि में संलग्नता सुनिश्चित करेंगे।
  - अवसंरचना का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे और तीनों ही सेवाओं के बीच संलग्नता के जरिये इसे तर्कसंगत बनाएंगे।
  - एकीकृत क्षमता विकास योजना (Integrated Capacity Development Plan- ICDP) के बाद आगे के कदम के रूप में पंचवर्षीय 'रक्षा पूंजीगत सामान अधिग्रहण योजना' और दो वर्षीय सतत वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं (Annual Acquisition Plans) को कार्यान्वित करेंगे।
  - अनुमानित बजट के आधार पर पूंजीगत सामान खरीद के प्रस्तावों को अंतर-सेवा प्राथमिकता देंगे।
  - अपव्यय में कमी करके सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताएं बढ़ाने के लिये तीनों सेवाओं के कामकाज में सुधारों को लागू करेंगे।

महत्त्व:

- उच्च रक्षा प्रबंधन में इस सुधार से सशस्त्र बल समन्वित रक्षा सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं को लागू करने में समर्थ हो जाएंगे
- इसके साथ ही यह तीनों सेवाओं के बीच एक साझा रणनीति के साथ एकीकृत सैन्य अभियान के संचालन को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगा।
- प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स एवं परिचालनों के साथ-साथ खरीद को प्राथमिकता देने में संयुक्त रणनीति अपनाने के लिये समन्वित प्रयास करने से देश लाभान्वित होगा।

अटल भू-जल योजना

चर्चा में क्यों ?

25 दिसंबर, 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिये 'अटल भूजल योजना' प्रारंभ की गई है।

वित्तीय प्रारूप:

- इस योजना का कुल परिव्यय 6000 करोड़ रुपए है तथा यह पाँच वर्षों की अवधि (2020-21 से 2024-25) के लिये लागू की जाएगी।
- 6000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में 50 प्रतिशत विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा, जिसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी।
- बकाया 50 प्रतिशत नियमित बजटीय सहायता से केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यों को विश्व बैंक का संपूर्ण ऋण और केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य चिन्हित प्राथमिकता वाले 7 राज्यों- गुजरात, हरियाण, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जनभागीदारी के माध्यम से भू-जल प्रबंधन में सुधार लाना है।

नोट :

- इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों के 78 ज़िलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- यह योजना मांग पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देते हुए ग्राम पंचायतों में भू-जल प्रबंधन तथा व्यवहार्य परिवर्तन को बढ़ावा देगी।

अटल जल के दो प्रमुख घटक हैं–

- संस्थागत मज़बूती और क्षमता निर्माण घटक:
  - राज्यों में स्थायी भू-जल प्रबंधन के लिये संस्थागत प्रबंधनों को मजबूत बनाने के लिये नेटवर्क निगरानी और क्षमता निर्माण में सुधार तथा जल उपयोगकर्त्ता समूहों को मजबूत बनाना।
  - डेटा विस्तार, जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना, मौजूदा योजनाओं के समन्वय के माध्यम से प्रबंधन प्रयासों को लागू करना।
- मांग पक्ष प्रबंधन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिये राज्यों को प्रोत्साहन देने हेतु घटक:

1. विभिन्न स्तरों पर हितधारकों के क्षमता निर्माण तथा भू-जल निगरानी नेटवर्क में सुधार के लिये संस्थागत मज़बूती से भू-जल डेटा भंडारण, विनिमय, विश्लेषण और विस्तार को बढ़ावा देना।
2. उन्नत और वास्तविक जल प्रबंधन से संबंधित उन्नत डेटाबेस तथा पंचायत स्तर पर समुदायिक नेतृत्व के तहत जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना।
3. भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न मौजूदा और नई योजनाओं के समन्वय के माध्यम से जल सुरक्षा योजनाओं को लागू करना, ताकि सतत् भू-जल प्रबंधन के लिये निधियों के न्यायसंगत और प्रभावी उपयोग में मदद मिल सके।
4. सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधता, विद्युत फीडर विलगन आदि जैसे मांग पक्ष के उपायों पर ध्यान देते हुए उपलब्ध भू-जल संसाधनों का उचित उपयोग करना।

प्रभाव:

- स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से परियोजना क्षेत्र में जल जीवन मिशन के लिये संसाधनों की निरंतरता।
- किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में योगदान मिलेगा।
- भागीदारी भू-जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।
- बड़े पैमाने पर परिष्कृत जल उपयोग निपुणता और उन्नत फसल पद्धति को बढ़ावा।
- भू-जल संसाधनों के निपुण और समान उपयोग तथा समुदाय स्तर पर व्यवहार्य परिवर्तन को बढ़ावा।

पृष्ठभूमि

भू-जल देश के कुल सिंचित क्षेत्र में लगभग 65 प्रतिशत और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में लगभग 85 प्रतिशत योगदान देता है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की बढ़ती हुई मांग के कारण देश के सीमित भू-जल संसाधन खतरे में हैं। अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक और अनियंत्रित भू-जल दोहन से इसके स्तर में तेज़ी से और व्यापक रूप से कमी होने के साथ-साथ भू-जल पृथक्करण ढाँचों की निरंतरता में गिरावट आई है। देश के कुछ भागों में भू-जल की उपलब्धता में गिरावट की समस्या को भू-जल की गुणवत्ता में कमी ने और बढ़ा दिया है। अधिक दोहन, अपमिश्रण और इससे जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों के कारण भू-जल पर पड़ते दबाव के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा खतरे में पहुँच गई है। इसके लिये आवश्यक सुधारात्मक, उपचारात्मक प्रयास प्राथमिकता के आधार पर किये जाने की ज़रूरत है।

जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने अटल भू-जल योजना के माध्यम से देश में भू-जल संसाधनों की दीर्घकालीन निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये एक अग्रणीय पहल की है, जिसमें विभिन्न भू-आकृतिक, जलवायु संबंधी, जल भू-वैज्ञानिक और सांस्कृतिक स्थिति के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 राज्यों में पहचान किये गए भू-जल की कमी वाले प्रखंडों में 'टॉप-डाउन' और 'बॉटम अप' का मिश्रण अपनाया गया है। अटल जल को भागीदारी भू-जल प्रबंधन तथा निरंतर भू-जल संसाधन प्रबंधन के लिये समुदाय स्तर पर व्यवहार्य परिवर्तन लाने के लिये संस्थागत ढाँचे को मजबूत बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है। इस योजना में जागरूकता कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण, मौजूदा और नई योजनाओं के समन्वय तथा उन्नत कृषि प्रक्रियाओं सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की कल्पना की गई है।

नोट :

उच्च शिक्षा में सुधार के लिये नवाचार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) द्वारा उच्च शिक्षा में मूल्यों और नैतिकता के संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाँच नए कार्यक्रम संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- ये पाँच दस्तावेज़ उच्च शिक्षा में मूल्यांकन सुधार, पर्यावरण के अनुकूल और सतत् विश्वविद्यालय परिसरों का निर्माण, मानवीय मूल्यों एवं पेशेवर नैतिकता, शिक्षक प्रेरण तथा शैक्षिक शोध में सुधार को समाहित करते हैं।
- ये दिशा-निर्देश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों में महत्त्वपूर्ण कौशल, ज्ञान और नैतिकता विकसित करने में सहायता करेंगे।

UGC द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार संबंधी निम्नलिखित पाँच नवाचारों की चर्चा की गई है-

मूल्य प्रवाह (MulyaPravah):

- उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मानवीय मूल्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से UGC ने मूल्य प्रवाह नाम से दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों में छात्र संघों को वैध तरीके से कानूनी मुद्दों को उठाने तथा सही समय पर निर्णय लेने के लिये प्रशासन का समर्थन करने की सलाह दी गई है।
- इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से छात्रों को अपने समग्र व्यवहार में विनम्रता का पालन करने के लिये कहा गया है।
- छात्रों को अच्छी सेहत बनाए रखने तथा किसी भी तरह के नशे से परहेज करने के लिये कहा गया है।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति, समुदाय, जाति, धर्म या क्षेत्र से संबंधित छात्रों के बीच सामंजस्य बनाए रखने से संबंधी निर्देश भी दिये गए हैं।
- ये दिशा-निर्देश ऐसे समय में आए हैं, जब विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है तथा राजनीतिक मुद्दों में छात्रों की भागीदारी जाँच के दायरे में आ गई है।
- दिशा-निर्देशों की यह रूपरेखा उच्च शिक्षा संस्थानों में ऐसी चर्चा और प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिये प्रोत्साहित करती है जो शैक्षिक संस्थानों में मानवीय मूल्यों और नैतिकता की संस्कृति को समाहित करने में सहायता करती है।

सतत् (SATAT):

- उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण के अनुकूल तथा टिकाऊ परिसर के विकास के लिये सतत् कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
- यह कार्यक्रम विश्वविद्यालयों को अपने परिसर की पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने और अपने भविष्य में सतत् और हरित तरीकों को अपनाने के लिये चिंतनशील नीतियों एवं प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करता है।

गुरु-दक्षता (Guru-Dakshta):

- यह कार्यक्रम उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक प्रेरण कार्यक्रम (Faculty Induction Programme) के तौर पर प्रारंभ किया गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों में सीखने से संबंधित दृष्टिकोण विकसित करने के लिये उन्हें जागरूक करना, शिक्षण के लिये नए दृष्टिकोण अपनाना तथा उच्च शिक्षा में नए मूल्यांकन उपकरणों को अपनाना है।

नोट :

UGC-केयर (कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स):
(Consortium for Academic and Research Ethics-CARE):

- UGC- CARE कार्यक्रम 28 नवंबर 2018 को UGC की एक अधिसूचना द्वारा प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
  - उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध गुणवत्ता और प्रकाशन की नैतिकता को बढ़ावा देना।
  - प्रतिष्ठित जर्नल्स (Journals) में उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों को बढ़ावा देना ताकि उच्च वैश्विक रैंक प्राप्त करने में सहायता मिल सके।
  - अच्छी गुणवत्ता वाले जर्नल्स की पहचान के लिये दृष्टिकोण और पद्धति विकसित करना।
  - संदिग्ध और उप-मानक के जर्नल्स का प्रकाशन रोकना, क्योंकि ये भारतीय उच्च शिक्षा की प्रतिकूल छवि प्रतिबिंबित करते हैं तथा उसकी छवि को धूमिल करते हैं।
  - सभी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिये गुणवत्तापूर्ण जर्नल्स की सूची जारी करना।

भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में मूल्यांकन सुधार कार्यक्रम
(Evaluation Reforms in Higher Educational Institutions in India):

- इस कार्यक्रम के तहत छात्रों के मूल्यांकन को अधिक सार्थक और प्रभावी बनाया जाएगा तथा मूल्यांकन को 'लर्निंग आउटकम' (Learning Outcomes) से जोड़ा जाएगा।
- छात्रों का उचित मूल्यांकन देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

UGC द्वारा उठाए गए इन क़दमों से शिक्षण संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा उनके अनुसंधान, शिक्षण और सीखने के तरीकों में भी सुधार आएगा। इन नवाचारों के माध्यम से संस्थानों में अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने के लिये ज्ञान एवं सूचनाओं को साझा करने की सुविधा भी प्राप्त होगी।

महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना

चर्चा में क्यों ?

21 दिसंबर, 2019 को महाराष्ट्र सरकार ने 30 सितंबर, 2019 की कट ऑफ डेट के साथ किसानों के लिये दो लाख रुपए तक की ऋण माफी की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही किसानों की ऋण माफी का मुद्दा पुन: प्रकाश में आ गया है।

प्रमुख बिंदु

- महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों की ऋण माफी के लिये शुरू की गई इस योजना को महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना (Mahatma Jyotirao Phule loan waiver scheme) के नाम से जाना जाएगा।
- इस योजना की शुरुआत मार्च 2020 से होगी।
- इस योजना के अलावा महाराष्ट्र सरकार ने नियमित रूप से अपने ऋण की किश्तों का भुगतान करने वाले किसानों के लिये भी जल्दी ही एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है।

योजना का वित्तीय प्रारूप

- महाराष्ट्र सरकार फसल ऋण माफी योजना पर 21,216 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार का मानना है कि इससे 30.57 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
- यदि किसानों का व्यक्तिगत फसल ऋण 2 लाख रुपए से अधिक है, तो सरकार बैंकों से जानकारी प्राप्त कर उन किसानों के लिये एक नई योजना की घोषणा करेगी।
- यदि फसल ऋण की कुल राशि 2 लाख रुपए से कम राशि है तो योजना के अंतर्गत किसान के एक से अधिक खाते शामिल किये जाएंगे।
- बकाया ऋण के साथ धनराशि को सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा, इसके लिये किसी भी प्रकार के फॉर्म जमा नहीं किये जाएंगे, न ही किसान के जीवनसाथी के साक्षात्कार और ऑनलाइन प्रक्रिया को इसमें शामिल किया जाएगा।

नोट :

लाभार्थी

- 1 अप्रैल, 2015 से 30 सितंबर, 2019 तक 2 लाख रुपए तक के फसल ऋण (इतनी धनराशि के लिये आवश्यक भूमि की उपलब्धता पर विचार किये बिना) लेने वाले किसान इस योजना के पात्र होंगे।

ऋण माफी की प्रकिया:

- इस पूरी प्रक्रिया में चार चरण शामिल होंगे:
  - पहला चरण: योजना की घोषणा एवं प्रचार, पात्रता और आधार को इससे संबद्ध करना।
  - दूसरा चरण: बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान आधार से जुड़े ऋण खातों और बगैर आधार लिंक वाले ऋण खातों की एक सूची तैयार करेंगे।
  - तीसरा चरण: योजना के तहत फसल ऋण माफी के दावों की जाँच के लिये एक वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा और प्रत्येक खाते के साथ एक विशेष नंबर संलग्न किया जाएगा। लाभार्थियों की ग्रामवार सूची घोषित की जाएगी।
  - चौथा और अंतिम चरण: प्रत्येक किसान आधार लिंक की जाँच करेगा और यदि उसे कोई शिकायत है, तो वह ज़िला शिकायत निवारण समिति (District Complaint Redressal Committe) से संपर्क कर सकता है। कोई भी शिकायत प्राप्त न होने पर धन वितरित किया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

- महा विकास अघडी (Maha Vikas Aghadi- MVA) सरकार अर्थात् राकांपा-कांग्रेस-शिवसेना गठबंधन ने नवंबर 2019 में सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम (Common Minimum Program-CMP) की घोषणा की थी जिसमें कृषि ऋण माफी को अपने एजेंडे के मुख्य बिंदुओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था।

कृषि ऋण माफी के विपक्ष में तर्क

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, कृषि ऋण छूट एक 'त्वरित सुधार' है। इससे स्थायी कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, यदि सभी राज्यों ने कृषि ऋण माफी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया तो करीब 2.2 से 2.7 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज़ माफ करना होगा। इससे अर्थव्यवस्था को अपस्फीति का सामना करना पड़ सकता है।
- राज्यों को ऋण माफी के बाद खजाने का वित्तपोषण करना होगा, ताकि राजकोषीय घाटे को नियंत्रण योग्य स्तर पर रखा जा सके। यद्यपि केंद्र सरकार राजकोषीय समेकन के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास करती है, फिर भी राज्यों पर कर्ज़ का बोझ बढ़ने से सरकारी ऋण में वृद्धि हो सकती है।

कृषि ऋण माफी के संदर्भ में क्या किया जाना चाहिये ?

इसमें कोई शक नहीं है कि ऋण माफी से किसानों को काफी राहत मिली है, लेकिन इस तरह की माफी का कोई दीर्घकालिक प्रभाव अभी तक देखने को नहीं मिला है। हालाँकि कर्ज़ माफी से किसानों को अस्थायी राहत मिल सकती है, फिर भी कृषि को स्थायी बनाने के लिये एक दीर्घकालिक प्रभावी उपाय की आवश्यकता है। दीर्घकालिक उपायों में शामिल हैं:

- तकनीक उन्नयन से अक्षमता में कमी लाना।
- कृषि लागत में कमी लाना।
- किसानों की आय में वृद्धि का प्रयास करना।
- बीमा योजनाओं के माध्यम से फसल सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- सिंचाई क्षमता को बढ़ाना और कोल्ड स्टोरेज़ चेन का निर्माण करना।
- कृषि क्षेत्र को सीधे बाज़ार से जोड़ना।

नोट :

OCI कार्डधारकों को राहत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के समुद्रपारीय नागरिकों (Overseas Citizens of India-OCI) को OCI कार्ड के नवीनीकरण संबंधी प्रावधानों में कुछ छूट प्रदान की है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने OCI कार्डधारकों से संबंधित उस प्रावधान में छूट प्रदान की है, जिसके तहत 50 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिये भी पासपोर्ट के नवीनीकरण के साथ OCI कार्ड का नवीनीकरण अनिवार्य कर दिया गया था।
- गृह मंत्रालय के एक नए आदेश के अनुसार, एक OCI कार्डधारक को 20 वर्ष की आयु तक और 50 वर्ष की आयु के बाद पासपोर्ट जारी कराते समय प्रत्येक बार पंजीकरण कराना आवश्यक होता है, परंतु 21 और 50 की आयु दौरान एक नया पासपोर्ट जारी कराने के लिये हर बार OCI पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है।
- 17 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, OCI कार्डधारकों को कार्ड नवीनीकरण से छूट संबंधी यह सुविधा 30 जून, 2020 की अवधि तक दी जाएगी।
- OCI कार्डधारकों को अपने पुराने और नए पासपोर्ट के साथ मौजूदा OCI कार्ड ले जाना होगा।

क्या थी समस्या ?

- बहुत से OCI कार्डधारक कार्ड नवीनीकरण से संबंधी इस प्रावधान के कारण भारत आने में असमर्थ थे।
- वहीं बहुत से OCI कार्डधारकों को OCI कार्ड का पासपोर्ट के साथ नवीनीकरण नहीं होने के कारण विभिन्न हवाई अड्डों पर एयरलाइंस (Airlines) तथा आव्रजन प्राधिकारियों (Immigration Authorities) द्वारा रोक लिया जाता था।

भारत के समुद्रपारीय नागरिक: (Overseas Citizens of India-OCI):

- कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान (एवं भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन में घोषित किसी अन्य देश) का नागरिक नहीं है और न ही कभी रहा है, निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी करने पर OCI की श्रेणी में आता है। पूरी आयु व क्षमता का वह व्यक्ति जो अभी किसी अन्य देश का नागरिक है, किंतु-
  - संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका है; अथवा
  - संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो; अथवा
  - किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो; अथवा
  - यदि वह उपर्युक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का पुत्र/पुत्री या पोता/पोती या नाती/नातिन है।

OCI कार्डधारक का पंजीकरण रद्द करने हेतु शर्तें:

नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, केंद्र सरकार किसी भी OCI कार्डधारक के पंजीकरण को निम्नलिखित आधार पर रद्द कर सकती है:

- यदि OCI पंजीकरण में कोई धोखाधड़ी सामने आती है।
- यदि पंजीकरण के पाँच साल के भीतर OCI कार्डधारक को दो साल या उससे अधिक समय के लिये कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
- यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिये आवश्यक हो।
- हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम, (Citizenship Amendment Act, 2019) में OCI कार्डधारक के पंजीकरण को रद्द करने के लिये एक और आधार जोड़ा गया है, जिसके तहत यदि OCI कार्डधारक अधिनियम के प्रावधानों या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कानून का उल्लंघन करता है तो भी केंद्र के पास उस OCI कार्डधारक के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार होगा।

नोट :

OCI कार्डधारकों को मिलने वाली सुविधाएँ:

- जीवनपर्यंत वीज़ा
- कितनी भी लंबी यात्रा, पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं।
- अनिवासी भारतीयों को मिलने वाली आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक, सुविधा तो उपलब्ध; किंतु कृषि, संपत्ति या बागान खरीदने की छूट नहीं।
- ठहरने की किसी भी अवधि तक पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने से छूट।

जेम संवाद

चर्चा में क्यों ?

17 दिसंबर, 2019 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम 'जेम संवाद' का शुभारंभ किया।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य देश भर में फैले हितधारकों के साथ-साथ स्थानीय विक्रताओं तक पहुँच सुनिश्चित करना या उनसे संपर्क साधना है, ताकि खरीदारों की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं खरीदारी संबंधी ज़रूरतों को पूरा करते हुए गवर्नमेंट मार्केटप्लेस (जेम) से स्थानीय विक्रताओं को जोड़ने में आसानी हो सके।

प्रमुख बिंदु

- यह आउटरीच कार्यक्रम 19 दिसंबर, 2019 को शुरू हुआ।
- यह आउटरीच कार्यक्रम 17 फरवरी, 2020 तक जारी रहेगा और यह इस दौरान सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें कवर किया जाएगा।

लाभ

- राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग एवं संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अपनी खरीदारी संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये जेम का उपयोग करते रहे हैं।
- राज्यों के विक्रेतागण भी इस पोर्टल का उपयोग कर राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद बाज़ार में अपनी पहुँच के ज़रिये लाभान्वित हो रहे हैं।
- 'जेम संवाद' के ज़रिये यह मार्केटप्लेस विभिन्न उपयोगकर्त्ताओं (यूज़र्स) से आवश्यक जानकारियाँ एवं सुझाव प्राप्त करने की आशा कर रहा है जिनका उपयोग इस पूरी प्रणाली में बेहतरी सुनिश्चित करने में किया जाएगा।

लोक संपत्तियों के नुकसान की क्षतिपूर्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 [The Citizenship (Amendment) Act, 2019-CAA] के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान लोक-संपत्तियों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु नागरिक समाज (सिविल सोसायटी) द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति राशि को स्वीकार करने में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों की उपेक्षा की गई है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2009 में 'डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ Vs स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स' (Destruction of Public & Private Properties v State of AP and Others) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए लोक संपत्तियों को हुए नुकसान और देयता संबंधी दिशा-निर्देश दिया था।

उपरोक्त संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया:

- हिंसा की घटनाओं में नष्ट की गई संपत्ति के लिये 'अनुकरणीय क्षति' (Exemplary Damages) का आकलन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/निजी वीडियो सबूतों पर आधारित होना चाहिये।

नोट :

- अभियोजन पक्ष (Prosecution) को भी पृथक रूप से यह साबित करना होता है कि किसी संगठन द्वारा की गई प्रत्यक्ष कार्रवाई में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचा है और यह संबंधित व्यक्तियों के 'प्रत्यक्ष कार्यों' का परिणाम था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को भी ऐसे मामलों में स्वत: संज्ञान लेने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं तथा सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के कारणों को जानने तथा क्षतिपूर्ति की जाँच के लिये एक तंत्र की स्थापना करने के लिये कहा था।
- ऐसे प्रत्येक मामले में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को क्षतिपूर्ति का अनुमान लगाने एवं देयता की जाँच के लिये उच्च न्यायालय के वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश या वर्तमान/सेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश को दावा आयुक्त (Claims Commissioner) के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिये। दावा आयुक्त की सहायता के लिये एक परामर्शदाता की नियुक्ति भी की जानी चाहिये।
- दावा आयुक्त और मूल्यांकनकर्त्ता, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हुए, क्षति को परिभाषित करने तथा क्षति के लिये ज़िम्मेदार व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने के लिये निजी और सार्वजनिक स्रोतों से वीडियो या अन्य रिकॉर्डिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं।
- लोक संपत्ति के नुकसान संबंधी मामले में पूर्ण देयता का सिद्धांत केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा, जिन मामलों में आरोप सिद्ध हो चुके हैं। यह देयता वास्तविक आरोपियों के साथ इसके आयोजकों द्वारा वहन की जाएगी। ज्ञातव्य है कि क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली जाने वाली राशि में इन दोनों की देयता न्यायालय द्वारा तय की जाएगी।
- 'अनुकरणीय क्षति' की राशि भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति के दुगने से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- क्षतिपूर्ति की राशि का आकलन नष्ट की गई सार्वजनिक या निजी संपत्ति के मूल्य, मृतकों एवं घायलों को हुए नुकसान तथा हिंसा को रोकने में अधिकारियों एवं पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर आने वाली लागत के आधार पर किया जाना चाहिये। दावा आयुक्त अंत में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद देयता का निर्धारण करेगा।

लोक संपत्तियों के संरक्षण से संबंधित भारतीय कानून:

लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984: (The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984)

- इस अधिनियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण कृत्य द्वारा नुकसान पहुँचाता है तो उसे पाँच साल तक की जेल अथवा जुर्माना या दोनों सज़ा से दंडित किया जा सकता है।
- इस अधिनियम के अनुसार, लोक संपत्तियों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है-
  - कोई ऐसा भवन या संपत्ति जिसका प्रयोग जल, प्रकाश, शक्ति या उर्जा के उत्पादन और वितरण किया जाता है।
  - तेल संबंधी प्रतिष्ठान
  - खान या कारखाना
  - सीवेज संबंधी कार्यस्थल
  - लोक परिवहन या दूर-संचार का कोई साधन या इस संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान और संपत्ति।

हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर इस कानून को अपर्याप्त बताया है और दिशा-निर्देशों के माध्यम से अंतराल को भरने का प्रयास किया है।

'रन थ्रू फाइल्स' सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने के लिये हरियाणा सरकार द्वारा 'रन थ्रू फाइल्स' (Run Through Files -RTF) प्रणाली की शुरुआत की है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- हरियाणा सरकार द्वारा केंद्रीकृत फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सूचना प्रणाली (Centralised File Movement and Tracking Information System- CFMS) के माध्यम से 'रन थ्रू फाइल्स' प्रणाली का प्रावधान किया गया है।
- इस प्रणाली की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी।
- CFMS के अंतर्गत एक फाइल को केवल मुख्यमंत्री ही रन थ्रू फाइल के रूप में चिह्नित करेगा।
- इस सिस्टम का मुख्य बल इस बात पर है कि महत्त्वपूर्ण फाइलों को क्लियर करने में विभागीय प्राथमिकताओं एवं विरोधाभासों के कारण विलंब या नुकसान न हो।
- उसके बाद अन्य महत्त्वपूर्ण फाइलों को प्राथमिकता के आधार पर RTF के रूप में चिह्नित कर क्लियर किया जाएगा।
- इन फाइलों की आवाजाही और फाइल को क्लियर करने में लगने वाले समय की मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जाएगी।

केंद्रीयकृत फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सूचना प्रणाली (CFMS)

केंद्रीयकृत फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सूचना प्रणाली (CFSM) हरियाणा सरकार की एक पहल है। यह वेब आधारित प्रणाली है जो सभी सरकारी कार्यालयों में फाइलों की आवाजाही पर नज़र रखने पर आधारित है।

लाभ:

- सरकारी कार्यों में पारदर्शिता एवं तीव्रता आएगी।
- सरकारी कार्यों एवं योजनाओं का सही एवं समय पर क्रियान्वयन संभव होगा।
- लोगों का शासन व्यवस्था एवं सरकार में विश्वास बढ़ेगा तथा सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी।
- ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा।

ई-गवर्नेंस

ई-गवर्नेंस में "ई" का अर्थ 'इलेक्ट्रॉनिक' है। ई-गवर्नेंस का अर्थ है, किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएँ प्रदान करने के लिये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना।

द्वीपीय देश समोआ

चर्चा में क्यों ?

28 दिसंबर, 2019 को समोआ (Samoa) सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने खसरे के प्रकोप के कारण लगाए गए छह सप्ताह के आपातकाल को हटा दिया है।

मुख्य बिंदु:

- मात्र 2 लाख की आबादी वाले दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित इस द्वीपीय देश में इस वर्ष 5600 से अधिक लोग खसरे के संक्रमण से प्रभावित हुए, जबकि इस महामारी में 81 लोगों की मृत्यु हो गई जिसमें से अधिकतर संख्या कम उम्र के बच्चों की थी।
- इस वर्ष 16 अक्तूबर को समोआ सरकार ने देश में खसरे के फैलने की चेतावनी जारी की और इसके एक महीने बाद देश भर में इसे लेकर आपातकाल घोषित कर दिया गया, इस दौरान स्कूलों और यातायात के साथ बच्चों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई।
- वर्ष 2019 में ही न्यूज़ीलैंड में बड़ी संख्या लोग खसरे से प्रभावित हुए थे, देश के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जनवरी से सितंबर माह के बीच ऐसे लोगों की संख्या 1,051 से अधिक थी। एक अनुमान के अनुसार, न्यूज़ीलैंड से ही यह बीमारी के समोआ में भी फैल गई।
- विभिन्न देशों और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के सहयोग से देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण और उपचार के अन्य कार्यक्रम चलाए गए जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2019 के मध्य से खसरे से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी देखने को मिली।

नोट :

समोआ: संक्षिप्त परिचय

स्वतंत्र राज्य समोआ दक्षिण प्रशांत महासागर का एक देश है, वर्ष 1997 तक इसे पश्चिमी समोआ के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1961 में स्वतंत्रता से पहले इस द्वीपीय देश पर न्यूजीलैंड का शासन रहा। इस देश का प्रमुख व्यवसाय मत्स्य पालन, कृषि और पर्यटन है।

इतनी बड़ी संख्या में लोगों के खसरे से संक्रमित होने के कारण:

- इस वर्ष विश्व के विभिन्न देशों में खसरे का प्रकोप देखने को मिला, विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) के अनुसार, वर्ष 2019 के पहले तीन महीनों में पिछले वर्ष की तुलना में खसरे से पीड़ित लोगों की संख्या चार गुना अधिक थी।
- सरकारी आँकड़ों के अनुसार, समोआ में वर्ष 2013 में 90% बच्चों का सफल टीकाकरण किया गया परंतु पिछले वर्ष गलत टीकाकरण से हुई दो बच्चों की मौत के बाद भय का माहौल बन गया।
- इसके अतिरिक्त टीकाकरण के बारे में बहुत सी अफवाहों की वजह से बच्चों के टीकाकरण में 30% की कमी देखी गई जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ गया।

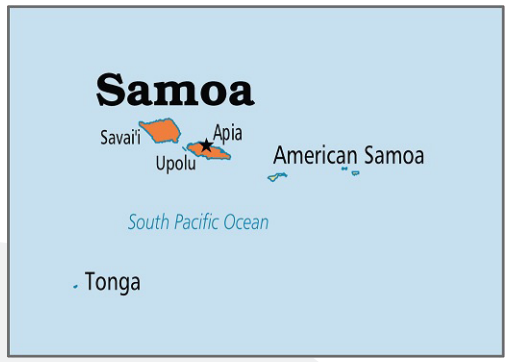

खसरा (Measles) क्या है ?

- खसरा एक अति संक्रामक विषाणुजनित रोग है जो पैरामिक्सोवायरस परिवार के एक वायरस के कारण होता है।
- इसका वायरस संक्रमित व्यक्ति के नाक और गले में पाया जाता है जो सांस, स्पर्श, लार और अन्य कई माध्यमों से तेज़ी से फैलता है।
- WHO के अनुसार, यह आज भी विश्व भर में होने वाली बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण है।
- इसके लक्षणों में खांसी, बुखार शरीर में लाल चकत्ते पड़ना है तथा इसके अतिरिक्त रोगी को कान में इंफेक्शन, न्यूमोनिया और खतरनाक डायरिया हो सकता है।
- कई बार डायरिया से होने वाले डिहाइड्रेशन का सही समय पर इलाज न होने पर मौत भी हो सकती है।
- खसरे का सबसे सफल इलाज टीकाकरण और बचाव ही है।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित "मिशन इन्द्रधनुष" के अंतर्गत खसरा, तपेदिक और कई अन्य बिमारियों से बचने के लिये बच्चों का टीकाकरण किया जाता है।

सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक -2019

चर्चा में क्यों ?

नीति आयोग ने 30 दिसंबर, 2019 को सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक (Sustainable Development Goal India Index) के दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट जारी की, पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी केरल इस सूची में प्रथम स्थान पर रहा।

सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal-SDG)

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly- UNGA) में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने विकास के 17 लक्ष्यों को आम सहमति से स्वीकार किया। UN ने विश्व के बेहतर भविष्य के लिये इन लक्ष्यों को महत्त्वपूर्ण बताया तथा वर्ष 2030 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये इसके क्रिन्वयन की रूपरेखा सदस्य देशों के साथ साझा की।

सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक:

नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप अपना सूचकांक तैयार किया है। इस वर्ष नीति आयोग की रिपोर्ट में UN के 17 में से 16 लक्ष्यों को शामिल किया गया है जबकि वर्ष 2018 में इसमें केवल 13 लक्ष्यों को ही शामिल किया गया था।

नोट :

नीति आयोग UN के 232 सूचकांकों की प्रणाली पर आधारित 100 निजी सूचकांकों पर राज्यों के प्रदर्शन की समीक्षा करता है, जिनमें शामिल हैं-

1. आकांक्षी (Aspirant): 0–49
2. परफार्मर (Performer): 50-64
3. फ्रंट रनर (Front Runner): 65–99
4. अचीवर (Achiever): 100

मुख्य बिंदु:

- सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक को 'सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय', संयुक्त राष्ट्र संघ की भारतीय शाखा और वैश्विक हरित विकास संस्थान (Global Green Growth Institute-GGGI) के सहयोग से तैयार किया गया है।
- नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2019 के सूचकांक में केरल (70) का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा जबकि बिहार (50) इस सूची में सबसे निचले स्थान पर रहा।
- इस सूचकांक में पिछले वर्ष के मुकाबले उत्तर प्रदेश (55), ओडिशा (58) और सिक्किम (65) के प्रदर्शनों में सबसे अधिक सुधार देखने को मिले।
- इस सूचकांक में 69 अंकों के साथ हिमाचल दूसरे और आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु 67 अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे।
- भुखमरी से मुक्ति और लैंगिक समानता के क्षेत्र में लगभग सभी राज्यों का प्रदर्शन खराब रहा, इन क्षेत्रों में भारत को राष्ट्रीय स्तर पर 100 में से क्रमश: मात्र 35 और 42 अंक ही प्राप्त हुए।
- सभी 16 क्षेत्रों में भारत को संयुक्त रूप से 60 अंक प्राप्त हुए, पिछले वर्ष इसी श्रेणी में भारत को 57 अंक प्राप्त हुए थे।
  - भारत के इस प्रदर्शन का कारण नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छता के क्षेत्र में हुई प्रगति (88), शांति, न्याय और सशक्त संस्थानों (72) तथा सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा (70) आदि क्षेत्रों में हुए सफल प्रयास हैं।
- दूसरे SDG 'भुखमरी से मुक्ति' में राज्यों के प्रदर्शन में ह्रास देखने को मिला केरल, गोवा और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 50 से कम अंक प्राप्त हुए।
- मिज़ोरम (67), नगालैंड (70), अरुणाचल प्रदेश (66) और सिक्किम (66) को भुखमरी से मुक्ति में 65 से अधिक अंक प्राप्त हुए जबकि मध्य भारत के राज्यों झारखंड (22), मध्यप्रदेश (24), बिहार (26) और छत्तीसगढ़ (27) को इस श्रेणी में 30 से भी कम अंक प्राप्त हुए। (इस श्रेणी में प्राप्त अंक राज्य के भीतर बच्चों में कुपोषण, बाल-विकास, एनीमिया तथा खाद्य उत्पादन और वितरण की दिशा में किये गए कार्यों को दर्शाते हैं)
- पाँचवें SDG- 'लैंगिक समानता' के क्षेत्र में सभी राज्यों का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। केवल जम्मू और कश्मीर-J&K (53), हिमाचल (52) तथा केरल (51) को छोड़कर सभी राज्य 50 का आँकड़ा पार करने में असफल रहे। (यह गणना J&K राज्य के विभाजन से पूर्व की हैं)
  - इस सूचकांक में महिलाओं के खिलाफ अपराध, महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव तथा गर्भधारण से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को देखा गया।
  - इसके साथ ही महिलाओं के आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण तथा इन क्षेत्रों में उनके लिये नेतृत्व के अवसरों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया।
  - भारत का असमान लैंगिक अनुपात 896/1000, कार्यक्षेत्रों में केवल 17.5% महिलाओं की भागीदारी और 3 में से 1 महिला के वैवाहिक उत्पीड़न के मामलों को इस खराब प्रदर्शन का कारण माना जा रहा है।
- छठे SDG 'स्वच्छ जल और सफाई' (Clean Water and Sanitation) में बेहतर प्रदर्शन का श्रेय स्वच्छ भारत मिशन को जाता है, यद्यपि इसका एक कारण यह भी है कि इस लक्ष्य के सात संकेताकों में से चार शौचालय और स्वच्छता से जुड़े हुए थे जबकि एक सुरक्षित और साफ पेयजल से संबंधित था।

नोट :

- दिल्ली को छोड़कर सभी केन्द्रशासित प्रदेशों को इस सूचकांक में 65 से अधिक अंक प्राप्त हुए। दिल्ली का प्रदर्शन स्वच्छता के मामले में बहुत ही ख़राब रहा।
- सरकार की घर-घर बिजली और भोजन पकाने के लिये LPG वितरण की योजनाओं को 7वें SDG लक्ष्य 'सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा' (Affordable and Clean energy) में बेहतर प्रदर्शन का कारण माना जा रहा है।

सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के लक्ष्य :

- इस रिपोर्ट के आँकड़े UN की SDG योजना में भागीदारी के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- इस वार्षिक आकलन के पीछे नीति आयोग के दो उद्देश्य है-
  1. SDG की प्रगति में राज्यों की स्थिति का आकलन करना।
  2. इसके माध्यम से राज्यों के मध्य विकास की दिशा में प्रतिस्पर्द्धा और परस्पर सहयोग को बढ़ाना।
- इस रिपोर्ट का उद्देश्य देश में वैश्विक स्तर के विकास के लिये रणनीतिक चर्चा, नीति निर्धारण और उनके क्रियान्वन को बढ़ावा देना है।
- रिपोर्ट का एक अन्य उद्देश्य राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को उनके विकास के मार्ग में बाधाओं की पहचान करने और प्राथमिकताओं को चुनने में सहायता के साथ राज्यों को आपसी सहयोग के लिये प्रेरित करना है।

निष्कर्ष :UN की SDG योजना के अनुसार 2020 की शुरूआत के साथ ही हम 'कार्यवाही के दशक' (Decade of Action) में प्रवेश का जायेंगे ऐसे में राज्य स्तर पर अपनी कमियों की जानकारी और उस अनुरूप योजनाओं क्रियान्वन में सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के आंकड़े बहुत ही मददगार साबित होंगें। SDG के लक्ष्यों के अतिरिक्त भी ये आंकड़े केंद्र तथा राज्य सरकारों के समक्ष वर्तमान भारत की वास्तविक छवि प्रकट करते है, जिसके अनुरूप ही सरकारों को भविष्य की योजनाओं और उनके क्रियान्वन की रूपरेखा तैयार करनी होगी।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

वैश्विक समावेशी समृद्धि सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तरी स्पेन के बिलबाओ में पहली बार 'प्रॉस्पेरिटी एंड इन्क्लूजन सिटी सील एंड अवार्ड्स' (Prosperity and Inclusion City Seal and Awards- PICSA) सूचकांक जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- सूचकांक में वैश्विक आर्थिक और सामाजिक समावेश के मामले में विश्व के शीर्ष 113 शहरों में 3 भारतीय शहरों को स्थान दिया गया है।
- इस सूची में बंगलुरु 83वें, दिल्ली 101वें और मुंबई 107वें स्थान पर हैं।
- समावेशी समृद्धि सूचकांक में शीर्ष तीन स्थानों पर क्रमश: ज्यूरिख, वियना और कोपेनहेगन है।
- इस सूची में बिलबाओ को 20वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- शीर्ष 20 शहरों को समावेशी समृद्धि के निर्माण के लिये PICSA सील से सम्मानित किया गया।
- चीनी गणराज्य का ताइपे शहर (6) एकमात्र एशियाई शहर है जो शीर्ष 20 शहरों में स्थान बना सका है।
- दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल लंदन और न्यूयॉर्क क्रमश: 33वें और 38वें स्थान पर रहे।
- सूची में सबसे निचले पायदान पर मिस्र की राजधानी काहिरा (113) है।

वैश्विक समावेशी समृद्धि सूचकांक:

- यह सूचकांक बास्क संस्था की ओर से डी एंड एल पार्टनर्स (D&L Partners) ने तैयार किया है।
- यह सूचकांक किसी शहर का केवल आर्थिक विकास ही नहीं , बल्कि विकास की गुणवत्ता और जनसंख्या के बीच इसके वितरण को भी दर्शाता है।
- इसके तहत अर्थव्यवस्था में लोगों की स्थिति का समग्र रूप से अध्ययन किया गया।
- इस सूचकांक में अध्ययन को 3 पिलर्स के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है।
- पिलर 1 के अंतर्गत आय, आय का वितरण, शिक्षा और नौकरी संबंधी अवसरों की उपलब्धि शामिल है।
- पिलर 2 में अलग अलग सामजिक समूहों की समाज में भागीदारी को शामिल किया गया है।
- पिलर 3 लोगों के जीवन की गुणवत्ता, आवासीय सामर्थ्य और शहरों के आधारभूत ढाँचे से संबंधित है।

स्टैंडर्ड एंड पूअर्स रेटिंग

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (Standard and Poors- S&P) ने भारत की संप्रभु रेटिंग (Sovereign Rating) को 'स्थिर' दृष्टिकोण के साथ BBB- पर कायम रखा।

प्रमुख बिंदु:

- स्टैंडर्ड एंड पूअर्स एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद भारत ने दीर्घावधि वृद्धि दर (Longterm Growth Rate) को बनाए रखा है।
- इस एजेंसी के अनुमान के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था अगले दो वर्षों में अपने समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करेगी।

नोट :

- हाल ही में एक अन्य वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के रेटिंग परिदृश्य को 'नकारात्मक' कर दिया था।
- BBB रेटिंग किसी इकाई की अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता को प्रदर्शित करती है।
- हालाँकि प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों में उसकी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता कमज़ोर पड़ सकती है।

वाहन मिशन योजना 2016-26

चर्चा में क्यों ?

वाहन मिशन योजना (Automotive Mission Plan- AMP) 2016-26 वाहन उद्योग के विकास का रोडमैप तैयार करने हेतु भारत सरकार और भारतीय वाहन उद्योग जगत का एक सामूहिक विज़न है जिसके मजबूती के साथ कार्यान्वयन के चलते ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हालिया मंदी के समग्र परिदृश्य में सुधार की आशा है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों का विकास करना है जिससे अगले 10 वर्षों में वाहन, वाहनों के घटक निर्माण और ट्रैक्टर उद्योग के आकार तथा क्षमता संवर्द्धन के साथ ही भारत की सकल घरेलू उत्पाद में इनके योगदान में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- AMP 2006-16 के सफल होने के कारण ही भारत ने केवल एक ऑटोमोबाइल उत्पादक बल्कि वाहन डिज़ाइन और विकास के केंद्र के रूप में भी उभरा है।

विज़न 3/12/65

- AMP 2016-26 का लक्ष्य वाहनों और कलपुर्जों के निर्माण एवं निर्यात से जुड़े शीर्ष तीन देशों में भारतीय वाहन उद्योग को स्थापित करना है।
- वर्तमान में भारतीय वाहन उद्योग का GDP में योगदान लगभग 7% है जिसे बढ़ाकर वर्ष 2026 तक 12% तक लाना है और 65 मिलियन अतिरिक्त रोज़गारों का सृजन करना है।

उद्देश्य

- **विनिर्माण को बढ़ावा:** AMP 2016-26 का उद्देश्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का चालक बनाना है क्योंकि यह विनिर्माण क्षेत्र के अग्रणी चालकों में से एक है।
  - भारतीय मोटर वाहन क्षेत्र के देश की GDP में 12% से अधिक का योगदान करने की संभावना है और यह विनिर्माण क्षेत्र के 40% से भी अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करता है।
  - यह देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देगा।
- **रोजगार:** यह भारतीय वाहन उद्योग को 'कौशल भारत' कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख रोज़गार सृजक क्षेत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित करता है।
  - वाहन उद्योग के विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में विभिन्न फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज होते हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में अवसरों की उपलब्धता में वृद्धि होगी।
- **गतिशीलता:** यह योजना सार्वभौमिक गतिशीलता सुनिश्चित करने हेतु देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिये सुरक्षित, कुशल और आरामदेह गतिशीलता बढ़ाने पर केंद्रित है।
  - यह उपभोक्ताओं को आवागमन के कई विकल्प उपलब्ध कराकर पर्यावरण संरक्षण और वहनीयता को प्रोत्साहित करती है।
- **निर्यात:** इसका उद्देश्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग के निवल निर्यात में वृद्धि करना और इसे विश्व के प्रमुख वाहन निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- **इलेक्ट्रिक वाहन:** यह इलेक्ट्रिक वाहन जैसी नई तकनीक को शामिल करने के साथ ही संबंधित बुनियादी ढाँचे और नए ईंधन-दक्षता नियमों को भी शामिल करती है।

नोट :

GST क्षतिपूर्ति का मुद्दा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में GST परिषद ने सभी राज्यों को यह सूचित किया कि केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax-GST) के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति में सक्षम नहीं है।

- GST परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली एक संवैधानिक संस्था है और इसमें सभी राज्यों के वित्त/राजस्व और वित्त राज्य मंत्री शामिल होते हैं।
- यह GST से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सिफारिशें/सुझाव देती है।

प्रमुख बिंदु

- **राजस्व स्थिति:**
  - सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये 6,63,343 करोड़ रुपए GST संग्रहण का लक्ष्य रखा, जिसमें से उसने पहले आठ महीनों में केवल 50% का संग्रह किया है। इसने 1,09,343 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसमें से अभी तक केवल 64,528 करोड़ रुपए का ही संग्रह किया गया है।
- **क्षतिपूर्ति की स्थिति:**
  - केंद्र ने अप्रैल-नवंबर, 2019 के दौरान क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में 64,528 करोड़ रुपए का संग्रह किया और अप्रैल-जुलाई, 2019 की अवधि में 45,744 करोड़ रुपए का भुगतान किया।
  - GST परिषद के अनुसार, कर संग्रह में कमी और सरकार के राजकोषीय घाटे की संभावना को देखते हुए अगस्त-सितंबर 2019 में राज्यों को किये जाने वाले क्षतिपूर्ति भुगतान पर रोक लगा दी।
- GST परिषद ने राज्यों को 6 दिसंबर, 2019 तक विभिन्न मदों में दी जाने वाली छूट, GST और क्षतिपूर्ति उपकर दरों के तहत वस्तुओं की समीक्षा के बारे में अपने इनपुट और प्रस्ताव देने के लिये भी कहा है।
  - GST के तहत केवल विलासिता की वस्तुओं और सिन गुड्स (शराब, तंबाकू, ड्रग्स, फास्ट फूड, कॉफी, जुआ और पोर्नोग्राफी) पर उपकर लगाया जाता है। अधिक उपकर संग्रह करने के लिये या तो इन वस्तुओं पर उपकर की दर में वृद्धि की जाएगी अथवा GST व्यवस्था के तहत 28% के उच्चतम कर स्लैब में कुछ परिवर्तन किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद 1 जुलाई, 2017 से GST संपूर्ण देश में लागू हो गया। इसमें बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य स्तर पर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर एक ही कर में विलीन हो गए।
- केंद्र ने GST के लागू होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक GST कार्यान्वयन के कारण कर राजस्व में आने वाली कमी के लिये राज्यों को क्षतिपूर्ति देने का वादा किया था। केंद्र सरकार के इस वादे के चलते बड़ी संख्या में अनिच्छुक राज्य नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने के लिये सहमत हो गए थे।
- GST अधिनियम के अनुसार वर्ष 2022 यानी GST कार्यान्वयन शुरू होने के बाद पहले पाँच वर्षों तक GST कर संग्रह में 14% से कम वृद्धि (आधार वर्ष 2015-16) दर्शाने वाले राज्यों के लिये क्षतिपूर्ति की गारंटी दी गई है। केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक दो महीने में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।
  - क्षतिपूर्ति उपकर ऐसा उपकर है जिसे 1 जुलाई, 2022 तक चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर संग्रहीत किया जाएगा।
  - सभी करदाता (विशिष्ट अधिसूचित वस्तुओं को निर्यात करने वालों को और GST कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर) GST क्षतिपूर्ति उपकर के संग्रहण और केंद्र सरकार को इसके प्रेषण के लिये उत्तरदायी हैं।
  - इसके बाद, केंद्र सरकार इसे राज्यों को वितरित करती है।
- केंद्र ने अगस्त-सितंबर 2019 के लिये GST राजस्व संग्रह में कमी हेतु राज्यों को क्षतिपूर्ति देने में पहले ही देरी कर दी है, जिसके लिये भुगतान अक्तूबर, 2019 में होने वाला था। 20 नवंबर, 2019 को पाँच राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों- केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब ने एक संयुक्त बयान जारी कर इस विषय में चिंता व्यक्त की थी।

नोट :

प्रभाव

- केंद्र द्वारा कर प्राप्तियों में कमी से राज्यों को अधिक नुकसान होता है क्योंकि निरपेक्ष राशि के रूप में राज्य वही राशि प्राप्त करते हैं जो कि हस्तांतरण नियम के अनुसार निर्धारित होती है।
- ऐसे समय में जब विकास दर में अस्थिरता बनी हुई है, GST अधिनियम के तहत दी गई गारंटी के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी से राज्यों में वित्तीय संकट की स्थिति बन सकती है।

भारत बॉण्ड ETF

चर्चा में क्यों

4 दिसंबर, 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने भारत बॉण्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) को बनाने और लॉन्च करने की योजना को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- भारत बॉण्ड ETF देश का पहला कॉर्पोरेट बॉण्ड ETF होगा।
- इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) और उपक्रमों (CPSUs), केंद्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (CPFIs) तथा अन्य सरकारी संगठनों के लिये पूंजी के अतिरिक्त स्रोत के तौर पर लाया गया है।

भारत बॉण्ड ETF की विशेषताएं:

- ETF CPSE/CPSU/CPFI और अन्य सरकारी संगठनों के बॉण्ड (शुरुआत में सभी AAA- रेटेड बॉण्ड) के बॉण्डस की बास्केट होगा।
  - विनिमय पर व्यापार योग्य।
  - 1,000 रुपये की छोटी ईकाई।
  - पारदर्शी एनएवी (दिनभर एनएवी का सामयिक लाइव)।
  - पारदर्शी पोर्टफोलियो (वेबसाइट पर रोजाना प्रकाशन)।
  - कम लागत (0.0005%)।

भारत बॉण्ड ETF का ढांचा:

- प्रारंभ में भारत बॉण्ड ETF को दो परिपक्वता अवधियों- 3 वर्ष और 10 वर्ष के लिये ज़ारी किया जाएगा।
- CPSEs और अन्य सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा ज़ारी किये जाने के कारण सुरक्षित, विनिमय और व्यापार योग्य होने की वजह से ये बॉण्ड तरल और सुनिश्चित कर लाभ की सुविधा के कारण निवेश का बेहतर विकल्प सिद्ध होंगे।
- बॉण्ड यूनिट का मात्र 1,000 रुपए का आकार भारत में बॉण्ड बाज़ार को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। यह बॉण्ड बाज़ारों में भाग नहीं लेने वाले निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

लाभ

- बॉण्ड जारीकर्त्ताओं को ETF से CPSE/CPSU/CPFI और अन्य सरकारी संगठनों को बैंक वित्तपोषण के अलावा उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने का एक अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होगा।
- यह इन संस्थाओं के खुदरा और व्यक्तिगत रूप से उच्च संपति वाले निवेशकों की भागीदारी के माध्यम से उनके निवेशक आधार का विस्तार करेगा, जिससे उनके बॉण्ड की मांग में वृद्धि हो सकती है। इससे सरकारी संगठनों के लिये ऋण लेने की लागत में कमी आएगी।

नोट :

रिज़र्व बैंक के लघु वित्तीय बैंक संबंधी दिशा निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने लघु वित्त बैंकों के लिये नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लघु वित्त बैंकों (Small Finance Bank-SFB) के लिये 'कभी भी' (ऑन टैप बेसिस) लाइसेंस हेतु आवेदन करने की सुविधा पर दिशा-निर्देश जारी किये है।
- इसके तहत न्यूनतम आवश्यक पूंजी को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंक जो कि ऐच्छिक रूप से लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होना चाहते हैं, उनके लिये आवश्यक पूंजी की सीमा 100 करोड़ रुपए निर्धारित की है।
  - उल्लेखनीय है कि ऐसे निकायों को परिचालन आरंभ होने के अगले 5 वर्षों में अपने निवल मूल्य को बढाकर 200 करोड़ रुपए करना होगा।
- निर्देश के अनुसार, लघु वित्त बैंकों को कारोबार शुरू करते ही अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाएगा और इन्हें बैंकिंग आउटलेट्स खोलने की सामान्य अनुमति प्राप्त होगी।
- लघु वित्त बैंक के प्रवर्तकों को परिचालन शुरू होने के बाद से अगले 5 वर्षों तक बैंक की भुगतान योग्य इक्विटी पूंजी का न्यूनतम 40 प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखना होगा।
- दिशा-निर्देश के अंतर्गत 5 वर्षों तक सफलतापूर्वक परिचालन करने वाले भुगतान बैंकों को ही लघु वित्त बैंक के लाइसेंस योग्य माना गया है।
- लघु वित्त बैंकों द्वारा 500 करोड़ के निवल मूल्य का लक्ष्य प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होना अनिवार्य है।
- बैंकिंग तथा वित्त क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर पर कम-से-कम 10 साल का अनुभव रखने वाले नागरिकों/पेशेवरों को भी लघु वित्त बैंक खोलने की पात्रता दे दी गई है।
- किसी भारतीय नागरिक के स्वामित्त्व वाली निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनी या सोसायटी जिसने कम-से-कम पाँच सफलतापूर्वक परिचालन किया है, भी लघु वित्त बैंक की प्रवर्तक बन सकती हैं।

भुगतान बैंक:

- रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2014 में नाचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर भुगतान बैंकों से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किये।
- भुगतान बैंकों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, लघु बचत खाते उपलब्ध कराना, प्रवासी श्रमिक वर्ग, निम्न आय अर्जित करने वाले परिवारों, लघु कारोबारों, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वालों को भुगतान/विप्रेषण सेवाएँ प्रदान करना है।
- भुगतान बैंक मांग जमा राशियों को स्वीकार कर सकता है तथा प्रारंभ में भुगतान बैंक प्रति व्यक्तिगत ग्राहक की अधिकतम 100,000 रुपए की शेष राशि रख सकता है।
- एटीएम/डेबिट कार्ड जारी कर सकता है लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता।

विदेशी मुद्रा भंडार

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा भण्डार पहली बार 450 बिलियन डॉलर के आँकड़े को पार कर गया है।

प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 451.7 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया जो अब तक का अधिकतम आँकड़ा है।
- उल्लेखनीय है की चालू वित्त वर्ष में गत वर्ष की तुलना में अब तक विदेशी मुद्रा भंडार में 38.8 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है।

नोट :

- विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक को घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास की स्थिति में सबल बनाती है।
- वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश गत वर्ष के 17 बिलियन डॉलर से बढकर 20.9 बिलियन डॉलर हो गया।
- वर्ष 2013 के सितंबर में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 274.8 बिलियन डॉलर हो गया था, जिसे बढ़ाने के लिये केंद्र और रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी कई सुधारवादी कदम उठाये गए।
- पिछले छह वर्षों में विदेशी मुद्रा भंडार में 175 बिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज़ की गई है।

विदेशी मुद्रा भंडार:

- किसी देश में समय विशेष में कुल विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा भण्डार कहते हैं।
- किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित चार तत्त्व शामिल होते हैं:
  - विदेशी परिसंपत्तियां (विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉण्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा में)
  - स्वर्ण भंडार
  - IMF के पास रिज़र्व कोष (Reserve Trench)
  - विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights-SDR)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक-2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 (International Financial Services Centres Authority Bill, 2019) को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह विधेयक भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone- SEZ) के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (International Financial Services Centres- IFSCs) में वित्तीय सेवा बाज़ार को विकसित और विनियमित करने के लिये एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।
- यह विधेयक विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों पर लागू होगा।

पृष्ठभूमि:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 फरवरी, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को पेश करके सभी वित्तीय सेवाओं के नियमन के लिये एक एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। इसके बाद, तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री द्वारा 12 फरवरी, 2019 को राज्यसभा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को पेश किया गया था।
- बाद में लोकसभा सचिवालय ने यह सूचित किया कि संविधान के अनुच्छेद 117 (1) के तहत यह एक वित्त विधेयक है और तदनुसार संविधान के अनुच्छेद 117 (1) और 274 (1) के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ इसे लोकसभा में पेश किया जाना चाहिये।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ:

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का गठन: प्रस्तुत विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है।

- इस प्राधिकरण में केंद्र द्वारा नियुक्त नौ सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जिसके बाद इनकी दोबारा नियुक्ति की जा सकती है।
- प्राधिकरण के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
  1. चेयरपर्सन
  2. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) तथा पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority-PFRDA) द्वारा नामित चार सदस्य

नोट :

3. वित्त मंत्रालय के दो अधिकारी
4. चयन समिति के सुझाव पर नियुक्त दो सदस्य

प्राधिकरण के कार्य: प्राधिकरण के प्रमुख कार्यों में शामिल होंगे:

- किसी IFSC में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों, जिन्हें विधेयक के लागू होने से पहले किसी विनियामक (जैसे- RBI या सेबी) द्वारा मंज़ूरी प्रदान की गई हो, को विनियमित करना।
- किसी IFSC में वित्तीय उत्पादों, सेवाओं या संस्थानों को रेगुलेट करना, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।
- उन वित्तीय सेवाओं, उत्पादों और संस्थानों के संबंध में केंद्र सरकार को सुझाव देना, जिन्हें IFSC में मंज़ूर किया जा सके।

उपरोक्त के अलावा यह प्राधिकरण IFSCs में वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और संस्थानों के विनियमन से संबंधित सभी शक्तियों का उपयोग करेगा, जिन्हें पहले संबद्ध विनियामकों द्वारा उपयोग किया जाता था। प्राधिकरण विनियमन के लिये उन्हीं प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों (जैसे अपराधों की जाँच से संबंधित प्रक्रियाएँ) का पालन करेगा जिन प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों का पालन दूसरे विनियामक प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।

प्रदर्शन समीक्षा समिति: विधेयक के अनुसार, यह प्राधिकरण अपने कामकाज की समीक्षा के लिये प्रदर्शन समीक्षा समिति (Performance Review Committee) का गठन करेगा।

- इस समिति में प्राधिकरण के कम-से-कम दो सदस्य शामिल होंगे।
- गठित समिति निम्नलिखित की समीक्षा करेगी:
  1. प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए या अपने कार्य करते हुए मौजूदा कानूनी प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है अथवा नहीं।
  2. उसके द्वारा बनाए गए नियम पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले और सुशासन कायम करने वाले हैं अथवा नहीं।
  3. प्राधिकरण अपने कामकाज में उचित तरीके से जोखिम प्रबंधन कर रहा है अथवा नहीं।

विदेशी मुद्रा में लेन-देन: विधेयक के अनुसार, IFSCs में वित्तीय सेवाओं के सभी लेन-देन उस मुद्रा/करेंसी में किये जाएंगे, जिसे प्राधिकरण केंद्र सरकार की सलाह से विनिर्दिष्ट करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण कोष: विधेयक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीस सेवा केंद्र प्राधिकरण कोष (International Financial Services Centres Authority Fund) की स्थापना का भी प्रावधान करता है। इस कोष में निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएंगी:

- प्राधिकरण के सभी अनुदान, फीस और शुल्क।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न स्रोतों से प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली राशि।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की आवश्यकता:

- वर्तमान में IFSCs बैंकिंग, पूंजी बाज़ार एवं बीमा क्षेत्र भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) जैसे अनेक नियामकों द्वारा नियंत्रित हैं। IFSC में कारोबार की गतिशील प्रकृति के कारण नियामकों के बीच अत्यधिक समन्वय की आवश्यकता है। IFSC में वित्तीय गतिविधियों का नियंत्रण करने वाले मौजूदा नियामकों में स्पष्टीकरणों तथा संशोधनों की भी आवश्यकता है।
- IFSC में वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों के विकास के लिये केंद्रित एवं समर्पित नियामक हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी। इसलिये भारत में IFSC के लिये एक एकीकृत वित्तीय नियामक स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि वित्तीय बाज़ार के भागीदारों के लिये विश्वस्तरीय नियामक वातावरण उपलब्ध हो सके।
- इसके अलावा कारोबारी सुगमता की दृष्टि से भी यह अनिवार्य होगा। एकीकृत प्राधिकरण के माध्यम से वैश्विक श्रेष्ठ प्रणालियों के अनुसार भारत में IFSC के विकास पर ज़ोर दिया जा सकेगा, जो अत्यंत आवश्यक है।

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यसभा ने कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 [Taxation Law (Amendment) Bill, 2019] पारित किया। यह विधेयक अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ाने के लिये कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करने वाले सरकार के अध्यादेश को विस्थापित करेगा।

नोट :

- क्योंकि यह विधेयक कर (Tax) से संबंधित है इसलिये इसे लोकसभा में धन विधेयक (Money Bill) के तौर पर प्रस्तुत किया गया।

कॉर्पोरेट टैक्स (Corporate Tax): वह कर जो किसी कंपनी की निवल आय (Net Income) पर लगाया जाता है।

विधेयक के प्रमुख बिंदु:

- वर्तमान में 400 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाली घरेलू कंपनियाँ 25% की दर से इनकम टैक्स चुकाती हैं। अन्य घरेलू कंपनियों के लिये यह टैक्स दर 30% है। विधेयक घरेलू कंपनियों को 22% की दर से टैक्स चुकाने का विकल्प देता है, बशर्ते वे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कुछ कटौतियों का दावा न करें।
- बिल में प्रावधान है कि अगर नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ कुछ कटौतियों का दावा नहीं करतीं हैं तो वे 15% की दर से इनकम टैक्स चुकाने का विकल्प चुन सकती हैं। बशर्ते ये घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ 30 सितंबर, 2019 के बाद स्थापित और पंजीकृत हुई हों तथा 1 अप्रैल, 2023 से पहले मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें।
- कोई कंपनी वित्तीय वर्ष 2019-20 (यानी आकलन वर्ष 2020-21) या आगे के वित्तीय वर्षों के लिये नई टैक्स दरों का विकल्प चुन सकती है। एक बार विकल्प चुनने के बाद आगामी वर्षों में यही विकल्प लागू होगा।
- न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स (Minimum Alternate Tax-MAT) के भुगतान से संबंधित प्रावधान उन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे जिन्होंने नई टैक्स दरों का विकल्प चुना है। बिल कहता है कि नई दरों को चुनने वाली कंपनियों पर MAT क्रेडिट के प्रावधान भी नहीं लागू होंगे।

न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स (Minimum Alternate Tax-MAT):

अगर कटौतियों का दावा करने के बाद किसी कंपनी की सामान्य टैक्स लायबिलिटी एक निश्चित सीमा से कम होती है तो उसे टैक्स के रूप में एक न्यूनतम राशि चुकानी होती है। यह राशि MAT कहलाती है।

- अध्यादेश वित्तीय वर्ष 2019-20 से MAT की दर (जो कि नई टैक्स दरों को न चुनने वाली कंपनियों पर लागू होगी) को 18.5% से 15% करता है। बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है और इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू करता है।

निर्यात उत्पादों पर शुल्कों तथा करों में छूट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के नए निर्यातकों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों (MSMEs) ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिये नए मानदंडों की मांग की है।

मुख्य बिंदु:

- निर्यातकों को सरकार की नई निर्यात नीति और 'निर्यात उत्पादों पर शुल्कों तथा करों में छूट' (Remission of Duties or Taxes on Export Product- RoDTEP) योजना पर स्पष्टता का इंतज़ार है।
- निर्यातकों को उम्मीद है कि RoDTEP मौजूदा MEIS योजना की तुलना में निर्यात को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित करेगी।

निर्यातकों की चिंताएँ:

- प्लास्टिक निर्यातकों ने कुछ उत्पाद श्रेणियों के निर्यात नियमों में स्पष्टता की मांग की है क्योंकि इन उत्पादों से संबंधित निर्यात नियमों में प्लास्टिक तथा टेक्सटाइल क्षेत्र के बीच अधिव्यापन (Overlap) है।
- 2-4 दिसंबर, 2019 तक मुंबई में संपन्न हुई भारत की सबसे बड़ी निर्यात सोर्सिंग (Sourcing) प्रदर्शनी CAPINDIA 2019 आयोजित की गई।
- 'द प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल' (The Plastic Export Promotion Council- PLEXCONCIL) के अनुसार, टेक्सटाइल उद्योग को MEIS से बाहर किये जाने से ऐसे निर्यातकों जो प्लास्टिक और टेक्सटाइल दोनों उद्योगों से संबंधित हैं, को रिफंड तथा प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

नोट :

- MSMEs निर्यातकों ने मौजूदा निर्यात प्रोत्साहन तथा हाल में आधारभूत वस्तुओं के निर्यात मानदंडों पर चिंता जताई है।
- 'केमिकल एंड अलाइड एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ इंडिया' (Chemical and Allied Export Promotion of India) के अनुसार, निर्यातकों ने सरकार से विनिर्माण उद्योग के आधारभूत ढाँचे के विकास और मुक्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करने तथा बुनियादी ढाँचा क्षेत्र एवं स्मार्ट सिटी मिशन को अधिक बजट आवंटित करने के लिये कहा है।

कैप इंडिया, 2019 CAP INDIA, 2019:

- इस प्रदर्शनी का आयोजन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा मुंबई में किया गया।
- इस प्रदर्शनी में अफ्रीका से पर्याप्त प्रतिनिधित्व था जो कि प्लास्टिक निर्यात के लिये एक नवोदित गंतव्य बनकर उभरा है।
- इस कार्यक्रम में कंबोडिया ने भी पहली बार अपना प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा था।
- PLEXCONCIL के अनुसार, इस वर्ष तमिलनाडु ऐसा अकेला राज्य था जिसने केंद्र सरकार की इस प्रमोशनल (Promotional) पहल का लाभ उठाते हुए अपने सभी MSMEs तथा नए निर्यातकों को एक मंच प्रदान किया जिन्होंने 48 देशों के 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों के सामने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।
- संयुक्त राष्ट्र की सतत् विकास लक्ष्य संख्या- 11 के तहत सभी के लिये आवास की उपलब्धता के अंतर्गत भारत के विनिर्माण क्षेत्र और निर्माण संबंधी सामग्री के उद्योगों में वृद्धि होगी।
- भारत के वन उत्पादों का अब मध्यस्थों की भूमिका के बिना निर्यात किया जा सकेगा।

RoDTEP के बारे में:

- RoDTEP 1 जनवरी, 2020 से 'मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम'
- (Merchandise Export from India Scheme- MEIS) योजना का स्थान लेगी।
- यह योजना GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लिए स्वचालित मार्ग का निर्माण करके भारत के निर्यात को बढ़ाने में सहायता करेगी।
- यह योजना निर्यात पर लगने वाले शुल्क को कम करके निर्यातकों को प्रोत्साहित करेगी।
- साथ ही इसके तहत निर्यातकों के लिये उत्पादन के बाद की लागत को कम करने हेतु विश्व व्यापार संगठन (WTO) के साथ समन्वय किया जाएगा।

स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development & Entrepreneurship-MSDE) एवं अमेरिकी आईटी कंपनी आईबीएम (IBM) के सहयोग से स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म (Skill Build Platform) लॉन्च किया है।

मुख्य बिंदु:

- स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे IBM द्वारा विकसित किया गया है। इसके तहत युवाओं में तकनीकी कौशल तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- यू.के., जर्मनी तथा फ्राँस के बाद स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म लागू करने वाला भारत चौथा देश होगा।
- इसके तहत देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (Industrial Training Institutes-ITIs) तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (National Skill Training Institutes-NSTIs) में आईटी (IT), नेटवर्किंग एवं क्लाउड कंप्यूटिंग में दो वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम चलाया जाएगा।
- इस प्लेटफॉर्म द्वारा ITIs तथा NSITs के शिक्षकों को बुनियादी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) में प्रशिक्षित किया जाएगा।

नोट :

- इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दो वर्षीय डिप्लोमा पूरा करने वाले विद्यार्थियों को IBM द्वारा प्लेसमेंट में सहयोग दिया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के संचालन में देश के प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) जैसे- उन्नति (Unnati) तथा एडुनेट (Edunet) आदि की मदद ली गई है।

महत्त्व:

- विद्यार्थी इसके द्वारा डिजिटल तकनीकी का बुनियादी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा रिज्यूम लेखन (Resume Writing), प्रॉब्लम सॉल्विंग तथा संवाद (Communication) संबंधी पेशेवर गुणों में भी पारंगत हो सकेंगे।
- यह डिजिटल प्लेटफॉर्म, माई इनर जीनियस (MyInnerGenius) के माध्यम से विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज्ञान संबंधी क्षमता तथा व्यक्तित्व का मूल्यांकन करेगा।
- इसके तहत विद्यार्थियों को किसी नौकरी में उनके कार्य के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा।
- इस प्लेटफॉर्म द्वारा व्यक्तिगत कोचिंग तथा प्रयोगात्मक अधिगम (Experiential Learning) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं में क्षमता का निर्माण होगा तथा वे रोज़गार के नए अवसरों को प्राप्त कर सकेंगे।
- जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कमज़ोर पृष्ठभूमि, ज्ञान की कमी, कौशल तथा अनुभव की कमी के कारण श्रम बाज़ार से बाहर हो जाता है। इस कार्यक्रम द्वारा इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

आवर्तनशील कृषि

संदर्भ:

कृषि में हाइब्रिड प्रजाति के बीजों के बढ़ते प्रयोग, जल की बढ़ती मांग तथा उर्वरकों और कीटनाशकों के माध्यम से रसायनों के अनियंत्रित प्रयोग ने वर्तमान में कई समस्याओं को जन्म दिया है। इसमें मृदा की प्राकृतिक उर्वरता में कमी, भू-जल स्तर का नीचे गिरना एवं जल के प्राकृतिक संसाधनों का दूषित होना आदि शामिल हैं। इस समस्या से निपटने में आवर्तनशील कृषि एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।

आवर्तनशील कृषि क्या है ?

- कृषि की यह पद्धति सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व (Harmonious Co-existence) के सिद्धांत पर आधारित है।
- इसके अनुसार, पृथ्वी पर उपस्थित सभी पशु-पक्षी, वृक्ष, कीड़े व अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवन का एक निश्चित क्रम है। यदि मानव इनके क्रम को नुकसान न पहुँचाए तो ये कभी नष्ट नहीं होंगे।
- कृषि की इस पद्धति में इन सभी जीवों का समन्वय तथा सहयोग आवश्यक है जिससे कृषि को धारणीय, वहनीय एवं प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाया जा सके।
- आवर्तनशील कृषि में एक बड़े जोत को इस प्रकार बाँटा जाता है कि उसमें सब्जियाँ व अनाज उगाने, पशुपालन, मछलीपालन तथा बागवानी आदि के लिये पर्याप्त स्थान मौजूद हो।
- इसके अतिरिक्त इस पद्धति में एकल कृषि (Monoculture) के स्थान पर मिश्रित कृषि (Mixed Farming) तथा मिश्रित फसल (Mixed Cropping) पर बल दिया जाता है।
- कृषि की इस पद्धति में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर गोबर, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना व अन्य जैव अपशिष्ट पदार्थों के प्रयोग से बनी जैविक खाद, कंपोस्ट (Compost), वर्मीकंपोस्ट (Vermi Compost) व नाडेप (NADEP) विधि से बनी खाद का प्रयोग किया जाता है।
- इस प्रकार की कृषि में सिंचाई के लिये जल का सीमित उपयोग तथा वर्षा के जल का संरक्षण किया जाता है।
- आवर्तनशील कृषि में इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि कृषि उत्पादों को सीधे बाज़ार में बेचने की बजाय लघु स्तर पर प्रसंस्करण (Processing) किया जाए।
- इससे न केवल इन उत्पादों का मूल्यवर्द्धन होगा बल्कि किसानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत भी मिलेगी।
- इस पद्धति के अंतर्गत उत्पादित अनाज के एक हिस्से को संरक्षित किया जाता है ताकि अगली फसल की बुआई के लिये बाज़ार से बीज खरीदने की आवश्यकता न पड़े।

नोट :

आवर्तनशील कृषि के लाभ:

- इस प्रकार की कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। इससे मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बनी रहती है तथा मृदा की जल धारण क्षमता का विकास होता है।
- रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा हाइब्रिड बीजों की खरीद में अतिरिक्त लागत न लगने की वजह से आवर्तनशील कृषि आधुनिक परंपरागत कृषि के स्थान पर एक सस्ता एवं धारणीय विकल्प है।
- भारत में स्थित सूखाग्रस्त क्षेत्र जहाँ किसानों की एक बड़ी आबादी सिंचाई के लिये वर्षा के जल पर निर्भर है, वहाँ इस पद्धति द्वारा उनकी समस्याओं को कम किया जा सकता है।
- वर्तमान भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण, बेरोज़गारी, किसानों द्वारा आत्महत्या, युवाओं का शहरों की तरफ पलायन आदि प्रमुख समस्याएँ है। आवर्तनशील कृषि इन समस्याओं का एक बेहतर समाधान हो सकती है।
- क्योंकि इस पद्धति में जीव-जंतुओं, वृक्षों तथा मानवीय समन्वय पर ज़ोर दिया जाता है इसलिये पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने का यह एक प्रभावी तरीका है।

आवर्तनशील कृषि की आलोचना:

- भारत में लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या लगभग 85 प्रतिशत है तथा औसत जोत का आकार (Average Landholding) लगभग 1.08 हेक्टेयर है। इस संदर्भ में आवर्तनशील कृषि अधिकांश किसानों के लिये नामुमकिन साबित हो सकती है क्योंकि इसके लिये एक बड़े जोत की आवश्यकता होती है।
- इस प्रकार की कृषि को प्रारंभ करने में बड़ी लागत की आवश्यकता होती है, जबकि नीति आयोग के अनुसार, वर्ष 2017 में देश के किसानों की औसत वार्षिक आय (Average Annual Income) लगभग 46,000 रुपए प्रतिवर्ष थी। इस वजह से भारतीय किसान आवर्तनशील कृषि के उपयोग को लेकर निरुत्साहित हो सकता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में संकुचन

चर्चा में क्यों ?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation-MoSPI) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2019 के लिये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production-IIP) का त्वरित अनुमान 127.7 है, जो कि अक्तूबर 2018 की तुलना में 3.8% कम है। इस संकुचन का कारण अर्थव्यवस्था में मांग की कमी और विनिर्माण, बिजली, बुनियादी ढाँचे आदि जैसे क्षेत्रों की गतिविधियों में गिरावट है।

प्रमुख बिंदु:

- खुदरा मुद्रास्फीति (जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है) नवंबर 2019 में बढ़कर पिछले 40 महीनों में सबसे अधिक 5.54% हो गई है जिसके परिणामस्वरूप खाद्य मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हो रही है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि औद्योगिक गतिविधियों में संकुचन के साथ-साथ बढती मुद्रास्फीति के चलते विशेषज्ञों अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति जनित मंदी (स्टैगफ्लेशन) की ओर अग्रसर हो सकती है।

मुद्रास्फीति जनित मंदी (STAGFLATION):

- कीमतों में वृद्धि के साथ आर्थिक संवृद्धि में गिरावट स्टैगफ्लेशन की विशेषता है।
- इसे अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहाँ विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोज़गारी का स्तर लगातार उच्च बना रहता है और फिर भी मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर एक ही समय में उच्च रहता है।
- **अर्थव्यवस्था के लिये खतरनाक:**
  - सामान्यत: निम्न संवृद्धि दर की स्थिति में, केंद्रीय बैंक और सरकार मांग का सृजन करने के लिये उच्च सार्वजनिक खर्च और कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाकर अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करने का प्रयास करते हैं।

नोट :

- ये उपाय भी कीमतों में वृद्धि करते हैं और मुद्रास्फीति का कारण बनते हैं। इसलिये इन उपायों/साधनों को तब नहीं अपनाया जा सकता है जब मुद्रास्फीति पहले से ही उच्च स्थिति में हो, परिणामस्वरूप निम्न संवृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति (स्टैगफ्लेशन) के जाल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
- इसका एकमात्र समाधान उत्पादकता में वृद्धि करना है जो मुद्रास्फीति में वृद्धि किये बिना ही विकास को बढ़ावा देगा।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है ?

- यह सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण प्रस्तुत करता है, जैसे कि खनिज खनन, बिजली, विनिर्माण आदि।
- इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office-CSO), द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- IIP एक समग्र संकेतक है जो कि प्रमुख क्षेत्र (Core Sectors) एवं उपयोग आधारित क्षेत्र के आधार पर आँकड़े उपलब्ध कराता है। इसमें शामिल आठ प्रमुख क्षेत्र (Core Sectors) निम्नलिखित हैं:

रिफाइनरी उत्पाद (Refinery Products)	28.04%
विद्युत (Electricity)	19.85%
इस्पात (Steel)	17.92%
कोयला (Coal)	10.33%
कच्चा तेल (Crude Oil)	8.98%
प्राकृतिक गैस (Natural Gas)	6.88%
सीमेंट (Cement)	5.37%
उर्वरक (Fertilizers)	2.63%

IIP के आँकड़े कितने उपयोगी हैं ?

- IIP में आँकड़े मासिक स्तर पर जारी किये जाते हैं इसीलिये ये आँकड़े ऊपर-नीचे जाते रहते हैं।
- इन आँकड़ों को एक या दो महीने के बाद संशोधित किया जाता है, इसलिये इसे "त्वरित अनुमान" कहा जाता है।
- चूँकि 1 वर्ष के प्रोजेक्ट के लिये केवल 1 माह के आँकड़ों को आधार नहीं बनाया जा सकता, इसलिये यह पूरे वर्ष का होना चाहिये।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI):

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index -CPI) घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवाओं जैसे- भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन और परिवहन आदि के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं एवं सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती है।
- यह पालिसी ब्याज दर में परिवर्तन का आधार है।

सातवीं आर्थिक जनगणना

चर्चा में क्यों ?

13 दिसंबर, 2019 को दिल्ली में सातवीं आर्थिक जनगणना (Economic census) की शुरुआत की गई।

- दिल्ली आर्थिक जनगणना शुरू करने वाला 26वाँ राज्य है, जबकि 20 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों में यह कार्य पहले से ही चल रहा है।

आर्थिक जनगणना के बारे में

- आर्थिक जनगणना भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित सभी प्रतिष्ठानों का संपूर्ण विवरण है।

नोट :

- आर्थिक जनगणना देश के सभी प्रतिष्ठानों के विभिन्न संचालनगत एवं संरचनागत परिवर्ती कारकों पर भिन्न-भिन्न प्रकार की सूचनाएँ उपलब्ध कराती है।
- आर्थिक जनगणना देश में सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों की आर्थिक गतिविधियों के भौगोलिक विस्तार/क्लस्टरों, स्वामित्व पद्धति, जुड़े हुए व्यक्तियों इत्यादि के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराती है।
- आर्थिक जनगणना के दौरान संग्रहित सूचना राज्य एवं ज़िला स्तरों पर सामाजिक-आर्थिक विकास संबंधी योजना निर्माण के लिये उपयोगी होती है।

आर्थिक जनगणना-2019

- वर्ष 2019 में 7वीं आर्थिक जनगणना का संचालन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation-MoSPI) द्वारा किया जा रहा है।
- वर्तमान आर्थिक जनगणना में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 7वीं आर्थिक जनगणना के लिये कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पज़ व्हिकल्स, कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड (Common Service Center e-Governance Services India Limited) के साथ साझेदारी की है।
- 7वीं आर्थिक जनगणना में आँकड़ों के संग्रहण, सत्यापन, रिपोर्ट सृजन एवं प्रसार के लिये एक आईटी आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।
- 7वीं आर्थिक जनगणना के परिणामों को प्रक्षेत्र कार्य के प्रमाणन एवं सत्यापन के बाद उपलब्ध कराया जाएगा।
- आर्थिक जनगणना के तहत गैर-फार्म कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र में वस्तुओं/सेवाओं (स्वयं के उपभोग के एकमात्र प्रयोजन के अतिरिक्त) के उत्पादन या वितरण में जुड़े घरेलू उद्यमों सहित सभी प्रतिष्ठानों को शामिल किया जाएगा।

पूर्व में आयोजित आर्थिक जनगणनाएँ

- अभी तक केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 6 आर्थिक जनगणनाएँ (Economic censuses) संचालित की हैं।
  - पहली आर्थिक जनगणना, वर्ष 1977 में
  - दूसरी आर्थिक जनगणना, वर्ष 1980 में
  - तीसरी आर्थिक जनगणना, वर्ष 1990 में
  - चौथी आर्थिक जनगणना, वर्ष 1998 में
  - पाँचवीं आर्थिक जनगणना, वर्ष 2005 में
  - छठी आर्थिक जनगणना, वर्ष 2013 में

कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड (CSC e-Governance Services India Limited)

- CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य CSC योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
- योजना को प्रणालीगत व्यवहार्यता और स्थिरता प्रदान करने के अलावा यह CSC के माध्यम से नागरिकों को सेवाओं की डिलीवरी हेतु एक केंद्रीकृत और सहयोगी रूपरेखा भी प्रदान करता है।

आंशिक ऋण गारंटी योजना

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'आंशिक ऋण गारंटी योजना' को मंज़ूरी दी है जिसकी पेशकश भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) को करेगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- वित्तीय दृष्टि से मज़बूत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies-NBFCs)/आवास वित्त कंपनियों (Housing Finance Companies-HFCs) से उच्च रेटिंग वाली संयोजित परिसंपत्तियों की खरीद के लिये 'आंशिक ऋण गारंटी योजना' को मंज़ूरी दी गई है।
- इसके तहत जो कुल गारंटी दी जाएगी, वह योजना के तहत बैंकों द्वारा खरीदी जा रही परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के 10 प्रतिशत तक के प्राथमिक नुकसान अथवा 10,000 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगी, जैसा कि आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs-DEA) ने सहमति जताई है।
- इस योजना के दायरे में वे NBFCs/HFCs आएंगी, जो 01 अगस्त, 2018 से पहले की एक वर्ष की अवधि के दौरान संभवत: 'SMA-0' श्रेणी में शामिल हो गई हैं। इसी तरह इस योजना के दायरे में वे संयोजित परिसंपत्तियाँ भी शामिल होंगी, जिन्हें 'BBB++' अथवा उससे अधिक की रेटिंग प्राप्त है।
- भारत सरकार द्वारा की गई यह पेशकश एकबारगी आंशिक ऋण गारंटी की सुविधा 30 जून, 2020 तक अथवा बैंकों द्वारा 1,00,000 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्तियां खरीद लिये जाने की तिथि तक (इनमें से जो भी पहले हो) खुली रहेगी। इस योजना की दिशा में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए इसकी वैधता अवधि को तीन माह तक बढ़ाने का अधिकार वित्त मंत्री को दिया गया है।

प्रमुख प्रभाव:

- सरकार की ओर से प्रस्तावित गारंटी सहायता और इसके परिणामस्वरूप संयोजित परिसम्पत्तियों की खरीद (बायआउट) से NBFCs/HFCs को अपनी अस्थायी तरलता (लिक्विडिटी) अथवा नकद प्रवाह में असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही वे ऋणों के सृजन में निरंतर योगदान करने और कर्जदारों को अंतिम विकल्प वाले ऋण मुहैया कराने में समर्थ हो जाएंगे, जिससे आर्थिक विकास की गति तेज़ होगी।

पृष्ठभूमि:

केंद्रीय बजट 2019-20 में यह घोषणा की गई थी कि 'चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय दृष्टि से मज़बूत एनबीएफसी की कुल एक लाख करोड़ रुपये मूल्य की उच्च रेटिंग वाली संयोजित परिसंपत्तियों की खरीद के लिये सरकार 10 प्रतिशत तक के प्रथम नुकसान के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एकबारगी 6 माह की आंशिक ऋण गारंटी देगी।'

- उपर्युक्त बजट घोषणा को ध्यान में रखते हुए पीएसबी द्वारा NBFCs/HFCs से परिसंपत्तियों की खरीद के लिये पीएसबी को सरकारी गारंटी देने के लिये 10 अगस्त, 2019 को एक योजना (23 सितंबर, 2019 को संशोधित) शुरू की गई थी।
  - इसके तहत गारंटी को इस योजना के तहत बैंकों द्वारा खरीदी गई परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के 10 प्रतिशत अथवा 10,000 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित किया गया।
- यह सुविधा इस योजना के शुरू होने की तिथि से लेकर 6 महीनों की अवधि अथवा बैंकों द्वारा 1,00,000 करोड़ रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियों को खरीदे जाने की तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक खुली रखी गई थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस योजना की पेशकश की जा रही है, जिससे इस योजना के तहत सरकार की गारंटी सहायता से संयोजित परिसंपत्तियों की खरीद संभव होने से दिवाला होने की स्थिति में आ चुकी NBFCs/HFCs की अस्थायी तरलता/नकद प्रवाह में असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी। ऐसी स्थिति में NBFCs/HFCs को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये अपनी-अपनी परिसम्पत्तियों की अंधाधुंध बिक्री करने के लिये विवश नहीं होना पड़ेगा। इससे अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी मांग का वित्तपोषण करने के साथ-साथ इस तरह की NBFCs/HFCs के विफल या दिवालिया होने के प्रतिकूल असर से देश की वित्तीय प्रणाली को संरक्षित करने के लिये संबंधित NBFCs/HFCs को आवश्यक तरलता प्राप्त होगी।

नोट :

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (National Electronic Fund Transfer-NEFT) को चौबीस घंटे (24 X 7) संचालन के लिये उपलब्ध कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- RBI ने बैंकों को NEFT प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन धन हस्तांतरण के लिये बचत खाता धारकों से कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है।
- अगस्त, 2019 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान NEFT के बारे में यह घोषणा की गई थी कि दिसंबर 2019 से NEFT की सुविधा सप्ताह के सभी दिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

NEFT से लाभ:

- इस कदम के माध्यम से RBI भुगतान प्रणाली वाले देशों के उस क्लब में शामिल हो गया है जो चौबीसों घंटे किसी भी मूल्य के धन हस्तांतरण और निपटान में सक्षम हैं।
- ग्राहक अब दिन के किसी भी समय NEFT के माध्यम से बिना शुल्क के धन स्थानांतरित कर सकते हैं, जबकि बैंक चेक और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से धन स्थानांतरण के लिये शुल्क लिया जाता है।

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (National Electronic Fund Transfer):

- वर्ष 2005 में शुरू की गई NEFT प्रणाली की हाल के वर्षों लोकप्रियता बढ़ने के साथ-साथ इसके ग्राहकों की संख्या में भी तेज़ी देखी गई है।
- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण प्रणालियों में से एक है। इसकी शुरुआत नवंबर 2005 में की गई थी।
- इस योजना के तहत कोई व्यक्ति, फर्म और कॉरपोरेट दूसरी बैंक शाखा में खाता रखने वाले किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट के बैंक खाते में तथा देश में स्थित किसी अन्य बैंक शाखा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित कर सकते हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक मसौदा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार द्वारा सांख्यिकी आँकड़ों पर देश की सर्वोच्च सलाहकार संस्था की स्वायत्तता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission-NSC) विधेयक पर मसौदा तैयार किया है तथा इस पर लोगों से प्रतिक्रिया मांगी गई है।

मुख्य बिंदु:

- इस विधेयक के मसौदे में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को देश के सभी सांख्यिकी मामलों के लिये सर्वोच्च तथा स्वायत्त बनाने का प्रावधान किया गया है और इसकी संरचना में भी परिवर्तन का प्रावधान किया गया है।
- इस मसौदे के अंतर्गत NSC की सलाहकार संस्था की भूमिका को बनाए रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि नीतियों से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय सरकार करेगी।
- भारत सरकार के सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation- MoSPI) द्वारा 19 जनवरी, 2020 तक लोगों से इस मसौदे पर सुझाव एवं प्रतिक्रियाएँ मांगी गई हैं।
- ध्यातव्य है कि सरकार द्वारा हाल की कई सांख्यिकी आधारित रिपोर्टें नहीं जारी की गईं जिनमें बेरोज़गारी सर्वेक्षण (Unemployment Survey) तथा उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Consumption Expenditure Survey) आदि शामिल थे।

नोट :

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग:

- जनवरी, 2000 में सरकार ने डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य देश की समस्त सांख्यिकी प्रणाली तथा सरकार के सांख्यिकी आँकड़ों की समीक्षा करना था।
- अगस्त, 2000 में डॉ. सी. रंगराजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सांख्यिकी के लिये एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात कही गई।
- इसका कार्य देश की सभी प्रमुख सांख्यिकी गतिविधियों की निगरानी, विकास तथा इनके लिये उत्तरदायी विभिन्न संस्थाओं के मध्य सहयोग स्थापित करना था।
- रंगराजन समिति का सुझाव था कि शुरुआत में इस आयोग का गठन सरकार के आदेश द्वारा हो।
- समिति की अनुशंसा पर 1 जून, 2005 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया।
- इसमें एक अध्यक्ष, चार सदस्य, एक पदेन सदस्य तथा भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् को NSC का सचिव बनाया गया।
  - वर्तमान में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer-CEO) NSC का पदेन सदस्य सदस्य (Ex-Officio Member) होता है।
  - सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् (Chief Statistician of India-CSI) कहा जाता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक मसौदे के प्रमुख बिंदु:

- NSC की संरचना में बदलाव करते हुए इसके पदेन सदस्य के तौर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्थान पर वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor) को नियुक्त किया जाएगा।
- इसके अलावा वर्तमान में मौजूद NSC के सचिव को पहले की तरह भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् ही कहा जाएगा।
- इसके तहत NSC में एक अध्यक्ष तथा पाँच पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्य के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) के डिप्टी गवर्नर, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् तथा पदेन सदस्य के तौर पर वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार इसमें शामिल होंगे।
- NSC के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति एक सर्च कमिटी की सलाह पर भारत सरकार द्वारा की जाएगी। सर्च कमिटी के किसी सदस्य की गैर मौजूदगी में हुई नियुक्ति को अमान्य नहीं माना जाएगा।
- भारत सरकार आवश्यकता पड़ने पर भारत की एकता और अखंडता, राज्यों की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, अनुशासन तथा नैतिकता आदि हितों को ध्यान में रखते हुए में NSC को दिशा-निर्देश दे सकती है।
- विधेयक के अनुसार, NSC अपनी शक्तियों के प्रयोग अथवा कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को मानने के लिये बाध्य होगा।
- सरकारी आँकड़ों से संबंधित किसी मामले पर भारत सरकार NSC से सलाह मांग सकती है।
- इसके अलावा केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली किसी सरकारी एजेंसी से NSC की सलाह को स्वीकार न करने के कारणों पर रिपोर्ट मांग सकती है।
- NSC की सलाह न मानने के कारणों पर बनाई गई रिपोर्ट संसद अथवा संबंधित राज्य की विधायिका में 30 दिनों के लिये प्रस्तुत की जाएगी।
- NSC को यह अधिकार होगा कि वह देश की किसी सरकारी संस्था की सांख्यिकी प्रणाली में निहित अवधारणा, परिभाषा, मानक, कार्य-पद्धति तथा नीतियों के संबंध में परामर्श दे।
- मसौदे में कहा गया है कि NSC सरकार से विचार-विमर्श के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (National Statistical Organisations- NSO) की कार्य-पद्धति, सांख्यिकी मानकों तथा वर्गीकरण के मामलों में भागीदारी करे।
- केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों में नियुक्त सभी नोडल अधिकारी सांख्यिकी के मूलभूत मामलों पर भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के प्रति उत्तरदायी होंगे।

नोट :

GST परिषद की 38वीं बैठक

चर्चा में क्यों ?

18 दिसंबर, 2019 को GST परिषद (GST council) की 38वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें सभी लॉटरी (राज्य द्वारा संचालित या राज्य द्वारा अधिकृत किंतु निजी संस्था द्वारा संचालित) पर कर की 28% की एक समान दर को मंजूरी दे दी है।

- कर की यह दर 1 मार्च, 2020 से लागू होगी। यह बैठक इस कारण भी अत्यंत चर्चा का विषय है क्योंकि पहली बार GST परिषद में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिये मतदान करना पड़ा। ध्यातव्य है कि इसके पहले GST परिषद द्वारा लिये गए सभी फैसले सर्वसम्मति से लिये जाते थे।

बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु:

- लॉटरी के संबंध में कर की दर 28% करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित नहीं हो सका इसलिये GST इतिहास में पहली बार किसी विषय पर मतदान किया गया। गौरतलब है कि केरल के वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर इस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया जिसे 21-7 के मतों से पारित किया गया। ध्यातव्य है की इससे पहले लॉटरी के संदर्भ में दोहरी दर व्यवस्था थी, राज्य द्वारा संचालित लॉटरी पर 12% तथा राज्य द्वारा अधिकृत किंतु निजी संस्थाओं द्वारा संचालित लॉटरी पर 28% की दर से कर का प्रावधान था।
- जिन करदाताओं ने जुलाई, 2017 से नवंबर, 2019 तक का GSTR-1 (GST Return- 1) दाखिल नहीं किया है और यदि वे 10 जनवरी, 2020 तक रिटर्न दाखिल करते हैं तो उनका विलंब भुगतान शुल्क माफ कर दिया जाएगा किंतु यदि वे समयसीमा में रिटर्न दाखिल नहीं करते है तो उनके ई-वे बिल भी ब्लाक कर दिया जाएगा।
- परिषद ने वर्ष 2017-18 के लिये वार्षिक रिटर्न GSTR-9 और GSTR-9(c) की अंतिम तिथि को भी 31 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2020 कर दिया है।
- जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए कर भुगतान की समय सीमा नवंबर से बढ़ाकर वर्ष के अंत तक कर दी गई है।
- औद्योगिक पार्कों की स्थापना को सरल बनाने के उद्देश्य से परिषद ने केंद्र व राज्य सरकारों के 20% स्वामित्व वाली सभी संस्थाओं को 1 जनवरी, 2020 से दीर्घकालिक भूमि पट्टों में GST से छूट प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले केवल 50% सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं को ही यह छूट प्रदान की जाती थी ।
- परिषद ने बुने हुए और बिना बुने हुए बैग पर 1 जनवरी, 2020 से 18% की दर से GST लगाने का प्रावधान किया है।

GST के संदर्भ में राज्यों की चिंताएँ :

- कर राजस्व में कमी वर्तमान में आर्थिक मंदी और न्यूनतम खपत के समय व्यापक चिंता का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि पहले आठ महीनों में GST संग्रह के लक्ष्य का केवल 50% व क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह के लक्ष्य का केवल 60% ही संग्रहीत किया गया है।
- GST क्षतिपूर्ति में देरी राज्यों के लिये चिंता का विषय है। GST लागू करते समय राज्यों को 5 वर्षों तक क्षतिपूर्ति देने का आश्वासन दिया गया था। राज्यों द्वारा प्राय: यह शिकायत की जाती है कि केंद्र सरकार फंड होने के बावजूद राज्यों को पैसा नही देती है।

GST परिषद के बारे में :

- यह वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिये एक संवैधानिक निकाय है।
- 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A(1) में GST परिषद का प्रावधान किया गया है।
- सदस्य- सभी 28 राज्यों एवं तीन संघ-शासित क्षेत्रों (दिल्ली, पुदुच्चेरी और जम्मू-कश्मीर) के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री अर्थात कुल मिलाकर 31 सदस्य होते हैं।
- GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
- यह एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है जहाँ केंद्र और राज्यों दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है।

नोट :

GST परिषद की मतदान प्रणाली :

- GST परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान के 75% भारित बहुमत (तीन चौथाई बहुमत) होने के बाद ही लिया जाता है।
- भारित बहुमत का सिद्धांत- केंद्र सरकार का मान एक तिहाई वोट माना जाता है। सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलकर कुल मान दो-तिहाई वोट माना जाता है।

GST परिषद के कार्य :

GST परिषद् का कार्य निम्नलिखित विषयों पर केंद्र और राज्यों की सिफारिश करना है -

- केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा वसूले जाने वाले कर, उपकर तथा अधिशुल्क; जिन्हें GST के अंतर्गत समाहित किया जा सके
- ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ, जिन्हें GST के अधीन या उससे छूट प्रदान की जा सके
- आदर्श GST कानून, उद्ग्रहण के सिद्धांत, IGST का बँटवारा और आपूर्ति के स्थान को प्रशासित करने वाले सिद्धांत
- वह सीमा रेखा, जिसके नीचे वस्तु और सेवा के टर्नओवर को GST से छूट प्रदान की जा सके
- वह दिनांक, जबसे कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर GST वसूला जा सके
- किसी भी प्राकृतिक आपदा या विपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन इकट्ठा करने हेतु किसी विशेष अवधि के लिये कोई विशेष दर या दरें
- उत्तर-पूर्वी एवं पर्वतीय राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के संबंध में विशेष प्रावधान
- GST परिषद द्वारा यथा निर्णय एवं GST से संबंधित कोई अन्य मामला, जिस पर परिषद निर्णय ले सकती है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण

चर्चा मे क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal-NCLAT) ने वर्ष 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा संस लिमिटेड (Tata Sons Limited) कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाने को गैर-कानूनी बताते हुए उनकी बहाली का आदेश दिया है।

मुख्य बिंदु:

- NCLAT ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal- NCLT) की मुंबई पीठ के उस फैसले को रद्द कर दिया है है, जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा संस लिमिटेड और अन्य कंपनियों के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया था।
- NCLAT ने 'रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़' (Registrar of Companies) द्वारा 'टाटा संस लिमिटेड' को 'पब्लिक कंपनी' (Public Company) से 'प्राइवेट कंपनी' (Private Company) में परिवर्तित करने को भी अवैध घोषित कर दिया।
- NCLAT ने कहा कि कंपनी को 'प्राइवेट कंपनी' में बदलने का निर्णय अल्पसंख्यक शेयरधारकों के लिये पूर्वाग्रही तथा कठोर था।

अल्पसंख्यक शेयरधारक (Minority shareholders)

किसी कंपनी या फर्म के ऐसे शेयरधारक जो उस कंपनी या फर्म की इक्विटी पूंजी (Equity Capital) में 50% से कम की हिस्सेदारी तथा कंपनी से संबंधित निर्णयों के संबंध में मतदान की शक्ति नहीं रखते हैं।

स्वतंत्र निदेशक (Independent Director)

स्वतंत्र निदेशक एक कंपनी का गैर-कार्यकारी निदेशक होता है जो कॉर्पोरेट विश्वसनीयता और शासन मानकों (Corporate Credibility and Governance Standards) को बेहतर बनाने में कंपनी की मदद करता है। स्वतंत्र निदेशक कंपनी के साथ ऐसा कोई भी संबंध नहीं रखते हैं, जो उनके निर्णय लेने की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

नोट :

'पब्लिक' और 'प्राइवेट' कंपनियों में अंतर (Public and Private Companies)

कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) के तहत किसी कंपनी को किसी भी वैध उद्देश्य के लिये गठित किया जा सकता है-

- प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या दो तथा 200 से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- पब्लिक कंपनी में न्यूनतम सात सदस्य होने चाहिये, जबकि अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई रोक नहीं है।
- प्राइवेट कंपनी में प्रदत्त पूंजी कम से कम एक लाख तथा पब्लिक कंपनी में पाँच लाख रुपए होनी चाहिये।

रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज़ (Registrars of Companies- ROC)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 609 के तहत ROC की नियुक्ति राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कंपनियों के पंजीकरण एवं सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnerships-LLPs) को सुनिश्चित करने के प्राथमिक कर्त्तव्य के साथ होती है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण

- NCLAT का गठन NCLT के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था।
- NCLAT एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो कंपनियों से संबंधित विवादों का निर्णय करता है।
- NCLAT 1 दिसंबर, 2016 से प्रभावी, दिवाला और दिवालियेपन संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016-IBC) की धारा 61 के तहत NCLT द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिये एक अपीलीय अधिकरण भी है।
- NCLAT, दिवाला और दिवालियेपन संहिता, 2016 की धारा 202 और 211 के तहत पारित आदेशों के खिलाफ भी एक अपीलीय अधिकरण है।
- NCLAT के किसी भी आदेश से असहमत व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।
- NCLAT, भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India) द्वारा दिये गए निर्णयों से असहमत पक्ष के लिये भी अपीलीय निकाय के रूप में भी कार्य करता है।

NCLAT में अपील करने की प्रक्रिया:

- NCLT के किसी निर्णय से असहमत पक्ष 45 दिन के भीतर दिये गए निर्णय की एक प्रति को प्रस्तुत करके NCLAT में अपील कर सकता है।
- अगर NCLAT संतुष्ट है कि अपीलकर्त्ता के पास पर्याप्त कारण है, तो वह अपीलकर्त्ता को अपील के लिये निश्चित 45 दिन की निर्धारित अवधि से छूट प्रदान करता है।
- NCLAT के किसी भी आदेश से असहमत पक्ष निर्णय के 60 दिनों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के इस निर्णय से कंपनियों में अल्पसंख्यक शेयरधारक सशक्त होंगे तथा स्वतंत्र निदेशकों के समक्ष अपनी आपत्तियों को अधिक स्वतंत्रता से रख सकेंगे।

उदय योजना

संदर्भ:

वर्ष 2015 में लॉन्च की गई उदय योजना (Ujwal Discom Assurance Yojana- UDAY) अपनी प्रारंभिक सफलताओं के बाद डिस्कॉम्स (Electricity Distribution Companies- Discoms) या विद्युत वितरण कंपनियों के लिये अब लाभप्रद साबित नहीं हो रही है।

मुख्य बिंदु:

- नवंबर 2015 में उदय योजना लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2016 में डिस्कॉम्स का घाटा 51,562 करोड़ रुपए था, जबकि वित्तीय वर्ष 2018 में यह घाटा 15,132 करोड़ रुपए रह गया।

नोट :

- लेकिन वित्तीय वर्ष 2019 के सितंबर महीने तक के प्राप्त आँकड़ों के अनुसार यह 28,036 करोड़ रुपए हो गया।
- यह आँकड़ा प्रदर्शित करता है कि डिस्कॉम्स अपनी औसत आपूर्ति लागत (Average Cost of Supply) तथा औसत राजस्व प्राप्ति (Average Realisable Revenue) के अंतर को कम करने में असफल रही हैं।
- इसके अलावा ये कंपनियाँ वित्तीय वर्ष 2019 के कुल तकनीकी तथा वाणिज्यिक (Aggregate Technical and Commercial-AT&C) नुकसान के लक्ष्य को 15% से कम करने में भी असफल रही हैं।
- 28 राज्यों में से केवल सात राज्य ही AT&C नुकसान में कमी के लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं।
- हालाँकि इस योजना का सकारात्मक पक्ष यह था कि देश के 28 राज्यों ने उदय योजना को लागू किया लेकिन वित्तीय वर्ष 2019 में केवल 10 राज्यों ने इस घाटे में कमी की है अथवा लाभ प्राप्त किया है। इसके अलावा अन्य राज्य भी ACS और ARR अंतर को कम करने में सफल रहे हैं परंतु वे निर्धारित लक्ष्यों से काफी पीछे हैं।
- डिस्कॉम्स की विद्युत आपूर्ति की लागत तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त बिलों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अंतर है। राज्यों द्वारा वितरण सुविधाओं में लगभग 85,000-90,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने के बावजूद भी यह अंतर लगातार बढ़ रहा है।
- दिसंबर 2017 तक केवल चार राज्य- हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक ही ACS और ARR के अंतर को शून्य से कम कर सके, जबकि अन्य राज्यों का अंतर 0.01 रुपए प्रति यूनिट से 2.13 रुपए प्रति यूनिट के बीच दर्ज़ किया गया।
- सरकार के 'प्राप्ति' वेब पोर्टल (Payment Ratification and Analysis in Power Procurement for bringing Transparency in Invoicing of Generators- PRAAPTI) के अनुसार, विद्युत उत्पादक कंपनियों के पास डिस्कॉम्स का बकाया वर्ष 2019 में 81,964 करोड़ रुपए हो गया जो कि वर्ष 2018 में 54,664 करोड़ रुपए था।

योजना की विफलता के कारण:

- राज्यों द्वारा टैरिफ वृद्धि में देरी की वजह से डिस्कॉम्स ACS और ARR के अंतर को समाप्त नहीं कर सके।
- उदय योजना की असफलता का कारण इस योजना में दक्षता का अभाव था क्योंकि इसके प्रारंभिक चरण में वित्तीय मदद तथा वित्तीय अनुप्रयोगों के माध्यम से कुछ लक्ष्य प्राप्त किये गए परंतु लंबी अवधि तक इस सफलता को बनाए रखने में यह योजना विफल रही।
- इसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि शुरूआती कुछ समय तक डिस्कॉम्स के बकाये की राशि में कुछ कमी हुई लेकिन उसके बाद इसमें तीव्र वृद्धि होती गयी। जिससे स्पष्ट हो गया कि यह योजना प्रारंभिक सफलताओं के बाद इसका प्रभाव कम होता जा रहा है।
- उदय योजना की समस्या यह भी है कि डिस्कॉम्स विद्युत खरीद की अपनी कुल लागत की वसूली करने में असमर्थ रहीं।
- उदय योजना मार्च 2020 में समाप्त हो रही है और उदय योजना के तहत ज़ारी बॉण्ड पर देय ब्याज दर (Coupon Rate), राज्यों द्वारा विकास कार्यों हेतु लिये गए ऋणों पर ब्याज दर की तुलना में अधिक होने की वजह से उदय योजना अपनाने वाले राज्यों के लिये ऋण शोधन (Debt Servicing) की लागत में अधिक वृद्धि हुई है।

राज्य विकास ऋण बॉण्ड (State Development Loan Bond):

- राज्यों द्वारा विकास कार्यों के वित्तपोषण हेतु बाज़ार में जारी किये गए बॉण्ड को SDL बॉण्ड कहते हैं। SDL बॉण्ड एक दिनांकित प्रतिभूति (Dated Securities) है जिसे सामान्य नीलामी प्रक्रिया के तहत जारी किया जाता है।

इसके प्रभाव:

- वर्तमान में अधिकांश राज्य मंदी के दौर से गुज़र रहे हैं। इस परिस्थिति में उदय बॉण्डों पर दिये जाने वाले ब्याज की भुगतान तथा इन बॉण्डों के शोधन के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति पर वर्ष 2020 के बाद भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2015-16 से राज्यों के ऋणों में वृद्धि दर लगातार दहाई अंक में बनी हुई है जिससे ऋण-जीडीपी अनुपात (Debt-GDP Ratio) में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा वर्ष 2019-20 के दौरान 16 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में ऋण-जीएसडीपी अनुपात (Debt-GSDP Ratio) में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

उदय (UDAY) योजना क्या है ?

- 05 नवंबर, 2015 को भारत सरकार के विद्युत् मंत्रालय (Ministry of Power) द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना या 'उदय' प्रारंभ की गई।

नोट :

- उदय को डिस्कॉम्स की वित्तीय तथा परिचालन क्षमता में सुधार लाने के लिये शुरू किया गया था।
- इस योजना में ब्याज भार, विद्युत लागत और AT&C को कम करने का प्रावधान किया गया ताकि डिस्कॉम्स लगातार 24 घंटे पर्याप्त तथा विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति में समर्थ हों।
- उदय योजना के निम्नलिखित चार उद्देश्य हैं–
- बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन क्षमता में सुधार।
- बिजली की लागत में कमी।
- वितरण कंपनियों की ब्याज लागत में कमी।
- राज्य वित्त आयोग के साथ समन्वय के माध्यम से डिस्कॉम्स पर वित्तीय अनुशासन लागू करना।

आगे की राह:

- उदय या किसी अन्य योजना की सफलता के लिये आवश्यक है कि इसके निर्माण में दक्षता हो ताकि लंबी अवधि तक उसकी धारणीयता बनी रहे।
- उदय योजना के तहत अधिक लाभ प्राप्त करने या घाटे को कम करने के लिये टैरिफ में वृद्धि की गई जिससे योजना के सफल क्रियान्वयन में समस्या उत्पन्न हुई। अत: टैरिफ में वृद्धि के स्थान पर डिस्कॉम्स की AT&C में कमी करने की कोशिश की जाए, बिलिंग तथा वसूली प्रक्रिया में सुधार किया जाए ताकि ये लाभ की स्थिति में रहें।
- वित्तीय वर्ष 2019 में डिस्कॉम्स को हुए घाटे की वजह से यह आवश्यक है कि इसके स्थान पर एक नई योजना लागू की जाए जिसमें उदय योजना में निहित कमियों को दूर किया जा सके।
- यदि डिस्कॉम्स अपने घाटे को नियंत्रित करने में सक्षम हैं तो उन्हें सरकारी क्षेत्र में रखा जाए अथवा निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिये उन्हें पीपीपी (Public Private Partnership- PPP) मॉडल के तहत लाया जाए।
- उदय योजना के स्थान पर किसी नई योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है कि उसे केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय मदद दी जाए जिसका प्रावधान उदय योजना के तहत नहीं था।

निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति की बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में निवेश और विकास पर गठित कैबिनेट समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मंदी के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ाने हेतु व्यय पर विशेष ध्यान देना है।

निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति की संरचना:

- इस समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री है, इसके अतिरिक्त सदस्यों के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम मंत्री और वाणिज्य मंत्री शामिल हैं।
- नई सरकार बनने के बाद निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Investment & Growth-CCIG) का गठन मई 2019 में किया गया था। समिति के गठन के बाद यह इसकी पहली बैठक है।

इस बैठक की प्रासंगिकता:

- यह बैठक जुलाई-सितंबर तिमाही में विकास दर के छह वर्षों के निचले स्तर 4.5% की पृष्ठभूमि में हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कई तिमाहियों से काफी धीमी हो गई है। इस प्रकार की स्थिति से अर्थव्यवस्था को उबारने हेतु व्यय को बढ़ाने की बात की जा रही है।
- फिच रेटिंग (Fitch Rating) ने पिछले कुछ तिमाहियों में मंदी के कारण भारत के लिये वित्त वर्ष 2019-20 में विकास दर का अनुमान घटाकर 4.6% कर दिया है। फिच के अतिरिक्त मूडीज़ और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी वर्ष 2019-20 के लिये भारत की विकास दर क्रमश: 4.9% और 5.1% अनुमानित की है।

नोट :

- ऐसी परिस्थितियों में भारत की विकास दर बढ़ाने के लिये कुछ संरचनात्मक कार्य अति महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। इस प्रकार की कैबिनेट कमेटी के माध्यम से अर्थव्यवस्था में विकास दर को बढ़ाने के लिये आवश्यक परिस्थितियों का भी सृजन किया जाएगा।

वर्तमान मंदी से निपटने के लिये सरकार के प्रयास:

- वर्तमान आर्थिक मंदी के दौरान विकास दर बढ़ाने के लिये सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स दर में कटौती, बैंक पुनर्पूंजीकरण, बुनियादी ढाँचा खर्च की योजना, ऑटो क्षेत्र के लिये समर्थन और अन्य कई वित्तीय उपायों की घोषणा की है।
- इन प्रयासों के बावजूद कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपभोग की मांग (Consumption Demand) में व्यापक कमज़ोरी को सीधे संबोधित (Address) नहीं किया जा सकेगा।
- उपभोग की मांग अर्थव्यवस्था का मुख्य चालक (Chief Driver of the Economy) है, इसलिये सरकार अब व्यय बढ़ाने की रणनीति पर कार्ययोजना बनाने के लिये प्रयासरत है।

रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति
(Cabinet Committee on Employment & Skill Development- CCESD)

- CCIG के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रोज़गार और कौशल विकास पर एक कैबिनेट समिति भी जून 2019 में गठित की गई थी।
- इस समिति में 10 सदस्य (कैबिनेट मंत्री) शामिल हैं। इस समिति का मुख्य उद्देश्य विकास दर और रोज़गार में वृद्धि करना है।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office) के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) के आँकडों के अनुसार, भारत में बेरोज़गारी दर वर्ष 2017-18 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 5.3% और शहरी क्षेत्रों में 7.8% तथा भारत में समग्र बेरोज़गारी दर 6.1% थी।

म्यूचुअल फंड में निवेश हेतु नए नियम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने अल्पवयस्कों (Minors) के लिये म्यूचुअल फंड में निवेश के नए नियम बनाए हैं।

मुख्य बिंदु:

- सेबी द्वारा जारी नियमों में कहा गया है कि यदि कोई अल्पवयस्क म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो वह निवेश उस अल्पवयस्क के खाते या उसके किसी संयुक्त खाते से किया जाएगा।
- निवेश के लिये चेक, डिमांड ड्राफ्ट अथवा किसी अन्य माध्यम से किये गए भुगतान को अल्पवयस्क के खाते या अभिभावक के साथ उसके संयुक्त खाते से ही स्वीकार किया जाएगा।
- इसके साथ ही जब अल्पवयस्क 18 वर्ष का हो जाता है तब उसे बैंक अकाउंट के अद्यतन (Updation) हेतु के.वाई.सी. (Know Your Client- KYC) का पूरा विवरण देना होगा अन्यथा उसके अकाउंट से संबंधित सभी लेन-देन रोक दिये जाएंगे।
- इसके साथ ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उस खाताधारक के बैंक अकाउंट को अद्यतन कराने हेतु KYC (Know Your Client) का पूरा विवरण देना होगा अन्यथा उसके खाते से से संबंधित सभी लेन-देन पर रोक लगा दी जाएगी।
- एक अन्य निर्देश में सेबी ने कहा कि पूल अकाउंट (Pool Accounts) के प्रयोग को समाप्त किया जाए जिनका प्रयोग मुख्यत: बिचौलियों जैसे- स्टॉक ब्रोकर्स या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाता है।
- पूल अकाउंट के माध्यम से बिचौलिये अपने ग्राहक की तरफ से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं।

निर्देश जारी करने का कारण:

- हाल ही में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग (Karvy Stock Broking) के मामले में हुई धाँधली को देखते हुए सेबी द्वारा यह निर्णय लिया गया। ध्यातव्य है कि इस ब्रोकर कंपनी ने अपने निवेशकों के धन को बिना उनकी अनुमति के अलग-अलग जगहों पर निवेश किया था।
- हाल के कई मामलों में ऐसा हुआ है कि ब्रोकर कंपनियों द्वारा उनके ग्राहकों के पैसे या प्रतिभूतियों का दुरुपयोग किया गया है।

नोट :

निर्णय के लाभ:

- इस नियम के लागू होने के बाद पूंजी बाज़ार में होने वाले विनिमयों में अधिक पारदर्शिता आएगी तथा बिचौलियों का महत्त्व कम होगा।
- स्टॉक ब्रोकर्स के माध्यम से होने वाले किसी भी लेन-देन के लिये शेयर बाज़ार आवश्यक व्यवस्था करें ताकि ग्राहकों के खाते से किया गया भुगतान तथा उनको मिलने वाली राशि सीधे मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम (Clearing Corporation) के खाते से हो।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।
- इसके मुख्य कार्य हैं -
  - प्रतिभूतियों (Securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
  - प्रतिभूति बाज़ार (Securities Market) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

म्यूचुअल फंड:

- म्यूचुअल फंड एक प्रकार का सामूहिक निवेश होता है। निवेशकों के समूह मिलकर अल्पावधि के निवेश या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।
- म्यूचुअल फंड में एक फंड प्रबंधक होता है, जो इस पैसे को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करने के लिये अपने निवेश प्रबंधन कौशल का उपयोग करता है।
- वह फंड के निवेशों को निर्धारित करता है और लाभ तथा हानि का हिसाब रखता है। इस प्रकार हुए फायदे-नुकसान को निवेशकों में बाँट दिया जाता है।

अनिवासी सामान्य खाता

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा नवंबर 2018 में बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को अनिवासी सामान्य खाता (Non-Resident Ordinary Rupee Account- NRO) खोलने की अनुमति दी गई थी, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (Citizenship Amendment Act) के पारित होने के बाद एक प्रासंगिक विषय बन गया है।

मुख्य बिंदु:

- RBI ने इससे संबंधित अधिसूचना 9 नवंबर, 2018 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) संशोधन विनियम, 2018 [Foreign Exchange Management (Deposit) Amendment Regulations, 2018] के तहत जारी की थी।
- उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुस्लिमों को अल्पसंख्यक न मानने का प्रावधान करता है।

क्या थी RBI की अधिसूचना ?

- RBI द्वारा वर्ष 2018 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, भारत में रह रहा ऐसा व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक है तथा उन देशों में अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म से संबंधित है एवं जिसे केंद्र सरकार द्वारा दीर्घकालिक वीज़ा (Long Term Visa) प्रदान किया गया है। इन देशों के ऐसे अल्पसंख्यकों को भारत में अर्जित आय का प्रबंधन करने के लिये NRO खाता खोलने की अनुमति दी गई थी।
- जब ये अल्पसंख्यक व्यक्ति नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारत के नागरिक बन जाएंगे तो उक्त NRO खातों को निवासी खातों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

नोट :

- इस अधिसूचना में उन अल्पसंख्यक व्यक्तियों को भी अर्द्धवार्षिक समीक्षा के आधार पर NRO खाता खोलने की अनुमति दी गई थी, जिन्होंने दीर्घकालिक वीज़ा के लिये आवेदन किया है तथा जिनके पास संबंधित विदेशी पंजीकरण कार्यालय (Foreigner Registration Office-FRO)/ विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (Foreigner Regional Registration Office-FRRO) द्वारा जारी वैध वीज़ा और आवासीय परमिट है।
- ऐसे NRO खाता खोलने वाले बैंकों को त्रैमासिक आधार पर गृह मंत्रालय को इन खातों के संबंध में जानकारी देनी होगी।

क्या है विवाद ?

- कुछ बैंकरों के अनुसार, RBI द्वारा उठाया गया यह कदम सिर्फ नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 को लेकर ही सवाल खड़े नहीं करता बल्कि इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है कि एक संघीय संस्था, जो कि पूरी तरह से स्वायत्त है तथा किसी पूर्वाग्रह एवं धार्मिक व्यवस्था से प्रभावित नहीं है, वह नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 पारित होने के लगभग एक वर्ष पहले ऐसी अधिसूचना जारी करती है जिसमें बांग्लादेश या पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को उसी प्रकार परिभाषित किया गया है, जिस प्रकार के प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 में किये गए हैं।

क्या होता है अनिवासी सामान्य खाता (Non-Resident Ordinary Rupee Account):

- यह किसी अनिवासी भारतीय द्वारा भारत में अर्जित आय का प्रबंधन करने के लिये खोला जाने वाला एक बचत या चालू खाता है।
- इस खाते में भारतीय मुद्रा के साथ-साथ विदेशी मुद्रा के रूप में भी धन जमा कर सकते हैं तथा भारतीय मुद्रा में आहरण कर सकते है।
- इस खाते को अनिवासी भारतीय द्वारा एक भारतीय नागरिक या किसी अनिवासी भारतीय के साथ भी खोला जा सकता है।
- इस खाते में अर्जित ब्याज़ कर-योग्य होता है।
- इस खाते के माध्यम से ब्याज राशि तथा मूलधन की एक निर्धारित सीमा को भी अपने देश वापस भेजा जा सकता है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

इंसटेक्स' वस्तु-विनिमय प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छह यूरोपीय देश ईरान के साथ 'इंसटेक्स' (Instrument in Support of Trade Exchanges- INSTEX) नामक वस्तु-विनिमय प्रणाली से जुड़ गए हैं।

'इंसटेक्स' (INSTEX):

- INSTEX फ्राँस, ब्रिटेन तथा जर्मनी द्वारा ईरान के साथ प्रारंभ की गई एक वस्तु-विनिमय प्रणाली है जिसका उद्देश्य डॉलर का प्रयोग न करते हुए ईरान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंध को दरकिनार कर ईरान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना है।
- पेरिस में पंजीकृत INSTEX ईरान को तेल की बिक्री ज़ारी रखने तथा बदले में अन्य सामान तथा सेवाओं के आयात की अनुमति देता है।
- हालाँकि इस प्रणाली के अंतर्गत अभी तक कोई भी विनिमय नहीं हुआ है

पृष्ठभूमि:

- अमेरिका ने ईरान के साथ वर्ष 2015 में हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अपने को अलग करते हुए वर्ष 2018 में ईरान पर भारी व्यापारिक प्रतिबंध लगाए थे।
- अमेरिका ने दुनिया के सभी देशों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वे अमेरिकी प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं तो ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद कर दें।

मुख्य बिंदु:

- बेल्जियम, डेनमार्क, फ़िनलैंड, नीदरलैंड, नार्वे और स्वीडन ने INSTEX से जुड़ने का निर्णय लिया है।
- इज़रायल ने इन छह यूरोपीय देशों द्वारा इस विनिमय प्रणाली का समर्थन करने के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ेंगे।

परमाणु समझौता, 2015

- 2015 में बराक ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्राँस और जर्मनी के साथ मिलकर ईरान ने परमाणु समझौता किया था।
- इस समझौते को 'ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन' (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPOA) नाम दिया गया।
- इस समझौते के अनुसार, ईरान को संबंधित यूरेनियम के भंडार में कमी करते हुए अपने परमाणु संयंत्रों की निगरानी के लिये अनुमति प्रदान करनी थी। इसके बदले ईरान पर आरोपित आर्थिक प्रतिबंधों में रियायत दी गई थी।

G-20 का अगला मेज़बान : सऊदी अरब

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सऊदी अरब G-20 की अध्यक्षता करने वाला अरब जगत का पहला देश बन गया है। मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर वैश्विक स्तर पर आलोचनाओं का सामना करने के बाद यह देश वैश्विक मंच पर वापसी की तैयारी कर रहा है।

- तेल से समृद्ध इस राष्ट्र ने उदारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है जिसमें महिलाओं को ज्यादा अधिकार देना भी शामिल है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- 15 वें G-20 की अध्यक्षता सऊदी अरब को जापान से प्राप्त हो रही है जो 21-22 नवंबर 2020 को अपनी राजधानी रियाद में वैश्विक शिखर सम्मेलन में विश्व के बड़े नेताओं की मेज़बानी करेगा।
- सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी G-20 की अध्यक्षता करते हुए ओसाका सम्मेलन के कार्य को आगे बढ़ाएगा और बहुस्तरीय सम्मति को बढ़ावा देगा।
- युवराज ने अंतर्राष्ट्रीय सहमति को आकार देने के इस "अद्वितीय अवसर" की प्रशंसा की है।
- सऊदी अरब इस शिखर सम्मेलन से पहले 100 से अधिक कार्यक्रमों एवं सम्मेलनों का आयोजन करेगा जिसमें मंत्री स्तरीय बैठक भी शामिल है।
- इस सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान सऊदी अरब को जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकीय विकास कम जन्म दर, बढ़ती जीवन प्रत्याशा जैसी चुनौतियों से निपटना होगा।
- सऊदी अरब को विरोधी विचारधाराओं को दबाने तथा पत्रकार ज़माल खशोगी की हत्या पर कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- विरोधियों का ऐसा मानना है कि सऊदी अरब ने लगभग नौ शिक्षाविदों, लेखकों और कार्यकर्ताओं को अवैध तरीके से हिरासत में लिया है।

G-20 समूह

- 1997 के बड़े वित्तीय संकट के पश्चात् यह निर्णय लिया गया था कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिये।
- G-20 समूह की स्थापना 1999 में 7 देशों-अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्राँस और इटली के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में की गई थी
- G-20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
-
- G-20 समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। G-20 समूह प्रत्येक महाद्वीप से विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक साथ लाता है।
- सामूहिक रूप से G-20 सदस्य विश्व के आर्थिक उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत, वैश्विक जनसंख्या का दो-तिहाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तीन-चौथाई प्रतिनिधित्व करते हैं।
- G-20 की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों के बीच बदलती रहती है। शिखर सम्मेलन में शामिल सभी नेता बैठक में हुई नीतिगत चर्चा के आधार पर एक घोषणापत्र जारी करते हैं।
- G-20 सम्मेलन को औपचारिक रूप से "वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन"(Summit on Financial Markets and the World Economy) के रूप में जाना जाता है ।
- 14-15 नवंबर 2008 को G-20 समूह का पहला शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डी.सी (संयुक्त राज्य अमेरिका) में आयोजित हुआ था।
- वर्ष 2022 में भारत 17 वें G-20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।

भारत-स्वीडन संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वीडन के राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ तथा रानी सिल्विया भारत दौरे पर आए। इस यात्रा के दौरान भारत-स्वीडन ने कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित नवाचार नीतियों पर उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन किया।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- इस मौके पर दोनों देशों के मध्य ध्रुवीय क्षेत्रों में शोध, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा समुद्री शुल्क के संबंध में समझौते हुए।
- इसके अलावा डिजिटल स्वास्थ्य (Digital Health), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), भविष्य में गतिशीलता (Future Mobility) तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) के विषय पर सहयोग देने की बात कही गई।
- एशिया में चीन तथा जापान के बाद भारत, स्वीडन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार (Trade Partner) है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश ने मज़बूती हासिल की है।
- भारत के मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया तथा स्मार्ट सिटी कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिये स्वीडन महत्त्वपूर्ण सहयोगी है।
- स्वीडिश कंपनियों ने भारत में बड़े स्तर पर निवेश किया है। जिसमें संचार उत्पाद, ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल्स, रासायनिक एवं यांत्रिक उत्पाद आदि शामिल हैं।
- भविष्य में ये स्वीडिश कंपनियाँ भारत में स्वच्छ तकनीक (Clean Technologies), चक्रीय अर्थव्यवस्था, जल साझेदारी (Water Partnership) तथा अगली पीढ़ी की अवसंरचना (Next Generation Infrastructure) के विकास के लिये कार्य करने की क्षमता रखती हैं।
- भारत के सैन्य क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक है कि स्वीडिश कंपनियाँ भारत में सैन्य विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश करें जिससे रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन सकें। इससे न सिर्फ भारत के घरेलू सैन्य बाज़ार का विकास होगा बल्कि हम निर्यात भी कर सकेंगे।
- भारत की अनेकों कंपनियों ने स्वीडन में निवेश किया है जिसमें प्रमुख रूप से आईटी तथा अन्य तकनीकी समाधान वाली कंपनियाँ शामिल हैं।
- भारत तथा स्वीडन ने जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिये प्रत्येक मंच पर अपनी प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है तथा भारत ने स्वीडन को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन (International Solar Alliance) में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया है।

चिली में विरोध प्रदर्शन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चिली में बढ़ती आर्थिक विषमता का विरोध करने एवं बेहतर सामाजिक सेवाओं और पेंशन की मांग के समर्थन में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने अपनी आँखों की रोशनी खो दी।

पृष्ठभूमि:

- चिली में मेट्रो के किराए में 4 फीसदी वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे किंतु बाद में अन्य कई मुद्दों पर भी विरोध जताया जाने लगा। ये विरोध प्रदर्शन काफी शांतिपूर्वक शुरू हुए थे किंतु इन विरोध प्रदर्शनों ने वर्तमान में हिंसक रुप ले लिया। इसमें काफी संख्या में लोगों की मौत भी हुई।
- बताया जा रहा है कि 1990 में ऑगस्टो पिनोचे की सरकार के गिरने के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं।
- चिली में जारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन एवं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन) का आयोजन रद्द कर दिया था। इन दोनों आयोजनों के रद्द होने से चिली की छवि काफी धूमिल हुई है।
- हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने सेंटियागो में आपातकाल की घोषणा कर दी थी और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सेना को सौंप दी थी किंतु विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए बाद में सरकार ने आपात स्थिति को समाप्त कर दिया था।

चिली में ऐसे हालात क्यों बने ?

चिली: आर्थिक उदारीकरण का एक उदाहरण

- दक्षिण अमेरिका के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में विशाल समुद्र तट से सटा चिली की गिनती लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में की जाती है। इसे आर्थिक उदारीकरण के उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। माना जा रहा है कि आर्थिक उदारीकरण के कारण चिली में आर्थिक असमानताएँ काफी बढ़ गई हैं।

नोट :

सरकारी नीतियाँ

- चिली में वर्ष 1970-73 के बीच वामपंथ की तरफ झुकाव रखने वाली साल्वोडोर आयेन्दे की सरकार थी। इस सरकार ने लोकलुभावन योजनाएँ लागू की किंतु इन योजनाओं से अर्थव्यवस्था में अधिक सुधार नहीं हुआ और उन्हें सत्ता से हटा दिया गया।
- साल्वोडोर आयेन्दे की सरकार के बाद ऑगस्टो पिनोचे की सरकार सत्ता में आई जिसने 'आर्थिक उदारीकरण की नीति' अपनाई। पिनोचे ने ट्रेड यूनियन को प्रतिबंधित किया, स्थानीय व्यवसायों को टैक्स से मिलने वाली छूट हटा दी, निजीकरण को बढ़ावा दिया एवं देश की लगभग सभी सरकारी इकाइयों का निजीकरण कर दिया।
- वर्ष 1990 में ऑगस्टो पिनोचे की सत्ता ख़त्म हो गई किंतु देश में अब भी वर्ष 1990 का वही संविधान लागू है जिसमें आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया था।
- चिली के वर्तमान संविधान में कुछ मूल धाराएँ ऐसी हैं कि उदारवादी अर्थव्यवस्था में बदलाव नहीं लाया जा सकता बल्कि उनको बढ़ावा ही दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह संविधान सेना ने बनाया था जिसमें सेना के अधिकारों और बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हितों की बात की गई थी किंतु इसमें आम नागरिकों के हितों की उपेक्षा की गई थी।
- चिली में अर्थव्यवस्था का निजीकरण इस प्रकार हुआ है कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग उसका लाभ लेने में सक्षम नहीं हैं जबकि मध्यम वर्ग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में देता है।
- बिगड़ती अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चिली की स्थिति ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इक्वाडोर और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों से बहुत अलग नहीं है, लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। एक तरफ लोगों की आर्थिक बिगड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को मज़बूर किया जा रहा है कि वे सार्वजनिक सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करें।

प्रदर्शनकारियों की मांग

- राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा इस्तीफा दें।
- सामाजिक-आर्थिक सुधार लागू हों।
- वर्तमान संविधान में मूलभूत परिवर्तन किया जाए।

नए संविधान की मांग क्यों ?

- राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार पेंशन बढ़ाने, दवाओं की कीमतें कम करने, स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर और सस्ती करने के लिये प्रयास कर रही हैं एवं अन्य कई क्षेत्रों, जैसे रोज़गार, वहनीय कीमत पर बिजली और मूलभूत सुविधाओं के लिये भी कार्य किया जा रहा है किंतु विरोध प्रदर्शनों में कोई कमी नही आई है।
- चिली के लोगों में काफ़ी गुस्सा है, लोग सरकार के छोटे-छोटे वादों पर भी यकीन करने को तैयार नहीं हैं, वे एक मूलभूत परिवर्तन चाहते हैं। लोगों का मानना है कि संविधान में मूलभूत परिवर्तन होने से उन्हें आर्थिक उदारीकरण के बाद उत्पन्न समस्याओं से कुछ राहत मिलेगी। यही कारण है कि वे नए संविधान और राष्ट्रपति के इस्तीफ़े मांग कर रहे हैं।
- सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास की कमी देखी जा रही है क्योंकि जहाँ एक तरफ सरकार ने सुधारों की बात की हैं तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर अब भी सेना तैनात है और प्रदर्शनकारियों का दमन जारी है।

विकासशील देशों के लिये सबक

- आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाने वाले विकासशील देशों के लिये चिली में उपजे वर्तमान हालात एक उदाहरण है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
- विकासशील देशों को अपने देश में आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देते समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि आर्थिक विकास का लाभ सभी वर्गों तक संतुलित तरीके से पहुँचे।
- गत दिनों जारी ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट- 2018 इस बात की ओर इंगित करती है कि भारत में आय असमानता तेज़ी से बढ़ रही है।

नोट :

चिली: एक नज़र में

- चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज़ पर्वतमाला और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है।
- चिली के उत्तर में पेरू, उत्तर-पूर्व में बोलीविया, पूर्व में अर्जेंटीना और दक्षिण छोर पर ड्रेक पैसेज स्थित है।
- चिली दक्षिण अमेरिका के उन दो देशों (दूसरा इक्वाडोर) में से है जिसकी सीमाएँ ब्राजील से नहीं मिलती है।
- विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों में से एक 'अटाकामा रेगिस्तान' उत्तरी चिली में स्थित एक तटीय रेगिस्तान है।
- चिली की राजधानी 'सैंटियागो' चिली के मध्य में स्थित है।
- सैंटियागो शराब उत्पादन के लिये प्रसिद्ध है।
- विश्व का सबसे शुष्क स्थान 'अरिका' उत्तरी चिली में अवस्थित है।
- विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर 'चुक्वीकमाटा' चिली में अवस्थित है ।

अमेरिका का उइगर विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी संसद (United States Congress) के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेज़ेन्टेटिव (House of Representatives) ने उइगर मानवाधिकार नीति अधिनियम, 2019 विधेयक (The Uighur Human Rights Policy Act 2019 Bill) पारित किया। इस विधेयक को अभी ऊपरी सदन सीनेट (Senate) द्वारा पारित होना बाकी है जिसके बाद यह राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिये भेजा जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- इस विधेयक के पारित होने के बाद अमेरिका द्वारा चीन पर, उसके शिनजियांग (Shinxiang) प्रांत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण, कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
- इनमें वरिष्ठ चीनी अधिकारियों तथा चीन को होने वाले निर्यात पर प्रतिबंध भी शामिल है।
- निर्यात संबंधी प्रतिबंधों में मुख्यत: वे वस्तुएँ एवं तकनीकें शामिल होंगी जिनका प्रयोग व्यक्तिगत सर्विलांस, चेहरे तथा आवाज़ की पहचान आदि में किया जाता है।
- इस विधेयक में पहली बार चीन के पोलितब्यूरो (Politburo) के सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। जबकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा यह कहा गया था कि चीन-अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच रहा है।
- इन प्रतिबंधों में चीन के शिनजियांग प्रांत के कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव चेन कुआनगुओ (Chen Quanguo) को विशेष तौर पर शामिल किया गया है। चेन कुआनगुओ चीनी पोलितब्यूरो के सदस्य तथा चीन के शीर्ष नेताओं में से हैं।

विधेयक का चीन-अमेरिका संबंधों पर प्रभाव:

- दोनों देशों के मध्य चल रहे व्यापार युद्ध के कारण इनके आपसी रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। इसी बीच इस विधेयक के पारित होने से यह आशंका जताई जा रही है कि स्थिति और बिगड़ सकती है।
- अमेरिका के इस कदम के प्रत्युत्तर में चीन ने अमेरिकी सेना के जहाज़ों तथा एयरक्राफ्ट को हॉन्गकॉन्ग में जाने से मना कर दिया।
- इसके अलावा कई अमेरिकी अधिकारियों तथा गैर-सरकारी संगठनों पर भी ऐसे ही प्रतिबंध लगाए हैं।
- विश्लेषकों का मानना है कि उइगर विधेयक पर चीन की प्रतिक्रिया अधिक कठोर हो सकती है जिसके द्वारा चीन अमेरिका के राज्य सचिव माइक पोम्पिओ को वीज़ा देने से मना कर सकता है। क्योंकि इन्होंने चीन द्वारा उइगर मुसलमानों के साथ किये गए बर्ताव को 'द स्टेन ऑफ द सेंचुरी' (the stain of the century) कहा है।

नोट :

उइगर मुस्लिम (Uighur Muslim):

- उइगर मुस्लिम चीन के शिनजियांग प्रांत में निवास करने वाले अल्पसंख्यक हैं। उइगर नृजातीय रूप से तुर्की के मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं। शिनजियांग प्रांत में इनकी जनसंख्या तकरीबन 40 प्रतिशत है।
- चीन का मानना है कि यह समुदाय धार्मिक कट्टरता को मानता है तथा आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद को बढ़ावा देने और देश के अंदर घुसपैठियों को शरण देता है।

आधुनिक समय के यातना शिविर (Modern-day Concentration Camps):

- संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के विशेषज्ञों का कहना है कि कम-से-कम 1 मिलियन उइगर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को शिनजियांग प्रांत के शिविरों में नज़रबंद रखा गया है।
- इस तरह के शिविरों में उइगर समुदाय से संबंधित कलाकारों, लेखकों, पत्रकारों तथा विद्यार्थियों को भारी संख्या में नज़रबंद किया गया है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के शक के आधार पर तानाशाही का उपयोग करते हुए उइगर एवं अन्य अल्पसंख्यक समूहों को प्रताड़ित करने के लिये एक 'ऑल आउट' संघर्ष प्रारंभ किया है।
- चीन की इस कार्यवाही पर विशेषज्ञों का कहना है कि ये आधुनिक समय के यातना शिविर हैं जहाँ लाखों की संख्या में लोगों को नज़रबंद किया गया है तथा उन पर अत्याचार किया जा रहा है।
- हालाँकि चीन ने उइगरों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित घटनाओं से इनकार किया है। चीन के अनुसार, वह उइगरों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को इस्लामी चरमपंथ तथा अलगाववाद से बाहर लाने के लिये उनका मतांतरण (Indoctrination) कर रहा है एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Traning) दे रहा है।

नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि

चर्चा में क्यों ?

नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (Strategic Arms Reduction Treaty-START) संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सामरिक हथियारों में कमी लाने तथा उन्हें सीमित करने संबंधी एक संधि है।

प्रमुख बिंदु

- यह संधि 5 फरवरी, 2011 को लागू हुई थी।
- यह नई स्टार्ट संधि शीत युद्ध के अंत में वर्ष 1991 में हुई स्टार्ट संधि की अनुवर्ती है। 1991 की संधि दोनों पक्षों के लिये रणनीतिक परमाणु वितरण वाहन की संख्या को 1,600 और वारहेड्स की संख्या को 6,000 तक सीमित करती हैं।
- यह 700 रणनीतिक लॉन्चर और 1,550 ऑपरेशनल वारहेड्स की मात्रा को दोनों पक्षों के लिये सीमित कर, अमेरिकी और रूसी रणनीतिक परमाणु शस्त्रागार को कम करने की द्विपक्षीय प्रक्रिया को जारी रखती है।
- यदि इस संधि को पाँच वर्ष की अवधि के लिये विस्तारित नहीं किया जाता है तो यह संधि फरवरी 2021 में व्यपगत हो जाएगी।

मध्यम-दूरी परमाणु बल (Intermediate-Range Nuclear Forces-INF)

- INF संधि पर शीत युद्ध के दौरान हस्ताक्षर किये गए थे।
- वर्ष 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षरित यह एक परमाणु हथियार-नियंत्रण समझौता था। इसके तहत दोनों देशों ने परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम मध्यम और कम दूरी की भूमि आधारित मिसाइलों को नष्ट करने पर सहमति जताई थी।
- संयुक्त राज्य अमेरिका अगस्त 2019 में इस संधि से पीछे हट गया था।

नोट:

- 'आक्रामक शस्त्र' शब्द रणनीतिक परमाणु वितरण वाहन (SNDV) द्वारा तैनात परमाणु हथियारों के लिये इस्तेमाल किया जाता है।
- रणनीतिक बमवर्षक, युद्धपोतों (रणनीतिक पनडुब्बियों सहित) और क्रूज मिसाइलों सहित हवा एवं समुद्र में लॉन्च की गई क्रूज मिसाइलें तथा 5,500 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBMs) को SNDV में शामिल किया जाता है।

नोट :

भारत सरकार और ADB के बीच समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank-ADB) और भारत सरकार ने तमिलनाडु के चुने हुए शहरों में पानी की आपूर्ति और सीवरेज के बुनियादी ढाँचे को विकसित करने तथा शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies-ULB) की क्षमताओं को मज़बूत करने के लिये 206 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु:

- यह तमिलनाडु अर्बन फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (Tamilnadu Urban Flagship Investment Programme) के तहत ADB समर्थित 500 मिलियन डॉलर मल्टी-ट्रेंच वित्तपोषण के लिये दिया गया दूसरा परियोजना ऋण है।
- इसके अंतर्गत तमिलनाडु के कुल 10 शहरों में पानी की आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी के बुनियादी ढाँचे का विकास किया जाएगा।
- वर्तमान समय में पहली परियोजना 169 मिलियन डॉलर के वित्तपोषण के साथ क्रियान्वयित है।
- इस परियोजना का लक्ष्य तमिलनाडु के चुने हुए शहरों में लोगों का जीवन स्तर सुधारना है।
- इस परियोजना से राज्य के निवासियों, श्रमिकों और उद्योगों को आर्थिक लाभ होगा, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और रोज़गारों का सृजन भी होगा।
- यह परियोजना चार शहरों अम्बुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुप्पुर और वेल्लोर को सीवेज उपचार एवं जल निकासी प्रणाली विकसित करने के लिये लक्षित करेगी।
- मदुरई और तिरुप्पुर शहरों में जल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार को लक्षित किया जाएगा।

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank- ADB)

- ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को की गई थी।
- 1 जनवरी, 1967 को इस बैंक ने पूरी तरह से काम करना शुरू किया था।
- इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करना था।
- इसकी अध्यक्षता जापान द्वारा की जाती है।
- इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है।
- इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है।
- वर्ष 2019 में निउए (Niue) को इस समूह में शामिल किया गया।

भारत मॉरिशस संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मॉरिशस में हुए आम चुनावों में प्रधानमंत्री प्रविंद जगनाथ को दोबारा जीत मिली तथा जीत के बाद वे भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। ऐसे में भारत को मॉरिशस को लेकर अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के साथ ही दोनों देशों को साथ मिलकर परस्पर विकास की नई संभावनाओं की तलाश करनी चाहिये।

मुख्य बिंदु:

- भारत ने एक लंबे समय तक मॉरिशस को भारतीय मूल के प्रवासियों (Diaspora) के संदर्भ में ही देखा है जिनकी संख्या इस देश में अधिक है।
- विगत कुछ वर्षों में भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर में बसे इस द्वीपीय देश को सामरिक दृष्टि से महत्त्व देना प्रारंभ किया है।
- वर्ष 2015 में अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने महत्त्वाकांक्षी नीति सागर (Security and Growth for All-SAGAR) की शुरुआत की। यह पिछले कई दशकों में भारत द्वारा हिंद महासागर में किया गया एक महत्त्वपूर्ण प्रयास था।

नोट :

- भारत के लिये मॉरिशस में सामरिक दृष्टिकोण से अपार संभावनाएँ निहित हैं तथा दोनों देशों की साझेदारी गन्ने के बागान, वित्तीय सेवाएँ तथा तकनीकी नवाचारों से कहीं आगे जा सकती है।
- अफ्रीकी संघ (African Union), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association) तथा हिंद महासागर आयोग (Indian Ocean Commission) का सदस्य होने के कारण इसकी भूमिका न सिर्फ सैन्य बल्कि भौगोलिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है।

ऐतिहासिक दृष्टि से मॉरिशस का महत्त्व

- प्रारंभिक यूरोपीय अन्वेषकों ने अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर होते हुए भारत जाने का रास्ता खोजा। इस यात्रा के दौरान उन्होंने इस द्वीप का नाम मॉरिशस रखा और इसे हिंद महासागर का तारा और चाबी (Star and Key of the Indian Ocean) कहा।
- हालाँकि पुर्तगाली तथा डच यहाँ पहले पहुँचे लेकिन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में फ्राँसीसियों ने इस पर स्थायी नियंत्रण हासिल किया।
- फ्राँसीसियों ने यहाँ गन्ने के बागान विकसित किये, जहाज़ों का निर्माण प्रारंभ किया तथा नौसैनिक अड्डा बनाया। तत्कालीन फ्राँसीसियों ने मॉरिशस को विश्व के प्रत्येक स्थान को जोड़ने वाला भौगोलिक केंद्र कहा।
- नेपोलियनकालीन युद्धों (Napoleonic Wars) के समय इस पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इसके बाद इसे सैन्य अड्डे के रूप में विकसित किया गया जिसने अंग्रेज़ों के लिये भारत-यूरोप की संचार रेखा की रक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इस देश की भौगोलिक स्थिति की उपयोगिता इस बात से समझी जा सकती है कि डिएगो ग्रेसिया (Diego Grecia), जो एक समय में मॉरिशस का हिस्सा था, वर्तमान में विदेश में स्थित अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है।

भारत-मॉरिशस संबंधों का भविष्य:

- आगामी समय में अफ्रीका में बाज़ार तथा निवेश बढ़ने के आसार हैं। इस स्थिति में भारत की अफ्रीका में पहुँच सुनिश्चित करने में मॉरिशस की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
- अभी तक भारत ने हिंद महासागर के वनिला द्वीपों (Vanilla Islands)- कोमोरोस, मेडागास्कर मॉरिशस, सेशेल्स, रीयूनियन द्वीप के साथ द्विपक्षीय आधार पर ही बातचीत की है। यदि भारत उन्हें संयुक्त रूप से एकत्रित करने की कोशिश करता है तो भारत की इस नीति में मॉरिशस की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।
- मॉरिशस दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में भारत की अनेकों वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे-बैंकिंग, हवाई यातायात तथा पर्यटन आदि को बढ़ावा देने के लिये सेवा प्रदाता हो सकता है।
- भारत मॉरिशस को तकनीकी नवाचार केंद्र के रूप में विकास करने में मददगार साबित हो सकता है। अभी तक भारत ने मॉरिशस की शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के लिये कोई विशेष कार्य नहीं किया है।
- जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, ब्लू इकॉनमी (Blue Economy) तथा सामुद्रिक शोध को बढ़ावा देने के लिये मॉरिशस, भारत का एक अहम साझेदार हो सकता है।
- दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से मॉरिशस की भूमिका केंद्र में होगी जिससे दोनों देश अन्य सभी द्वीपीय देशों के हितों की रक्षा करने में सहायक होंगे।

फिलिस्तीन-भारत टेक्नो पार्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन-भारत टेक्नो पार्क (Palestine-India Techno Park) के निर्माण के लिये 3 मिलियन डॉलर की तीसरी किश्त जारी की है।

मुख्य बिंदु:

- भारत ने फिलिस्तीन में बुनियादी ढाँचे से संबंधित क्षमता निर्माण के लिये कुल 12 मिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।
- भारत सरकार इस राशि का अर्द्ध आधार पर भुगतान करेगी।

नोट :

- वर्ष 2017 में इस पार्क को 'इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंस पार्क्स एंड एरिया ऑफ इनोवेशन' (International Association of Science Parks and Areas of Innovation- IASP) के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था।

फिलिस्तीन-भारत टेक्नो पार्क के बारे में (Palestine-India Techno Park):

- टेक्नो पार्क के माध्यम से ज्ञान आधारित और रचनात्मक उद्यमों के साथ-साथ स्थानीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर टेक्नो क्लस्टर्स (Techno Clusters) का निर्माण किया जाता है जिससे राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक वातावरण और संस्कृति का निर्माण होता है।
- टेक्नो पार्क का उद्देश्य उद्योगों के लिये सुलभ वातावरण की स्थापना करना, व्यावसायीकरण और औद्योगीकरण की प्रक्रिया का समर्थन करना तथा निजी क्षेत्र एवं शोध-शिक्षण क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित करना है।
- फिलिस्तीन-भारत टेक्नो पार्क का निर्माण फिलिस्तीन स्थित 'बिर्ज़ित यूनिवर्सिटी' (Birzeit University) के पास किया जाएगा।
- निर्माण के बाद यह पार्क फिलिस्तीन में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के एक हब (Information Technology Hub) के रूप में कार्य करेगा। इस हब के माध्यम से IT क्षेत्र से संबंधित सभी सेवाओं का वन स्टॉप समाधान उपलब्ध कराया जाएगा।

भारत-फिलिस्तीन संबंध:

- वर्ष 1938 में महात्मा गांधी ने जर्मनी में यहूदियों के उत्पीड़न के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा था कि "फिलिस्तीन अरबों से उसी अर्थ में संबंधित है जैसे इंग्लैंड अंग्रेज़ों के लिये या फ्राँस फ्रांसीसियों के लिये है।"
- वर्ष 1974 में भारत 'फिलिस्तीन मुक्ति संगठन' (Palestine Liberation Organisation) को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब राज्य बन गया।
- वर्ष 1988 में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद भारत फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने वाले शुरूआती देशों में से एक था।
- उस समय भारत ने एक स्वतंत्र, संप्रभु तथा संगठित फिलिस्तीन के निर्माण के लिये अपना समर्थन बनाए रखा जिसकी राजधानी पूर्वी येरुशलम थी।
- वर्ष 1996 में भारत ने गाज़ा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला जिसे वर्ष 2003 में रामल्ला (Ramallah) में स्थानांतरित कर दिया गया।
- वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन की यात्रा की जो कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई प्रथम फिलिस्तीनी यात्रा थी।
- भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और फिलिस्तीन के मध्य लगभग 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है जो कि ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स (Automotive Spare Parts), मेडिकल टूरिज़्म (Medical Tourism), कृषि उत्पादों, टेक्सटाइल्स (Textiles), कृषि रसायन तथा फार्मास्यूटिकल्स (Pharmaceuticals) क्षेत्र में संचालित होता है।

हिंद महासागर रिम कूटनीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अबुधाबी में आयोजित 19वें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association-IORA) के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने हिंद महासागर से जुड़े तटीय देशों से समुद्री और क्षेत्रीय सुरक्षा हेतु गहरे संबंधों की मांग की है।

मुख्य बिंदु:

- IORA के इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश की सुविधा, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान -प्रदान, ब्लू इकोनॉमी तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इस सम्मलेन की थीम- "हिंद महासागर में एक साझी नियति और समृद्धि की राह को प्रोत्साहन (Promoting a Shared Destiny and Path to Prosperity in the Indian Ocean)" है।

भारत और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन:

- इस सम्मेलन का अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात एवं उपाध्यक्ष बांग्लादेश है और ये दोनों देश भारत के महत्त्वपूर्ण साझेदारों में हैं जिससे यह सम्मेलन भारत के लिये महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

नोट :

- भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में होर्मुज जलडमरूमध्य एवं फारस की खाड़ी रणनीतिक भूमिका निभाते हैं।
- देश की लगभग 80 % ऊर्जा आवश्यकताओं को समुद्री रास्ते से पूरा किया जाता है और इसमें भी लगभग 55 % फारस की खाड़ी क्षेत्र से पूरी होती हैं।
- वर्ष 2015 में अपनी मॉरीशस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने महत्त्वाकांक्षी नीति 'सागर' (Security and Growth for All-SAGAR) की शुरुआत की।
- IORA के उद्देश्य भारत के 'SAGAR' (हिंदमहासागरीय क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा एवं संवृद्धि) नीति के उद्देश्यों के अनुरूप हैं, अत: अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिये भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में और उसके बाहर भी एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में ज़िम्मेदारी मिली हुई है ।
- हिंदमहासागरीय क्षेत्र अवसरों और अमूर्त खतरों का भी एक क्षेत्र है। भारत पहले ही 20 देशों के साथ व्हाइट शिपिंग समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुका है, यह समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- इस क्षेत्र में सुनामी, मानव तस्करी और समुद्रपारीय आतंकवाद जैसे अमूर्त खतरे चिंता का विषय है जिन्हें IORA में शामिल किया गया हैं।

व्हाइट शिपिंग (White Shipping):

- व्हाइट शिपिंग का मतलब गैर-सैन्य वाणिज्यिक जहाज़ों की पहचान और आवाजाही के बारे में अग्रिम सूचनाओं को साझा करना और आदान-प्रदान करना है।
- सफेद रंग का कोड वाणिज्यिक जहाज़ों के लिये है, भूरा रंग कोड सैन्य जहाज़ों के लिये है और अवैध जहाज़ों को काले रंग के कोड से दर्शाया जाता है।
- व्हाइट शिपिंग समझौते के बाद, सफेद जहाज़ों के बारे में आपसी डेटा साझा किया जाता है। भारतीय नौसेना का सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (गुरुग्राम) व्हाइट शिपिंग समझौते के लिये मॉडल केंद्र है।
- भारत इस क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिये IORA के सदस्य देशों सहित सोमालिया, ओमान और अन्य वाणिज्यिक मत्स्य क्षेत्र में अपने कौशल को साझा कर रहा है।
- भारत मालदीव, श्रीलंका, सेशेल्स और बांग्लादेश आदि देशों के साथ मज़बूत समुद्री संबंधों को बढ़ावा देकर अपने सूचना तंत्र को विकसित कर रहा है।
- IORA भारत के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है यही वजह है कि न केवल तटीय देशों बल्कि इस क्षेत्र में अन्य देशों के साथ भी भारत अपने संबंधों को मज़बूत करने के लिये प्रयासरत है।

संयुक्त अरब अमीरात और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन :

- संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2021 तक IORA के अध्यक्ष पद पर बना रहेगा इससे पहले यह पद दक्षिण अफ्रीका के पास था।
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की अध्यक्षता में इस सम्मेलन में सुझाव दिया गया है कि एक IORA विकास कोष (IORA Development Fund) की स्थापना की जाएगी। इसके फंड से हिंद महासागर रिम के कम विकसित देशों की आर्थिक क्षमता को सुधारने में मदद मिलेगी।
- IORA के अनुसार-
  1. लगभग 2.7 बिलियन लोग हिंद महासागर की सीमा वाले देशों में रहते हैं।
  2. दुनिया के कंटेनर जहाज़ों का आधा हिस्सा, विश्व के थोक माल यातायात का एक-तिहाई और विश्व तेल यातायात का दो-तिहाई हिस्सा हिंद महासागर में समुद्री व्यापार मार्गों से होकर जाता है।

बांग्लादेश के लिये एक महत्त्वपूर्ण अवसर :

- बांग्लादेश दो साल के लिये इस क्षेत्रीय संगठन के उपाध्यक्ष के पद पर रहेगा और संभवत: 2021 में अध्यक्ष पद भी संभालेगा जिस पर वह 2 साल तक रहेगा इस प्रकार बांग्लादेश को हिंद महासागर क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये लगातार चार वर्ष का समय (2019-23) मिलेगा।

नोट :

पोर्ट्स ऑफ कॉल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय नौपरिवहन समझौते के अंतर्गत बांग्लादेश के मोंगला तथा चटगाँव बंदरगाह को 'पोर्ट्स ऑफ कॉल' (Ports of Call) घोषित किया गया है।

पोर्ट्स ऑफ कॉल के बारे में

पोर्ट्स ऑफ कॉल का आशय ऐसे बंदरगाह से है जिसका प्रयोग मालवाहक या यात्री (क्रूज) जहाज़ द्वारा सामान और यात्रियों को उतारने तथा चढ़ाने के लिये किया जाता है। ऐसे बंदरगाहों का प्रयोग जलपोतों द्वारा ईंधन की आपूर्ति के लिये भी किया जाता है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मोंगला बंदरगाह को अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल (Protocol on Inland Water Transit and Trade- PIWT&T) के तहत 'पोर्ट ऑफ कॉल' घोषित किया गया है परंतु चटगाँव बंदरगाह को PIWT&T के अंतर्गत पोर्ट ऑफ कॉल घोषित नहीं किया गया है।
- भारत और बांग्लादेश द्वारा सामान लाने और ले जाने के लिये मोंगला तथा चटगाँव बंदरगाह के उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन तथा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

भारत और बांग्लादेश में वर्तमान में स्थित पोर्ट ऑफ कॉल:

- भारत और बांग्लादेश में वर्तमान में अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल के अंतर्गत निम्न बंदरगाह 'पोर्ट ऑफ कॉल' के रूप में शामिल हैं-

भारत	बांग्लादेश
कोलकाता	नारायणगंज
हल्दिया	खुलना
पांडू	मोंगला
करीमगंज	सिराजगंज
सिलघट	आशूगंज
धुबरी	पनगाँव

WTO अपीलीय निकाय

चर्चा में क्यों ?

विश्व व्यापार संगठन के सात सदस्यीय अपीलीय निकाय में शेष 3 सदस्यों में से 2 का कार्यकाल समाप्त होने से निकाय का अस्तित्व समाप्ति के कगार पर है।

विवाद:

- पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल पूरा कर चुके सदस्यों की पुन: नियुक्ति का मार्ग अवरुद्ध कर रखा है।
- फलस्वरूप 7 सदस्यीय निकाय में केवल 3 सदस्य शेष हैं, जिनमें से 2 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होने को है।
- एक अपील की सुनवाई के लिये कम-से-कम 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है, यदि नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाती है तो निकाय की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी।

नोट :

- अमेरिका का मत है कि विश्व व्यापार संगठन का व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहा है।
- अमेरिका के मतानुसार, संगठन ने अमरीकी श्रमिकों की समस्याओं को अनदेखा किया और चीनी अर्थव्यवस्था को अनुचित तरीके से बढ़ावा दिया है।

भारत के संदर्भ में:

- सदस्यों की कमी के कारण अपीलीय निकाय 2 से 3 महीने के भीतर निर्णय देने की अपनी समय-सीमा को पूरा करने में असमर्थ रहा।
- भारत अब तक 54 विवादों में प्रत्यक्ष भागीदार रहा है और 158 मामलों में तीसरे पक्ष के रूप में शामिल रहा है।
- फरवरी 2019 में निकाय ने कहा कि वह जापान और भारत के बीच एक विवाद में भारत द्वारा लोहे और इस्पात उत्पादों के आयात पर लगाए गए सुरक्षा मानकों पर अमल करने में असमर्थ होगा।
- निकाय अभी तक जुलाई 2018 से दायर की गई कम से कम 10 अपीलों की समीक्षा करने में असमर्थ रहा है।

संकट का विषय:

- वर्ष 1995 में WTO अपीलीय निकाय की स्थापना हुई थी, तब से 500 से ज़्यादा मामलों की सुनवाई की जा चुकी है, इसके साथ ही 350 से अधिक मामलों को सुलझाया गया है।
- निकाय के निष्क्रिय होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी मुद्दों के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच की समाप्ति हो जाएगी।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देशों के पास अपील के लिये अन्य कोई मार्ग नहीं है।
- यह भारत के लिये अच्छा नहीं है, जो कि विवाद के कई मामलों का सामना कर रहा है, खासकर कृषि उत्पादों पर।
  - हाल ही में भारत के चीनी और गन्ना उत्पादों के लिये समर्थन उपायों के खिलाफ चार मामलों को WTO में लाया गया है।

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation):

- विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में मराकेश संधि के तहत की गई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं।
- 29 जुलाई, 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वाँ सदस्य बना था।
- सदस्य देशों का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इसके निर्णयों के लिये सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित की जाती है।

लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा एवं विदेश सचिवों की बैठक का आयोजन किया गया, इसके चलते दोंनों देश पारस्परिक 'लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट' (Logistics Support Agreement- LSA) को क्रियान्वित करने के और करीब आ गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- इस समझौते से संबंधित आगे की वार्ता ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की आगामी भारत यात्रा (13-16 जनवरी) के दौरान होगी। इस दौरे के अंतर्गत वह मुंबई, नई दिल्ली तथा बंगलुरु शहर का भ्रमण करेंगे।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस प्रकार की पहली 'टू प्लस टू' वार्ता का आयोजन वर्ष 2017 में हुआ था।
- इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने अपने रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य की व्यापक समीक्षा की।

'लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट' (Logistics Support Agreement):

- यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के सैन्य रसद के उपयोग की अनुमति देगा, जिसके अंतर्गत दोंनों देशों के सैनिक आपस में भोजन, पानी और पेट्रोलियम जैसी सुविधाओं का आदान-प्रदान कर सकेंगे।
- यह समझौता चीन के सैन्य विस्तार और आर्थिक प्रभाव को देखते हुए दोनों देशों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण होगा।

नोट :

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंध (India-Australia Defence Relations):

- रक्षा क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक साझा चिंता चीन को लेकर है। जहाँ ऑस्ट्रेलिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की उपस्थिति से चिंतित है, तो वहीं भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों से चिंतित है।
- वर्ष 2019 के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय नौसेनाओं ने दो सप्ताह तक चलने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास AUSINDEX में भाग लिया था।
- इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना तथा रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (Royal Australian Navy-RAN) के बीच आपसी सहयोग एवं पारस्परिकता को बढ़ाने के लिये तथा कर्मचारियों को आपस में अपने पेशेवर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करने के लिये किया गया था।
- वर्ष 2016-18 तक दोनों देशों की सेनाओं ने संयुक्त सैन्याभ्यास 'ऑस्ट्रा-हिंद' (AUSTRA-HIND) संचालित किया था।
- यह महत्त्वपूर्ण है कि वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति के श्वेत-पत्र में भारत को अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, चीन के साथ अग्रिम पंक्ति के अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के रूप में पहचाना गया।
- चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिये 'क्वाड' (QUAD) की संकल्पना वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा की गई थी।

अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill- CAB) संसद में पारित हुआ। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (United States Commission on International Religious Freedom-US-CIRF) ने इस विधेयक के पारित होने पर चिंता व्यक्त की।

"USCIRF के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर US-CIRF द्वारा दिया गया बयान न तो सही है और न ही आवश्यक है।"

USCIRF के बारे में:

- USCIRF एक सलाहकार और परामर्शदात्री निकाय है, जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर अमेरिकी कॉन्ग्रेस और प्रशासन को सलाह देता है।
- USCIRF स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (International Religious Freedom Act-IRFA) द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र, द्विदलीय अमेरिकी संघीय आयोग के रूप में वर्णित करता है।
- हालाँकि USCIRF के कार्यान्वयन में वैचारिक प्रभाव बहुत कम है, लेकिन यह अमेरिकी सरकार की दो शाखाओं विधायिका और कार्यपालिका के लिये विवेक-रक्षक (Conscience-Keeper) के रूप में कार्य करता है।
- अक्सर यह अधिकतमवादी या अतिवादी (Maximalist or Extreme) का स्थान लेता है और नागरिक समाज समूहों द्वारा इसका उपयोग अमेरिकी कॉन्ग्रेस के सदस्यों तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिये किया जाता है।

IRFA क्या है ?

- अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1998, 105वीं अमेरिकी कॉन्ग्रेस (1997-99) द्वारा पारित किया गया था और 27 अक्तूबर, 1998 को तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के साथ ही कानून के रूप में लागू हुआ। यह विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के संदर्भ में अमेरिका द्वारा व्यक्त चिंताओं का विवरण है।
- अधिनियम पूर्ण शीर्षक के अनुसार, यह अधिनियम निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये है:
  - "संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को सम्मान के साथ व्यक्त करने और संयुक्त राज्य अमेरिकी पक्ष का मज़बूती से समर्थन करने के लिये।
  - विदेशों में धर्म के आधार पर सताए गए व्यक्तियों के लिये।

नोट :

- विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के जवाब में संयुक्त राज्य की कार्रवाई को अधिकृत करने के लिये।
- डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिये राजदूत नियुक्त करने के लिये।
- अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर एक आयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के भीतर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर विशेष सलाहकार नियुक्त करने तथा अन्य उद्देश्यों के लिये।

USCIRF के कार्य

- USCIRF वैश्विक स्तर पर (संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर) धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निगरानी के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग करने के लिये आज्ञापित (Mandated) है और अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री तथा कॉन्ग्रेस को नीतियाँ बनाने की सिफारिश करता है।
- USCIRF के आयुक्तों को दोनों राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और कॉन्ग्रेस नेताओं द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- चूँकि USCIRF डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से अलग है, इसलिये अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिये विभाग का एम्बेसडर एट लार्ज (Ambassador-at-Large) एक पदेन आयुक्त होता है जिसे मत देने का अधिकार नहीं होता।
- एक पेशेवर, गैर-पक्षपातपूर्ण कर्मचारी USCIRF के काम का समर्थन करता है।

USCIRF की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ:

- प्रत्येक वर्ष 1 मई तक की एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करना, जिसमें अमेरिकी सरकार द्वारा IRFA के कार्यान्वयन का आकलन किया जाता है।
- विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करना।
- कॉन्ग्रेस के कार्यालयों के साथ काम करके, धार्मिक मुद्दों से जुड़ी सुनवाई के दौरान गवाही और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों की ब्रीफिंग में कॉन्ग्रेस को शामिल कर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना।
- नीतिगत निर्देश, प्रेस विज्ञप्ति, विचारों-आलेखों और पत्रिकाओं में लेख के साथ रिपोर्ट करना।
- संयुक्त राष्ट्र, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (Organization for Security and Cooperation in Europe- OSCE), यूरोपीय संघ और दुनिया भर के सांसदों के साथ धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता से संबंधित बैठकों में बहुपक्षीय रूप से संलग्न होना।

USCIRF के अनुसार "धार्मिक स्वतंत्रता"

- USCIRF के अनुसार, "धार्मिक स्वतंत्रता एक महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार है जिसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। धर्म या आस्था की स्वतंत्रता एक व्यापक अधिकार है जिसमें विचार, विवेक की स्वतंत्रता के साथ-साथ अभिव्यक्ति, संघ और समागम की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। इस स्वतंत्रता को बढ़ावा देना अमेरिकी विदेश नीति का एक आवश्यक घटक है"।

पूर्व में USCIRF द्वारा उठाए गए भारत से संबंधित मुद्दे

- अगस्त 2019 में USCIRF ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ भी एक बयान जारी कर कहा था कि NRC का मुद्दा पूर्वोत्तर भारत में एक विशिष्ट समुदाय के लिये संभवत: नकारात्मक और भय का माहौल बना रहा है।
- जून 2019 में भारतीय राज्य झारखंड में एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग की भी USCIRF ने आलोचना की थी।
- जुलाई 2008 में जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को न्यू जर्सी में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया था तब इसने गुजरात के मुख्यमंत्री को पर्यटक वीज़ा न देने (गुजरात दंगों के कारण) का आग्रह किया था।

वैश्विक शरणार्थी मंच

चर्चा में क्यों ?

17-18 दिसंबर, 2019 को वैश्विक शरणार्थी मंच (Global Refugee Forum) की पहली बैठक का आयोजन जिनेवा में हो रहा है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तईप एर्दोगन तथा कोस्टारिका, इथियोपिया और जर्मनी के नेताओं को शरणार्थियों की सुरक्षा एवं भलाई के संदर्भ में उनकी अनुकरणीय भूमिका के लिये मंच के सह-संयोजक के रूप में आमंत्रित किया गया है।
- 21वीं सदी में शरणार्थियों पर पहली बड़ी बैठक के रूप में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees- UNHCR), संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी एवं स्विट्ज़रलैंड की सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 17-18 दिसंबर, 2019 को जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है।

पाकिस्तान का पक्ष:

- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर गंभीर और अनुचित टिप्पणी करके अपने संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे का परिचय दिया।
- पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत के NRC मुद्दे की तुलना म्याँमार के रोहिंग्या संकट से की तथा कश्मीर के मुद्दे पर विश्व से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
- इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कश्मीर मुद्दे और नागरिकता संशोधन अधिनियम के संदर्भ में भारत की आलोचना की।
- पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों का उद्देश्य कश्मीर में मुस्लिमों को बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक में बदलना है।

भारत का पक्ष:

- भारत ने पाकिस्तान को अपने देश में अल्पसंख्यकों की देखभाल करने तथा उन्हें पीड़ित न करने की सलाह दी।
- पिछले 72 वर्षों में पाकिस्तान ने अपने सभी अल्पसंख्यकों को लगातार प्रताड़ित किया है, जिसमें से अधिकांश को भारत का रुख करना पड़ा।
- भारत ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत बुरे तरीके से बर्ताव किया था।

वैश्विक शरणार्थी मंच के बारे में:

- वैश्विक शरणार्थी मंच अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों के सिद्धांत को ठोस कार्रवाई के रूप में बदलने का अवसर प्रदान करने के लिये 'वैश्विक शरणार्थी समझौते' (Global Compact on Refugees) द्वारा निर्देशित एक मंच है।
- यह मंच विभिन्न देशों के मध्य शरणार्थियों की समस्या के निदान के लिये प्रभावशाली योगदानों तथा प्रतिज्ञाओं को प्रस्तुत करता है और पूर्व में किये गए अच्छे कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- यह UNHRC द्वारा प्रबंधित एक मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटाकर 'वैश्विक शरणार्थी समझौते' के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है तथा विभिन्न देशों के समर्थन के आधार को व्यापक बनाता है।

भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत-बांग्लादेश के बीच होने वाली संयुक्त नदी आयोग (Joint River Commission- JRC) की बैठक को बांग्लादेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। यह बैठक भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित फेनी नदी के जल के बँटवारे से संबंधित थी।

मुख्य बिंदु:

- भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियाँ साझा करते हैं। ध्यातव्य है कि इस विषय पर एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग (JRC) है जो दोनों देशों के मध्य स्थित नदियों से परस्पर लाभ प्राप्त करने तथा समय-समय पर नदी संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिये बैठकें करता है।
- अक्तूबर 2019 में दोनों देशों के मध्य JRC की बैठक हुई जिसमें दोनों देशों के जल संसाधन सचिव शामिल हुए। इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच स्थित सात नदियों- मनु, मुहुरी, खोवाई, गुमटी, धरला, दूधकुमार तथा फेनी के जल संबंधी आँकड़े एकत्रित करने और जल-साझेदारी से संबंधित समझौतों पर सहमति हुई।

नोट :

- नवंबर, 2019 में दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ था। इसके तहत भारत फेनी नदी के 1.82 क्यूसेक (क्यूबिक फीट प्रति सेकंड) जल को त्रिपुरा के सबरूम शहर में पेय जल मुहैया कराने के लिये प्रयोग में ला सकता है।
- उपरोक्त समझौतों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से 18 दिसंबर 2019 को दोनों देशों के मध्य JRC की बैठक होना तय किया गया था।

फेनी नदी विवाद (Feni River Dispute):

- यह नदी भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। इसका उद्गम दक्षिणी त्रिपुरा ज़िले में स्थित है।
- यह नदी त्रिपुरा के सबरूम शहर से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- इस नदी के जल के बँटवारे का विवाद काफी समय से लंबित है। वर्ष 1958 में इसके लिये नई दिल्ली में सचिव स्तर की बैठक हुई थी।
- बांग्लादेश की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि फेनी नदी का पानी काफी समय से भारत की ओर से पंपों द्वारा निकला जाता है।
- सबरूम त्रिपुरा के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक शहर है। यह शहर पेयजल की समस्या से ग्रस्त है तथा इस क्षेत्र के भू-जल में लौह तत्त्व अत्यधिक मात्रा में मौजूद है।
- त्रिपुरा के जल संसाधन विभाग के अनुसार, बांग्लादेश द्वारा आपत्ति व्यक्त किये जाने के बाद फेनी नदी से जुड़ी 14 परियोजनाएँ वर्ष 2003 से ही रुकी हुई हैं जिसके कारण इस क्षेत्र के गाँवों में सिंचाई प्रभावित हो रही है।

संयुक्त नदी आयोग (Joint River Commission-JRC):

- इस आयोग की स्थापना वर्ष 1972 में इंडो-बांग्लादेश शांति संधि के तहत दोनों देशों के मध्य स्थित नदियों के जल के बँटवारे हेतु की गई थी।
- इसका उद्देश्य था कि परस्पर सहयोग द्वारा दोनों देशों के मध्य पड़ने वाली नदियों के जल का अधिकतम उपयोग किया जा सके।
- JRC के प्रमुख दोनों देशों के जल संसाधन मंत्री होते हैं।

भारत-अमेरिका 'टू प्लस टू वार्ता'

चर्चा में क्यों ?

18 दिसंबर, 2019 को भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच वाशिंगटन में 'टू प्लस टू वार्ता' (2+2 Dialogue) हुई।

मुख्य बिंदु:

- वाशिंगटन में भारत-अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के नेतृत्त्व में 'टू प्लस टू वार्ता' संपन्न हुई।
- इस वार्ता में दोनों पक्षों ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में बढती साझेदारी को सकारात्मक रुप से स्वीकार किया और कहा कि सितंबर 2018 में दिल्ली में आयोजित पहली 'टू प्लस टू वार्ता' के बाद दोंनों देशों के बीच संबंधों में मज़बूती आई है।

'टू प्लस टू वार्ता' में चर्चा में रहे कुछ प्रमुख विषय:

- इस वार्ता में एक तरफ जहाँ हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में संबंध प्रगाढ़ बनाने को लेकर स्पष्टता देखी गई वहीं अमेरिका की निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों द्वारा भारत में अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण की राह में एक बड़ी अड़चन समाप्त हो गई है। दोनों देशों ने इसके लिये 'इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स' (Industrial Security Annex) नामक समझौते को मंज़ूरी दी है।

इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स (Industrial Security Annex-ISA):

- यह समझौता भारत में निवेश करने वाली अमेरिकी रक्षा कंपनियों के हितों की रक्षा करने की गारंटी देता है।
- यह समझौता अमेरिकी सरकार और अमेरिकी कंपनियों को भारतीय निजी क्षेत्र के साथ गोपनीय जानकारी साझा करने की अनुमति देता है, जो अब तक भारत सरकार और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों तक सीमित है।
- भारतीय उद्योग रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश किये जाने की आवश्यकता है, इसलिये ISA भारत के लिये विशेष रूप से आवश्यक है।
- रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल कार्यक्रम (Defence Technology and Trade Initiative-DTTI) के तहत रक्षा व्यापार के क्षेत्र में निष्पादित की जाने वाले प्राथमिकता पहलों की पहचान की गई।

नोट :

- अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने भारत को अपना लोकतांत्रिक मित्र बताते हुए आतंकवाद से अमेरिका तथा भारत के लोगों की सुरक्षा किये जाने की बात कही और भारत को पाकिस्तान प्रायोजित तथा अन्य प्रायोजित आतंकवाद को समाप्त करने में समर्थन देने का आश्वासन दिया।
- भारत और अमेरिका की तीनों सेनाओं के बीच नवंबर 2019 में 'टाइगर ट्राइंफ' (Tiger Triumph) नामक युध्दाभ्यास का आयोजन किया गया जो अब वार्षिक रूप से आयोजित किया जाएगा।

क्या है 'टू प्लस टू वार्ता'?

- 'टू प्लस टू वार्ता' एक ऐसी मंत्रिस्तरीय वार्ता होती है जो दो देशों के दो मंत्रालयों के मध्य आयोजित की जाती है।
- भारत और अमेरिका के बीच 'टू प्लस टू वार्ता' दोनों देशों के मध्य एक उच्चतम स्तर का संस्थागत तंत्र है जो भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा के लिये मंच प्रदान करता है।
- भारत और अमेरिका के बीच आयोजित यह दूसरी 'टू प्लस टू वार्ता' है तथा अमेरिका में आयोजित पहली 'टू प्लस टू वार्ता' है।

भारत को लाभ:

भारत और अमेरिका के बीच 'टू प्लस टू वार्ता' के आयोजन से भारत को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे-

- भारत और अमेरिका के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक एवं रणनीतिक सहयोग से हिंद महासागर में बढ़ते चीन के सैन्य प्रभुत्त्व को प्रतिसंतुलित करने में भारत सक्षम होगा।
- भारत और अमेरिका के बीच संपन्न 'इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स' के माध्यम से भारत के रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण में अड़चनें समाप्त होंगी जिससे भारतीय सेनाओं के पास हथियार एवं अन्य सैन्य उपकरणों के भंडार में वृद्धि होगी जो कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद तथा पड़ोसी देशों की अस्थिर गतिविधियों से भारत की रक्षा करने के लिये अत्यंत आवश्यक है।
- इस समझौते के माध्यम से रक्षा एवं उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत-अमेरिका व्यापार तथा तकनीकी सहयोग को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।
- अमेरिका द्वारा आतंकवाद की समाप्ति के लिये भारत का समर्थन किये जाने से भारत में सीमा पार आतंकवाद में कमी आएगी।

यातना के विरुद्ध यू.एन. कन्वेंशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने 'यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार या सजा के विरुद्ध यू.एन. कन्वेंशन' (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) के अनुच्छेद-22 से संबंधित घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित इस घोषणा-पत्र के अनुसार, मालदीव सरकार अत्याचार से प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतें प्राप्त करने के लिये गठित समिति की दक्षता की पहचान करेगी परंतु यह केवल उन्हीं मामलों में संभव हो सकेगा जब यातना से पीड़ित का मामला मालदीव के अधिकार क्षेत्र में आता हो।
- मालदीव के राष्ट्रपति ने इस कन्वेंशन के अनुच्छेद-22 से संबंधित घोषणा-पत्र पर नवंबर 2018 में यातना के विरुद्ध बनी समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट के निष्कर्षों में दी गई सिफारिशों के आधार पर हस्ताक्षर किये हैं।

यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के विरुद्ध यू.एन. कन्वेंशन: (UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment):

- यह यू.एन. कन्वेंशन 10 दिसंबर, 1984 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया गया तथा हस्ताक्षर, अनुसमर्थन एवं स्थापित करने के लिये प्रस्तावित किया गया।
- यह कन्वेंशन 26 जून, 1987 को प्रभाव में आया था।

नोट :

- यह कन्वेंशन 9 फरवरी, 1975 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'यातना और अन्य क्रूरता, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा से सभी व्यक्तियों के संरक्षण' विषय पर विचार-विमर्श का परिणाम था।
- यह कन्वेंशन राज्यों को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर किसी भी क्षेत्र में यातना को रोकने के लिये प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर बल देता है, साथ ही यह ऐसे लोगों को जिनके संबंध में यह विश्वास है कि जहाँ भी जाएंगे ऐसी ही समस्या उत्पन्न करेंगे, को किसी भी देश में आवागमन के लिये प्रतिबंधित भी करता है।
- विशेषत: इस कन्वेंशन के अनुच्छेद-55 में मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता के सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ाने की बात की गई है।

क्या कहता है कन्वेंशन का अनुच्छेद-22 ?

- इस अनुच्छेद के अनुसार, इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्य यातना से प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतें प्राप्त करने के लिये गठित समिति की दक्षता की पहचान करता है परंतु यह केवल उन्हीं मामलों में संभव हो सकेगा जब यातना पीड़ित का मामला उस पक्षकार राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता हो।
- यदि किसी पक्षकार राज्य द्वारा इस संदर्भ में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, तो समिति द्वारा इस संबंध में कोई मामला स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भारत की स्थिति:

- भारत ने 14 अक्तूबर, 1997 को इस यू.एन. कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये थे। हालाँकि भारत द्वारा अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि भारत द्वारा अभी यातना विरोधी कानून नहीं बनाया गया है।
- भारत विश्व के उन नौ देशों में से एक है, जिन्होंने अभी तक यातना विरोधी कानून नहीं बनाए है, जबकि यह इस अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि की पुष्टि करने के लिये एक अनिवार्य शर्त है।

भारत-ईरान संयुक्त आयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के विदेशमंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने 19वें भारत-ईरान संयुक्त आयोग (19th India-Iran Joint Commission) की बैठक के दौरान ईरान के विदेश मंत्री जावेद ज़रीफ से मुलाकात की।

- इस बैठक के दौरान चाबहार बंदरगाह (Chabahar Port) और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम {Citizenship (Amendment) Act} जैसे विषयों पर वार्ता हुई।
- बैठक में दोनों देशों ने अपने "प्राचीन, ऐतिहासिक और अटूट" संबंधों पर प्रतिबद्धता व्यक्त की, साथ ही दोनो देशों को प्रभावित करने वाले निकट द्विपक्षीय संबंधों एवं क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी वार्ता की।

भारत के दृष्टिकोण से ईरान का महत्त्व:

- भारत और ईरान के संबंध प्राचीनकाल से ही बहुआयामी और गहरे रहे हैं। ईरान की भौगोलिक स्थिति भारत के लिये अतिमहत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकता है।
- वर्तमान में भारत यही कार्य कर भी रहा है। चाबहार बंदरगाह के अतिरिक्त अश्गाबाद समझौता (Ashgabat Agreement) और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (International North–South Transport Corridor- INSTC) के माध्यम से भारत, ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंध मज़बूत करने के साथ ही क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं का भी ध्यान रख रहा है।
- भारत और ईरान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ पाकिस्तान से लगती हैं इसलिये भारत तथा ईरान के बीच बेहतर राजनीतिक संबंध पाकिस्तान के लिये भू-राजनीतिक दबाव उत्पन्न करेगा।
- भारत की अर्थव्यवस्था आज भी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत्रों अर्थात् तेल पर निर्भर करती है, भारत अभी भी तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त कर सका है, इसलिये उसे तेल के आयात पर निर्भर रहना होता है। इस प्रकार की स्थिति में भारत के लिये ईरान का महत्त्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इसी के मद्देनज़र भारत, ईरान के ऊपर अमेरिकी प्रतिबंधों के इतर तेल आयात का भुगतान भारतीय रुपए और यूरो में करते हुए अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाए हुए है।

नोट :

भारत-ईरान से संबंधित मुद्दे:

- ईरान ने चिंता जताई है कि ईरान के ऊपर वैश्विक कार्यवाही के मद्देनज़र भारत ने भी सभी तेल आयातों को रोक दिया था। इस प्रकार की कार्यवाही से भारत और ईरान के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा साथ ही चाबहार बंदरगाह विकास परियोजनाओं की विकास गति भी बहुत धीमी हो गई।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिये भारत को प्रदान की गई "आंशिक छूट" (Narrow Exemption) जारी रहेगी। चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत अफगानिस्तान को किये जाने वाले अपने निर्यात में विविधता लाना चाहता है।
- भारत-ईरान संयुक्त आयोग की बैठक के बाद भारत, ईरान और अफगानिस्तान के राजनयिकों के मध्य नई दिल्ली में चाबहार में त्रिपक्षीय परियोजना के विकास हेतु कई नई पहलों पर चर्चा के लिये मुलाकात की गई।

भारत और इस्लामिक सहयोग संगठन:

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के अयोध्या मामले से संबंधित फैसले के बारे में 57 सदस्यीय संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ने भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है।
- जेद्दा स्थित OIC के सचिवालय का नेतृत्व सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया जाता है।

यूनाइटेड किंगडम चुनाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ब्रेक्ज़िट की पृष्ठभूमि में संपन्न हुए यूनाइटेड किंगडम चुनाव (United Kingdom Election) में बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) की कंज़रवेटिव पार्टी ने जीत हासिल की।

प्रमुख बिंदु:

- बोरिस जॉनसन की इस जीत को कंज़रवेटिव पार्टी के लिये मार्गरेट थैचर की वर्ष 1987 की चुनावी विजय के बाद सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है।
- बोरिस जॉनसन की इस जीत को उनके ब्रेक्ज़िट संपन्न कराने (Get Brexit Done) के चुनावी वादे पर ब्रिटिश जनसमर्थन के रूप में देखा जा रहा है।
- इन चुनावी परिणामों के बाद ब्रिटेन ने ब्रेक्ज़िट की राह में पहली बाधा पार कर ली है। जैसा कि 20 दिसंबर को ब्रिटिश संसद में ब्रेक्ज़िट मसौदे पर कराए गए मतदान में देखा गया। ब्रिटिश संसद में ब्रेक्ज़िट डील के पारित होने के साथ ही यह लगभग तय है कि ब्रिटेन वर्तमान समय सीमा 31 जनवरी को या उससे पहले यूरोपीय संघ (EU) से बाहर हो जाएगा।

ब्रेक्ज़िट का मुद्दा:

- ब्रेक्ज़िट (Brexit) दो शब्दों- Britain+Exit से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रिटेन का बाहर निकलना। दरअसल, यूरोपीय संघ में रहने या न रहने के सवाल पर यूनाइटेड किंगडम में 23 जून, 2016 को जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें लगभग 52 फीसदी वोट यूरोपीय संघ से बाहर होने के पक्ष में पड़े थे।
- जनमत संग्रह में केवल एक प्रश्न पूछा गया था- क्या यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ का सदस्य बने रहना चाहिये या इसे छोड़ देना चाहिये? इसके पीछे ब्रिटेन की संप्रभुता, संस्कृति और पहचान बनाए रखने का तर्क देते हुए इसे Brexit नाम दिया गया।

ब्रेक्ज़िट के कारण:

- आप्रवासन
- संप्रभुता
- आर्थिक संसाधन
- कानूनी हस्तक्षेप
- सुरक्षा

नोट :

ब्रिटेन पर ब्रेक्ज़िट का प्रभाव

- ब्रेक्ज़िट अल्पकाल में ब्रिटेन को मंदी की ओर धकेल सकता है, क्योंकि यूरोपीय संघ UK का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और जैसे ही ब्रेक्ज़िट संपन्न होगा उन दोनों के रिश्तों में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
- कई अध्ययनों में सामने आया है कि इसके प्रभाव से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को 1 से 3 फीसदी तक का नुकसान हो सकता है।
- उल्लेखनीय है कि ब्रेक्ज़िट के कारण पाउंड में करीब 20 फीसदी की गिरावट की आशंका है।
- ब्रिटेन के लिये सिंगल मार्केट सिस्टम खत्म हो जाएगा।
- ब्रिटेन की सीमा में बिना रोकटोक आवाजाही पर रोक लगेगी और वहाँ संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव हो पाएगा।
- ब्रेक्ज़िट के पश्चात् फ्री वीज़ा पॉलिसी के कारण ब्रिटेन को जो नुकसान होता है, उसे कम किया जा सकेगा।

स्कॉटलैंड समस्या:

ब्रेक्ज़िट के बाद स्कॉटलैंड में एक बार फिर आज़ादी को लेकर आवाजें बुलंद होने लगी हैं। स्कॉटलैंड के अधिकतर लोगों का मानना है की UK के साथ जाने की बजाय EU में रहना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभकारी है।

वर्ष 2014 में स्कॉटिश स्वतंत्रता पर कराये गए जनमत संग्रह में स्कॉटलैंड की 55% जनता ने UK में रहने जबकि 45% ने स्वतंत्रता के लिये वोट किया था, SNP की दुसरे जनमत संग्रह की मांग से यह मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है।

आइरिश बॉर्डर समस्या:

ब्रेक्ज़िट मुद्दे के उठने से आयरलैंड के साथ सीमा समस्या का मुद्दा एक बार पुन: जीवित हो जाएगा। गुड-फ्राइडे समझौते (Good Friday Agreement) के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में जो शांति स्थापित हुई थी, उस पर एक बार फिर संकट मंडराने लगा है।

वर्ष 1922 में आयरिश प्रायद्वीप में 26 काउंटी वाले आयरलैंड गणतंत्र को स्वतंत्रता प्राप्त हुई जबकि 6 काउंटी के साथ उत्तरी आयरलैंड UK का हिस्सा बना रहा। वर्ष 1998 में उत्तरी आयरलैंड में हुए गुड-फ्राइडे या बेलफ़ास्ट समझौते के पश्चात् प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक अनुयायियों के बीच वर्षों से चल रहे संघर्ष पर विराम लगाया जा सका था, दोनों देशों (ब्रिटेन और आयरलैंड) के EU में जुड़ जाने से यह समस्या कुछ और कम हुई थी।

ब्रेक्ज़िट का भारत पर प्रभाव:

- ब्रिटेन उन कुछ गिने-चुने देशों में से है जिनके साथ व्यापार में भारत का निर्यात (ब्रिटेन से होने वाले) आयात से अधिक है।
- ब्रेक्ज़िट के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य और व्यापार जैसे कई अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर दोबारा संधियाँ करनी पड़ेगी।
- साथ ही कई भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (EU) में अलग-अलग कार्यालय खोलने पड़ेंगे और दो जगहों पर टैक्स देना पड़ेगा।
- लेकिन साथ ही यूरोपीय संघ से अलग होने के फलस्वरूप भारत के लिये ब्रिटेन का नया बाज़ार एक नई उम्मीद लेकर आएगा तथा व्यापार में कुछ अच्छे समझौते भारतीय निर्यात को नई दिशा दे सकते है।
- सैन्य, सेवा (Service Sector), फार्मा और आईटी जैसे क्षेत्रों में व्यापार के कई नए समझौते होने की संभावना है।

चीन, जापान और दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय बैठक

चर्चा में क्यों ?

दक्षिण कोरिया, जापान और चीन नें 24 दिसंबर, 2019 को चीन में एक त्रिपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापार और क्षेत्रीय शांति (विशेषत: कोरियाई प्रायद्वीप के संबंध में) पर चर्चा करना था।

मुख्य बिंदु :

- व्यापारिक जटिलताओं, सैन्य हलचल और ऐतिहासिक शत्रुता के बीच तीनों देशों की यह बैठक व्यापार और क्षेत्रीय शांति के लिये महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है।

नोट :

तीनों देशों के ऐतिहासिक संबंध

- **जापान और दक्षिण कोरिया:**
  - 20वीं शताब्दी के जापानी उपनिवेश के दौर से चला आ रहा तनाव वर्ष 2019 में दोनों देशों के संबंधों पर कुछ अधिक ही हावी रहा, दोनों देशों में व्यापार और सैन्य सहयोग के क्षेत्र में तनाव देखने को मिला।
  - नवंबर माह में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद यह तनाव कुछ कम हुआ लेकिन दक्षिण कोरिया ने जापान के साथ एक महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय सैन्य सूचना समझौते से स्वंय को अलग कर लिया, उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और क्षेत्र में बढ़ते चीनी हस्तक्षेप के बीच यह एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौता माना जा रहा था।
  - जापान द्वारा दक्षिण कोरिया के साथ कई महत्त्वपूर्ण रसायनों के निर्यात में लगाए गए प्रतिबंध पर फिर से वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया, दक्षिण कोरिया इन रसायनों का प्रयोग कंप्यूटर चिप और स्मार्टफोन बनाने में करता है।
  - जापान ने यह प्रतिबंध दक्षिण कोरिया के एक न्यायालय के आदेश के बाद लगाया था जिसमें द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान दक्षिण कोरियाई कामगारों से जबरन मज़दूरी कराए जाने के लिये जापानी कंपनियों को मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया था। 20 दिसंबर, 2019 को जापान ने एक रसायन के निर्यात पर प्रतिबंधों में छूट देने की घोषणा की है।
  - दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन (Moon Jae-in) और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे (Shinzo Abe) के बीच क्रिसमस की पूर्व संध्या पर त्रिपक्षीय वार्ता से अलग एक द्विपक्षीय बैठक हुई।
- **चीन और दक्षिण कोरिया :**
  - सियोल द्वारा अमेरिकी एंटी- मिसाइल सिस्टम को अपने देश में अपनाए जाने के बाद चीन और दक्षिण कोरिया के व्यापारिक रिश्तों में तनाव देखा गया।
  - चीन 'THAAD'(Terminal High Altitude Area Defense) को अपनी संप्रभुता के लिये खतरा मानता है। चीन के अनुसार, दक्षिण कोरिया द्वारा इस तंत्र को अपनाने का उद्देश्य चीन की सीमा में हस्तक्षेप करना है।
  - चीन ने इसका विरोध करते हुए दक्षिण कोरिया जाने वाले चीनी पर्यटक समूहों के दौरों को स्थगित कर दिया। सभी कोरियाई टीवी कार्यक्रमों तथा अन्य सांस्कृतिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही चीन में दक्षिण कोरियाई व्यापार श्रंखला लोट्टे (Lotte) को भी प्रतिबंधित किया।
  - Lotte ने ही कोरिया में THAAD के लिये ज़मीन उपलब्ध कराई थी।
  - दक्षिण कोरिया ने जापान और कोरिया के बीच समुद्री क्षेत्र में बढ़ती चीनी-रूसी हवाई गश्तों का भी विरोध किया। विशेषज्ञों के अनुसार, चीन ये हवाई गश्त अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच सैन्य सहयोग की मज़बूती का परीक्षण करने के लिये करता है।
  - दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2020 में अपने देश में चीनी राष्ट्रपति का दौरा सुनिश्चित करने के प्रति उत्सुकता दिखाई है।
- **जापान और चीन :**
  - जापान के साथ चीनी संबंध किसी अन्य राष्ट्र के मुकाबले अधिक शत्रुतापूर्ण रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दोनों के रिश्तों में महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, जिसका कुछ श्रेय अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध को भी जाता है।
  - वर्ष 2020 के प्रारंभिक महीनों में ही चीनी राष्ट्रपति के जापान दौरे की तैयारियाँ जोरों पर हैं। राजनीतिक असहमतियों को पीछे रख कर दोनो देशों ने कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की इच्छा जाहिर की है।
  - जापान उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और परमाणु कार्यक्रमों के साथ क्षेत्र में बढ़ती चीन की समुद्री गतिविधियों और सैन्य नवीनीकरण को खतरे के रूप में देखता है।
  - जापान ने इसका जवाब अपनी प्रतिरक्षा क्षमता में वृद्धि कर तथा चीन के प्रतिद्वंदी भारत एवं अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सैन्य और व्यापार समझौते के साथ दिया है।

बैठक का परिणाम:

- बैठक के पश्चात साझा वक्तव्य में तीनों देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निशस्त्रीकरण और स्थायी शांति के लिये संवाद और सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई।

नोट :

- साथ ही कोरियाई प्रायद्वीप में शांति सुनिश्चित करने के लिये साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता को दोहराया।
- क्योंकि तीनों ही देश RCEP (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी) के सदस्य हैं इसलिए इस त्रिपक्षीय बैठक में हुए समझौते इन देशों के संबंधों के साथ-साथ RCEP को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होंगें।

तमिल शरणार्थी समस्या

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (Citizenship Amendment Act) में भारत में रह रहे तमिल शरणार्थियों को शामिल न किये जाने के कारण तमिलनाडु में इसका विरोध किया जा रहा है।

तमिल शरणार्थी:

- तमिलनाडु में लगभग 1 लाख से अधिक तमिल शरणार्थी रह रहे हैं जो कि श्रीलंका में हुए नृजातीय संघर्ष के बाद भारत आए थे। इनमें से अधिकांश हिंदू हैं।
- श्रीलंकाई तमिल मूलत: भारतीय मूल के तमिल हैं जिनके पूर्वज एक शताब्दी पहले श्रीलंका के चाय बागानों में काम करने गए थे।
- भारत में आने वाले तमिल शरणार्थियों को दो भागों में बाँटा जा सकता है। पहले वो जो वर्ष 1983 से पहले भारत आए तथा दूसरे वो जो श्रीलंका में हुए हिंसक तमिल विरोधी अलगाववादी आंदोलन के बाद आए थे।
- वर्ष 1964 में भारतीय प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री तथा तत्कालीन श्रीलंकाई प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडारनाइके के बीच समझौता हुआ।
- इसके तहत फैसला लिया गया था कि श्रीलंका में रह रहे भारतीय मूल के लगभग 9,75,000 लोगों, जिन्हें किसी देश की नागरिकता नहीं प्राप्त थी, को उनके पसंद के देश में नागरिकता दी जाए।
- श्रीलंका से आए लगभग 4.6 लाख तमिल लोगों को भारत में आधिकारिक तौर पर नागरिकता दी गई।
- अत: जो लोग वर्ष 1982 तक भारत आ गए थे उनमें से अधिकांश को वैधानिक तौर पर निवास की सुविधा दी गई किंतु इस समझौते के तहत सभी को नागरिकता नहीं दी जा सकी।
- वर्ष 1983 में तमिलों के विरुद्ध हुई नृजातीय हिंसा के बाद श्रीलंका से भारी संख्या में लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। इन शरणार्थियों की संख्या म्यांमार, वियतनाम से आने वाले शरणार्थियों से बहुत अधिक थी।
- इस दौरान श्रीलंका से आए शरणार्थियों को भारत के तमिलनाडु राज्य में विभिन्न स्थानों पर बने कैंपों में रखा गया।
- वर्ष 2009 में लिट्टे (Liberation Tigers of Tamil Eelam- LTTE) के अंत होने तक तमिल शरणार्थियों का श्रीलंका से भारत आना जारी रहा।

तमिल शरणार्थियों की वर्तमान स्थिति:

- तमिलनाडु के 107 शरणार्थी शिविरों में लगभग 19,000 परिवार हैं जिनमें 60,000 सदस्य रहते हैं।
- कैंपों में रह रहे इन शरणार्थियों को सरकार की तरफ से आर्थिक व अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है किंतु उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है।
- इसके अलावा लगभग 30,000 तमिल शरणार्थी कैंपों के बाहर रहते हैं किंतु उन्हें एक निश्चित अवधि के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करना होता है।
- वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद तमिल शरणार्थियों पर अत्यधिक नियंत्रण लगा दिया गया।

श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की मांग:

- भारत में रह रहे श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की मांग है कि वे भारतीय नागरिक घोषित किये जाएँ क्योंकि उन्हें इस बात का भय है कि यदि वे वापस श्रीलंका लौटते हैं तो उन्हें श्रीलंका सरकार और सिंहल बौद्ध संप्रदाय के बहुसंख्यक लोगों की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ेगा।

नोट :

- भारतीय मूल के अधिकांश श्रीलंकाई तमिलों की पैतृक संपत्ति, रिश्तेदार आदि भारत में मौजूद हैं। इनमें से जो श्रीलंका में हुए नृजातीय हिंसा के पहले भारत आ गए थे उनको शास्त्री-भंडारनाइके समझौते (Shastri-Bandaranaike Pact) के तहत नागरिकता प्राप्त हो गयी थी। अत: बाद में आए शरणार्थियों का कहना है कि उन्हें भी भारतीय नागरिकता दी जाए।
- इसके अलावा कैंपों में रह रहे लोगों की श्रीलंका की संपत्ति तथा घर सभी नष्ट हो चुके हैं। इस स्थिति में उन्हें वहाँ जाने पर नए सिरे से जीवन शुरू करना पड़ेगा जिसके लिये वे तैयार नहीं हैं।
- जब नागरिकता संशोधन अधिनियम में तमिल शरणार्थियों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया तो इस स्थिति में उनकी तरफ से कुछ राजनीतिक दलों तथा समाजसेवियों ने इसका विरोध करना प्रारंभ किया।

आगे की राह:

- तमिल शरणार्थियों के मामले को हल करने के लिये आवश्यक है कि भारत तथा श्रीलंका दोनों के मध्य आपसी बातचीत के माध्यम से कोई सर्वमान्य हल निकाला जाए।
- इसके अलावा वर्ष 1964 के शास्त्री-भंडारनाइके समझौते के तहत तमिल शरणार्थियों को दोबारा नागरिकता देने का प्रावधान किया जाना चाहिये। ताकि वे शरणार्थी कैंपों से बाहर निकलकर सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें।

UPU के संविधान में 10वाँ अतिरिक्त प्रोटोकोल

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के संविधान में 10वें अतिरिक्त प्रोटोकॉल को शामिल किये जाने की पुष्टि कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रोटोकॉल को 3-7 सितंबर, 2018 तक अदीस अबाबा (इथियोपिया की राजधानी) में आयोजित UPU कॉन्ग्रेस की विशेष बैठक में अंगीकार किया गया था।
- मंत्रिमंडल की मंज़ूरी मिलने के बाद भारत सरकार के डाक विभाग को इस पर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त करने तथा भारत सरकार के कानूनों के अनुरुप इसे राजनयिक माध्यम से UPU के महानिदेशक को सौंपने का अधिकार प्राप्त हो गया है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा UPU के संविधान में दसवें अतिरिक्त प्रोटोकॉल को शामिल करने की पुष्टि किये जाने से भारत एक सदस्य देश के रूप में UPU के संविधान के 25वें अनुच्छेद की बाध्यताओं को पूरा कर सकेगा।
- इसके साथ ही डाक विभाग UPU की संधियों के प्रावधानों को भारत में लागू करने के लिये कोई भी प्रशासनिक आदेश जारी कर सकेगा।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में

- इसका गठन वर्ष 1874 में किया गया था और इसका मुख्यालय स्विज़टरलैंड के बर्न में स्थित है।
- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU), दुनिया का दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ध्यातव्य है कि पहला और सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union- ITU) है जिसकी स्थापना वर्ष 1865 में की गई थी।
- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (Universal Postal Union-UPU) अंतर्राष्ट्रीय डाकों के आदान-प्रदान को विनियमित करता है और अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के लिये दरों को तय करता है।
- वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 192 है।

इसकी चार इकाइयाँ निम्नलिखित हैं-

- कॉन्ग्रेस
- प्रशासन परिषद

नोट :

- अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो
- डाक संचालन परिषद

इसके अंतर्गत 2 सहकारी समितियाँ/कोऑपरेटिव भी हैं:

- टेलीमैटिक्स कोऑपरेटिव (Telematics Cooperative)
- ई.एम.एस. कोऑपरेटिव (EMS Cooperative)

यह विश्व भर के 6.40 लाख पोस्टल आउटलेट को नियंत्रित करता है। भारत 1 जुलाई, 1876 और पाकिस्तान 10 नवंबर, 1947 को UPU में शामिल हुए थे।

UPU की क्रियाविधि:

- UPU की एक इकाई अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो ने वर्ष 2018 में एक कन्वेंशन मैनुअल (Convention Manual) जारी किया, जिसके अनुच्छेद 17-143 में डाक सेवाओं के अस्थायी निलंबन और बहाली के लिये उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के नियमों के तहत जब कोई देश किसी देश के साथ विनिमय को निलंबित करने का फैसला करता है तो उसे दूसरे देश (जैसे भारत) को इस बारे में सूचित करना चाहिये, साथ ही यदि संभव हो तो जिस अवधि के लिये सेवाएँ रोकी जा रही हैं उसका भी विवरण दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त सभी सूचनाएँ अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के साथ भी साझा की जानी चाहिये।
- उल्लेखनीय है कि हाल ही में पाकिस्तान ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (Universal Postal Union- UPU) के नियमों के विपरीत जाकर भारत से आदान-प्रदान होनी वाली डाक सेवा (Postal Exchange) को (भारत को सूचित किए बगैर) बंद कर दिया था। जबकि, भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न तीन द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार भी पाकिस्तान को निलंबन की पूर्व सूचना भारत को देनी चाहिये थी।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट-2018,19 (Report On Trends And Progress Of Banking In India-2018,19) जारी की गई है।

मुख्य बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की विकास दर पिछले छह वर्षों के न्यूनतम स्तर (4.5 प्रतिशत) पर पहुँच गई थी।
- भारत में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति व्यापक आर्थिक क्रिया-कलापों में परिवर्तन पर निर्भर होती है।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु:

NPA की स्थिति:

- भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों का सकल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति (Non-Performing Assets) अनुपात सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही में 9.1 फीसदी पर स्थिर रहा।
- RBI की इस रिपोर्ट के अनुसार, वार्षिक आधार पर बैंकों के NPA में कमी के साथ सुधार देखा गया है।
- जहाँ वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैंकों का सकल NPA अनुपात 11.2 प्रतिशत था, वह वित्तीय वर्ष 2018-19 में घटकर 9.1 प्रतिशत पर आ गया, इस आधार पर सकल NPA अनुपात में वार्षिक रूप से 2.1 प्रतिशत की कमी आई है।

RBI द्वारा तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action-PCA) के तहत बैंकों के प्रदर्शन की निगरानी:

- वर्तमान में 6 बैंक [4 सार्वजनिक बैंक (PSBs), 2 निजी क्षेत्र के बैंक (PVBs)] PCA फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं।
- RBI द्वारा इन छह बैंकों तथा ऐसे बैंक जिन्हें PCA के दायरे से बाहर किया गया है, की निरंतर निगरानी विभिन्न वित्तीय संकेतकों के माध्यम से की जा रही है।
- RBI द्वारा इन बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के साथ बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

नोट :

क्रेडिट ग्रोथ (Credit Growth) में कमी:

- वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान बैंकिंग प्रदर्शन में समग्र सुधार के बावजूद बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में कमी चिंता के के रूप में सामने आई है।

सहकारी बैंकों के बीच स्वैच्छिक विलय को प्रोत्साहन:

- सहकारी बैंक दोहरी चुनौतियाँ का सामना कर रहे हैं, पहली चुनौती न केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों बल्कि सूक्ष्म वित्त बैंकों तथा भुगतान बैंकों से बढती हुई प्रतिस्पर्द्धा है तथा दूसरी चुनौती इन बैंकों द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित घटनाओं को रोकने की आंतरिक अक्षमता है।
- सहकारी बैंकों को अपने कॉरपोरेट गवर्नेंस को उन्नत करने और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिये सुधारों को शुरू करने की आवश्यकता है।

एनबीएफसी (Non-Banking Financial Company-NBFCs) क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित:

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में गैर- बैंकिंग क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों द्वारा भुगतान दायित्वों को समय पर पूरा नहीं कर पाने के कारण एनबीएफसी क्षेत्र का सकल NPA अनुपात बढ़ा है। यह वित्तीय वर्ष 2018-19 में बढकर 6.1 प्रतिशत पर पहुँच गया है।
- NBFC क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में प्रोवीजनिंग के परिणामस्वरूप सकल NPA अनुपात में तो अधिक वृद्धि हुई है, परंतु निवल NPA अनुपात में मामूली वृद्धि हुई है।
- वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 (सितंबर तक) में एनबीएफसी क्षेत्र के सकल NPA अनुपात में मामूली वृद्धि के साथ पूंजी गुणवत्ता में कमी देखी गई है।

NBFCs को ऋण प्रदान करने में चूक:

- वित्तीय वर्ष 2019-20 में (सितंबर तक) एक प्रमुख एनबीएफसी द्वारा धोखाधड़ी तथा उसकी रेटिंग नीचे आने के कारण बैंकों द्वारा को ऋण प्रदान करने में कमी आई है।
- हालाँकि NBFCs के कुल ऋणों में बैंक ऋणों की हिस्सेदारी एक वर्ष पहले के 24.7 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2019 के अंत में 26.9 प्रतिशत हो गई।

वृहद आर्थिक परिवर्तन:

- वैश्विक स्तर पर नीति निर्माता नियामक ढाँचे को मज़बूत कर रहे हैं और बैंकों के लिये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों को लागू कर रहे हैं।
- इन वैश्विक नीतियों का तत्काल परिणाम नहीं देखा जा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव के रुप में ये नीतियाँ वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता और लचीलेपन को बढ़ाएंगी।

सहकारी बैंकों के लिये एक स्वतंत्र निरीक्षण प्रणाली की आवश्यकता:

- सहकारी बैंकों में एक अच्छे आंतरिक नियंत्रण तंत्र और निगरानी प्रणालियों की कमी धोखाधड़ी को रोकने की क्षमता को सीमित कर रही है।
- सहकारी बैंकों में सुधार सुनिश्चित करने के लिये एक स्वतंत्र और प्रभावी निरीक्षण प्रणाली की आवश्यकता की ज़रूरत महसूस की गई है।

तीव्र समाधान के लिये राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal -NCLT) में अधिक सदस्यों तथा पीठों की आवश्यकता:

- निर्णय प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिये सहायक बुनियादी ढाँचे में सुधार करना एक अपरिहार्य शर्त है।
- हालाँकि NCLT की दो नई पीठें स्थापित की जा रही हैं, परंतु त्वरित निर्णय के लिये अभी अधिक पीठ तथा सदस्यों की आवश्यकता है।

कमज़ोर कोर्पोरेट प्रशासन तथा धोखाधड़ी की निगरानी की आवश्यकता:

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरधारक निदेशकों के लिये तय किये गए 'उपयुक्त एवं उचित' (Fit and Proper) मानदंडों के संबंध में दिये गए दिशा-निर्देशों की व्यापक समीक्षा अगस्त 2019 में की गई थी।
- संशोधित दिशा-निर्देश नए निदेशकों के लिये उचित योग्यता तथा अधिक परिश्रम से संबंधित प्रावधान करते हैं।

नोट :

वृद्धिशील ऋणों का 69% ऋण निजी बैंकों द्वारा प्रदत्त:

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी बैंकों की वृद्धिशील ऋणों में भागीदारी 69% थी, अत: बकाया ऋण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई।
- वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 में सभी बैंक समूहों की ऋण वृद्धि में गिरावट आई है।

50 प्रतिशत से अधिक की धोखाधड़ी के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ज़िम्मेदार:

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में दर्ज किये गए कुल धोखाधड़ी के 55.4% मामले और इनमें शामिल कुल राशि का 90.2 % सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है।
- ये आँकड़े इन बैंकों में परिचालन जोखिमों से निपटने के लिये मुख्य रूप से पर्याप्त आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों और प्रणालियों की कमी को दर्शाते हैं।

फिनटेक (Fin Techs) तथा बिगटेक (Big Techs) कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा:

- बैंकों को गैर-पारंपरिक संस्थाओं जैसे- फिनटेक तथा बिगटेक से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये संस्थाएँ डिजिटल क्षेत्र में नवाचार का लाभ उठा रही हैं।
- ये संस्थाएँ नवाचार को बढ़ावा देने और एक समान पर्यवेक्षण और विनियामक ढाँचे को लागू करने के बीच संतुलन स्थापित करने में बैंकिंग नियामकों के सामने कठिन चुनौती प्रस्तुत कर रही हैं।

कृषि ऋण माफी का भी असर:

- RBI द्वारा कृषि कर्ज की समीक्षा के लिये गठित आंतरिक कार्यकारी समूह के अनुसार, उन राज्यों में NPA का स्तर बढ़ा है जहाँ 2017-18 और 2018-19 में कृषि कर्ज माफी की घोषणा की गई।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (Insolvency and Bankrupty Code-IBC) के तहत वसूली:

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में IBC के तहत तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली में सुधार आया है, कुल तनावग्रस्त संपत्तियों की आधी से अधिक IBC के तहत वसूली गई हैं।
- हालाँकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रमुख समाधान तंत्रों (लोक अदालत को छोड़कर) द्वारा वसूली गई राशि में कमी आई है।

इनिशियल पब्लिक ऑफर

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2019 में इनिशियल पब्लिक ऑफर (Initial Public Offer-IPO) के ज़रिये 12,362 करोड़ रुपए का फंड जुटाया गया जो वर्ष 2014 के बाद से सबसे कम है, जबकि कंपनियों ने वर्ष 2014 में IPO के ज़रिये 1,201 करोड़ रुपए जुटाए थे।

प्रमुख बिंदु:

- हालाँकि, ऑफर फॉर सेल (Offers For Sale - OFS) और क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (Qualified Institutional Placements - QIP) के ज़रिये वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में अधिक फंड जुटाया गया।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (Infrastructure Investment Trusts - InvITs) और रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (Real Estate Investment Trusts - ReITs) के माध्यम से जुटाई गई कुल राशि पिछले वर्ष की तुलना में 127% अधिक है।

इनिशियल पब्लिक ऑफर (Initial Public Offer):

- IPO का अर्थ प्राथमिक बाज़ार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री करना है।
  - प्राथमिक बाज़ार पहली बार जारी की जा रही नई प्रतिभूतियों से संबंधित है। इसे New Issues Market के रूप में भी जाना जाता है।
  - यह द्वितीयक बाज़ार से अलग होता है जहाँ मौजूदा प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। इसे स्टॉक बाज़ार या स्टॉक एक्सचेंज के रूप में भी जाना जाता है।

नोट :

- यह तब होता है जब एक गैरसूचीबद्ध कंपनी (Unlisted Companies) या तो प्रतिभूतियों को नए रूप में जारी करती है या अपनी मौजूदा प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव या दोनों को पहली बार जनता के लिये पेश करती है।
  - गैरसूचीबद्ध कंपनियाँ (Unlisted Companies) वे कंपनियाँ हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होती हैं।
- इसे आमतौर पर नए और मध्यम आकार के फर्मों द्वारा उपयोग किया जाता है जो अपने व्यवसाय को विकसित करने और विस्तार के लिये धन की ज़रूरत महसूस कर रहे होते हैं।

ऑफर फॉर सेल (Offer For Sale-OFS):

- इस प्रणाली के तहत प्रतिभूतियों को सीधे जनता के लिये जारी नहीं किया जाता है, बल्कि बिचौलियों जैसे- मकान या शेयर दलालों के माध्यम से बेचने के लिये जारी किया जाता है।
- इस प्रणाली में एक कंपनी दलालों को उचित मूल्य पर प्रतिभूतियों को बेचती है, इसके बाद ये बिचौलिये इन प्रतिभूतियों को जनता को बेचते हैं।
- ऑफर फॉर सेल के ज़रिये आम लोगों से कंपनी के शेयर खरीदने का आग्रह किया जाता है किंतु इसके लिये किसी बिचौलिये जैसे इनवेस्टमेंट बैंक को नियुक्त किया जाता है।

क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (Qualified Institutional Placements-QIP):

- QIP पूंजी जुटाने का एक तरीका है जिसमें एक सूचीबद्ध कंपनी (Listed Company) इक्विटी शेयर, पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, या कोई प्रतिभूति (वारंट के अलावा) जारी कर सकती है जो इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हो।
  - एक सूचीबद्ध कंपनी (Listed Company) एक फर्म होती है जिसके शेयर सार्वजनिक ट्रेडिंग के लिये स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं। इसे कोटेड कंपनी (Quoted Company) भी कहा जाता है।
- यह एक ऐसी विधि है जिसके तहत एक सूचीबद्ध कंपनी निवेशकों के चुनिंदा समूह को शेयर या परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ जारी कर सकती है।
- किंतु एक IPO के विपरीत एक QIP जारी करने में केवल कुछ संस्थान या Qualified Institutional Buyers-QIBs ही भाग ले सकते हैं।
  - QIB में म्यूचुअल फंड, घरेलू वित्तीय संस्थान जैसे- बैंक और बीमा कंपनियाँ, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी संस्थागत निवेशक और अन्य शामिल होते हैं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (Infrastructure Investment Trust-InvIT):

- InvIT म्यूचुअल फंड की तरह एक सामूहिक निवेश योजना है
- म्यूचुअल फंड इक्विटी शेयरों में निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं जबकि InvIT सड़क और बिजली जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देता है।
- InvIT को सेबी (इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्टस) विनियमन, 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है।

रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (Real Estate Investment Trust-ReIT):

- ReITs अचल संपत्ति से जुड़ी प्रतिभूतियाँ हैं और सूचीबद्ध होने के बाद इनका स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है।
- ReITs की संरचना एक म्यूचुअल फंड के समान है। म्यूचुअल फंड की तरह ही ReITs में प्रायोजक, ट्रस्टी, फंड मैनेजर और यूनिट धारक होते हैं।
- हालाँकि म्यूचुअल फंड के माध्यम से अंतर्निहित संपत्ति बाण्ड, स्टॉक और सोना में निवेश किया जाता है तो वहीं ReITs में भौतिक अचल संपत्ति (Physical Real Estate) में निवेश किया जाता है।
- इस प्रणाली में आय-उत्पादक रियल एस्टेट से एकत्र किये गए धन को यूनिट धारकों के बीच वितरित किया जाता है। इसके साथ ही किराये और पट्टों से नियमित आय के अलावा अचल संपत्ति की पूंजी से लाभ भी यूनिट धारकों के लिये एक आय का माध्यम बनता है।

नोट :

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी

जेलीफ़िश आकाशगंगा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एस्ट्रोसैट (Astrosat) द्वारा 'अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (UVIT) का उपयोग करके JW100 नामक जेलीफ़िश आकाशगंगा (Jellyfish Galaxies) का अवलोकन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- जेलीफ़िश एक प्रकार की आकाशगंगा है जो आकाशगंगा के समूहों में पाई जाती है।
- JW100 आकाशगंगाओं के समूह 'क्लस्टर एबेल' (Cluster Abell) 2626' में स्थित है।

जेली फिश गैलेक्सी क्या है

- जेलीफिश समुद्र का एक जिलेटिनयुक्त जीव है। जेलीफ़िश को यह नाम इसलिये दिया गया है क्योंकि यह डिस्क के आकार की होती है तथा इसमें से कई भुजानुमा तंतु बाहर की ओर निकले होते हैं।
- इसका डिस्क जैसा आकार विभिन्न आकाशगंगाओं के एक घने क्षेत्र में भ्रमण करने तथा टकराने से हुआ है।
- गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब एक आकाशगंगा, आकाशगंगा समूह में भ्रमण करती है तो डिस्क के अंदर की ठंडी गैस क्लस्टर के गर्म प्लाज़्मा के साथ संपर्क में आती है तब प्लाज़्मा एक मज़बूत हवा के रूप में डिस्क की ठंडी गैस को अपनी तरफ खींचता है। इस क्रिया के परिणामस्वरूप आकाशगंगा के तंतुओं का निर्माण होता है।
- सामान्यत: तारों का निर्माण आकाशगंगा के डिस्क में होता है परंतु जेलीफिश आकाशगंगाओं में तारों का निर्माण इसकी तंतुनुमा भुजाओं में भी होता है।

बहु-तरंग आयाम पर आधारित शोध

- जेलीफ़िश आकाशगंगाओं का अवलोकन विभिन्न दूरबीनों द्वारा किया जा रहा है जो प्रत्येक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम/वर्णक्रम के विभिन्न भागों के प्रति संवेदनशील हैं।
- JW100 आकाशगंगा में तारों के निर्माण का अवलोकन चिली में स्थित 'म्यूस इंटीग्रल फील्ड स्पेक्टोग्राफ' (MUSE Integral Field Spectrograph) तथा एस्ट्रोसैट के UVIT का उपयोग करके किया गया है।

रहस्यमयी व्यवहार

- जेलीफ़िश आकाशगंगा अपने अभिविन्यास के कारण भिन्न होती हैं हम इन्हें किनारे से देखते हैं ताकि इसके गैस तंतु हमारे दृश्य क्षेत्र के लंबवत रहें।
- यह अन्य जेलीफ़िश आकाशगंगाओं से इसलिये भी अलग है क्योंकि अन्य जेलीफिश आकाशगंगाओं की अपेक्षा इसके तंतुओं का अवलोकन पराबैंगनी किरणों के आधार पर किया जाता है।
- जेलिफ़िश आकाशगंगा में एक ही समय में कई क्रियाएँ होती रहती हैं। इनमें से कई विभिन्न घटनाओं के साथ संबंधित होती हैं।
- इस अवलोकन में JW100 में होने वाली क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, जिससे विभिन्न घटकों का पता लगता है।

नोट :

नासा का प्रथम इलेक्ट्रिक विमान

चर्चा में क्यों ?

11 नवंबर, 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने पहले पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक प्रायोगिक विमान X-57 मैक्सवेल के आरंभिक संस्करण का अनावरण किया। नासा ने कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में इस इलेक्ट्रिक विमान का प्रदर्शन किया।

विमान की प्रमुख विशेषताएँ

- वर्ष 2015 से निर्माणाधीन यह विमान इटली में निर्मित Tecnam P2006T नामक विमान से प्रेरित है।
- विमान के मॉड- IV अर्थात् इसके अंतिम संस्करण में संकरे और हल्के वज़न वाले पंख सहित कुल 14 इलेक्ट्रिक इंजन होंगे जो लिफ्ट घटक तथा क्रूज़ घटक की तरह कार्य करेंगे।
- लिफ्ट प्रोपेलर को उड़ान और लैंडिंग के लिये सक्रिय किया जाएगा लेकिन उड़ान के क्रूज़ चरण के दौरान इन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- विमान में प्रयुक्त 14 इलेक्ट्रिक मोटरों को विशेष रूप से डिज़ाइन की गई लिथियम आयन बैटरी द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाएगी।
- हालाँकि इस विमान का पहला उड़ान परीक्षण अगले वर्ष किया जाएगा किंतु नासा ने इंजीनियरों और पायलटों के लिये एक सिम्युलेटर का भी विकास किया है ताकि वे इस विमान के पूरा होने के बाद इसका उपयोग करने का अभ्यास कर सकें।
- चूँकि इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम कम गतिशील घटकों (moving parts) के कारण आंतरिक-दहन इंजन की तुलना में अधिक मज़बूत और छोटे होते हैं। इसलिये उनका प्रबंधन आसान होता है, इनका वज़न बहुत कम होता है और इन्हें उड़ान के लिये कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- ये पारंपरिक इंजनों की तुलना में कम शोर पैदा करते हैं।

चुनौती

- इलेक्ट्रिक विमान के लिये एक प्रमुख चुनौती बैटरी प्रौद्योगिकी में सुधार करना है ताकि बैटरी में अधिक ऊर्जा संगृहित करके विमान की उड़ान सीमा में विस्तार किया जा सके।
- वर्तमान में बैटरी की सीमाओं के कारण मैक्सवेल को हवाई-टैक्सी या आवाजाही विमान के रूप में उपयोग करने के लिये कम यात्रियों वाली छोटी-छोटी उड़ानों के रूप में परिकल्पित किया गया है।

भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र

चर्चा में क्यों ?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) ने तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम के पास थूथुकुडी (Thoothukudi) में अपने दूसरे अंतरिक्ष केंद्र के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रमुख बिंदु:

- अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति करने वाले प्रमुख देशों में कई अंतरिक्ष केंद्र हैं।
- ISRO का पहला और एकमात्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (Satish Dhawan Space Centre- SDSC) आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी तथा वर्तमान में यहाँ दो सक्रिय लॉन्चपैड हैं।
- ISRO यहाँ से अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch Vehicle- PSLV) और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Geosynchronous Satellite Launch Vehicle- GSLV) रॉकेट लॉन्च करता है।

भारत को नए अंतरिक्ष केंद्र की आवश्यकता क्यों ?

- नये अंतरिक्ष केंद्र ISRO के आगामी लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (Small Satellite Launch Vehicle- SSLV) के लॉन्च के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

नोट :

- PSLV को उपग्रहों को ध्रुवीय तथा पृथ्वी की कक्षाओं में लॉन्च करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - हालाँकि लॉन्च के बाद यह सीधे ध्रुवीय या पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि रॉकेट के किसी टुकड़े या अवशेष के गिरने की आशंका के कारण इसके प्रक्षेपवक्र (Trajectory) को श्रीलंका के ऊपर उड़ान से बचना होता है।
  - इसलिये एक बार श्रीहरिकोटा से रॉकेट के उड़ान भरने के बाद इसे श्रीलंका से बचाने के लिये पहले यह पूर्व की ओर उड़ान भरता है फिर वापस दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ता है।
  - इस प्रक्रिया में अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है
- थूथुकुडी में नए अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के बाद SSLV लक्षद्वीप के ऊपर से उड़ान भरेगा और अधिक ऊँचाई पर जाने के साथ श्रीलंका के चारों ओर घूमकर जाएगा।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO)

- भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) की स्थापना वर्ष 1969 में हुई।
- इसे भारत सरकार के 'अंतरिक्ष विभाग' द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है।
- ISRO का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।

अंतरिक्ष केंद्र के रुप में थूथुकुडी का चुनाव ही क्यों ?

1. समुद्र तट का सामीप्य (Proximity to Seashore):
   - थूथुकुडी की समुद्र के साथ निकटता रॉकेट को "सीधे दक्षिण की ओर" लॉन्च करने के लिये आदर्श स्थान बनाती है।
     - श्रीहरिकोटा से इस तरह के दक्षिण दिशा की ओर लॉन्च संभव नहीं हैं क्योंकि रॉकेटों को श्रीलंका के चारों ओर से उड़ान भरनी होती है।
   - रॉकेट थूथुकुडी से एक सीधे प्रक्षेपवक्र के अनुसार प्रक्षेपित होने में सक्षम होंगे जो उनके भारी पेलोड ले जाने में सहायक होगा।
2. भूमध्य रेखा से निकटता (Proximity to Equator):
   - थूथुकुडी को SDSC की तरह ही भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण एक अंतरिक्ष केंद्र के रूप में चुना गया है।
     - क्योंकि रॉकेट लॉन्च केंद्र पूर्वी तट पर और भूमध्य रेखा के पास होना चाहिये।
3. ढुलाई/संचालन में आसानी (Logistical Ease):
   - ISRO का तिरुनेलवेली ज़िले के महेंद्रगिरि में अपना तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (Liquid Propulsion Systems Centre- LPSC) है जहाँ PSLV के लिये दूसरे और चौथे चरण के इंजन को असेंबल किया जाता है।
   - दूसरे और चौथे चरण के इंजन को महेंद्रगिरि से श्रीहरिकोटा ले जाने के बजाय, अगर इन्हें कुलसेकरपट्टिनम में बनाया जाएगा तो उन्हें लॉन्च पैड पर स्थानांतरित करना आसान होगा। जो लगभग थूथुकुडी से 100 किमी० की दूरी पर है।

सफेद बौना तारा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में खगोलविदों को एक विशाल ग्रह द्वारा सफेद बौने तारे (WDJ0914+1914) की परिक्रमा किये जाने का अप्रत्यक्ष प्रमाण मिला है।

प्रमुख बिंदु :

- रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के ग्रह के पाए जाने की यह पहली घटना है।
- इस ग्रह को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, इस ग्रह के प्रमाण इसके वाष्पीकृत वातावरण में उपस्थित गैस की डिस्क (हाइड्रोजन, आक्सीजन, सल्फर) के रूप में मिले हैं।
- यह ग्रह प्रति 10 दिन में सफेद बौने तारे की एक बार परिक्रमा करता है।
- चिली में स्थापित एक विशाल दक्षिणी यूरोपीय वेधशाला द्वारा इन गैसीय डिस्क का पता लगाया गया।
- पिछले दो दशकों से यह शोध किया जा रहा था कि ग्रहीय तंत्र, सफेद बौने तारों में भी संभव है।
  - इस दिशा में पहली बार एक वास्तविक ग्रह खोजा गया है।

नोट :

सफेद बौना तारा :

- किसी तारे के केंद्र में मौजूद मज़बूत गुरुत्व के कारण कोर का तापमान और दबाव बहुत ही ज़्यादा रहता हैं।
- सफेद बौने तारों में उपस्थित हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
- तारों में संलयन की प्रक्रिया ऊष्मा और बाहर की तरफ दबाव उत्पन्न करती है, इस दबाव को तारों के द्रव्यमान से उत्पन्न गुरुत्व बल संतुलित करता है।
- तारे के बाह्य कवच के हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तित होने से ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है एवं इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। इस अवस्था के तारे को 'लाल दानव तारा' (Red Giant Star) कहा जाता है।
- इस प्रक्रिया में अंतत: हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ, जैसे- लोहे में परिवर्तित होने लगता है।
- यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर (चंद्रशेखर सीमा) होता है तो वह लाल दानव से 'सफेद बौना' (White Dwarf) और अंतत: 'काला बौना' (Black Dwarf) में परिवर्तित हो जाता है।

चंद्रशेखर सीमा (Chandrashekhar Limit):

- एस. चंद्रशेखर भारतीय मूल के खगोल भौतिकविद् थे,जिन्होंने सफेद बौने तारों के जीवन अवस्था के विषय में सिद्धांत प्रतिपादित किया।
- इसके अनुसार, सफेद बौने तारों के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा सौर द्रव्यमान का 1.44 गुना है, इसको ही चंद्रशेखर सीमा कहते है।
- एस. चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में नाभिकीय खगोल भौतिकी में डब्ल्यू. ए. फाउलर के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

पार्कर सोलर प्रोब द्वारा अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब (Parker Solar Probe) मिशन द्वारा सूर्य की बाहरी सतह का अध्ययन करके सौर तूफानों तथा अंतरिक्ष के मौसम संबंधी विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्रदान की गई है।

मुख्य बिंदु:

- पार्कर सोलर प्रोब मिशन से सूर्य की बाहरी परत से चलने वाले सौर तूफानों के कारण अंतरिक्ष के मौसम में परिवर्तन से संबंधित जानकारी मिलती है तथा उन उग्र सौर तूफानों के बारे में जानकारी मिलती है जो उपग्रह तथा पृथ्वी पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचालन में बाधा पहुँचा सकते हैं।

पार्कर सोलर प्रोब द्वारा किया गया अध्ययन:

- इस मिशन द्वारा एकत्रित जानकारियों में से कुछ तो अनुमान के अनुरूप थीं लेकिन कुछ जानकारियाँ पूरी तरह से अप्रत्याशित थीं।
- पृथ्वी सूर्य से लगभग 93 मिलियन मील की दूरी पर स्थित है और पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के लगभग 15 मिलियन मील नज़दीक तक पहुँच कर इसका अध्ययन किया।
- पार्कर सोलर प्रोब अंतत: सूर्य की सतह से लगभग 4 मिलियन मील के करीब तक पहुँच कर अध्ययन करेगा जो किसी भी पिछले अंतरिक्षयान की तुलना में सात गुना करीब है।
- पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य की सबसे बाहरी परत 'कोरोना' (Corona) का अध्ययन करते हुए अत्यधिक उष्मा का सामना करना पड़ा। कोरोना से ही सौर तूफानों की उत्पत्ति होती है, इन तूफानों में गर्म, ऊर्जावान, आवेशित कण सूर्य से बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं और सौरमंडल में संचारित होते हैं।
- प्रोब द्वारा किये गए अध्ययन में पता चला कि जब इन सौर तूफानों की गति में अचानक से वृद्धि होती है तो इन तीव्र सौर तूफानों के कारण इनके आस-पास का चुंबकीय क्षेत्र स्वंय ही समाप्त जाता है। इस घटना को 'स्विचबैक्स' (Switchbacks) कहते हैं।

पार्कर सोलर प्रोब (Parker Solar Probe):

- इस मिशन को फ्लोरिडा स्थित नासा के केप केनेडी स्पेस सेंटर- काम्प्लेक्स37 (Complex37) से डेल्टा-4 रॉकेट द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।

नोट :

- नासा ने पार्कर सोलर प्रोब का नाम प्रख्यात खगोल भौतिकीविद् यूज़ीन पार्कर के सम्मान में रखा है।
- पहले इसका नाम सोलर प्रोब प्लस था।
- यूज़ीन पार्कर ने ही सबसे पहले वर्ष 1958 में अंतरिक्ष के सौर तूफानों के बारे में भी बताया था।
- पार्कर सोलर प्रोब की लंबाई 1 मीटर, ऊँचाई 2.5 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर है।
- इस मिशन के माध्यम से सौर पवन के स्रोतों और चुंबकीय क्षेत्र की बनावट तथा उनके डायनामिक्स की जाँच की जा रही है।
- यह मिशन सूर्य की सतह से इसके कोरोना के ज़्यादा तापमान होने के कारणों का भी अध्ययन करेगा।

कोरोना (Corona):

- सूर्य के वर्णमंडल के वाह्य भाग को किरीट/कोरोना (Corona) कहते हैं।
- सूर्य का कोरोना बाहरी अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला है और इसे सूर्य ग्रहण के दौरान आसानी से देखा जाता है, किरीट अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है।

ट्रेकिया सॉफ्टवेयर

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा पुलिस ने छेड़छाड़ मुक्त आपराधिक जाँच सुनिश्चित करने के लिये अद्वितीय बारकोडिंग सॉफ्टवेयर "ट्रेकिया" (Trakea) को अपनाया है।

सॉफ्टवेयर के बारे में

- यह एक फोरेंसिक साक्ष्य प्रबंधन प्रणाली है जो फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा आपराधिक घटनास्थल से महत्त्वपूर्ण सैंपल/नमूने एकत्रित करने के समय से ही आपराधिक जाँच से संबंधित समग्र प्रक्रिया के स्वचालन में मदद करती है।
- ट्रेकिया का उद्देश्य फोरेंसिक रिपोर्टों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और इन रिपोर्टों की छेड़छाड़ मुक्त ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करना है। यह फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के के अनुरूप कार्य करता है।
- इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से फोरेंसिक टीमों का चयन भी यादृच्छिक तरीके से किया जाता है।
- ट्रेकिया अपराधिक घटना स्थल से एकत्र किए गए नमूनों और फोरेंसिक लैब द्वारा विश्लेषित रिपोर्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह प्रणाली राज्य पुलिस बल द्वारा दशकों से प्रयोग की जा रही पारंपरिक प्रणालियों से अलग तरीके से कार्य करती है।
- हरियाणा पुलिस के अनुसार, यह देश की पहली पुलिस बल है जिसने फोरेंसिक रिपोर्ट की सुरक्षा के लिये इस अनूठी बार-कोडिंग की शुरुआत की है।

ऐसी प्रणाली की आवश्यकता

- पूरे देश में चली आ रही पारंपरिक प्रणाली के अनुसार, अपराध से संबंधित दस्तावेज़ों में अपराध से जुड़े विभिन्न विवरणों को शामिल किया जाता है। इन विवरणों में अपराध/मामले की FIR संख्या सहित पुलिस थाना, पीड़ित, आरोपी, चिकित्सा अधिकारी आदि का नाम व पता आदि को शामिल किया जाता है।
- इन विवरणों के उपलब्ध होने से घटित अपराध के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा मामले को किसी भी व्यक्ति द्वारा ट्रैक किया जा सकता है।
- अपराध से जुड़े दस्तावेज़ में DNA सैंपल, लिखित प्रमाण और प्राक्षेपिक (Ballistics) परीक्षणों, सीरम विज्ञान (Serology), जीव विज्ञान, विष विज्ञान, झूठ का पता लगाने आदि से जुड़ी रिपोर्ट शामिल हो सकती हैं।
- सैंपल/नमूना एकत्र करने के समय से फोरेंसिक विशेषज्ञ अपना अंतिम निष्कर्ष देने तक की प्रक्रिया कई चरणों में होती है ऐसे में अभियुक्त अपने प्रभुत्व का प्रयोग कर सैंपल के साथ छेड़छाड़ कर सकते है ताकि उनके अनुकूल फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार की जा सके।

नोट :

सॉफ्टवेयर का विकास

- इस सॉफ्टवेयर को मूल रूप से एक कैदी द्वारा डिज़ाइन किया गया है जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इस पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है।
- इसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पहले भी हरियाणा की सभी 19 जेलों के कैदियों और जेल संचालन से संबंधित डेटा को डिजिटल रूप देने वाला एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था।
- इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके न्यायपालिका भी परीक्षण के दौरान फोरेंसिक जाँच रिपोर्ट को ट्रैक करने में सक्षम होगी जिससे समय की बचत होगी।

सॉफ्टवेयर की वास्तविक कार्यविधि

- इस प्रणाली में दो-चरणों वाली बार-कोडिंग की विशेषता को शामिल किया गया है जो कि सैंपल की गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है।
- यह स्वचालित रूप से ई-मेल और SMS सूचनाओं के माध्यम से रिपोर्ट की स्थिति के संदर्भ में वास्तविक समय (Real Time) जानकारी देगा, जिससे वास्तविक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी।
- साथ ही अपराध से जुड़े दस्तावेज़/सैंपल/पार्सल पर किसी भी केस का विवरण उल्लिखित नहीं होगा सिवाय अद्वितीय बार कोड के, जिसे केवल बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से पढ़ा जा सकता है।

वाई-फाई कॉलिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारती एयरटेल ने भारत में वाई-फाई कॉलिंग (Wi-Fi Calling) की सुविधा प्रारंभ की जिसे मोबाइल तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी प्रगति माना जा रहा है।

वाई-फाई कॉलिंग क्या है ?

- वाई-फाई कॉलिंग एक नई तकनीकी है जिसके माध्यम से हम बिना कैरियर नेटवर्क या मोबाइल नेटवर्क के किसी से बातचीत कर सकते हैं।
- इसके लिये किसी कैरियर नेटवर्क की बजाय हमें वाई-फाई कनेक्शन की आवश्यकता होती है।

कैरियर नेटवर्क (Carrier Network):

कैरियर या वाहक नेटवर्क एक पंजीकृत नेटवर्क अवसंरचना है जिसका कार्य दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करना है। जैसे- एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जिओ आदि।

- वाई-फाई (Wireless Fidelity- Wi-Fi) एक तार-रहित नेटवर्किंग तकनीकी है। इसके माध्यम से हम मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर या अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ सकते हैं तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं।
- वाई-फाई में सूचनाओं का स्थानांतरण रेडियो तरंगों (Radio Waves) के माध्यम से होता है।

वाई-फाई कॉलिंग कैसे कार्य करता है ?

- अभी तक वाई-फाई का प्रयोग तार-रहित इंटरनेट कनेक्शन, डेटा ट्रांसफर जैसे- शेयरइट (Shareit), ज़ेंडर (Xender) आदि के लिये किया जाता था लेकिन कॉलिंग के लिये इसका प्रयोग भारत में पहली बार किया जा रहा है।
- वर्तमान में कुछ मोबाइल एप भी इंटरनेट कॉलिंग की सुविधा देते हैं। जैसे- व्हाट्सएप, मैसेंजर, स्काइप आदि। लेकिन ये सभी मोबाइल एप कॉलिंग के लिये वाई-फाई या डेटा कनेक्शन का प्रयोग करते हैं जिसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (Voice Over Internet Protocol- VoIP) कहते हैं।
- VoIP की सहायता से कॉलिंग के लिये यूज़र को इन एप्लीकेशन्स को मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ता है। इसके विपरीत वाई-फाई कॉलिंग करने के लिये किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- वाई-फाई कॉलिंग के लिये यूज़र इसे डिफॉल्ट मोड में लगा सकता है। इससे मोबाइल में नेटवर्क न होने की स्थिति में यह स्वयं ही वाई-फाई कॉलिंग के माध्यम से कॉल करने में सक्षम है।

नोट :

- वाई-फाई कॉलिंग के लिये यूज़र को अलग से संपर्क सूची (Contacts List) नहीं बनानी होगी बल्कि यह फोन की मौजूदा संपर्क सूची को एक्सेस कर लेगा।
- इसके माध्यम से बिना इंटरनेट कनेक्शन के ही व्यक्ति कॉल प्राप्त सकेगा तथा उसे किसी अन्य एप की आवश्यकता नहीं होगी।
- इसके अलावा वाई-फाई कॉलिंग करने के लिये मोबाइल फोन में वाई-फाई कॉलिंग तथा हाई डेफिनिशन वॉइस (HD Voice) की सुविधा होनी चाहिये।

वाई-फाई कॉलिंग का महत्व

- इसकी आवश्यकता उन स्थितियों में होती है जब कैरियर नेटवर्क कमज़ोर हो तथा उसके प्रयोग से बातचीत करना संभव न हो। जैसे- बड़े मकानों के बीच में, किसी भूमिगत स्थान में या दूरदराज़ के क्षेत्रों में जहाँ नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता।
- इसमें किसी कैरियर नेटवर्क का प्रयोग नहीं होता। अत: इसमें बात करने पर टॉकटाइम या बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है।

दुर्लभ मृदा तत्त्व

चर्चा में क्यों ?

पिछले दिनों चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध के दौरान चीन ने अमेरिका (USA) को होने वाले कई दुर्लभ मृदा तत्त्वों के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अब अमेरिका की सेना नें दुर्लभ मृदा तत्त्वों (Rare Earth Element -REE) के प्रसंस्करण की तकनीकी में निवेश की इच्छा जाहिर की है।

प्रमुख बिंदु:

- चीन के साथ व्यापार युद्ध से सीख लेते हए संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने दुर्लभ मृदा तत्त्वों की स्वदेशी आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुर्लभ मृदा तत्त्वों के प्रसंस्करण की तकनीकी में निवेश की इच्छा जाहिर की है।
- यह अमेरिकी सेना द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के 'मैनहट्टन परियोजना' (Manhattan Project) के बाद व्यापारिक स्तर पर दुर्लभ मृदा तत्त्वों के प्रसंस्करण में किया गया पहला निवेश होगा।

मैनहट्टन परियोजना/प्रोजेक्ट द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया एक शोध और निर्माण कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत प्रथम परमाणु बम का निर्माण किया गया।

- इस कार्यक्रम के लिये अमेरिकी सेना को 1950 के 'रक्षा उत्पादन अधिनियम' के तहत धन उपलब्ध कराया जाएगा।
- अनुमानत: शुरुआत में छोटे स्तर पर इस संयंत्र को लगाने में 5 से 20 मिलियन डॉलर तक का खर्च आएगा जबकि संयंत्र को पूर्ण रूप से संचालित करने में 100 मिलियन डॉलर तक का खर्च आ सकता है।

क्या हैं दुर्लभ मृदा तत्त्व (REE) ?

- REE 17 दुर्लभ धातु तत्त्वों का समूह है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह (क्रस्ट) में पाए जाते हैं।
- REE आवर्त सारणी में 15 लैंथेनाइड (Z-57 से71) और स्कैंडियम (Scandium) तथा Ytterbium के नाम से जाने जाते हैं।
- दुर्लभ मृदा तत्त्व अपने नाम के विपरीत पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु इनके प्रसंस्करण की प्रकिया बहुत ही जटिल है।
  - दुर्लभ मृदा तत्त्वों में अन्य धातुओं की अपेक्षा बेहतर उत्प्रेरक, धातुकर्म, परमाणु, विद्युत और चुंबकीय गुण होते हैं।

REE की कुछ अन्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- दुर्लभ मृदा तत्त्व चाँदी के रंग (Silver), सिल्वर व्हाइट या भूरे (Grey) रंग के होते हैं।
- दुर्लभ मृदा तत्त्व चमकीली लेकिन हवा में आसानी से धूमिल नज़र आने वाली धातुएँ हैं।
- दुर्लभ मृदा तत्त्वों में उच्च विद्युत चालकता होती है।
- दुर्लभ मृदा तत्त्व कई समान गुण साझा करते हैं, जिसके कारण इन्हें एक-दूसरे से अलग करना या इनकी अलग-अलग पहचान करना बहुत ही कठिन है।

नोट :

- इनकी घुलनशीलता तथा जटिल संरचना में बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है।
- दुर्लभ मृदा तत्त्व प्राकृतिक रूप से अन्य खनिजों में एक साथ घुले हुए होते हैं। (जैसे Monazite एक मिश्रित दुर्लभ मृदा फॉस्फेट है)

दुर्लभ मृदा तत्त्वों की उपयोगिता: REE के विशिष्ट गुणों के कारण इसका इस्तेमाल स्मार्ट फोन, HD डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक कार, वायुयान के महत्त्वपूर्ण उपकरण, परमाणु हथियार और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के साथ कई अन्य महत्त्वपूर्ण तकनीकी विकास में होता है।

- वर्तमान समय में REE के बाज़ार में चीन की हिस्सेदारी लगभग 94% है।
- चीन में सर्वाधिक (83 %) दुर्लभ मृदा तत्त्व बेस्टनासाइट भंडार (Bastnasite deposits) के रूप में इनर मंगोलिया (Inner Mongoliya) प्रांत में पाया जाता है।

भारत में दुर्लभ मृदा तत्त्वों का खनन एवं प्रसंस्करण-

- एक अनुमान के अनुसार, भारत में दुर्लभ मृदा तत्त्वों का बाज़ार 90 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का है।
- परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research- AMD) के अनुसार, भारत में 11.93 मिलियन टन मोनाज़ाइट (Monazite) के स्रोत खोजे गए हैं।
- भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (Atomic Energy Regulatory Board-AERB) की निगरानी में दुर्लभ मृदा तत्त्वों का सीमित खनन किया जाता है।
- वर्तमान में भारत सरकार के उपक्रम Erstwhile Indian Rare Earths Limited द्वारा केरल के चवारा (Chavara) और तमिलनाडु के मनावलाकुरीची (Manavalakurichi) में समुद्रतट से REE का खनन और ओडिशा के छतरपुर में 'ओडिशा सैंड कॉम्प्लेक्स' (OSCOM) पर इसके पृथक्करण का काम होता है।
- केरल सरकार के सहयोग से 'केरल खनिज एवं धातु लिमिटेड', 'विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (Vikram Sarabhai Space Centre-VSSC) और 'रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला' (Defence Metallurgical Research Laboratory-DMRL) के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम करता है।
- वर्ष 2015 में राज्यसभा में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2009-2014 के बीच 'इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड' (Indian Rare Earth Limited-IREL) द्वारा 310.145 मीट्रिक टन REE की खुदाई की गई और इसी दौरान लगभग 285.90 मीट्रिक टन REE की बिक्री हुई।

State	Ilmenite+ Leucoxene	Rutile	Zircon	Monazite	Garnet	Sillimanite	Total Heavy Minerals
Odisha	96.44	4.47	3.25	2.41	50.87	51.74	209.18
Andhra Pradesh	163.05	10.25	11.94	3.72	66.00	72.29	327.25
Tamil Nadu	179.02	8.00	10.20	2.46	46.97	37.41	284.06
Kerala	145.70	8.41	7.83	1.90	4.46	62.80	231.10
Maharashtra	3.74	-	0.01	-	-	-	3.75
Gujarat	2.77	0.02	0.01	-	0.03	-	2.83
West Bengal	2.05	0.19	0.39	1.22	-	1.65	5.50
Bihar	0.73	0.01	0.08	0.22	-	0.08	1.12
Total	593.50	31.35	33.71	11.93	168.33	225.97	1064.79

नोट :

दुर्लभ मृदा तत्त्वों के खनन के दुस्प्रभाव:

यद्यपि दुर्लभ मृदा तत्त्व अंतरिक्ष तथा अन्य तकनीकी विकास के लिये बहुत ही आवश्यक हैं परंतु इनके खनन के अनेक दुष्प्रभाव भी हैं-

- प्राकृतिक तटों और उन पर आश्रित पारिस्थितिकी प्रणालियों की क्षति।
- कई महत्त्वपूर्ण और दुर्लभ प्रजातियों के वास स्थान इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाते हैं।
- तटों के प्राकृतिक तंत्र की हानि जिससे मृदाक्षरण जैसी अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- दुर्लभ मृदा तत्त्वों के खनन तथा प्रसंस्करण से बड़ी मात्रा में जल प्रदूषण होता है तथा Monazite जैसे तत्त्वों में यूरेनियम (0.4%) की उपस्थिति से इसके खतरे और भी बढ़ जाते हैं।

आगे की राह:

दुर्लभ मृदा तत्त्व आज के समय में तकनीकी विकास, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि क्षेत्रों में बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। साथ ही इसके लिये किसी भी अन्य देश पर निर्भर होना हमें सामरिक रूप से कमज़ोर बनाता है। परंतु इस प्रतिस्पर्द्धा में निकट लाभ के लिये प्रकृति को अनदेखा करना एक बड़ी भूल होगी। अत: यह आवश्यक है कि REE के प्रसंस्करण के लिये प्रकृति अनुकूल माध्यमों की खोज की जाए, जिससे विकास के कार्यों के साथ-साथ प्रकृति की कम से कम क्षति हो।

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

ऑपरेशन 'क्लीन आर्ट'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऑपरेशन क्लीन आर्ट के तहत देश भर में नेवले के बालों से पेंट ब्रश बनाने वाले कई कारखानों को बंद कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु:

- नेवले के बालों के गैरकानूनी व्यापार को रोकने के लिये वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau-WCCB) द्वारा ऑपरेशन क्लीन आर्ट (Operation Clean Art) चलाया गया।
- इस अभियान के तहत विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में नेवले के बालों से बने ब्रश बरामद किये गए।
- नेवले के बालों से ब्रश बनाना संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, नेवले के बालों की तस्करी में कोरियर कंपनियों की सेवाएं प्रयोग की जाती है।
- पूरे देश में नेवलों की कुल 6 प्रजातियाँ पाई जाती हैं. जिनमें- इंडियन ग्रे, स्मॉल इंडियन, रूडी, केकड़ा खाने वाले, धारीदार गर्दन वाले और भूरे नेवले शामिल हैं।
- भारत में सबसे अधिक संख्या में इंडियन ग्रे नेवले पाए जाते हैं, इनका शिकार भी सबसे अधिक संख्या में किया जाता है।
- अधिकांश ब्रशों का निर्माण उत्तर प्रदेश के शेरकोट में किया जाता है, इसे ब्रश उत्पादन की राजधानी कहते हैं।
- नेवलों को भारत के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के भाग 2 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
  - इसके अंतर्गत नेवले पालने, शिकार करने और इनका व्यापार करने के लिये सात साल तक के कारावास का प्रावधान है।
  - यह लुप्तप्राय प्रजाति की वनस्पतियों और वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय (The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora- CITES) द्वारा भी संरक्षित हैं।
- पारंपरिक शिकारी समुदाय नेवले के बालों के मुख्य आपूर्तिकर्त्ता हैं।
  - इनमें तमिलनाडु के नारिकुरुवास, कर्नाटक के हक्की पक्की, आंध्र के गोंड , मध्य और उत्तरी भारत के गुलिअस, सेपरस और नाथ समुदाय शामिल हैं।

पराली की समस्या और स्वीडिश तकनीक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने पराली (फसल अवशेष) जलाए जाने से उत्पन्न समस्या दूर करने के लिये एक स्वीडिश (Swedish) तकनीक का परीक्षण किया है।

मुख्य बिंदु:

- दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु की गुणवत्ता में आने वाली तीव्र गिरावट का मुख्य कारण पराली का जलना है परंतु पराली जलाने का सिलसिला अभी भी जारी है।
- इस मुद्दे का हल खोजने के लिये भारत एक स्वीडिश तकनीक का परीक्षण कर रहा है जो धान के फसल अवशेष को 'जैव-कोयला' (Bio-coal) में परिवर्तित कर सकती है।

नोट :

- स्वीडन की कंपनी बायोएंडेव (Bioendev) ने पंजाब में अपनी पहली पायलट परियोजना प्रारंभ कर दी है।
- सतत विकास और साझेदारी के लिये नवाचारों पर भारत-स्वीडन वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ ने इस पायलट परियोजना के क्रियान्वयन पर हस्ताक्षर किये।
- भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (Principal Scientific Advisor- PSA) के कार्यालय द्वारा इस प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिये इस परियोजना का वित्तपोषण किया गया है।
- बायोएंडेव ने अपना पहला संयंत्र पंजाब के मोहाली में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (National Agri-Food Biotechnology Institute) के परिसर में स्थापित किया है।

फसल अवशेष को जैव-कोयला में बदलने की तकनीक:

- बायोएंडेव के अनुसार, इस तकनीक से फसल अवशेष के लगभग 65% बायोमास (Biomass) को उर्जा में बदला जा सकता है।
- मोहाली स्थित संयंत्र हर घंटे में लगभग 150-200 किलोग्राम धान के पुआल को जैव-कोयला में परिवर्तित कर सकता है और CO_2 के उत्सर्जन में 95 प्रतिशत तक की कमी ला सकता है।
- इस प्रौद्योगिकी में पुआल, घास, मिलों से निकलने वाले अवशेषों तथा लकड़ी के अवशेषों को 250°C-350°C पर गर्म किया जाता है। इससे बायोमास के तत्त्व कोयले के समान छर्रेनुमा आकार में परिवर्तित हो जाते हैं।
- इस छर्रेनुमा आकार के पदार्थ को स्टील और सीमेंट उद्योगों में कोयले के साथ दहन के लिये प्रयोग किया जा सकता है।
- अभी तक इस तकनीक का परीक्षण स्कैंडिविया (Scandivia) स्थित एक 16000 टन/वर्ष की क्षमता वाले संयंत्र में किया गया है।
- मोहाली स्थित इस संयंत्र की उर्जा क्षमता 1500 मेगावाट है।

क्या है पराली ?

- पराली धान की फसल कटने के बाद बचा बाकी हिस्सा होता है, जिसकी जड़ें ज़मीन में होती हैं।
- किसान धान पकने के बाद फसल का ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं क्योंकि वही काम का होता है बाकी किसान के लिये बेकार होता है। उन्हें अगली फसल बोने के लिये खेत खाली करने होते हैं जिस वजह से पराली को आग के हवाले कर दिया जाता है।
- आजकल पराली इसलिये भी अधिक होती है क्योंकि किसान अपना समय बचाने के लिये मशीनों से धान की कटाई करवाते हैं। मशीनें धान का केवल ऊपरी हिस्सा काटती हैं और नीचे का हिस्सा अब पहले से ज़्यादा बचता है। इसे हरियाणा तथा पंजाब में पराली कहा जाता है।
- यदि किसान हाथों से धान की कटाई करें तो खेतों में पराली नहीं के बराबर बचती है। बाद में किसान इस पराली को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

जलवायु आपातकाल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूरोपीय संघ 'जलवायु आपातकाल' (Climate Emergency) की घोषणा करने वाला पहला बहुपक्षीय गुट बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- यूरोपीय संघ के 429 सांसदों ने उस घोषणा के पक्ष में मतदान किया जो यूरोपीय संघ द्वारा वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 55 प्रतिशत की कटौती करने और वर्ष 2050 तक 'कार्बन न्यूट्रल' बनने का आह्वान करता है। जबकि 225 सांसदों ने संकल्प के खिलाफ मतदान किया, वहीं अन्य 19 सदस्यों ने इस संकल्प पर मतदान करने से मना कर दिया।
- यूरोपीय संघ के सांसदों ने यूरोपीय आयोग से वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिये सभी संबंधित विधायी और बजटीय प्रस्तावों को पूरी तरह सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
- यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की वार्षिक उत्सर्जन गैप रिपोर्ट (Emission Gap Report) आने के कुछ दिनों बाद हुई है जिसमे बताया गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पूरा करने के लिये वर्ष 2030 तक वार्षिक उत्सर्जन में 7.6% की कटौती की जानी चाहिये।

नोट :

- इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2017 के निर्धारित 54 गीगाटन की तुलना में वर्ष 2018 में 55.3 गीगाटन ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन किया गया।
- यूरोपीय संघ के अलावा अर्जेंटीना, कनाडा जैसे देश एवं न्यूयॉर्क, सिडनी जैसे शहर भी जलवायु आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं।

पेरिस समझौता और यूरोपीय संघ:

- पेरिस समझौते के तहत यूरोपीय संघ का मौजूदा लक्ष्य वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 40% की कटौती करके इसे वर्ष 1990 के स्तर पर लाना है।
- इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme-UNEP) की हाल ही में जारी की गई 'उत्सर्जन गैप रिपोर्ट (Emissions Gap Report)' से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यूरोपीय संघ वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कटौती करने की राह पर है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है।

UNEP पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। UNEP अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है।

- इसका मुख्यालय नैरोबी (केन्या) में है।

यूरोपीय संघ के इस कदम का प्रभाव:

- यूरोपीय संघ द्वारा जलवायु आपातकाल की यह घोषणा 2-13 दिसंबर, 2019 तक स्पेन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में वैश्विक तापन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये अन्य राष्ट्रों को प्रेरित करेगी।
- तेजी से मौसम में परिवर्तन, यूरोप में बाढ़ और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग की घटनाएँ आदि मुद्दे कहीं-न-कहीं जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं जिनके तत्काल समाधान के लिये स्पेन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में चर्चा की जाएगी।

वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवाच द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार, विगत 20 वर्षों में कुल 12000 मौसम संबंधी घटनाओं में लगभग 5,00,000 लोगों की मौत हुई और लगभग 3.54 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।
- वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार, वर्ष 2018 में जापान, फिलीपींस और जर्मनी सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देश पाए गए, इसके बाद क्रमश: मेडागास्कर, भारत और श्रीलंका का स्थान रहा।
  - जापान ने वर्ष 2018 में अत्यधिक बारिश के बाद बाढ़, गर्मी और गत 25 वर्षों में सबसे विनाशकारी तूफान जेबी का सामना किया।
  - रिपोर्ट के अनुसार वर्ष का सबसे शक्तिशाली श्रेणी-5 का मैंगहट तूफान सितंबर महीने में उत्तरी फिलीपींस से होकर गुज़रा।
  - इसकी वजह से करीब ढाई लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा और प्राण घातक भूस्खलन की घटनाएँ हुईं।
  - जर्मनी को वर्ष 2018 में दीर्घकालिक गर्मी और सूखे का सामना करना पड़ा। जमर्नी के औसत तापमान में लगभग तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज़ की गई।
  - मेडागास्कर को विनाशकारी तूफान एवा का सामना करना पड़ा।

नोट :

- भारत में केरल में आई बाढ़ के अलावा पूर्वी तटों को तितली और गाज़ा तूफानों का भी सामना करना पड़ा जिसमें लगभग 1000 लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी।
  - केरल में आई बाढ़ पिछले 100 सालों में सबसे विनाशकारी साबित हुई।
  - इसमें लगभग 2,20,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा।
  - 20000 घर और 80 बाँध बर्बाद हो गए इसके अलावा लगभग 2.8 बिलियन डॉलर की क्षति हुई।
- वर्ष 1999 से 2018 तक जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देश प्यूर्टो रिको, म्याँमार और हैती रहे हैं।
  - रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी अवधि में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची मं0 फिलीपींस, पाकिस्तान और वियतनाम क्रमश: चौथे, पांचवे और छठे स्थान पर है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली क्षति का एक प्रमुख कारण हीटवेव थीं।
- रिपोर्ट में COP 25 सम्मेलन में मौसम जनित समस्याओं से प्रभावित देशों के आर्थिक मदद के लिये विचार करने की बात की गई है।
- वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक:
- इस सूचकांक के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न मौसम सम्बन्धी समस्याओं के वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

देश में बाघ गलियारे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority) तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) द्वारा देश में 32 बाघ गलियारों (Tiger corridors) की पहचान की गई है जिनका प्रबंधन एवं संरक्षण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के बाघ संरक्षण प्लान (Tiger Conservation Plan) के तहत किया जाएगा।

वर्तमान में देश में निम्नलिखित बाघ गलियारे हैं।

क्रम संख्या	भू-परिदृश्य	गलियारा	राज्य/देश
1.	शिवालिक पहाड़ियाँ एवं गंगा का मैदान	(i) राजाजी-कॉर्बेट (ii) कॉर्बेट-दुधवा (iii) दुधवा-किशनपुर-कतर्नियाघाट	उत्तराखंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल उत्तर प्रदेश, नेपाल
2.	मध्य भारत तथा पूर्वी घाट	(i) रणथम्भौर-कुनो-माधव (ii) बांधवगढ़-अचानकमार (iii) बांधवगढ़-संजयदुबरी-गुरु घासीदास (iv) गुरु घासीदास-पलामू-लावालोंग (v) कान्हा-अचानकमार (vi) कान्हा-पेंच (vii) पेंच-सतपुड़ा-मेलघाट (viii) कान्हा-नवेगाँव नाग्ज़िरा-तडोबा -इंद्रावती (ix) इंद्रावती-उदंती सीतानदी-सुनाबेडा (x) सिमलीपाल-सत्कोसिया (xi) नागार्जुनसागर-श्रीवेंकटेश्वरा नेशनल पार्क	मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़, ओडिशा ओडिशा आंध्र प्रदेश

नोट :

3.	पश्चिमी घाट	(i) सह्याद्रि-राधानगरी-गोवा	महाराष्ट्र, गोवा
		(ii) दांडेली अंशी-शरावती घाटी	कर्नाटक
		(iii) कुंद्रेमुख-भद्रा	कर्नाटक
		(iv) नागरहोल-पुष्पगिरि-तालकावेरी	कर्नाटक
		(v) नागरहोल-बांदीपुर-मुदुमलाई-वायनाड	कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु
		(vi) नागरहोल-मुदुमलाई-वायनाड	कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु
		(vii) पराम्बिकुलम-एर्नाकुलम-इंदिरा गांधी	केरल, तमिलनाडु
		(viii) कलाकड मुंदनथुरई-पेरियार	केरल, तमिलनाडु
4.	उत्तर पूर्व	(i) काजीरंगा-ईटानगर WLS	असम, अरुणाचल प्रदेश
		(ii) काजीरंगा-कार्बी एंगलोंग	असम
		(iii) काजीरंगा-नामेरी	असम
		(iv) काजीरंगा-ओरांग	असम
		(v) काजीरंगा-पापुम पाने	असम
		(vi) मानस-बुक्सा	असम, पश्चिम बंगाल, भूटान
		(vii) पक्के-नामेरी-सोनई रुपई-मानस	अरुणाचल प्रदेश, असम
		(viii) डिब्रू साईखोवा-डेरिंग-मेहोंग	असम, अरुणाचल प्रदेश
		(ix) कामलांग-काने-टेलवैली	अरुणाचल प्रदेश
		(x) बुक्सा-जलदापारा	पश्चिम बंगाल

इन संस्थानों द्वारा बाघ-मानव के बीच नकारात्मक अंतर्क्रिया से बचने के लिये निम्नलिखित रणनीतियाँ सुझाई गई हैं।

- केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर संरक्षित क्षेत्रों की अवसंरचना के विकास हेतु धन मुहैया कराना ताकि ये जीव संरक्षित क्षेत्रों से दूर न जा सकें।
- इसके अलावा आम लोगों को जागरूक करना, दिशा-निर्देश तथा सलाह देना एवं किसी दुर्घटना की स्थिति में मुआवज़ा देना।
- फॉरेस्ट स्टाफ को प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, दवाइयाँ प्रदान करना तथा क्षमता निर्माण करना।
- मानव-बाघ हस्तक्षेप तथा इस हस्तक्षेप के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिये बाघ संरक्षित क्षेत्र के कोर तथा बफर क्षेत्र में मानवीय क्रियाकलापों को प्रतिबंधित करना।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिये तीन मानक संचालन प्रक्रियाएँ (Standard Operating Procedures-SOP) जारी की हैं:
  - बाघों का मानव बस्तियों में घूमने से उत्पन्न आपात स्थिति से निपटना।
  - बाघों द्वारा पालतू मवेशियों के शिकार से बचाव।
  - बाघों का संरक्षित क्षेत्र में पुनर्वास करना।
- रेखीय अवसंरचनाओं (Linear Infrastructure) के निर्माण से उत्पन्न प्रभावों को बाघ संरक्षित क्षेत्रों में कम करने के लिये भारतीय रेलवे (Indian Railways), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) के इंजीनियरों तथा कर्मचारियों के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

नोट :

कार्बन बाज़ार पर विवाद

चर्चा में क्यों ?

वर्तमान में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में चल रहे COP-25 जलवायु शिखर सम्मलेन के दौरान एक नए कार्बन बाज़ार की स्थापना के प्रावधान पर देशों में असहमति बनी हुई है।

क्या है कार्बन बाज़ार ?

- कार्बन बाज़ार (Carbon Market) के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश या कंपनियाँ उनके द्वारा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के चलते प्राप्त किये गए एक प्रमाण-पत्र, जिसे सर्टिफाइड उत्सर्जन कटौती (Certified Emission Reduction-CER) या कार्बन क्रेडिट (Carbon Credit) कहा जाता है, का क्रय-विक्रय करती हैं।
- जिन कंपनियों ने ग्रीनहाउस गैसों में कटौती के माध्यम से कार्बन ऑफसेट के लक्ष्यों की प्राप्ति की है उनके द्वारा अतिरिक्त कटौती करने पर उन्हें कार्बन क्रेडिट प्राप्त होगा।
- कार्बन क्रेडिट में एक यूनिट एक टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) या कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (CO_2e) के बराबर होगा।

कार्बन बाज़ार की क्रियाविधि:

- पेरिस समझौते (Paris Agreement) के तहत विश्व के अधिकांश देशों ने वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य रखा है परंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उत्सर्जन में कमी ही की जाए। ऐसा करना आर्थिक विकास में बाधक हो सकता है।
- ऐसी स्थिति में कार्बन बाज़ार एक बेहतर विकल्प है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई विकसित देश अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति करने में असफल रहता है तो वह अपने धन या तकनीक के हस्तांतरण से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिये किसी विकासशील देश की मदद कर सकता है। इस तरीके से उक्त देश कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकता है।
- क्योंकि ये कार्बन क्रेडिट बिक्री योग्य होते हैं, अत: कोई कंपनी या देश इसे खरीद सकता है तथा स्वयं उसके द्वारा की गई उत्सर्जन में कटौती के रूप में इसे प्रस्तुत कर सकता है।
- हालाँकि कार्बन बाज़ार का प्रावधान क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) में भी किया गया था किंतु अगले वर्ष से लागू होने वाले पेरिस समझौते में इसके कुछ प्रावधानों में बदलाव होंगे तथा इससे संबंधित मॉनीटरिंग एवं जाँच प्रक्रिया को भी बढ़ाया जाएगा।

कार्बन बाज़ार से संबंधित विवाद:

- क्योटो प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन के दौरान विकासशील देशों ने लाखों की संख्या में कार्बन क्रेडिट अर्जित किया। इस प्रोटोकॉल के तहत केवल विकसित देशों को ही अनिवार्य रूप से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करनी थी। अत: बहुत देशों ने इसे भारत तथा चीन जैसे देशों से खरीदा।
- पिछले कुछ वर्षों में कई देशों ने खुद को क्योटो प्रोटोकॉल से अलग कर लिया तथा उत्सर्जन में कमी के लिये अब वे बाध्य नहीं रहे। इस प्रकार कार्बन क्रेडिट्स की मांग में कमी हुई एवं भारत जैसे देशों को इसका नुकसान झेलना पड़ा।
- भारत के पास लगभग 750 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स या CER है जिसकी बिक्री नहीं हुई है। ऐसे ही अन्य देश जिनके CER की बिक्री नहीं हुई है, वे चाहते हैं कि पेरिस समझौते के दौर में भी उनकी बिक्री हो।
- इसके विपरीत विकसित देश इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि क्योटो प्रोटोकॉल के नियमों तथा जाँच प्रक्रिया सुदृढ़ नहीं थी। अत: वे पेरिस समझौते के तहत नए सिरे से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं।
- इस विवाद का अन्य मुख्य कारण कार्बन क्रेडिट्स की दोहरी गणना तथा इसके समायोजन से संबंधित है। नई प्रक्रिया के तहत इन क्रेडिट्स को बाज़ार में देशों या निजी कंपनियों के बीच कई बार खरीदा-बेचा जा सकता है। अत: इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इन क्रेडिट्स की एक बार से अधिक गणना न की जाए।
- विकासशील देशों का मानना है कि जिन देशों ने अपने उत्सर्जन में कमी की है उन्हें यह अधिकार होना चाहिये कि वे अपने क्रेडिट्स को बेचने के बाद भी उत्सर्जन में हुई इस कमी को दिखा सकें।

नोट :

महासागरों में घटता ऑक्सीजन स्तर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निकाय IUCN (International Union for the Conservation of Nature) ने अपने अध्ययन में कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों में ऑक्सीजन की मात्रा में लगातार कमी हो रही है जिसका महासागरीय जीवों, तथा अन्य तटीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

मुख्य बिंदु:

- IUCN के अनुसार, वैश्विक स्तर पर लगभग ऐसे 700 समुद्री स्थानों की पहचान की गई है जहाँ ऑक्सीजन का स्तर कम है। वर्ष 1960 में ऐसे स्थानों की संख्या मात्र 45 थी।
- इसी अवधि के दौरान विश्व में एनॉक्सिक वाटर (Anoxic Water) की मात्रा में चार गुना बढ़ोतरी हुई है।

  एनॉक्सिक वाटर (Anoxic Water): जिस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बिलकुल नगण्य हो।
- इस अध्ययन द्वारा बताया गया कि समुद्रों में डीऑक्सीकरण (Deoxygenation) की वजह से उन समुद्री जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जिन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
- समुद्री तटों पर पाए जाने वाले बायोम, जहाँ विश्व की सभी मछलियों का पांचवां हिस्सा पाया जाता है, की तरफ आने वाली समुद्री जलधाराओं में ऑक्सीजन की मात्रा में लगातार कमी हुई है।
- IUCN ने इसी वर्ष जारी एक अध्ययन में विश्व के प्राकृतिक अधिवासों के संदर्भ में कहा था कि मानवीय गतिविधियों की वजह से विश्व के 10 लाख जीव-जंतु विलुप्ति के कगार पर हैं।
- इसके अलावा विश्व मौसम संगठन (World Meterological Organization) ने भी अपने हालिया रिपोर्ट में यह कहा है कि मानवजनित कारणों की वजह से समुद्रों की अम्लीयता (Acidification) में पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रभाव:

- जीवाश्म ईंधन जनित विश्व के कुल उत्सर्जन का लगभग एक-चौथाई हिस्सा महासागरों द्वारा अवशोषित किया जाता है लेकिन ईंधन की बढ़ती मांग से यह आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में विश्व के अधिकांश समुद्र संतृप्त अवस्था (Saturation Point) में पहुँच जाएंगे।
- यदि वर्तमान स्थिति बनी रही तो महासागर वर्ष 2100 तक अपने कुल ऑक्सीजन का 3-4 प्रतिशत ऑक्सीजन खो देंगे। ऑक्सीजन में होने वाली यह कमी मुख्य तौर पर समुद्र की ऊपरी सतह में 1000 मीटर तक होती है जो कि जैव-विविधता के लिहाज़ से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- समुद्री प्रजातियों में शार्क, मर्लिन तथा टूना आदि, जिनका आस्तित्व जोखिम में है, ऑक्सीजन की कमी को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। बड़े शरीर तथा अधिक उर्जा की मांग की वजह से इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है।

आगे की राह:

- महासागरों में हो रहे ऑक्सीजन की कमी को रोकने के लिये आवश्यक है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की जाए।
- समुद्री तटों पर कृषि एवं अन्य स्रोतों द्वारा होने वाले न्यूट्रियेन्ट पॉल्यूशन (Nutrient Pollution) की रोकथाम के लिये आवश्यक है कि समुद्री जल में मिलने से पूर्व इनका उपचार किया जाए।

न्यूट्रियेन्ट पॉल्यूशन (Nutrient Pollution) या सुपोषण (Eutrophication):

- घरेलू कचरे, औद्योगिक इकाइयों तथा कृषि से उत्सर्जित अपशिष्ट, जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन उर्वरक मौजूद होते हैं, को नदियों में बहाया जाता है। फास्फोरस व नाइट्रोजन जैसे तत्त्वों के पानी में मौजूद होने के कारण इसकी उर्वरता बढ़ जाती है।
- इससे जल में शैवाल एवं अन्य वनस्पतियों का अत्यधिक विकास हो जाता है तथा इसके प्रत्युत्तर में जल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है।

नोट :

- समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिये देशों को वर्तमान में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में चल रहे COP25 में एक वृहत रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिससे समुद्रों को गर्म तथा अम्लीय होने से बचाया जा सके।
- जून, 2020 में विश्व के प्रतिनिधि IUCN की विश्व संरक्षण कॉन्ग्रेस (World Conservation Congress) के लिये फ्राँस के शहर मर्से (Marseille) में एकत्रित होंगे जहाँ इस समस्या से निपटने के लिये देशों को आपस में व्यापक सहमति बनाने की आवश्यकता है।

तटीय पर्यावरण

चर्चा में क्यों ?

गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद् प्रफुल्ल समंतारा ने पश्चिम बंगाल के दीघा से दक्षिणी ओडिशा के गोपालपुर तक प्रस्तावित तटीय राजमार्ग का विरोध किया है।

मुख्य बिंदु:

- इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 415 किमी. है जो कि ओडिशा के तटीय क्षेत्र से होकर गुज़रेगा।
- अप्रैल 2015 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 7500 करोड़ रूपए की लागत वाली इस परियोजना की घोषणा की थी।
- हाल ही में ओडिशा सरकार ने दीघा और सतपदा के बीच 320 किमी. के विस्तार को मंज़ूरी दे दी है परंतु सतपदा से चिल्का झील होते हुए गोपालपुर तक 95 किमी. के राजमार्ग विस्तार को अभी मंज़ूरी नहीं मिली है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी इस प्रस्तावित राज़मार्ग का अवलोकन किया है क्योंकि यह प्रसिद्ध चिल्का झील तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुज़रेगा।

प्रफुल्ल समंतारा द्वारा राजमार्ग के विरोध में दिये गए तर्क:

- प्रफुल्ल समंतारा के अनुसार, यह परियोजना ओडिशा के संवेदनशील तटीय पर्यावरण को खतरे में डाल देगी तथा चिल्का झील एवं भीतरकनिका जैसे प्रमुख जैव विविधताओं वाले क्षेत्र इससे प्रभावित होंगे।
- यह परियोजना मैंग्रोव वनों को नुकसान पहुँचाएगी तथा समुद्री क्षरण के खतरे को बढ़ावा देगी।
- मैंग्रोव वन बाढ़ और ज्वार के खिलाफ प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करते हैं और समुद्र तटों की रक्षा करते हैं।
- यह तटीय राजमार्ग तटीय क्षेत्र में स्थित लगभग 33% मैंग्रोव वनों को समाप्त कर देगा।
- पर्यटन तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में इस तटीय राजमार्ग की कोई विशेष भूमिका नहीं होगी क्योंकि ओडिशा से गुज़रने वाला NH-16 भी तट से अधिक दूर नहीं है।

कौन हैं प्रफुल्ल समंतारा ?

- प्रफुल्ल समंतारा एक प्रसिद्ध पर्यवारणविद् हैं जिन्होंने ओडिशा के डोंगरिया कोंड आदिवासियों के भूमि अधिकारों के लिये 12 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और उनके पूजनीय स्थल नियामगिरी पर्वत को खनन से बचाया।
- प्रफुल्ल समंतारा 'ग्रीन नोबेल' के नाम से लोकप्रिय गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाले भारत के छठे व्यक्ति हैं। यह पुरस्कार उन्हें एशिया क्षेत्र में पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिये वर्ष 2017 में दिया गया था।
- इससे पहले यह पुरस्कार मेधा पाटकर, एम.सी. मेहता, राशिदा बी और चंपा देवी शुक्ला को संयुक्त रूप से तथा रमेश अग्रवाल को मिल चुका है।

हरित ऊर्जा वित्त के लिये 'ग्रीन विंडो'

चर्चा में क्यों ?

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) 'नवीकरणीय ऊर्जा की सुविधा से वंचित तबकों को ऊर्जा सुलभ कराने के लिये ग्रीन विंडो' का निर्माण करेगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- स्पेन के मैड्रिड में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP 25) में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, इरेडा ग्रीन विंडो का निर्माण करेगी।
- भारत के रणनीतिक हितों के लिये नवीकरणीय ऊर्जा निरंतर सस्ती एवं बेहतर होती जा रही है और यह इरेडा की ग्रीन विंडो नवीकरणीय ऊर्जा के बाज़ार को काफी बढ़ावा देगी।
- भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में 450 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने संबंधी भारत का लक्ष्य देश में आर्थिक विकास की गति तेज़ करने में एक प्रमुख वाहक साबित होगा।
- ग्रीन विंडो के लिये लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन पर विचार किया जा रहा है।
- इतना ही नहीं, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सुविधा सुनिश्चित करने के लिये अन्य एजेंसियों से 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की योजना की परिकल्पना की गई है।
- विशेषकर स्वच्छ ऊर्जा की अपेक्षाकृत कम मात्रा वाले बाज़ारों के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा वाली नई प्रौद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर उपयोग सुनिश्चित करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिये ग्रीन विंडो की स्थापना की जाएगी।
- निजी घरेलू बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों दोनों से ही पूंजी के अतिरिक्त स्रोतों से लाभ उठाने के लिये आरंभिक पूंजी का उपयोग किया जाएगा।

वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति

- भारत भी उन शीर्ष तीन देशों में शामिल है, जो वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में अगुवाई कर रहे हैं। अक्तूबर 2019 तक भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पहले ही 175 गीगावाट के अपने वर्ष 2022 के लक्ष्य के लगभग आधे हिस्से को प्राप्त कर चुकी है।
- 175 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल कर लेने से लाखों भारतीयों की हरित ऊर्जा तक पहुंच बढ़ जाएगी।
- इतना ही नहीं, इससे वर्ष 2022 तक देश में 3,00,000 से भी अधिक कामगारों के लिये एक मिलियन तक रोजगार अवसर सृजित हो सकते हैं।
- प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक के लिये तय लक्ष्य से भी काफी आगे बढ़ जाने और 450 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने संबंधी भारतीय प्रतिबद्धता की घोषणा की है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की मौजूदा स्थापित क्षमता से पाँच गुने से भी अधिक है।

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) (Indian Renewable Energy Development Agency Ltd-IREDA)

- यह भारत सरकार के 'नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक मिनीरत्न (श्रेणी 1) प्रकार की कंपनी है।
- इसका कार्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना तथा इनके विकास हेतु इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इसे 'कंपनी अधिनियम, 1956' की धारा 4'ए' के तहत 'सार्वजनिक वित्तीय संस्थान' (Public Financial Institution) के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- इसे 'भारतीय रिज़र्व बैंक' के नियमों के अंतर्गत 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' (Non-Banking Financial Company) के रूप में पंजीकृत किया गया है।
- इसे वर्ष 1987 में 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था' के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर गठित किया गया था।
- इसका उद्देश्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोमोट करना, इनका विकास करना तथा इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- कुछ समय पहले भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आई.आर.ई.डी.ए.) द्वारा तैयार किये जा रहे सोलर पार्कों के आंतरिक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये विश्व बैंक द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है, जिसे आई.आर.ई.डी.ए. के माध्यम से सोलर पावर पार्क डेवलपर्स (Solar Power Park Developers - SPPDs) को प्रदान कराया जाएगा।

[नोट: भारत में इरेडा और इरडा नाम से दो अलग-अलग निकाय मौजूद हैं। इन दोनों निकायों के बीच आपको किसी प्रकार की विभ्रांति न हो, इसके लिये हमने उक्त दोनों निकायों के विषय में संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत किया है।]

नोट :

'इरडा' (Insurance Regulatory and Development Authority-IRDA)

- यह एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन 'इरडा अधिनियम, 1999' के द्वारा किया गया है, जो भारतीय बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है।
- इस प्रधिकरण के कुछ महत्त्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
  - पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना।
  - अर्थव्यवस्था के विकास में तेज़ी लाने हेतु दीर्घकालिक धन उपलब्ध कराने तथा आम आदमी के हितों को सुनिश्चित करने के लिये बीमा उद्योग की त्वरित एवं व्यवस्थित वृद्धि के लिये।
  - बीमा धोखाधड़ी और अन्य कदाचारों को रोकने तथा इनके लिये प्रभावी शिकायत निवारण मशीनरी को लागू करने हेतु वास्तविक दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना।
  - विनियमन अथवा इसके नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत लोगों में उच्च स्तर की अखंडता, वित्तीय सुदृढ़ता और निष्पक्ष व्यवहार की योग्यता को स्थापित करना आदि।
- इस अधिनियम की धारा 4 इस प्राधिकरण की संरचना के संदर्भ में बताती है।
- इसके अनुसार, यह एक 10 सदस्यीय प्राधिकरण है, जिसमें 1 अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं तथा सभी को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़ (COP) का 25वाँ सत्र संपन्न

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) के अंतर्गत शीर्ष निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) के 25वें सत्र का आयोजन 2-13 दिसंबर, 2019 तक स्पेन की राजधानी मैड्रिड (Madrid) में किया गया।

मुख्य बिंदु:

- स्पेन में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता चिली सरकार द्वारा की गई क्योंकि चिली ने देश में आंतरिक कारणों के चलते विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए इस सम्मेलन के आयोजन में असमर्थता जताई थी।
- यह जलवायु वार्ता जलवायु परिवर्तन के एजेंडे में शामिल महत्त्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई।

COP-25 में उठाए गए कदम:

- COP-25 के अंत में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने उन गरीब देशों की मदद करने के लिए एक घोषणा का समर्थन किया जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे हैं, हालाँकि उन्होंने ऐसा करने के लिये किसी धन का आवंटन नहीं किया।
- COP-25 की अंतिम घोषणा में 2015 के ऐतिहासिक पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप पृथ्वी पर वैश्विक तापन के लिये उत्तरदायी ग्रीनहाउस गैसों में कटौती के लिये "तत्काल आवश्यकता" का आह्वान किया गया।
- वार्ताकारों ने वर्ष 2020 में ग्लासगो में होने वाले COP-26 के लिये कई जटिल मुद्दों को अनुत्तरित छोड़ दिया।
- इस वार्ता में विकासशील देशों द्वारा बढ़ते तापमान के कारण होने वाली हानि के लिये उत्तरदायित्व संबंधी मुद्दों पर ज़ोर दिया गया जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका ने विरोध किया।
- पेरिस समझौते के अंतर्गत एक नए कार्बन बाज़ार के लिये नियमों को अगले वर्ष के लिये स्थानांतरित करने के साथ मैड्रिड वार्ता का कोई विशेष परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।
- कुछ देश, विशेष रूप से बेहद संवेदनशील छोटे द्वीपीय देशों को वैश्विक तापन के चलते बढ़ते हुए समुद्र जल स्तर के कारण डूब जाने का डर है, उन्होंने सभी देशों को उनके द्वारा जलवायु कार्रवाई योजनाओं को अद्यतन करने के लिये की जा रही वास्तविक प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करने पर ज़ोर दिया।

नोट :

- इस तरह की मांगों का मुख्य रूप से चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे बड़े विकासशील देशों ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि किसी भी नई प्रतिबद्धता को तय करने से पहले विकसित देशों द्वारा अपने अतीत और वर्तमान में किये गए वादों को पूरा किया जाए।
- इन विकासशील देशों ने बार-बार इस ओर ध्यान दिलाया कि वर्तमान की यह स्थिति विकसित देशों द्वारा किये गए अंधाधुंध विकास का एक परिणाम है, जो वर्ष 2020 के पूर्व की अवधि के लिये तय अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं।
- उन्होंने जलवायु कार्रवाई पर विकसित देशों के प्रदर्शन का आकलन करने की मांग की है, जिसमें उनका विकासशील देशों के लिये वित्त तथा प्रौद्योगिकी प्रदान करने का दायित्व भी शामिल है।

कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़ (COP) क्या है ?

- यह UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है।
- इसके तहत विभिन्न प्रतिनिधियों को सम्मेलन में शामिल किया गया है।
- यह हर साल अपने सत्र आयोजित करता है।
- COP, सम्मेलन के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक निर्णय लेता है और नियमित रूप से इन प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

पेरिस जलवायु समझौता:

- इस ऐतिहासिक समझौते को वर्ष 2015 में 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क' (UNFCCC) की 21वीं बैठक में अपनाया गया, जिसे COP-21 के नाम से जाना जाता है।
- इस समझौते को वर्ष 2020 से लागू किया जाना है। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि सभी देशों को वैश्विक तापमान को औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है (दूसरे शब्दों में कहें तो 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है) और 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिये सक्रिय प्रयास करना है।
- पहली बार विकसित और विकासशील देश दोनों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (INDC) को प्रस्तुत किया, जो प्रत्येक देश का अपने स्तर पर स्वेच्छा से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक विस्तृत कार्रवाइयों का समूह है।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2020 में भारत ने अपने रैंक में सुधार करते हुए 9वाँ स्थान प्राप्त किया है।

मुख्य बिंदु:

- कोई भी देश सूचकांक में समग्र रूप से सभी सूचकांक श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाया है। इसलिये एक बार फिर पहले तीन स्थान रिक्त रहे।
- इस सूचकांक को मैड्रिड में आयोजित COP-25 के आयोजन के दौरान जारी किया गया।
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2020 में स्वीडन ने 75.77 अंक प्राप्त कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। वहीं इस सूचकांक में अमेरिका 18.60 अंक प्राप्त कर अंतिम स्थान पर है।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2020: (Climate Change Performance Index-2020)

- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मनवॉच (Germanwatch), न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट(New Climate Institute) और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (Climate Action Network) द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है।
- यह रैंकिंग चार श्रेणियों - 'ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन' 'नवीकरणीय ऊर्जा', 'ऊर्जा उपयोग' तथा 'जलवायु नीति' के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी की गई है।
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2020 मानकीकृत मानदंडों के आधार पर 57 मूल्यांकित देशों और यूरोपीय संघ के भीतर जलवायु संरक्षण और प्रदर्शन के क्षेत्र में मुख्य क्षेत्रीय अंतर को दर्शाता है।

नोट :

- पेरिस समझौता वर्ष 2020 में कार्यान्वयन चरण में प्रवेश कर रहा है, जहाँ देश अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करेंगे, अत: इस सन्दर्भ में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का उद्देश्य जलवायु महत्त्वाकांक्षा को बढ़ाने की प्रक्रिया को सूचित करना है।
- इस सूचकांक में रैंक निर्धारित करने वाली चार श्रेणियों को मिलने वाली वरीयता का क्रम निम्न प्रकार है-
  - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (40% वरीयता)
  - नवीकरणीय उर्जा (20% वरीयता)
  - उर्जा उपयोग (20% वरीयता)
  - जलवायु नीति (20% वरीयता)
- इस सूचकांक में सबसे निम्न रैंकिंग वाले तीन देश इस प्रकार हैं- संयुक्त राज्य अमेरिका (61), सऊदी अरब (60), ताइवान (59)।
- पहली बार 2005 में जारी किये जाने के बाद से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये देशों द्वारा किये गए प्रयासों की निगरानी करता है।
- इसका उद्देश्य उन देशों पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ाना है जो अब तक जलवायु संरक्षण पर महत्त्वाकांक्षी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2020 में भारत का प्रदर्शन:

- भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2020 में 66.02 अंक प्राप्त करके इस सूचकांक में 9वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2019 में वह 62.93 अंकों के साथ 11वें स्थान पर था।
- इस प्रकार सूचकांक को निर्धारित करने वाली चार श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन इस प्रकार है-
  - ग्रीनहाउस गैस- 11वाँ रैंक
  - नवीकरणीय उर्जा- 26वाँ रैंक
  - उर्जा उपयोग- 9वाँ रैंक
  - जलवायु नीति- 15वाँ रैंक

पॉल्युशन एंड हेल्थ मीट्रिक्स रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ग्लोबल एलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्युशन (Global Alliance on Health and Pollution- GAHP) द्वारा 2019 पॉल्युशन एंड हेल्थ मीट्रिक्स: ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री एनालिसिस रिपोर्ट (2019 Pollution and Health Metrics: Global, Regional and Country Analysis report) जारी की गई।

- यह रिपोर्ट लांसेट कमीशन ऑन हेल्थ एंड पॉल्युशन (Lancet Commission on Pollution and Health) के निष्कर्षों पर आधारित है।

मुख्य बिंदु:

- इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में वैश्विक स्तर पर हुई कुल मौतों में 15% मौतें प्रदूषण की वजह से हुईं।
- विश्व में प्रदूषण की वजह से होने वाली असामयिक मौतों (Premature Deaths) के मामले में शीर्ष देशों की सूची में भारत (23 लाख) पहले स्थान पर तथा चीन (18 लाख) दूसरे स्थान पर है। अमेरिका (1 लाख 96 हज़ार) इस सूची में सातवें स्थान पर है।
- प्रदूषण की वजह से प्रति 1 लाख जनसंख्या पर होने वाली कुल असामयिक मौतों के मामले में चाड (287) पहले स्थान पर है जबकि, इस सूची में भारत (174) दसवें स्थान पर है।
- केवल वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली असामयिक मौतों के मामले में चीन (12 लाख 42 हज़ार) पहले, भारत (12 लाख 40 हज़ार) दूसरे तथा पाकिस्तान (1 लाख 28 हज़ार) तीसरे स्थान पर है।

नोट :

- भारत एकमात्र देश है जो कि इस रिपोर्ट द्वारा जारी तीनों सूचियों में शामिल है।
- हालाँकि वर्ष 2015 से 2017 के दौरान प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों में कमी आई है। वर्ष 2015 में प्रदूषण की वजह से 90 लाख मौतें हुईं जबकि, वर्ष 2017 में ये 83 लाख रह गईं।
- इन रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ प्रदूषण के परंपरागत स्रोतों जैसे- गंदगी तथा घरेलू धुआँ आदि में कमी आई है वहीं आधुनिक स्रोतों जैसे- शहरीकरण एवं औद्योगीकरण आदि में वृद्धि हुई है।
- वैश्विक स्तर पर आधुनिक प्रदूषण की वजह से प्रतिवर्ष 53 लाख लोगों की मौत होती है जो कि अन्य सभी कारणों में सर्वाधिक है।
- रिपोर्ट के अनुसार, हृदय से संबंधित कुल रोगों के 21%, हृदयाघात के 23%, इस्केमिक (Ischemic) हृदय रोग के 26% तथा फेफड़ों के कैंसर के 43% मामलों में होने वाली कुल मौतों का कारण प्रदूषण था।

यूरोपीय संघ ग्रीन डील

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूरोपीय संघ (European Union- EU) की वार्षिक जलवायु वार्ता (Annual Climate Talk) स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक निराशाजनक परिणाम के साथ समाप्त हुई।

- यह वार्ता पेरिस जलवायु समझौते (Paris Climate Agreement) के तहत स्थापित किये जाने वाले एक नए कार्बन बाज़ार के नियमों को परिभाषित करने में विफल रही।
- वैज्ञानिक आकलन के मद्देनजर वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से निपटने के मौजूदा प्रयास पर्याप्त नहीं हैं।
- यूरोपीय संघ (जिसमें 28 सदस्य देश हैं) विश्व में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ग्रीनहाउस गैसों के तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है।
- यूरोपीय संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन पर अतिरिक्त उपायों की एक घोषणा, यूरोपीय संघ ग्रीन डील (European Union Green Deal) की गई थी।

यूरोपीय संघ ग्रीन डील के बारे में:

दो प्रमुख फैसले यूरोपीय ग्रीन डील के केंद्र में हैं।

- **जलवायु तटस्थता (Climate Neutrality)**
  - यूरोपीय संघ ने वर्ष 2050 तक 'जलवायु तटस्थ' बनने हेतु सभी सदस्य देशों के लिये एक कानून लाने का वादा किया है।
  - जलवायु तटस्थता जिसे सामान्यत: शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की स्थिति के रूप में व्यक्त किया जाता है, देश के कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करती है। इसके अंतर्गत वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों का अवशोषण और निष्कासन जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
  - वनों को बढ़ाकर अधिक कार्बन सिंक (Carbon Sink) द्वारा अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है, जबकि कार्बन की मात्रा हटाने में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (Carbon Capture and Storage) जैसी प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।
  - वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पिछले कुछ समय से देशों द्वारा मांग की जा रही थी । संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सितंबर में महासभा सत्र के मौके पर एक विशेष बैठक बुलाई थी ताकि देशों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके परिणामस्वरूप 60 से अधिक देशों ने अपने जलवायु कार्यवाही (Climate Action) या वर्ष 2050 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन ये सभी अपेक्षाकृत छोटे उत्सर्जक देश हैं।
  - यूरोपीय संघ वर्ष 2050 तक जलवायु तटस्थता लक्ष्य की प्राप्ति पर सहमत होने वाला पहला बड़ा उत्सर्जक है। उसने कहा है कि वह लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये यूरोपीय संघ में अगले वर्ष मार्च तक एक प्रस्ताव लाएगा।
- **2030 उत्सर्जन कटौती लक्ष्य में वृद्धि:**
  - पेरिस जलवायु समझौते के तहत घोषित अपनी जलवायु कार्ययोजना में यूरोपीय संघ वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन में 40% की कमी करने के लिये प्रतिबद्ध है। अब इस कमी को कम-से-कम 50% तक बढ़ाने और 55% की दिशा में काम करने का वादा किया गया है।

नोट :

- इसके विपरीत अन्य विकसित देशों द्वारा कम महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन लक्ष्य घोषित किये गए हैं। उदाहरण के लिये अमेरिका ने वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में 26-28% की कटौती करने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन पेरिस जलवायु समझौते से हटने के बाद अब वह उस लक्ष्य को पूरा करने के लिये भी बाध्य नहीं है।
- यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिये वर्ष 1990 को आधार को बनाने के विपरीत अन्य सभी विकसित देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) के अनिवार्य लक्ष्य के तहत अपने आधार वर्ष को वर्ष 2005 या पेरिस जलवायु समझौते के तहत स्थानांतरित कर दिया है।

यूरोपीय संघ ग्रीन डील हेतु किये गए प्रयास:

- ग्रीन डील में इन दो समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये क्षेत्रीय योजनाएँ शामिल हैं और नीतिगत बदलावों के प्रस्ताव की भी आवश्यकता होती है।
- उदाहरणस्वरूप इसमें वर्ष 2030 तक इस्पात उद्योग को कार्बन-मुक्त बनाने, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों के लिये नई रणनीति, रेलवे के प्रबंधन में संशोधन तथा उन्हें अधिक कुशल बनाने एवं वाहनों हेतु अधिक कठोर वायु प्रदूषण उत्सर्जन मानकों का प्रस्ताव है।

कार्बन उत्सर्जन पर अन्य देशों की स्थिति:

- यूरोपीय संघ उत्सर्जन को कम करने के लिये अन्य विकसित देशों की तुलना में बेहतर कार्य कर रहा है। उत्सर्जन में कमी के संदर्भ में यह संभवत: यूरोपीय संघ के बाहर किसी भी विकसित देश के विपरीत वर्ष 2020 के लक्ष्य को पूरा करने के लिये प्रगति पर है।
- कनाडा जो क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर चला गया, ने पिछले वर्ष बताया कि वर्ष 2005 के उत्सर्जन से इसका उत्सर्जन 4% कम था, लेकिन यह वर्ष 1990 की तुलना में लगभग 16% अतिरिक्त था।

कार्बन उत्सर्जन से संबंधित अन्य मुद्दे:

- हालाँकि यूरोपीय संघ भी अपने सभी जलवायु दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद के लिये विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण करने का प्रावधान किया गया है।
- इस प्रावधान के तहत विकासशील देशों की अनुकूलन ज़रूरतों के लिये यूरोपीय संघ से वित्त का सीमित प्रवाह देखा गया है, साथ ही नई जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के पेटेंट और स्वामित्व से संबंधित नियमों में भी परिवर्तन किया गया है।
- यही कारण है कि वर्ष 2020 के पूर्व की अवधि में भारत और चीन जैसे विकासशील देश विकसित देशों के अप्रभावित दायित्वों के मुद्दे को बार-बार उठाते रहे हैं, जिनको क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा कवर किया गया है।

समझौते की घोषणा करते हुए यूरोपीय संघ ने अन्य देशों से भी इस कार्य के प्रति अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का आग्रह किया क्योंकि सभी देशों के साझे प्रयास के बिना जलवायु परिवर्तन को रोक पाना संभव नही है।

हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पोषित हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट (High Range Mountain Landscape Project) को केरल के 11 ग्राम पंचायतों में नए नाम से पुन: शुरू किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- स्थानीय लोगों और विशेषकर इडुकी ज़िले के लोगों के विरोध के कारण यह परियोजना वर्ष 2014 से लंबित थी जिसे अब 2,198 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इस परियोजना का नया नाम 'अंचुनाद गाँव और उसके आस-पास के क्षेत्र में बहु-उपयोगी प्रबंधन के माध्यम से सतत आजीविका और जैव विविधता संरक्षण' (Sustainable Conservation Through Multiuse Management of Anchunad and Adjoining Landscape) रखा गया है।

नोट :

- इस परियोजना में हरित केरलम मिशन ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष प्रयोजन वाहन है और परियोजना को वन क्षेत्रों के अंदर वन विभाग द्वारा एवं वन क्षेत्रों के अंतर्गत पंचायतों में पर्यावरण-विकास समितियों तथा वन संरक्षण समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इस परियोजना को वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- यह परियोजना इडुकी ज़िले के देविकुलम ब्लॉक के एदामालाक्कुदी (Edamalakkuddy), मुन्नार, देविकुलम, चिन्नाकनाल, मांकुलम, मरायुर, कन्थाल्लुर और बत्तावड़ा ग्राम पंचायत तथा आदिमाली ब्लॉक के आदिमाली ग्राम पंचायत एवं कुट्टमपुझा (एर्नाकुलम ज़िला), अथिराप्पिल्ली (थ्रिशूर ज़िला) ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित की जा रही है।
- गौरतलब है कि इन 11 ग्राम पंचायतों में से 9 पंचायतें केवल इडुकी ज़िले की हैं।
- यह परियोजना मुन्नार वन्यजीव डिवीज़न, मुन्नार प्रादेशिक डिवीज़न, मरायुर चंदन डिवीजन, मांकुलम, मलयत्तूर, वाझाचल, चालकुडी और थेट्टेकल पक्षी अभयारण्य के तहत आठ वन विकास एजेंसियों को भी कवर करेगी।
- वर्ष 2014 में परियोजना के खिलाफ इडुकी ज़िले में कड़ा प्रतिरोध किया गया था जिसके कारण इस परियोजना को रोक दिया गया था।
- UNDP कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन, जल स्रोत का संरक्षण, सतत् कृषि, आजीविका कार्यक्रम और हरित केरलम मिशन को इस परियोजना के तहत लागू किया जाएगा।

हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट

भारत हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change), केरल सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के बीच एक साझेदारी तथा वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility) द्वारा समर्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी घाट के पर्वतीय परिदृश्य में जैव-विविधता के संरक्षण के लिये एक प्रभावी बहु-उपयोग प्रबंधन ढाँचा विकसित करना है।

प्रोजेक्ट के लक्ष्य:

- पर्वतीय परिदृश्य के बहु-उपयोग के लिये प्रभावी प्रशासनिक रूपरेखा तैयार करना।
- मुन्नार परिदृश्य की पारिस्थितिक अखंडता को सुरक्षित करना।
- संसाधनों के समुदाय-आधारित सतत् उपयोग और प्रबंधन के लिये क्षमताओं को मज़बूत करना।

प्रोजेक्ट का महत्त्व:

- यह प्रोजेक्ट विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण भारत की पर्वतीय जैव-विविधता के स्थायी प्रबंधन में योगदान करेगा।
- यह जैव-विविधता के संरक्षण संबंधी विचारों को उत्पादन क्षेत्रों से जोड़ने में मदद करेगा।
- यह जलवायु परिवर्तन तथा अन्य संबद्ध समस्याओं के प्रत्याशित प्रभावों सहित प्रतिगामी कारकों को संबोधित करेगा।

हरित केरलम मिशन (Haritha Keralam Mission):

- केरल सरकार द्वारा राज्य को स्वच्छ और हरित बनाने के लिये 8 दिसंबर, 2016 को 'हरित केरलम मिशन' शुरू किया गया था।
- इसके तहत सरकारी कार्यालयों में हरित प्रोटोकॉल लागू किये जाने का प्रावधान है तथा इसके अंतर्गत CMO और सचिवालय स्थित अन्य कार्यालयों में किसी भी बैठक या कार्यक्रम में प्लास्टिक या डिस्पोज़ेबल सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
- इसके तहत प्लास्टिक की बोतलों, कैरी बैग, पैकेज्ड पेयजल, डिस्पोजेबल प्लेट और फ्लेक्स बोर्ड के उपयोग की इजाज़त नहीं होगी। केवल पर्यावरण अनुकूल सामग्री ही CMO कार्यालय सहित सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल की जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme- UNDP):

1. UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है।
2. इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
3. UNDP गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है।
4. इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिये नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमता तथा संस्थागत क्षमता को बढाने और लचीला बनाने में मदद करता है।

नोट :

पश्चिमी तट पर मैक्रो तथा माइक्रोप्लास्टिक से संबंधित अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (National Institute of Oceanography-NIO) द्वारा पश्चिमी तट पर मैक्रोप्लास्टिक (Macroplastic) तथा माइक्रोप्लस्टिक (Microplastic) के प्रदूषण से संबंधित अध्ययन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- NIO द्वारा किये इस अध्ययन की रिपोर्ट का शीर्षक 'भारत के पश्चिमी तट पर मैक्रो और माइक्रोप्लास्टिक का आकलन: आधिक्य, वितरण, बहुलक के प्रकार, विषाक्तता' (Assessment of Macro and Micro Plastics along the West Coast of India: Abundance, Distribution, Polymer type and Toxicity) है।
- शोधकर्त्ताओं ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 10 समुद्र तटों (Beaches) पर दो वर्षों तक मैक्रो और माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण तथा समुद्री जीवों पर उनके विषाक्त प्रभाव का अध्ययन किया।

अध्ययन से संबंधित मुख्य बिंदु:

- कर्नाटक और गोवा की तुलना में महाराष्ट्र में उच्च ज्वार रेखा (High Tide Line) पर स्थित समुद्र तटों पर मैक्रो तथा माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषकों की अधिक मात्रा पाई गई।
- महाराष्ट्र में मैक्रो और माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषकों की सबसे अधिक मात्रा पाए जाने का कारण भूमि-आधारित है, जिसमें तट के समीप स्थित प्लास्टिक उद्योग, बंदरगाह क्षेत्र, पेट्रोलियम उद्योग एवं पर्यटन गतिविधियाँ में वृद्धि शामिल है।
- इन समुद्र तटों पर प्लास्टिक के प्रदूषित पदार्थ सफेद, हल्के पीले, गहरे भूरे, हरे, नीले और लाल जैसे विभिन्न रंगों में पाए गए।
- प्लास्टिक के संदूषित पदार्थों से समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिये शोधकर्त्ताओं ने सरकारों को एकल-उपयोग प्लास्टिक (Single Use Plastic) के उपयोग को हतोत्साहित करने तथा प्लास्टिक का पुनर्चक्रण (Recycling) बढ़ाने से संबंधित नीतियों के निर्माण की सलाह दी है।
- शोधकर्त्ताओं ने सरकारों को लोगों में प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के संबंध में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन की भी सलाह दी है।

मैक्रोप्लास्टिक तथा माइक्रोप्लास्टिक:

पाँच मिलीमीटर से कम लंबाई वाले प्लास्टिक के टुकड़े को माइक्रोप्लास्टिक तथा पाँच मिलीमीटर से अधिक लंबाई वाले टुकड़े को मैक्रोप्लास्टिक कहते हैं।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान:

- यह एक बहु-विषयक महासागरीय अनुसंधान संस्थान है एवं 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद' (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR) की घटक प्रयोगशालाओं में से एक है।
- इसका मुख्यालय 'डोना पाउला' (गोवा) में स्थित है, इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय कोच्चि (केरल), मुंबई (महाराष्ट्र) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में स्थित हैं।
- इसकी स्थापना वर्ष 1960 के अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान के तहत 1 जनवरी 1966 को हुई थी।
- इस संस्थान का मुख्य कार्य हिंद महासागर की महासागरीय विशेषताओं का परीक्षण करना तथा उन्हें समझना है।
- इस संस्थान द्वारा समुद्र विज्ञान की जैविक, रासायनिक, भू-गर्भीय और भौतिक विशेषताओं से संबंधित शाखाओं में शोध किया जाता है, साथ ही समुद्र इंजीनियरिंग, समुद्री उपकरण तथा समुद्री पुरातत्व विषयों में भी शोध किया जाता है।

नोट :

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U)

चर्चा में क्यों ?

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) के तहत भारत ने ODF (खुले में शौच मुक्त) बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

प्रमुख बिंदु:

- 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों को ODF घोषित किया गया है और अन्य शहर भी इसे हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
- 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्र ODF बन गए हैं। कुल मिलाकर 4,320 शहरों (4,372 में से) ने खुद को ODF घोषित किया है, जिनमें से 4,167 शहरों को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs- MoHUA) ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) को एक सफल परियोजना बनाने के लिये विभिन्न पहलें शुरू की हैं।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) के तहत प्रमुख परियोजनाएँ:

ODF, ODF+ और ODF++ प्रोटोकॉल:

- ODF मानदंड के तहत सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों के नियमित इस्तेमाल के लिये उनकी कार्यात्मकता और उचित रखरखाव को सुनिश्चित करते हुए इनके संचालन व रख-रखाव पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- ODF+ मानदंड के तहत व्यक्ति को खुले में शौच या मूत्रत्याग नहीं करना चाहिये। सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव और साफ-सफाई की जानी चाहिये।
- ODF++ मानदंड के तहत शौचालयों से मल और कीचड़ का सुरक्षित निस्तारण करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाता है कि ऐसा कोई भी अशोधित कीचड़ खुले नालों, जल निकायों या खुले में न बहा दिया जाए।

अब तक 819 शहरों को ODF+ और 312 शहरों को ODF++ से प्रमाणित किया गया है।

वाटर+

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा (MoHUA) वाटर+ प्रोटोकॉल को यह सुनिश्चित करने के लिये डिज़ाइन किया गया कि किसी भी अनुपचारित अपशिष्ट जल को खुले वातावरण या जल निकायों में न बहाया जाए।

गूगल के साथ भागीदारी

MoHUA ने सभी सार्वजनिक शौचालयों की मैपिंग करने के लिये Google के साथ भागीदारी की है ताकि नागरिकों को स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँचने में आसानी हो।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:

वर्तमान में 96% वार्डों में डोर-टू-डोर संग्रह द्वारा कुल उत्पन्न अपशिष्ट का लगभग 60% संसाधित किया जा रहा है।

अपशिष्ट मुक्त शहरों के लिये स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल: यह 12 मापदंडों पर आधारित है जो एक स्मार्ट फ्रेमवर्क का पालन करते हैं-

- रेटिंग के अनुसार 4 शहरों इंदौर (मध्य प्रदेश), अंबिकापुर (छत्तीसगढ़), नवी मुंबई (महाराष्ट्र) और मैसूर (कर्नाटक) को 5-स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है।
- 57 शहरों को 3-स्टार और 4 शहरों को 1-स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने सड़क निर्माण के लिये प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India- NHAI) के साथ भागीदारी की है।
- इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट को जमा करना, गीले अपशिष्ट की प्रसंस्करण की सुविधाओं की क्षमता का उपयोग करना, साथ ही पुन: उपयोग की सुविधा स्थापित करने के लिये कहा गया है।

नोट :

- MoHUA ने अलग-अलग शहरी स्थानीय निकाय से 100 - 200 किमी के दायरे में स्थित 46 सीमेंट संयंत्रों का नक्शा बनाने के लिये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (CMA) के साथ भागीदारी की है, जहाँ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन संग्रह केन्द्रों पर प्लास्टिक अपशिष्ट भेजा जा सकता है तथा बाद में वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग के लिये सीमेंट संयंत्रों को भेजा जा सकता है।
- 2019 के 'स्वछता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत 3,200 शहरों में 1,06,000 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 7 करोड़ से अधिक शहरी निवासियों ने भागीदारी की, और 7,700 मीट्रिक टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण:

- स्वच्छ सर्वेक्षण (2020) 4 जनवरी, 2020 से शुरू होने वाला है और यह 31 जनवरी, 2020 तक जारी रहेगा।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने स्वच्छ सर्वेक्षण (SS 2020) लीग 2020 की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत भारत के शहरों एवं कस्बों में स्वच्छता अथवा साफ-सफाई का तिमाही आकलन किया जाएगा।
- स्वच्छ सर्वेक्षण एक अभिनव सर्वेक्षण है जो स्वच्छ भारत मिशन - शहरी के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा किया जाता है, ताकि विभिन्न सफाई और स्वच्छता संबंधी मापदंडों पर शहरों की रैंकिंग की जा सके।
- यह सर्वेक्षण स्वच्छता की अवधारणा के प्रति स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा की भावना वाले शहरों को प्रोत्साहित करने में सफल रहा है।
- वर्ष 2016 में अपने पहले दौर में 'स्वच्छ सर्वेक्षण' का आयोजन 10 लाख और उससे अधिक आबादी वाले 73 शहरों में किया गया था।
- 2017 में 434 शहरों का सर्वेक्षण किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में 4,203 शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies-ULB) और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में 4,237 शहर शामिल किये गए।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 इस मायने में अद्वितीय था, इसमें सेवा स्तर का मूल्यांकन पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस था।
- यह वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 43 करोड़ शहरी नागरिकों को प्रभावित करता है और दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है।

आगे की राह

स्वच्छ भारत मिशन, मल कीचड़ प्रबंधन और 100% अपशिष्ट जल उपचार और पुन: उपयोग के माध्यम से समग्र और स्थायी स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में मिशन का उद्देश्य स्रोत पर ही अपशिष्ट का निष्पादन उसका संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके साथ ही मिशन द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन तथा अपशिष्ट भराव क्षेत्र एवं अपशिष्ट युक्त स्थलों का वैज्ञानिक तरीके से उपचार पर भी ज़ोर दिया जाएगा।

हर्बिसाइड प्रदूषण एवं कार्बन डॉट्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में असम के शोधकर्त्ताओं ने कार्बन नैनो कणों/कार्बन डॉट्स (Carbon Dots) के उत्पादन हेतु जलकुंभी (Water Hyacinth) पौधे का प्रयोग किया।

प्रमुख बिंदु:

- जलकुंभी के उपयोग से उत्पादित इन अत्यधिक छोटे (10 नैनोमीटर से भी कम) कणों का इस्तेमाल (आमतौर पर प्रयोग किये जाने वाले) तृणनाशक/हर्बिसाइड- प्रेटिलाक्लोर (Pretilachlor) का पता लगाने के लिये किया जा सकता है।
- हर्बिसाइड का पता लगाने के मामले में इन नैनो कणों को चयनात्मक और संवेदनशील पाया गया।
- इस अध्ययन के आधार पर, शोधकर्त्ताओं का एक समूह प्रेटिलाक्लोर की ऑन-साइट पहचान करने के लिये एक पेपर स्ट्रिप-आधारित सेंसर विकसित करने पर कार्य कर रहा है।

कार्बन डॉट्स का निर्माण

- कार्बन डॉट्स के निर्माण हेतु जलकुंभी के पत्तों से पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल को पृथक किया गया, उसके बाद इन्हें सूखाकर पाउडर के रूप में परिवर्तित किया गया।

  जब एक नैनो कण का आकार 10 नैनोमीटर से कम होता है तो इस एक डॉट या नैनोडॉट कहा जाता है।
- इस पाउडर को कार्बन डॉट्स में परिवर्तित करने के लिये कई चरणों में इसे उपचारित किया गया जिसमें पाउडर को 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना भी शामिल था।

नोट :

क्रियाविधि

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, ये कार्बन डॉट्स पराबैंगनी प्रकाश में हरे रंग की प्रतिदीप्ति (Fluorescence) उत्पन्न करने में सक्षम हैं। इस प्रतिदीप्ति का कारण डॉट की सतह पर अत्यंत छोटे ऑक्सीजन कार्यात्मक समूह की उपस्थिति हैं।
- हर्बिसाइड की उपस्थिति में इन कार्बन डॉट्स की प्रतिदीप्ति प्रबलता बढ़ जाती है।
  - डॉट और हर्बिसाइड के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से प्रतिदीप्ति में वृद्धि होती है।
  - ये कार्बन डॉट प्रेटिलाक्लोर (हर्बिसाइड) के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं तथा यह हर्बिसाइड की अत्यंत कम मात्रा की पहचान करने में भी सक्षम है।

लाभ

- कार्बन डॉटस के माध्यम से हर्बिसाइड का पता लगाना तुलनात्मक रूप से एक सस्ता एवं बेहतर विकल्प है क्योंकि इस तकनीक में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाने वाली जलकुंभी सरलता से उपलब्ध हो सकती है।
- इस तकनीक की मदद से जलकुंभी जैसे अपशिष्ट पदार्थ का प्रयोग उपयोगी तकनीक के विकास में किया जा सकेगा।

हर्बिसाइड प्रदूषण (Herbicide Pollution):

गैर कृषि क्षेत्रों में अवांछनीय पौधों या खरपतवार को नष्ट करने के लिये हर्बिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब हर्बिसाइड अपने संपर्क में आने वाले उपयोगी पौधों को भी नष्ट कर देते हैं तो उसे हर्बिसाइड प्रदूषण कहा जाता है।

जलकुंभी (Water Hyacinth):

- यह एक जलीय पौधा (Hydrophytic Plant) है, जो जल की सतह पर तैरता है। इसका मूल स्थान दक्षिण अमेरिका है।
- यह अपनी संख्या को 2 सप्ताह में ही लगभग दोगुना करने की क्षमता रखता है। इसके बीजों में लगभग 30 वर्षों तक अंकुरण की क्षमता बनी रहती है।
- इसका वैज्ञानिक नाम Eichhornia crassipes है।

जलकुंभी के लाभ:

- जलकुंभी में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है, अत: इसका उपयोग बायोगैस उत्पादन के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है।
- जलकुंभी आर्सेनिक संदूषित पेयजल से आर्सेनिक को हटाने में भी सक्षम है। अत: पेयजल को शुद्ध करने का यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

फुकुशिमा परमाणु संयंत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जापान के आर्थिक एवं उद्योग मंत्रालय ने सुनामी से नष्ट हुए फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में भारी मात्रा में एकत्रित किए गए उपचारित किंतु अभी भी रेडियोएक्टिव जल के क्रमिक निस्तारण या वस्पोत्सर्जन का प्रस्ताव दिया है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2011 में फुकुशिमा दाई-ईची परमाणु संयंत्र (Fukushima Dai-ichi Nuclear Plant) के तीन रिएक्टर कोरों (Reactor Cores) में हुई दुर्घटना के 9 वर्ष बाद तक रिएक्टर कोर को ठंडा रखने के लिये प्रयोग किया जाने वाला जल, रिसाव के कारण इकट्ठा होता गया और उसे टैंकों में एकत्रित किया गया ताकि वह महासागरों में या अन्य कहीं न बह जाए।
- परमाणु संयंत्रों में रिएक्टर को ठंडा रखने के लिये जल का संग्रहण किया जाता है तथा यह जल रेडियोएक्टिव हो जाता है। फुकुशिमा में हुई घटना के बाद इस जल को टैंकों में संरक्षित कर लिया गया था ताकि वह समुद्र या अन्य स्थानों पर न प्रवाहित हो।
- पिछले कई वर्षों से जापान सरकार इस समस्या को हल करने तथा वहाँ के मछुआरों व निवासियों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उन्हें इस बात का भय है कि रेडियोएक्टिव जल को छोड़ने से स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं साथ ही साथ उस क्षेत्र की छवि तथा मछली-पालन उद्योग दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

नोट :

प्रस्तावित उपाय:

- TEPCO (Tokyo Electric Power Company) के अनुसार, इस जल का उपचार किया जा चुका है तथा इसमें मौजूद ट्रिटियम के अलावा 62 प्रकार के रेडियोएक्टिव तत्त्वों को उस स्तर तक निकाला जा सकता है जो मानव स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक नहीं है।
- ट्रिटियम को पूरी तरह जल से अलग करने की कोई स्थापित विधि मौजूद नहीं है लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी थोड़ी मात्रा नुकसानदायक नहीं होती है। किंतु ट्रिटियम के अलावा इस जल में मौजूद अन्य रेडियोएक्टिव तत्त्व जैसे- सीज़ियम (Cesium), स्ट्रोंटियम (Strontium), आदि कैंसर के कारक हैं तथा इनको भी आगे उपचारित करना पड़ता है।
- प्रस्तावित उपाय में कहा गया है कि संयंत्र से जल को नियंत्रित मात्रा में प्रशांत महासागर में छोड़ा जाए और उसे वाष्पोत्सर्जित (Evaporation) होने दिया जाए या इन दोनों विधियों को सम्मिलित तौर पर प्रयोग किया जाए।
- इस प्रकार से जल का समुद्र में नियंत्रित निकास एक अच्छा विकल्प होगा क्योंकि यह समुद्र में रेडियोएक्टिव जल की सांद्रता को स्थायी तौर पर कम करेगा और इसको समुद्र के जल में समिश्रित करेगा तथा इसकी निगरानी की जा सकेगी।
- प्रस्ताव में कहा गया है कि इस प्रकार जल के निकास में वर्षों लगेंगे तथा रेडिएशन स्तर को एक निर्धारित सीमा से कम रखा जाएगा।
- पूरे विश्व के परमाणु संयंत्रों से ट्रिटियम को निर्धारित तरीके से लगातार छोड़ा जाता है तथा दुर्घटना से पहले फुकुशिमा से भी छोड़ा जाता था। वर्ष 1979 में अमेरिका के थ्री माइल आइलैंड (Three Mile Island) परमाणु संयंत्र में हुई दुर्घटना के बाद वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा 8,700 टन ट्रिटियम प्रदूषित जल से छुटकारा पाने में 2 वर्ष लगे।
- इसके बाद वाष्पोत्सर्जन विधि को रेडियोएक्टिव जल के उपचार हेतु सर्वमान्य विधि के तहत स्वीकार किया गया।
- सरकार की पहले की रिपोर्टों में इस रेडियोएक्टिव जल के उपचार हेतु पाँच अन्य विधियाँ बताई गई थीं जिनमें जल को समुद्र में छोड़ना तथा वाष्पोत्सर्जन शामिल था। इसके अतिरिक्त अन्य विधियों में इसको भूमि में दबा देना एवं गहराई में स्थित भूगर्भीय परतों में इसे इंजेक्ट करना आदि शामिल था।

प्रभाव:

- TEPCO (Tokyo Electric Power Company) के अनुसार, वर्तमान में इस परमाणु संयंत्र के टैंकों में 1 मिलियन टन रेडियोएक्टिव जल को संग्रहीत किया गया है तथा इसकी कुल क्षमता 1.37 मिलियन टन है जो कि वर्ष 2022 के मध्य तक पूरी तरह समाप्त हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जल को अगले वर्ष होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद छोड़ा जाएगा।
- TEPCO व अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये टैंक फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को नष्ट करने की राह में एक बड़ी बाधा हैं। इसके अलावा इनके स्थान को खाली कराने की आवश्यकता है ताकि परमाणु संयंत्र से निकले मलबे तथा अन्य रेडियोएक्टिव पदार्थों को एकत्रित किया जा सके। इसके अलावा सुनामी, भूकंप या किसी अन्य आपदा की स्थिति में इन टैंकों से रिसाव भी हो सकता है।
- इसके अलावा इसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण में निहित तकनीकी समस्याएँ भी चुनौतीपूर्ण होती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों व अन्य विशेषज्ञों, जिन्होंने फुकुशिमा संयंत्र का निरीक्षण किया है, का मानना है कि इस जल को नियंत्रित तरीके से समुद्र में छोड़ना ही एकमात्र उचित विकल्प है।

पैनल में मौजूद कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसके स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये जिन्होंने पूर्व में भी इस जल के आकस्मिक रिसाव तथा जल के संभावित निकास के कारण अपनी छवि को नुकसान पहुँचते हुए देखा है। संभवत: इसीलिये तकनीकी तौर पर रेडियोएक्टिव जल को समुद्र में छोड़ना एक उचित विकल्प है।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट -2019

चर्चा मे क्यों ?

हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (The Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MoEFCC) के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2019 (India State of Forest Report, 2019- ISFR, 2019) जारी की गई है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से 'भारतीय वन सर्वेक्षण' द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- यह इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है।
- इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिये भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट-2 से प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिये आँकड़ों की जाँच हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है।
- इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिये पूरे देश में 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग किया गया है।
- वर्तमान रिपोर्ट में 'वनों के प्रकार एवं जैव विविधता' (Forest Types and Biodiversity) नामक एक नए अध्याय को जोड़ा गया है, इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित करके उनका 'चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण' (Champion & Seth Classification) के आधार पर आकलन किया जाएगा।

चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण:

- वर्ष 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन (Harry George Champion) ने भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय एवं मान्य वर्गीकरण किया था।
- वर्ष 1968 में चैंपियन एवं एस.के. सेठ (S.K Seth) ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिये इसे पुन: प्रकाशित किया।
- यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान और पादपी स्वरुप पर आधारित है।
- इस वर्गीकरण में वनों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित कर उन्हें 221 उपवर्गों में बाँटा गया है।
- वनों में रहने वाले व्यक्तियों की ईंधन, चारा, इमारती लकड़ियों एवं बाँस पर आश्रितता के आकलन के लिये एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन किया गया है।
- भारतीय वन सर्वेक्षण ने भूमि के ऊपर स्थित जैवभार (Above Ground Biomass) के आकलन के लिये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान (Indian Space Research Organisation) के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रारंभ की है और असम राज्य में 'पल्सर' (Phased array Type L-band Synthetic Aperture Radar-PALSAR) मोज़ैक (Mosaic) तथा भारतीय वन सर्वेक्षण के आँकड़ों के आधार पर जैवभार का आकलन किया जा चुका है।

ISFR, 2019 से संबंधित प्रमुख तथ्य:

देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल	**8,07,276 वर्ग किमी. (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56%)**
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र	**7,12,249 वर्ग किमी. (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67%)**
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र	**95,027 वर्ग किमी. (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89%)**
वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि	**3,976 वर्ग किमी. (0.56%)**
वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि	**1,212 वर्ग किमी. (1.29%)**
वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि	**5,188 वर्ग किमी. (0.65%)**

वनों की स्थिति से संबंधित राज्यवार आँकड़े:

सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य:

मिज़ोरम	85.41%
अरुणाचल प्रदेश	79.63%
मेघालय	76.33%
मणिपुर	75.46%
नगालैंड	75.31%

नोट :

सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य:

मध्य प्रदेश	77,482 वर्ग किमी.
अरुणाचल प्रदेश	66,688 वर्ग किमी.
छत्तीसगढ़	55,611 वर्ग किमी.
ओडिशा	51,619 वर्ग किमी.
महाराष्ट्र	50,778 वर्ग किमी.

वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य:

कर्नाटक	1,025 वर्ग किमी.
आंध्र प्रदेश	990 वर्ग किमी.
केरल	823 वर्ग किमी.
जम्मू-कश्मीर	371 वर्ग किमी.
हिमाचल प्रदेश	334 वर्ग किमी.

रिपोर्ट से संबंधित अन्य तथ्य:

रिकार्डेड फारेस्ट एरिया: (Recorded Forest Area)

- RFA/GW पद का उपयोग ऐसी भूमि के लिये किया जाता है, जिन्हें किसी सरकारी अधिनियम या नियम के तहत वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो या उसे सरकारी रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में दर्ज़ किया गया हो। ISFR-2019 में आद्रभूमियों को भी RFA के तौर पर शामिल किया गया है
- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत के रिकार्डेड फारेस्ट एरिया (Recorded Forest Area-RFA/GW) में 330 (0.05%) वर्ग किमी. की मामूली कमी आई है।
- भारत में 62,466 आर्द्रभूमियाँ देश के RFA/GW क्षेत्र के लगभग 3.83% क्षेत्र को कवर करती हैं।
- भारतीय राज्यों में गुजरात का सर्वाधिक और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का आर्द्रभूमि क्षेत्र RFA के अंतर्गत आता है।

भारत के वनों में बढ़ता हुआ कार्बन स्टॉक: (Total Carbon Stock in Indian Forest):

- वर्तमान आकलनों के अनुसार, भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में इसमें लगभग 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
- भारतीय वनों की कुल वार्षिक कार्बन स्टॉक में वृद्धि 21.3 मिलियन टन है, जोकि लगभग 78.1 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड (CO_2) के बराबर है।
- भारत के वनों में 'मृदा जैविक कार्बन' (Soil Organic Carbon-SOC) कार्बन स्टॉक में सर्वाधिक भूमिका निभाते हैं जोकि अनुमानत: 4004 मिलियन टन की मात्रा में उपस्थित हैं।
- SOC भारत के वनों के कुल कार्बन स्टॉक में लगभग 56% का योगदान देते हैं।

बाँस क्षेत्र:

- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बाँस भूमि लगभग 1,60,037 वर्ग किमी. अनुमानित है। ISFR-2017 की तुलना में कुल बाँस भूमि में 3,229 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।

नोट :

मैंग्रोव वनों की स्थिति:

- देश में मैंग्रोव वनस्पति में वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में कुल 54 वर्ग किमी.. (1.10%) की वृद्धि हुई है।

पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति:

- भारत के पहाड़ी ज़िलों में कुल वनावरण क्षेत्र 2,84,006 वर्ग किमी. है जोकि इन ज़िलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.30% है।
- वर्तमान आकलन में ISFR-2017 की तुलना में भारत के 144 पहाड़ी जिलों में 544 वर्ग किमी. (0.19%) की वृद्धि देखी गई है।

जनजातीय क्षेत्रों की स्थिति:

- भारत के जनजातीय ज़िलों में कुल वनावरण क्षेत्र 4,22,351 वर्ग किमी. है जोकि इन ज़िलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.54% है।
- वर्तमान आकलन के अनुसार, इन ज़िलों में RFA/GW के अंतर्गत आने वाले कुल वनावरण क्षेत्र में 741 वर्ग किमी. की कमी आई है तथा RFA/GW के बाहर के वनावरण क्षेत्र में 1,922 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र की स्थिति:

- उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कुल वनावरण क्षेत्र 1,70,541 वर्ग किमी. है जोकि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.05% है।
- वर्तमान आकलन के अनुसार, उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र में कुल वनावरण क्षेत्र में 765 वर्ग किमी. (0.45%) की कमी आई है।
- असम और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई है।

ईंधन की लकड़ियों के लिये आश्रितता:

- भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिये आश्रित राज्यों में महाराष्ट्र सर्वाधिक आश्रित राज्य है जबकि चारा, इमारती लकड़ी और बाँस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य मध्य प्रदेश है।
- यह देखा गया है कि भारत के वनों में रहने वाले लोगों द्वारा छोटी इमारती लकड़ी का दोहन भारत के वनों में वार्षिक रूप से होने वाली वृद्धि के 7% के बराबर है।
- भारत के कुल वनावरण का 21.40% क्षेत्र वनों में लगने वाली आग से प्रभावित है।

किसी देश की संपन्नता उसके निवासियों की भौतिक समृद्धि से अधिक वहाँ की जैव विविधता से आँकी जाती है। भारत में भले ही विकास के नाम पर बीते कुछ दशकों में वनों को बेतहाशा उजाड़ा गया है, लेकिन हमारी वन संपदा दुनियाभर में अनूठी और विशिष्ट है। ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत वृक्ष हैं, इसलिये वृक्षों पर ही हमारा जीवन आश्रित है। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो किसी भी जीव-जंतु का अस्तित्व नहीं रहेगा।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

भारत के मुख्य शीत लहर क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) ने देश के अधिकांश हिस्सों में औसत न्यूनतम तापमान के 'औसत से अधिक गर्म' रहने की भविष्यवाणी की है।

प्रमुख बिंदु

- IMD के अनुसार, भारत के 'मुख्य शीत लहर' वाले क्षेत्रों में भी सर्दियों के दौरान न्यूनतम तापमान के उच्च होने की उम्मीद है।
- इस घटना का मुख्य कारण भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर की सतह के जल का गर्म होना है।
- 'मुख्य शीत लहर' क्षेत्र में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना के क्षेत्र आते हैं।
- देश में सर्दियों के दौरान औसत से अधिक तापमान और समग्र रूप से बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) का संकेतक है।
- भारत का तापमान 50 साल पहले की तुलना में औसतन 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो गया है।
- इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है जिस कारण विश्व में कई मौसमी घटनाएँ घटित हो सकती हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग India Meteorological Department (IMD)

- IMD की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी।
- यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक संस्था है।.
- यह मौसम संबंधी अवलोकनों, मौसम की भविष्यवाणी और भूकंपीय विज्ञान के लिये ज़िम्मेदार प्रमुख एजेंसी है।

प्राचीन नदी सरस्वती

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भौतिक शोध प्रयोगशाला (Physical Research Laboratory- PRL) तथा आई.आई.टी. बॉम्बे (Indian Institute of Technology Bombay) के शोधार्थियों ने राजस्थान में बहने वाली मानसूनी नदी के अपवाह क्षेत्र में पौराणिक नदी सरस्वती के प्रमाण खोजने का प्रयास किया।

मुख्य बिंदु:

- हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 से अधिक पुरातात्त्विक केंद्र आधुनिक घग्घर नदी के सूखे हुए किनारों पर पाए गए हैं।
- वर्तमान में घग्घर एक मौसमी नदी है जिसके जल का मुख्य स्रोत मानसूनी वर्षा है।
- यह नदी हिमाचल प्रदेश में हिमालय की शिवालिक श्रेणी से निकलती है और राजस्थान तथा पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बहते हुए थार के मरुस्थल में सूख जाती है।
- यहाँ प्रश्न उठता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी किसी बारहमासी नदी (Perennial River) के किनारे रहते थे या किसी मौसमी नदी के किनारे? या प्राचीन घग्घर (Paleo Ghaggar) का स्वरूप कैसा था?
- ऋग्वेद में प्राचीन सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है जिसके किनारे इसकी रचना हुई थी। ऋग्वेद में इस नदी को विशाल तथा सदानीरा कहा गया है।

नोट :

शोध के परिणाम:

- शोधार्थियों द्वारा आधुनिक घघ्घर नदी की सतह से 3-10 मीटर की गहराई में स्थित रेत के नमूने का विश्लेषण किया गया। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्राचीन-काल में यह नदी हिमालय में स्थित ग्लेशियर से निकलती थी।
- नदी की तलछट में पाई गई सफेद तथा ग्रे रंग की दानेदार रेत में माइका अधिकांश मात्रा में मौजूद था।
- घघ्घर नदी के किनारों पर 300 किलोमीटर की लंबाई में किये गए सर्वेक्षण में यह रेत दोनों किनारों पर पाई गई। इससे प्राचीन-काल में इस स्थान पर एक विशाल नदी के मौजूद होने के संकेत मिलते हैं।
- टीम ने खुदाई से प्राप्त रेत के स्रोतों की जाँच करने के लिये स्ट्रॉन्टियम-निओडाईमियम समस्थानिक अनुपात (Strontium-Neodymium Isotopic Ratio) का प्रयोग किया एवं रेत में प्राप्त माइका (Mica) की उम्र ज्ञात करने के लिये आर्गन-आर्गन डेटिंग (Argon-Argon Dating) विधि का प्रयोग किया।
- उपरोक्त दोनों विधियों से प्राप्त रेत कणों की उम्र से ज्ञात होता है कि इनकी उम्र उच्च हिमालयी क्षेत्र में बसे चट्टानों के समान है।
- इसके अलावा नदी के मार्ग में स्थित निक्षेपों (Deposits) के उम्र का पता लगाने के लिये रेडियोकार्बन डेटिंग (Radiocarbon Dating) तथा निक्षेपों से प्राप्त घोंघे के बाहरी आवरण की उम्र ज्ञात करने के लिये ऑप्टिकल डेटिंग (Optical Dating) विधि का प्रयोग किया गया।
- निष्कर्षत: इस शोध के माध्यम से कहा गया कि घघ्घर नदी प्राचीन काल में उच्च हिमालयी क्षेत्र से प्रवाहित होती थी एवं कोई नदी जो कि इतनी ऊँचाई से बहती हो उसमें जल का प्रवाह वर्ष भर बना रहता है।
- शोध के निष्कर्ष में यह भी कहा गया कि घघ्घर नदी पूर्व में दो भिन्न-भिन्न कालखंडों में सदानीरा स्वरूप में रही है। पहला- 80,000-20,000 वर्ष तक तथा दूसरा 9,000-4,500 वर्ष तक।
- इस शोध में यह भी दावा किया गया कि घघ्घर नदी से प्राप्त प्रमाणों को देखते हुए यह माना जा सकता है कि 9,000-4,500 वर्ष पूर्व इसे ही सरस्वती नदी कहा गया है तथा संभवत: हड़प्पाकालीन बस्तियाँ इसके किनारों पर बसी हों।

शीत अयनांत

चर्चा में क्यों ?

22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्द्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और भूगोल की शब्दावली में इसे शीत अयनांत कहा जाता है।

पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन:

- पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत (Perpendicular) से 23.5o का कोण बनाती हुई झुकी है।
- इसके अलावा पृथ्वी अपने स्थान पर घूर्णन एवं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है।
- पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन और पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन की अवधि में भिन्नता पाई जाती है।
- जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्द्ध छह महीने तक सूर्य की तरफ झुका होता है तथा इस पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। तब उत्तरी गोलार्द्ध में ग्रीष्म ऋतु और दिन की अवधि लंबी होती है।
- इसके विपरीत उसी समय पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्द्ध पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं जिसकी वजह से वहाँ शीत ऋतु तथा दिन की अवधि छोटी होती है।

  जब उत्तरी गोलार्द्ध में शीत ऋतु होती है तब दक्षिणी गोलार्द्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है।
- ऋतुओं के इस परिवर्तन के क्रम में चार विशेष स्थितियाँ बनती हैं जिसे शीत अयनांत, ग्रीष्म अयनांत, बसंत विषुव तथा शरद विषुव कहते हैं।
- अयनांत उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य कर्क या मकर रेखा पर लंबवत होता है। विषुव उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है।

नोट :

शीत अयनांत (Winter Solstice):

- 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित मकर रेखा पर लंबवत होती हैं।
- इस वजह से पृथ्वी का उत्तरी गोलार्द्ध सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है तथा इस क्षेत्र में शीत ऋतु होती है।
- अत: यह उत्तरी गोलार्द्ध का सबसे छोटा दिन होता है और दिन की अवधि 10 घंटे 19 मिनट होती है।
- इसे उत्तरी गोलार्द्ध में शीत अयनांत कहते हैं।

ग्रीष्म अयनांत (Summer Solstice):

- 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित कर्क रेखा पर लंबवत होती है।
- इस वजह से पृथ्वी का उत्तरी गोलार्द्ध सूर्य के सबसे निकट होता है तथा इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु होती है।
- अत: यह उत्तरी गोलार्द्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और दिन की अवधि 14 घंटे 47 मिनट होती है।
- इसे उत्तरी गोलार्द्ध में ग्रीष्म अयनांत कहते हैं।

जब उत्तरी गोलार्द्ध में शीत अयनांत होता है तब दक्षिणी गोलार्द्ध में ग्रीष्म अयनांत होता है।

बसंत विषुव (Spring Equinox):

- 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं और दिन एवं रात की अवधि समान होती है।
- इस तिथि को बसंत विषुव कहते हैं।

शरद विषुव (Autumn Equinox):

- 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं और दिन एवं रात की अवधि समान होती है।
- इस तिथि को शरद विषुव कहते हैं।

गुजरात में टिड्डियों का हमला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गुजरात में पाकिस्तान के सीमावर्ती कुछ ज़िलों में टिड्डियों के समूहों ने आक्रमण किया है, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि करने वाले किसानों के लिये चिंता का विषय है।

मुख्य बिंदु:

- इन टिड्डियों से उत्पन्न नवजात टिड्डियों के समूह के परिपक्व अवस्था में आ जाने पर उत्तरी गुजरात के तीन सीमावर्ती जिलों बनासकांठा, पाटन और कच्छ में फसल को उजाड़ देने से किसानों को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

क्या है स्थिति ?

- टिड्डियों के हमले से प्रभावित ज़िलों में बनासकांठा (Banaskantha) सर्वाधिक प्रभावित ज़िला है।
- इन टिड्डियों का समूह दिन के दौरान उड़ता रहता है तथा रात में खेतों में ही रुक जाता है, जिससे टिड्डियों के इन समूहों को भगाना मुश्किल हो जाता है।
- इन टिड्डियों को भगाने के लिये किसान ढोल और बर्तन पीटने जैसी पुरानी तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं।
- गुजरात में बनासकांठा, पाटन, कच्छ और साबरकांठा तथा मेहसाणा के कुछ हिस्से टिड्डियों के हमले से सर्वाधिक प्रभावित हैं।

विभिन्न संस्थानों द्वारा दी गई चेतावनी की उपेक्षा:

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (UN-Food and Agriculture Organisation- FAO) ने भारत और पाकिस्तान सहित दक्षिण एशिया में टिड्डियों के आक्रमण की चेतावनी जारी की थी।
- इसके अतिरिक्त टिड्डी चेतावनी संगठन (Locust Warning Organization-LWO) ने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टिड्डियों के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इसके बावजूद राज्य प्रशासन द्वारा निवारक उपाय नहीं किये गए।

नोट :

- LWO के अनुसार, ये टिड्डियाँ पाकिस्तान के सिंध प्रांत से उड़कर आ रही हैं और राजस्थान एवं गुजरात के गाँवों में फैल रही हैं, इसका कारण इस वर्ष दक्षिण-पश्चिमी-मानसून का लंबे समय तक प्रभावी रहना था।
- मूलत: इन टिड्डियों ने इस वर्ष फरवरी में अफ्रीकी देशों सूडान और इरिट्रिया से सऊदी अरब एवं ईरान के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश किया तथा सिंध प्रांत से होते हुए राजस्थान और गुजरात क्षेत्र को अपने आक्रमण से प्रभावित किया।

राज्य प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम:

- केंद्रीय प्रशासन के साथ मिलकर राज्य प्रशासन ने इन टिड्डियों को नष्ट करने के लिये एक कीटनाशक-छिड़काव अभियान शुरू किया है।
- सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कीटनाशक रसायनों का छिड़काव कराए जाने की संभावना व्यक्त की है।
- सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि किसानों को हुए नुकसान के आकलन के लिये एक सर्वेक्षण करेगा और तदनुसार किसानों को मुआवज़ा प्रदान करेगा।

टिड्डी (Locusts):

- मुख्यत: टिड्डी एक प्रकार के बड़े उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं जिनके पास उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है।
- ये व्यवहार बदलने की अपनी क्षमता में अपनी प्रजाति के अन्य कीड़ों से अलग होते हैं और लंबी दूरी तक पलायन करने के लिये बड़े-बड़े झुंडों का निर्माण करते हैं।
- टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डियों को सबसे खतरनाक और विनाशकारी माना जाता है।
- आमतौर पर जून और जुलाई के महीनों में इन्हें आसानी से देखा जाता है क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होते हैं।
- सामान्य तौर पर ये प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं।
- यदि अच्छी बारिश होती है और परिस्थितियाँ इनके अनुकूल रहती हैं तो इनमें तेज़ी से प्रजनन करने की क्षमता भी होती है और ये तीन महीनों में 20 गुना तक बढ़ सकते हैं।

वनस्पति के लिये खतरा :

- एक वयस्क टिड्डी प्रतिदिन अपने वज़न के बराबर भोजन (लगभग 2 ग्राम वनस्पति प्रतिदिन) खा सकती है जिसके कारण ये फसलों और खाद्यान्नों के लिये बड़ा खतरा बन जाते हैं।
- यदि इनसे होने वाले संक्रमण को नियंत्रित न किया जाए तो गंभीर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

टिड्डियों को नियंत्रित करने के उपाय :

- इसके झुंडों द्वारा रखे गए अण्डों का विनाश।
- इन्हें फँसाने के लिये घेराबंदी करना।
- कीटनाशक का उपयोग

भारत में टिड्डी:

भारत में टिड्डियों की निम्निखित चार प्रजातियाँ पाई जाती हैं :

- रेगिस्तानी टिड्डी (Desert Locust)
- प्रवासी टिड्डी (Migratory Locust)
- बॉम्बे टिड्डी (Bombay Locust)
- ट्री टिड्डी (Tree Locust)

टिड्डी चेतावनी संगठन: (Locust Warning Organization-LWO)

- इसका मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) के वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय (Directorate of Plant Protection Quarantine & Storage) के अधीन आने वाला टिड्डी चेतावनी संगठन मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिये ज़िम्मेदार है।

नोट :

LWO के कार्य:

- टिड्डियों पर अनुसंधान करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करना।
- टिड्डी चेतावनी संगठन के सदस्यों, राज्य के अधिकारियों, BSF कर्मियों और किसानों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना।
- टिड्डियों के कारण निर्मित होने वाली आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिये टिड्डी नियंत्रण अभियान प्रारंभ करना।
- अंतर्राष्ट्रीय दायित्त्वों और प्रतिबद्धताओं को मानते हुए अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्रों (Scheduled Desert Area-SDA) में टिड्डियों की निगरानी और आवाज़ाही को नियंत्रित करना।

सूर्य ग्रहण

चर्चा में क्यों ?

26 दिसंबर, 2019 को वलयाकार सूर्य ग्रहण की स्थिति बनी जिसे पृथ्वी के पूर्वी गोलार्द्ध में देखा गया। भारत में यह सूर्य ग्रहण केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में देखा गया।

सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse):

- जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में अँधेरा छा जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं।
- यदि चंद्रमा एक निश्चित वृत्तीय कक्षा तथा समान कक्षीय समतल पर परिक्रमा कर रहा होता तो प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती।
- किंतु चंद्रमा का कक्षीय समतल (Orbital Plane) पृथ्वी के कक्षीय समतल (Ecliptic Plane) से 5o का कोण बनाता है जिसके कारण चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर हमेशा नहीं पड़ती।
- सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा अमावस्या को पृथ्वी के कक्षीय समतल के निकट होता है।
  चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात को होता है, जबकि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की रात को होता है।
- सूर्य ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं- पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण तथा वलयाकार सूर्य ग्रहण।

पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse):

- पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हों।
- इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह अँधेरा छा जाता है तथा जो व्यक्ति पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख रहा होता है वह इस छाया क्षेत्र के केंद्र में स्थित होता है।
- यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा, पृथ्वी के निकट होता है।
- ध्यातव्य है कि चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करता है इसलिये पृथ्वी से उसकी दूरी में परिवर्तन होता रहता है।
- सूर्य की तुलना में चंद्रमा का आकार 400 गुना छोटा है लेकिन दोनों समान आकार के दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से सूर्य की दूरी की तुलना में 400 गुना कम होती है।

आंशिक सूर्य ग्रहण (Partial Solar Eclipse):

- जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है।

वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse):

- ग्रहण की यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है।
- इसकी वजह से चंद्रमा, सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता और सूर्य एक अग्नि वलय (Ring of Fire) की भाँति प्रतीत होता है।

नोट :

सूर्य ग्रहण के दौरान निर्मित 'अग्नि वलय' क्या है ?

- सभी प्रकार के सूर्य ग्रहण के दौरान अग्नि वलय नहीं दिखाई देता। इसका निर्माण केवल उस स्थिति में होता है जब सूर्य का केंद्र चंद्रमा से इस प्रकार ढक जाए कि सूर्य का केवल बाहरी किनारा ही दिखाई दे।
- इस प्रकार दिखाई देने वाला सूर्य का बाहरी किनारा एक आग के छल्ले की भाँति प्रतीत होता है जिसे वलय कहते हैं।
- वलयाकार सूर्य ग्रहण से निर्मित अग्नि वलय पृथ्वी पर स्थित सभी स्थानों से नहीं दिखाई देता। इसलिये अलग-अलग स्थानों पर यह आंशिक सूर्य ग्रहण की भाँति दिखाई देता है।

वलयाकार सूर्य ग्रहण कब बनता है ?

- सभी सूर्य ग्रहणों में अग्नि वलय का निर्माण नहीं होता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण के निर्माण के लिये निम्नलिखित तीन परिस्थितियाँ अनिवार्य हैं-

1. अमावस्या
2. चंद्रमा की स्थिति चंद्र नोड (Lunar Nod) पर या उसके निकट हो ताकि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हों।
3. चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ बिंदु (Apogee) पर स्थित हो।

- सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा की दो परछाइयाँ बनती हैं जिसे छाया (Umbra) तथा उपच्छाया (Penumbra) कहते हैं।
  - छाया: इसका आकार पृथ्वी पर पहुँचते हुए छोटा होता जाता है तथा इस क्षेत्र में खड़े व्यक्ति को पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है।
  - उपच्छाया: इसका आकार पृथ्वी पर पहुँचते हुए बड़ा होता जाता है तथा इस क्षेत्र में खड़े व्यक्ति को आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है।
- सूर्य की बाहरी परत कोरोना के अध्ययन के लिये वलयाकार सूर्य ग्रहण एक आदर्श स्थिति होती है क्योंकि चंद्रमा के बीच में आ जाने से सूर्य की तेज़ रोशनी अवरोधित हो जाती है तथा खगोलीय यंत्रों द्वारा इसका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है।

सूर्य ग्रहण देखने में सावधानी:

- एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को नंगी आँखों से देखा जा सकता है किंतु आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण को बिना आवश्यक तकनीकी तथा यंत्रों के नहीं देखा जा सकता।
- सूर्य ग्रहण को आँखों में बिना कोई उपकरण लगाए देखना खतरनाक साबित हो सकता है जिससे स्थायी अंधापन या रेटिना में जलन हो सकती है जिसे सोलर रेटिनोपैथी (Solar Retinopathy) कहते हैं।
- सूर्य से उत्सर्जित खतरनाक पराबैंगनी किरणें रेटिना में मौजूद उन कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं जिनका कार्य रेटिना की सूचनाएँ मस्तिष्क तक पहुँचाना होता है। इसके कारण अंधापन, वर्णांधता (Colour Blindness) तथा दृश्यता (Vision) नष्ट हो सकती है।

चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse):

- जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाता तथा चंद्रमा की सतह पर अँधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं।

नोट :

सामाजिक मुद्दे

पॉलीडेक्टली क्या है ?

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ओडिशा के एक गाँव में 63 वर्षीय एक महिला को पॉलीडेक्टली (Polydactyly) विसंगति के कारण समुदाय द्वारा 'डायन' बताते हुए बहिष्कृत कर दिया गया।

मुख्य बिंदु:

- महिला के हाथों में जन्म से 12 अँगुलियाँ तथा पैरों में 20 अँगुलियाँ होने के कारण समुदाय द्वारा उसे 'डायन' बताते हुए बहिष्कृत कर दिया गया।
- महिला की इस शारीरिक स्थिति को पॉलीडेक्टली (Polydactyly) / पॉलीडेक्टाइलिज़्म (Polydactylism) या हाइपरडेक्टली (Hyperdactyly) नामक जन्म-दोष के रूप में जाना जाता है।

पॉलीडेक्टली (Polydactyly):

- यह मनुष्यों और जानवरों में एक जन्मजात विसंगति है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के हाथों और पैरों में अतिरिक्त अँगुलियाँ विकसित हो जाती हैं।
- पॉलीडेक्टली से पीड़ित व्यक्ति के हाथ या पैर में पाँच से अधिक अँगुलियाँ होती हैं, वहीं पॉलीडेक्टीली के विपरीत ऑलिगोडैक्टली (Oligodactyly) से पीड़ित व्यक्ति के हाथ या पैर में पाँच से कम अँगुलियाँ होती है।
- प्रति 1000 बच्चों में से एक या दो बच्चों में पॉलीडेक्टाइलिज्म विसंगति हो सकती है।
- यह दुनिया भर में नवजात शिशुओं के विकास की सबसे सामान्य विषमता हो सकती है।
- यह दोष गर्भावस्था के छठे या सातवें सप्ताह के दौरान विकसित होता है जब हाथ या पैर के अँगुलियों के विभाजन में अनियमितता आ जाती है जिससे अतिरिक्त अँगुलियाँ विकसित हो जाती हैं।
- माना जाता है कि कुछ मामलों में यह विसंगति आनुवंशिक भी हो सकती है।
- यह दोष बिल्ली, कुत्ता, मवेशी, भेड़, सुअर, मुर्गी, गीज़ (Geese) और कभी-कभी घोड़ों में भी देखा जाता है।
- अतिरिक्त अँगुलियाँ शायद बहुत कम मामलों में पूरी तरह क्रियाशील हो पाती हैं।
- सामान्यत: यह नरम ऊतक का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसमें कभी-कभी हड्डी भी होती है।
- ज़्यादातर मामलों में अतिरिक्त अँगुलियों को शल्यचिकित्सा (सर्जरी) द्वारा हटाया जा सकता है। यदि त्वचा और ऊतक के साथ हड्डी भी जुड़ी हो तो यह प्रक्रिया अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

सामाजिक नज़रिया:

आधुनिकता के तमाम दावों के बीच देश में अंधविश्वास आज भी अपनी गहरी जड़ें जमाए हुए है। ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी अंचलों में तो अंधविश्वास ने अपनी हदें ही पार कर दी हैं। दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में एक आदिवासी महिला ने कथित तौर पर अपने नवजात लड़की के पैर की अतिरिक्त अँगुली हटाने के लिये खुद ही उसे काट दिया जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। महिला को यह डर था कि उस नवजात के बड़े होने पर इस शारीरिक संरचना के कारण उसकी शादी में समस्या उत्पन्न होगी।

नोट :

विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कुल 228 मिलियन मलेरिया के मामले सामने आए हैं।
- इनमें 93% मामले अफ्रीकी क्षेत्र में, 3.4% दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में और 2.1% मामले पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में पाए गए हैं।
- विश्व भर में मलेरिया के कुल मामलों का लगभग 50% केवल 6 देशों में पाए गए।
- इनमें नाइजीरिया (24%), कांगो (11%), तंजानिया (5%), अंगोला (4%), मोजाम्बिक (4%) और नाइजर (4%) शामिल हैं।
- वर्ष 2015 से 2018 तक वैश्विक स्तर पर मलेरिया से प्रभावित देशों में केवल 31 देशों में मलेरिया के मामलों में कमी आई है।
- 5 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चे सबसे अधिक संवेदनशील पाए गए हैं।
  - आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में मलेरिया से होने वाली मौतों में 67% मौतें इसी आयु वर्ग में हुई हैं।

भारत के संदर्भ में:

- रिपोर्ट के अनुसार, उच्च बोझ से उच्च प्रभाव (High Burden to High Impact-HBHI) की सूची में शामिल देशों में भारत और युगांडा ने वर्ष 2018 में मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है।
  - वर्ष 2017-18 के बीच अफ्रीका और भारत में मलेरिया के मामलों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, फिर भी मलेरिया से होने वाली 85% मौतें यहीं हुई हैं।
- भारत में मलेरिया की मामलों में वर्ष 2018 में वर्ष 2017 के मुकाबले 28% की कमी आई है।
  - इससे पहले 2016 और 2017 के बीच 24% की कमी दर्ज की गई थी।
- भारत विश्व में मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित 4 देशों की सूची से बाहर हो गया है।
  - हालाँकि यह अभी भी सबसे अधिक प्रभावित 11 देशों की सूची में शामिल एकमात्र गैर-अफ्रीकी देश है।
- मलेरिया के मुख्य वाहक परजीवी प्लाज़्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज़्मोडियम विवैक्स हैं।
- भारत में लगभग 47% मामलों में मलेरिया का कारण प्लाज़्मोडियम विवैक्स रहा है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- भारत में मलेरिया के मामलों से निपटने के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (Accredited Social Health Activists-ASHAs) को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।
- दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण (Durgama Anchalare Malaria Nirakaran- DAMaN) नामक पहल के माध्यम से मलेरिया के प्रसार पर अंकुश लगाने तथा उसके निदान और उपचार के लिये व्यापक प्रयास किये गए हैं, इन प्रयासों के चलते बहुत ही कम समय में प्रभावशाली परिणाम भी प्राप्त हुए हैं।
- 2017 और 2018 में मलेरिया से लड़ने के लिये घरेलू अनुदान को बढाया गया है।
- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बजटीय परिव्यय को वर्ष 2017-18 के 468 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 2018-19 में 491 करोड़ रूपए और 2019-20 में 1,202.81 करोड़ रुपए तक निर्धारित किया गया है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

नोट :

अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जो किसी शिक्षण संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से संबंधित थी।

मुख्य बिंदु:

- केरल उच्च न्यायालय ने अपने 5 अगस्त के फैसले में कहा था कि किसी शिक्षण संस्थान को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान का दर्जा (Minority Educational Institute Status) तभी दिया जाएगा जब वह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा न सिर्फ प्रशासित (Administered) हो बल्कि उसकी स्थापना (Establishment) भी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा की गई हो।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान के अनुच्छेद-30(1) का संदर्भ देते हुए केरल उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया तथा इस याचिका को ख़ारिज कर दिया।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-30(1) अल्पसंख्यकों, चाहे धार्मिक हों या भाषायी, को अधिकार प्रदान करता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा।

अल्पसंख्यक संस्थान तीन प्रकार के होते हैं:

1. राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान।
2. ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त होती।
3. ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या आर्थिक सहायता नहीं लेते।

पृष्ठभूमि:

- यह मामला केरल राज्य के कोझिकोड ज़िले के एक प्राथमिक विद्यालय से संबंधित है। इस विद्यालय का नाम नल्लूर नारायण निम्न प्राथमिक विद्यालय (Nallur Narayana Lower Primary School) है।
- इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 1936 में नल्लूर नारायण मेनन द्वारा की गई थी। उनकी मृत्यु के बाद इस विद्यालय के प्रबंधन का कार्यभार के. के. शशिधरन को सौंपा गया।
- वर्ष 2005 में के. के. शाशिधरन ने इस विद्यालय की संपत्ति तथा इसके प्रशासन का अधिकार पी. के. मोहम्मद हाजी को हस्तांतरित कर दिया तथा इस हस्तांतरण को वर्ष 2005 में राज्य के संबंधित विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की गई।
- वर्ष 2013 में हाजी ने राज्य सरकार को एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (Non Objection Certificate-NOC) जारी करने के लिये आवेदन किया। ताकि इस संस्थान को अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थान के तौर पर स्थापित किया जा सके लेकिन यह आवेदन स्वीकार नहीं किया गया।
- वर्ष 2014 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities) द्वारा इसे अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान का दर्जा दिया गया।
- आयोग के इस फैसले को विद्यालय के शिक्षकों द्वारा चुनौती दी गई। शिक्षकों का आरोप था कि इस तरह विद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से उनकी प्रोन्नति में प्रबंधक द्वारा पक्षपात किया जाएगा एवं अपने करीबी को प्राध्यापक का दर्जा दिया जाएगा।
- शिक्षकों का मानना है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किसी शिक्षा संस्थान की स्थापना तथा उसके प्रबंधन, दोनों ही स्थिति में उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है। जबकि इस विद्यालय का केवल प्रबंधन ही किसी अल्पसंख्यक के पास है।
- केरल उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्थापित (Established) शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि संविधान के संदर्भ में इसका व्यापक अर्थ तथा शब्द व्युत्पत्ति (Etymology) के आधार पर ही इसका अर्थ नहीं समझना चाहिये।
- अनुच्छेद-30(1) का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना तथा इस भावना का प्रसार करना है कि उनके पास बहुसंख्यक समुदायों के समान अधिकार हैं।
- इस प्रकार उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई संस्थान जिसे किसी अल्पसंख्यक ने खरीदा हो तथा वह अल्पसंख्यकों के हित के लिये प्रतिबद्ध हो तो वह संस्था अनुच्छेद-30(1) के अंतर्गत आएगी।

नोट :

एकल विद्यालय अभियान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एकल विद्यालय अभियान के तहत देश भर में खोले गए एकल विद्यालयों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो गई है।

प्रमुख बिंदु:

- एकल विद्यालय अभियान को एकल विद्यालय संगठन द्वारा ग्रामीण और जनजातीय भारत तथा नेपाल के एकीकृत और समग्र विकास के लिए शुरू किया गया है।
  - एकल विद्यालय ''एक शिक्षक वाले विद्यालय' हैं जो विगत कई वर्षों से उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में संचालित किये जा रहे हैं।
- इस अभियान के अंतर्गत 2.8 मिलियन से अधिक ग्रामीण और जनजातीय बच्चे लाभान्वित हुए हैं।
- इसके तहत बुनियादी शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास, स्वास्थ्य जागरूकता, आधुनिक और उत्पादक कृषि प्रथाओं एवं ग्रामीण उद्यमिता द्वारा आदिवासी और ग्रामीण समुदायों का सशक्तीकरण किया जाता है।
- कई ट्रस्ट और गैर-लाभकारी संगठनों की भागीदारी से यह अभियान भारत की मुख्य धारा से अलग गाँवों में संचालित गैर-सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा अभियान बन गया है।
- इसके तहत एकल विद्यालय संगठन द्वारा अब तक 1 लाख से अधिक एकल विद्यालय खोले जा चुके हैं।
- इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिये ग्रामोत्थान और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आरोग्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
- वर्ष 1990 में गठित राममूर्ति समिति की रिपोर्ट ने एकल अभियान के लिये दिशा-निर्देश बनाने और स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- एकल विद्यालय अभियान को वर्ष 2017 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

राममूर्ति समिति :

- वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार के लिये आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में राममूर्ति समिति का गठन किया गया।
- इस समिति ने शिक्षा के उद्देश्य, सामान्य स्कूल प्रणाली, कार्य हेतु व्यक्तियों का सशक्तीकरण,स्कूली विश्व व कार्य स्थल में संबंध स्थापित करना, परीक्षा सुधार, मातृभाषा को स्थान,स्त्रियों की शिक्षा, धार्मिक अंतरों को कम करना, शैक्षिक उपलब्धि, अवसरों आदि के संदर्भ में बुनियादी सुधार संबंधी सुझाव दिये थे।

टाइफाइड कॉनज्युगेट वैक्सीन

चर्चा में क्यों ?

भारत की हैदराबाद स्थित दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक (Bharat Biotech) द्वारा टाइफाइड के उपचार के लिये विकसित की गई टाइफाइड कॉनज्युगेट वैक्सीन (Typhoid Conjugate Vaccine-TCV) अन्य वैक्सीनों की तुलना में अधिक कारगर पाई गई।

मुख्य बिंदु:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) ने वर्ष 2018 में इस वैक्सीन के सफल परीक्षण के बाद टाइफाइड से प्रभावित देशों में छह माह से ऊपर के शिशु तथा 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये TCV के वाणिज्यिक प्रयोग की अनुशंसा की थी।
- इस वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण (Clinical Trial) नेपाल में 10,000 बच्चों पर किया गया था। परीक्षण में टाइफाइड से होने वाले बुखार की रोकथाम में TCV 82 प्रतिशत तक सक्षम पाई गई।
- बाज़ार में यह वैक्सीन टाइपबार टीसीवी (Typbar TCV) के नाम से प्रयोग में लाई जा रही है।
- टाइफाइड अत्यधिक संक्रामक बैक्टीरिया सालमोनेला टाईफी (Salmonella Typhi) के कारण होता है। यह संक्रमित भोजन तथा पानी के माध्यम से फैलता है।

नोट :

- वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग टाइफाइड से ग्रसित होते हैं तथा इनमें 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है।
- WHO के अनुसार, टाइफाइड के मामले 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक देखने को मिलते हैं।

कॉनज्युगेट वैक्सीन (Conjugate Vaccine):

- ऐसी वैक्सीन जिसमें एंटीजन (Antigen) को रासायनिक तौर पर वाहक प्रोटीन (Career Protein) के साथ जोड़ दिया जाता है, कॉनज्युगेट वैक्सीन कहलाती हैं।
- इस वैक्सीन में पॉलीसैकराइड (Polysaccharide) को एंटीजन के तौर पर प्रयोग किया गया है।
- हालाँकि टाइफाइड की रोकथाम के लिये पहले ही दो वैक्सीन मौजूद हैं जिनका नाम- पॉलीसैकराइड टाइफाइड वैक्सीन (Polysaccharide Typhoid Vaccine) तथा लाइव, वीकेनेड टाइफाइड वैक्सीन (Live, Weakened Typhoid Vaccine) है।
- लेकिन जहाँ TCV की एक खुराक (Dose) टाइफाइड की रोकथाम में 82 प्रतिशत तक सक्षम है, वहीं इन दोनों वैक्सीनों की दो खुराक इसे रोकने में मात्र 60-70 प्रतिशत तक ही सक्षम हैं।
- इसके अलावा TCV छह माह के शिशु को भी दी जा सकती है, जबकि अन्य वैक्सीनों का प्रयोग केवल 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर ही किया जा सकता है।
- टाइफाइड के बैक्टीरिया का उपचार एंटीबायोटिक्स से भी किया जा सकता है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पाया गया है कि इसके बैक्टीरिया ने कुछ एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है।
- इस प्रकार के मल्टीड्रग प्रतिरोधक टाइफाइड बैक्टीरिया (Multi-drug Resistant Typhoid Bacteria) दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाए गए हैं।
- इसके अलावा पाकिस्तान, भारत तथा बांग्लादेश में एक्सडीआर (Extensively Drug Resistant-XDR) टाइफाइड का संक्रमण पाया गया हैं। इन देशों में पाकिस्तान टाइफाइड से सर्वाधिक प्रभावित है।
- भारत बायोटेक कंपनी की तरफ से वर्ष 2017 से ही पाकिस्तान को TCV की आपूर्ति की जा रही है तथा पाकिस्तान पहला देश है जिसने TCV को राष्ट्रीय रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम (National Immunisation Programme) में शामिल किया है।

मानव विकास सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) द्वारा मानव विकास सूचकांक (Human development Index- HDI) 2019 जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- सूचकांक के अनुसार, 189 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर है।
- भारत की स्थिति में एक स्थान का सुधार हुआ है, ग़ौरतलब है कि वर्ष 2018 में भारत 130वें स्थान पर था।
- इस सूचकांक की वरीयता सूची में नार्वे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी शीर्ष स्थानों पर हैं।
- सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर क्रमश: नाइजर, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, चाड और बुरुंडी हैं।
- भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 71वें स्थान पर और चीन 85वें स्थान पर हैं।
- वहीं भूटान 134वें, बांग्लादेश 135वें, म्याँमार 145वें, नेपाल 147वें, पाकिस्तान 152वें और अफगानिस्तान 170वें स्थान पर हैं।
- दक्षिण एशिया वर्ष 1990 से 2018 के बीच विश्व में सबसे तेज़ गति से विकास करने वाला क्षेत्र है।
  - इस अवधि में मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में दक्षिण एशिया में 46% की वृद्धि दर्ज की गई।
  - वहीँ पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 43% की वृद्धि हुई।
  - भारत के HDI वैल्यू में 50% तक की वृद्धि हुई है. वर्ष 1990 में जहाँ यह मूल्य .431 था वहीँ वर्ष 2018 में .647 है।

नोट :

- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व भर में समूह आधारित असमानता विद्यमान है, यह असमानता विशेषकर महिलाओं को प्रभावित करती है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, लैंगिक असमानता सूचकांक में 162 देशों की सूची में भारत 122वें स्थान पर है, वहीं पड़ोसी देश चीन (39) श्रीलंका (86) भूटान (99) और म्यांमार (106) भारत से बेहतर स्थिति में हैं।
  - इस सूची में नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और आयरलैंड शीर्ष पर हैं।
  - यह सूचकांक महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण, आर्थिक सक्रियता पर आधारित है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जन्म के समय पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जहाँ 68.2 वर्ष थी वहीं महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70.7 वर्ष दर्ज की गई है।
- रिपोर्ट के अंतर्गत, भारत में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों की संख्या 12.3 वर्ष आँकी गई है।
  - भारत में स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या 6.5 वर्ष बताई गई है।

मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) :

- मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया।
- पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया।
- इसको प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है।
- सूचकांक की गणना 3 प्रमुख संकेतकों- जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अंतर्गत की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme- UNDP):

- UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है।
- इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है
- UNDP गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है।
- इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिये नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है।

भारत में दुर्लभ रोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यह बताया गया कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (Lysosomal Storage Disorder) नामक एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित अधिकांश रोगियों के आवेदन पिछले कई महीनों से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास इलाज के लिये वित्तीय सहायता की प्रतीक्षा में लंबित हैं।

मुख्य बिंदु:

- देश भर में दुर्लभ बीमारियों से 2,000 से अधिक बच्चे संक्रमित हैं। उनमें से कई को एंज़ाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी-ईआरटी (Enzyme Replacement Therapy-ERT) की आवश्यकता है।
- ईआरटी एक चिकित्सीय उपचार है। इसके माध्यम से शरीर में उपस्थित उन एंज़ाइमों को विस्थापित किया जाता है जिनकी मात्रा शरीर में कम है।
- इन दुर्लभ रोगों के उपचार के लिये राष्ट्रीय नीति, 2017 (National Policy for Treatment of Rare Diseases, 2017) में भी सुधार की मांग की गई है।

लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर:

- लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक आनुवंशिक मेटाबॉलिक बीमारी (Inherited Metabolic Disease) है। इसमें एंज़ाइम की कमी के परिणामस्वरूप शरीर की कोशिकाओं में विभिन्न विषाक्त पदार्थों का असामान्य रूप से निर्माण होता है।

नोट :

- यह कंकाल, मस्तिष्क, त्वचा, हृदय और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित कर सकता है।
- वर्तमान में कई लाइसोसोमल स्टोरेज रोगों के लिये कोई अनुमोदित उपचार उपलब्ध नहीं है परंतु ईआरटी द्वारा इन्हें कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

दुर्लभ रोग (Rare Disease):

- दुर्लभ बीमारी एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति होती है जिसका प्रचलन लोगों में प्राय: कम पाया जाता है या सामान्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम लोग इन बीमारियों से प्रभावित होते हैं।
- दुर्लभ बीमारियों की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है तथा अलग-अलग देशों में इसकी अलग-अलग परिभाषाएँ हैं।
- हालाँकि दुर्लभ बीमारियाँ कम लोगों में पाई जाती हैं परंतु सामूहिक रूप से वे जनसंख्या के काफी बड़े अनुपात को प्रभावित करती हैं।
- 80 प्रतिशत दुर्लभ बीमारियाँ मूल रूप से आनुवंशिक होती हैं, इसलिये बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- भारत में 56-72 मिलियन लोग दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित हैं।

दुर्लभ रोगों के उपचार के लिये राष्ट्रीय नीति, 2017:

- इस नीति में दुर्लभ बीमारियों से निपटने के लिये सरकार द्वारा किये गए प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।
- इसके अंतर्गत दुर्लभ रोगों के लिये विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की पहल को समन्वित और नियंत्रित करने के लिये एक अंतर-मंत्रालयी परामर्श समिति के गठन का विचार रखा गया है।
- इसमें दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिये केंद्र और राज्य स्तर पर एक वित्तीय कोष के निर्माण का भी उल्लेख किया गया है।
- इस नीति के तहत दुर्लभ रोग से संबंधित शोध को बढ़ावा देने के लिये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR) में पीड़ित रोगियों के लेखागार (Patient Registry) की व्यवस्था की जाएगी।
- क्योंकि दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिये उच्च लागत की आवश्यकता होती है। अत: इस नीति के माध्यम से उपचार की सुलभता के साथ ही स्वास्थ्य प्रणाली को वहनीय बनाने की कोशिश की गई है।
- इसका उद्देश्य चिकित्सकों, रोगी के परिजनों तथा आम लोगों को दुर्लभ बीमारियों के बारे में जागरूक करना है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर कैग की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (The Comptroller and Auditor General of India-CAG) द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana-PMUY) से संबंधित एक रिपोर्ट संसद में पेश की गई है।

रिपोर्ट से संबंधित मुख्य बिंदु:

- इस रिपोर्ट में CAG द्वारा PMUY के तहत प्रदान किये जाने वाले घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की गई है क्योंकि CAG द्वारा किये गए ऑडिट (Audit) में 1.98 लाख लाभार्थियों को औसतन 12 से अधिक सिलेंडरों की वार्षिक खपत करते पाया गया।
- CAG ने कहा कि इस तरह के लाभार्थियों द्वारा खपत का यह स्तर उनकी बीपीएल (Below Poverty Line-BPL) स्थिति की तुलना में अत्यधिक था।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना के तहत 13.96 लाख उपभोक्ताओं द्वारा एक महीने में 3 से 41 बार तक LPG सिलेंडर रिफिल कराए जा रहे हैं, वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के आँकड़ों के मुताबिक, 3.44 लाख ऐसे उपभोक्ताओं का मामला भी सामने आया है जो एक दिन में 2 से 20 LPG सिलेंडर रिफिल करा रहे हैं, जबकि इनके कनेक्शन की वैधता केवल एक सिलेंडर तक सीमित है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च, 2019 तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा 7.19 करोड़ कनेक्शन जारी किये गए जो कि मार्च 2020 तक तय किये गए 8 करोड़ कनेक्शन के लक्ष्य का लगभग 90 फीसदी था।

नोट :

- रिपोर्ट के अनुसार, PMUY योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान में शिथिलता बरती गई तथा 9978 LPG कनेक्शन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (Socio-Economic and Caste Census-SECC) की संक्षिप्त घरेलू सूची, अस्थायी पहचान संख्या (Abridged Household List Temporary Identification Numbers-AHL TINs) में पंजीकृत न होने के बावजूद भी प्रदान किये गए।

पुरुषों को भी दिया गया लाभ:

- यह योजना BPL परिवार की महिलाओं के लिये प्रारंभ की गई थी परंतु IOCL सॉफ्टवेयर में इनपुट सत्यापन जाँच की कमी के कारण पुरुषों को भी 1.88 लाख कनेक्शन जारी किये गए।

नाबालिगों को भी कनेक्शन:

- सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को 80 हज़ार कनेक्शन जारी करने की अनुमति दी गई, वहीं 8.59 लाख कनेक्शन उन लाभार्थियों को जारी किये गए जो SECC-2011 के आँकड़ों के अनुसार नाबालिग थे। यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दिशा-निर्देशों तथा एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर, 2000 (LPG Control Order, 2000) का उल्लंघन है।

रिपोर्ट से संबंधित अन्य तथ्य:

- 12.46 लाख लाभार्थी ऐसे भी पाए गए जिनके नाम SECC-2011 तथा PMUY के आँकडों में समान नहीं थे।
- लगभग 12,465 मामलों में डुप्लीकेट कनेक्शन की समस्या सामने आई।
- इनपुट सत्यापन जाँच में कमी के कारण लगभग 42,187 ऐसे कनेक्शन जारी किये गए जिनका विवरण SECC-2011 में अनुपस्थित था।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, 4.35 लाख कनेक्शन ऐसे भी थे जिन्हें जारी होने में निर्धारित 7 दिन की समय-सीमा से अधिक लगभग 365 दिन से अधिक का समय लगा।
- लाभार्थियों में 5 किलोग्राम के सिलेंडर का वितरण न करते हुए इसके उपयोग को प्रोत्साहन नहीं दिया गया।
- LPG गैस के निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित करना एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि लाभार्थियों के एक वर्ग के वार्षिक औसत रिफिल खपत में गिरावट आई है।
- इस योजना के तहत जिन 1.93 करोड़ उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया गया था, उनमें से एक उपभोक्ता वार्षिक रूप से केवल 3.66 LPG ही रिफिल करवा पाता है।
- वहीं 31 दिसंबर, 2018 तक 3.18 करोड़ उज्ज्वला उपभोक्ताओं के आधार पर देखा जाए तो प्रति उपभोक्ता सिर्फ 3.21 रिफिल का प्रयोग ही कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को इस योजना के तहत LPG कनेक्शन तो मिल गया है परंतु वे उसे रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं।

PMUY के संबंध में CAG की अनुशंसाएँ:

- प्रत्येक लाभार्थी परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्या का विवरण रखा जाना चाहिये ताकि फर्जी तथा दोहरे कनेक्शन जारी करने से बचा जा सके।
- योजना के कार्यान्वयन के आकलन के लिये किसी भी तीसरे पक्ष से समय-समय पर इसका ऑडिट करवाया जा सकता है।
- अयोग्य लाभार्थियों को LPG कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाने के लिये वितरकों द्वारा सॉफ्टवेयर में उचित इनपुट नियंत्रण, डेटा सत्यापन और अनिवार्य योग्यताओं के सही ब्यौरे की जाँच की जाने चाहिये।
- सही जानकारी सुनिश्चित करने और PMUY के लाभार्थियों की वास्तविकता को प्रमाणित करने के लिये ई-केवाईसी शुरू करने की आवश्यकता है।
- नाबालिग लाभार्थियों को जारी किये गए कनेक्शन परिवार के वयस्क सदस्य के नाम पर स्थानांतरित किये जा सकते हैं।
- PMUY के लाभार्थियों द्वारा LPG के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा अभियान आयोजित किये जाने की आवश्यकता है।
- निम्न उपभोग श्रेणी या बिलकुल उपभोग न करने के मामले में PMUY के लाभार्थियों को निरंतर LPG उपयोग के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- उच्च खपत के मामलों पर अंकुश लगाने के लिये इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिये।

नोट :

- संपूर्ण LPG डेटाबेस के साथ-साथ अयोग्य लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें प्रतिबंधित करने के लिये भौतिक रिकॉर्ड की जाँच करने की आवश्यकता है।
- नियमित निरीक्षण के अभाव में जोखिम के खतरों से बचने के लिये अनिवार्य निरीक्षण की लागत को सब्सिडी के रूप में देने का विकल्प भी अपनाया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक

चर्चा में क्यों ?

आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में हैदराबाद में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले के बाद एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य में दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई 21 दिनों के अंदर करने का निर्णय किया है। इस विषय में कैबिनेट ने मसौदा विधेयक भी पारित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
- यह कानून, आंध्र प्रदेश अपराध कानून में एक संशोधन होगा जिसे 'आंध्र प्रदेश दिशा कानून' नाम दिया गया है। इस मसौदा विधेयक को हैदराबाद मामले की पीड़ित दिशा के नाम पर यह नाम दिया गया है। राज्य पुलिस ने पीड़िता की पहचान को गुप्त रखने के लिये इसे दिशा नाम दिया है।
- कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिये फास्ट-ट्रैक अदालतों के निर्माण को मंज़ूरी दी है।
- मसौदा विधेयक के अनुसार, मामले से संबंधित जाँच एक सप्ताह के भीतर और परीक्षण का कार्य दो सप्ताह के भीतर समाप्त हो जाना चाहिये। 21 कार्य दिवसों के भीतर अपराधियों को सज़ा दी जानी चाहिये।
- इस कानून के तहत सभी ज़िलों में विशेष अदालतें गठित की जाएंगी जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामलों में मुकदमा चलाएंगी।
- इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने बच्चों के साथ यौन शोषण के दोषियों हेतु जेल की सजा की अवधि बढ़ाने का प्रावधान भी तय किया है। इस विधेयक के अंतर्गत, अब बच्चों के साथ दुष्कर्म के दोषियों के लिये पाँच वर्ष की सज़ा को बढ़ाकर दस वर्ष से उम्रकैद में तब्दील करने का प्रस्ताव है।

दुष्कर्म तथा यौन अपराधों से निपटने के लिये सरकार द्वारा किये गए प्रयास

देश में महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा तथा हत्या के बढ़ते मामलों के संदर्भ में कुछ समय पहले गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया। इसमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया गया।

ब्रेस्ट मिल्क बैंक

संदर्भ:

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 'सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में स्तनपान प्रबंधन केंद्रों की स्थापना हेतु राष्ट्रीय दिशा-निर्देश' (National Guidelines on Establishment of Lactation Management Centres in Public Health Facilities) के तहत ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स की स्थापना की गई थी।

मुख्य बिंदु:

इन दिशा-निर्देशों के तहत ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स को निम्नलिखित संरचनात्मक अनुक्रम के तहत शामिल किया जाता है।

- व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र (Comprehensive Lactation Management Centre-CLMC):
  - इनकी स्थापना सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा ज़िला अस्पतालों में दानकर्त्ताओं के दूध को इकट्ठा करने एवं परीक्षण, प्रसंस्करण, संरक्षण तथा वितरण हेतु की गई थी ताकि प्रसव के बढ़ते मामलों के बीच नवजात उपचार यूनिट (Newborn Treatment Units) में दूध की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

नोट :

- स्तनपान प्रबंधन यूनिट (Lactation Management Unit-LMU):
  - ज़िला अस्पतालों तथा कम-से-कम 12 बिस्तरों वाले अन्य अस्पतालों में स्थित स्तनपान प्रबंधन यूनिट में माँ के दूध को इकट्ठा एवं संरक्षण करने की व्यवस्था होती है।
- स्तनपान सहायता यूनिट (Lactation Support Units-LSU):
  - इनकी स्थापना सभी प्रसव केंद्रों पर स्तनपान सहायता, स्तनपान परामर्श तथा कंगारू मदर केयर (Kangaroo Mother Care-KMC) की सुविधा प्रदान करने के लिये की गई थी।
  - KMC एक विधि है जिसके तहत समय से पूर्व जन्म लेने वाले नवजातों की माँ की त्वचा के संपर्क के माध्यम से देख-रेख की जाती है।

भारत में पहले ब्रेस्ट मिल्क बैंक की स्थापना वर्ष 1989 में मुंबई में की गई थी।

स्तनपान के लाभ:

- किसी भी नवजात शिशु के लिये जन्म से छह माह तक के लिये पर्याप्त पोषण का स्रोत होता है।
- यह शिशुओं को डायरिया तथा तीव्र श्वसन संक्रमण (Acute Respiratory Infection) जैसी समस्याओं से बचाता है तथा शिशु मृत्यु दर को कम करता है।
- स्तनपान करने वाली माताओं को स्तन कैंसर, गर्भाशय के कैंसर, टाइप 2 मधुमेह तथा हृदय की बीमारियों से बचाता है।
- यह शिशु की मोटापे संबंधी बीमारियों तथा मधुमेह से रक्षा करता है। इसके अलावा यह उनकी बुद्धि का विकास करता है।

स्तनपान को बढ़ावा देने के लिये सरकार के प्रयास:

- माँ (Mothers Absolute Affection-MAA):
  - यह देश में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना है।
- वात्सल्य- मातृ अमृत कोष (Vatsalya – Maatri Amrit Kosh):
  - इसके तहत नॉर्वे सरकार की मदद से नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक तथा स्तनपान परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है।

सुगम्य भारत अभियान

चर्चा में क्यों ?

सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) की धीमी प्रगति के कारण सरकार ने इसकी समय सीमा मार्च 2020 तक बढ़ा दी है।

अभियान के बारे में

- सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (Department of Empowerment of Person with Disability) का राष्ट्रव्यापी महत्त्वपूर्ण अभियान है।
- इस अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 3 दिसंबर, 2015 को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई थी।
- यह अभियान विकलांगता के सामाजिक मॉडल के इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यक्ति की सीमाओं और अक्षमताओं के कारण नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के तरीके के कारण विकलांगता है।

उद्देश्य

- इस अभियान का उद्देश्य देशभर में दिव्यांगजनों के लिये बाधा रहित और सुखद/अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

विज़न/दृष्टिकोण:

- अभियान का दृष्टिकोण एक समावेषी समाज की परिकल्पना है जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों की प्रगति और विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हों ताकि वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

नोट :

सुगम्य भारत अभियान घटक

- भौतिक वातावरण में सुगम्यता को बढ़ाना।
- सार्वजनिक परिवहन की सुगम्यता तथा उपयोग में बढ़ोत्तरी।
- सूचना तथा संचार सेवाओं की सुगम्यता और उपयोग में बढ़ोत्तरी।

घटकों के आधार पर निर्धारित लक्ष्य

लक्ष्य 1 : सरकारी भवनों में सुगम्यता अनुपात में वृद्धि

- एक सुगम्य सरकारी भवन वह होता है जहाँ एक विकलांग व्यक्ति बिना किसी बाधा के इसमें प्रवेश कर सके और इसमें उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल कर सके। इसमें निम्नलिखित निर्मित वातावरण शामिल हैं- सेवाएँ, सीढ़ियाँ तथा रैंप्स, प्रवेश द्वार, आकस्मिक निकास, पार्किंग के साथ-साथ लाईटिंग, साईनेजिस, अलार्म सिस्टम तथा प्रसाधन जैसी आंतरिक तथा बाह्य सुविधाएँ।

लक्ष्य 2: हवाई अडडो के सुगम्यता अनुपात में वृद्धि

- किसी एयरपोर्ट को तभी सुगम्य माना जाता है जब कोई भी विकलांग व्यक्ति इसमें बिना किसी बाधा के प्रवेश कर सके और इसकी सभी सुविधाओं एवं' बोर्डिंग तथा जहाज़ से उतरने जैसी सभी सुविधाओं का प्रयोग कर सके।

लक्ष्य 3: रेलवे स्टेशनों के सुगम्यता अनुपात में वृद्धि।

लक्ष्य 4: सार्वजनिक परिवहन के सुगम्यता अनुपात में वृद्धि।

लक्ष्य 5: सुगम्य और प्रयोग योग्य सार्वजनिक दस्तावेज़ और वेबसाइट जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सुगम्यता मानकों को पूरा करती हैं की सुगम्यता अनुपात में वृद्धि।

लक्ष्य 6: संकेत भाषा द्विभाषियों के पूल को बढ़ाना।

लक्ष्य 7: सार्वजनिक टेलिविजन समाचार कार्यक्रमों की दैनिक कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा व्याख्या के अनुपात को बढ़ाना।

दिव्यांगों के अधिकारों का संरक्षण:

- विकलांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 44, 45 एवं 46 के अंतर्गत क्रमश: परिवहन, सड़क और निर्मित वातावरण में स्पष्ट तौर पर गैर-भेदभाव का प्रावधान किया गया है।
  - ध्यातव्य है कि विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 ; विकलांग व्यक्ति अधिनियम,1995 का संशोधित रूप है।
- भारत, विकलांग व्यक्ति अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities-UNCRPD) का एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है। UNCRPD का अनुच्छेद 9, सभी हस्ताक्षकर्त्ता सरकारों को विकलांग व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तरह ही समान आधार पर, भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना तथा संचार में समुचित उपाय सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपता है। ये उपाय जिनमें, सुगम्यता हेतु, अवरोधों और बाधाओं की पहचान एवं उन्मूलन शामिल हैं, अन्य बातों के साथ-साथ निम्न पर लागू होंगे-

1. स्कूलों, आवासों, चिकित्सा सुविधाओं तथा कार्य स्थलों सहित, भवनों, सड़कों, परिवहन और अन्य आंतरिक तथा बाहरी सुविधाएँ।
2. इलेक्ट्रॉनिक्स सेवाओं तथा आकस्मिक सेवाओं सहित, सूचना, संचार तथा अन्य सेवाएँ।

UNCRPD द्वारा सभी सरकारों को निम्न समुचित उपाय करने का अधिदेश भी प्रदान किया गया है:

- सार्वजनिक रुप से उपलब्ध सेवाएँ को प्रदान करने के लिए सुविधाओं तक पहुँच हेतु, न्यूनतम मानक दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन को विकसित, प्रचारित और मॉनिटर करना।
- निजी संगठन जो सार्वजनिक रुप से सुविधाएँ तथा सेवाएँ प्रदान कराते हैं, विकलांग व्यक्तियों हेतु सुगम्यता के सभी पहलुओं को सुनिश्चित करवाना।
- दिव्यांगजनों के समक्ष आने वाले सुगम्यता संबंधी मुद्दों पर स्टेकहोल्डर्स को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- भवनों में, सार्वजनिक रुप से उपलब्ध सुविधाओं को दिव्यांग्जनों के अनुकूल बनाना तथा ऐसे संकेतक उपलब्ध कराना जिन्हें पढ़ने और समझने में आसानी हो।
- भवनों में सुगम्यता और सार्वजनिक रुप से उपलब्ध अन्य सुविधाओं को सुसाधक बनाने के लिये, दिशा-निर्देश, रीडर्स तथा पेशेवर सांकेतिक भाषा दुभाषियों सहित, प्रत्यक्ष और मध्यवर्ती प्रकार की सहायता उपलब्ध कराना।

नोट :

- सहायता के अन्य समुचित प्रकारों का संवर्द्धन और विकलांग व्यक्तियों को सूचना तक पहुँच सुनिश्चित कराने में सहायता प्रदान करना।
- इंटरनेट सहित, विकलांग व्यक्तियों को नई जानकारी तथा संचार प्रौद्योगिकियों और प्रणाली तक पहुँच का संवर्द्धन करना।

इंचियोन कार्यनीति (Incheon Strategy):

- भारत सरकार ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया सरकार द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय अंतर-सरकारी बैठक में मंत्रालयी उद्घोषणा और एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों हेतु ''अधिकारों को साकार करना'' (Make the Right Real) हेतु इंचियोन कार्यनीति को अपनाया है।
- इंचियोन कार्यनीति में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र और विश्व में क्षेत्रीय आधार पर सहमत समावेशी विकास लक्ष्यों का प्रावधान है।
- कार्यनीति में 10 उद्देश्य 27 लक्ष्य और 62 संकेतक निहित हैं।

इस प्रकार के अभियान की आवश्यकता:

- शारीरिक, सामाजिक, संरचनात्मक और व्यवहार संबंधी बाधाएँ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में दिव्यांगजनों को समान रूप से भागीदारी करने से रोकती हैं। बाधारहित वातावरण के निर्माण से दिव्यांगजनों के लिये सभी गतिविधियों में समान प्रतिभागिता की सुविधा होगी और इससे स्वतंत्र और सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने के लिये उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।

लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2020

चर्चा में क्यों:

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum- WEF) ने 153 देशों के आँकड़ों के आधार पर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट- 2020 (Gender Gap Report- 2020) जारी की है। WEF द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत 91/100 लिंगानुपात के साथ 112वें स्थान पर रहा। उल्लेखनीय है कि वार्षिक रूप से जारी होने वाली इस रिपोर्ट में भारत पिछले दो वर्षों से 108वें स्थान पर बना हुआ था।

क्या है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट:

- जेंडर गैप रिपोर्ट, स्विट्ज़रलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी की जाती है।
- वर्ष 2006 में पहली बार जारी इस रिपोर्ट में चार बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मानकों पर व्यापक सर्वे और अध्ययन के आधार पर आँकड़े जारी किये जाते हैं, जो हैं-

1. स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता
2. राजनीतिक सशक्तीकरण
3. शिक्षा का अवसर
4. आर्थिक भागीदारी और अवसर

प्रमुख बिंदु:

- महिला स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा आर्थिक भागीदारी के मामले में भारत इस रिपोर्ट में नीचे के पाँच देशों में शामिल रहा।
  - जबकि भारत के मुकाबले हमारे पड़ोसी देशों का प्रदर्शन बेहतर रहा - बांग्लादेश (50वाँ), नेपाल (101),श्रीलंका (102वाँ), इंडोनेशिया (85वाँ) और चीन (106वाँ)।
  - रिपोर्ट में आइसलैंड को सबसे कम लैंगिक भेदभाव (Gender Neutral) वाला देश बताया गया।
  - जबकि यमन (153वाँ), इराक़ (152वाँ) और पाकिस्तान (151वाँ) का प्रदर्शन सबसे ख़राब रहा।
  - WEF के अनुमान के अनुसार, विश्व में फैली व्यापक लैंगिक असमानता को दूर करने में लगभग 99.5 वर्ष लगेंगे, जबकि इसी रिपोर्ट में पिछले वर्ष के आँकड़ों के आधार पर यह अवधि 108 वर्ष अनुमानित थी।
  - संगठन के अनुसार, इस वर्ष सुधार का कारण राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है (न्यूज़ीलैंड, फ़िनलैंड,हॉन्गकॉन्ग आदि देशों में महिला प्रधानमंत्री/ शीर्ष नेता)।

नोट :

स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता :

- स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के क्षेत्र में भारत (150वाँ स्थान) का प्रदर्शन बहुत ख़राब रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के चार बड़े देशों भारत, विएतनाम, चीन और पाकिस्तान में अभी भी करोड़ों की संख्या में ऐसी महिलाएँ हैं जिन्हें पुरुषों के सामान स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
- WEF ने भारत (91/100) और पाकिस्तान (92/100) में असमान शिशु लैंगिक जन्मानुपात को भी चिंताजनक बताया है।

राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी :

- राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी में अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत का प्रदर्शन (18वाँ स्थान) बेहतर रहा है।
- लेकिन भारतीय राजनीति में आज भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत ही कम है, आकड़ों के अनुसार, केवल 14% महिलाएं ही संसद तक पहुँच पाती हैं (विश्व में 122वाँ स्थान)।
- मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी केवल 23% ही है (विश्व में 69वाँ स्थान)।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत के इस बेहतर प्रदर्शन का कारण यह है कि भारतीय राजनीति में पिछले 50 में से 20 वर्षों में अनेक महिलाएँ राजनीतिक शीर्षस्थ पदों पर रही है। (इंदिरा गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता आदि)
- आँकड़ों के मुताबिक, आज विश्व के विभिन्न देशों में 25.2% महिलाएँ संसद के निचले सदन का हिस्सा हैं, जबकि 21.2% मंत्रिपद संभाल रही हैं, जो कि पिछले वर्ष के अनुपात (24.1% और 19%) से बेहतर है।
- WEF के अनुमान के अनुसार, इस राजनीतिक असमानता को दूर करने में 95 वर्ष लग जाएँगे, जबकि पिछले वर्ष के आँकड़ों के अनुसार इसका अनुमान 107 वर्ष था।

शिक्षा के अवसर :

- महिलाओं के लिये शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान विश्व में 112वाँ है।
- जबकि इस आँकड़े में पिछले वर्ष भारत का स्थान 114वाँ और 2017 में 112वाँ स्थान रहा था।
- महिला साक्षरता के मामले में भारत का प्रदर्शन बहुत ही ख़राब रहा है, पुरुषों के मुकाबले (82% साक्षर) केवल दो-तिहाई महिलाएँ ही साक्षर हो पाती है।

आर्थिक भागीदारी और अवसर :

- रिपोर्ट के अनुसार, 2006 में पहली बार प्रकाशित आकड़ों की तुलना में आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के लिये सक्रिय भागीदारी के अवसरों में कमी आई है।
- 153 देशों में किये गए सर्वे में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्र से कम है।
- श्रमिक बाजार में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पुरुषों (82%) की तुलना में एक-चौथाई ही है तथा महिलाओं की औसत आय पुरुषों की तुलना में ⅕ है, इस मामले में भारत का विश्व स्थान 144वाँ स्थान है।
- WEF के आँकड़ों के अनुसार, अवसरों के मामले में विभिन्न देशों में आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति इस प्रकार है- भारत (35.4%), पाकिस्तान (32.7%), यमन (27.3%), सीरिया (24.9%) और इराक़ (22.7%)।
- साथ ही भारत का नाम विश्व के उन देशों की सूची में भी है जहाँ कंपनियों में नेतृत्व के शीर्ष पदों पर महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 13.8% है, जबकि इन्ही पदों पर चीन में महिलाओं की संख्या सिर्फ 9.7% ही है।
- केवल 14% भागीदारी उन महिलाओं की है जो शीर्ष नेतृत्व के पदों पर हैं (विश्व में 136वाँ स्थान) और पेशेवर तथा तकनीकी कुशल महिलाएँ केवल 30% है।
- WEF के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में फैली इस विषमता को दूर करने में लगभग 257 वर्ष लग सकते हैं, जो चिंता का विषय है क्योंकि पिछले वर्ष के आंकड़ों के अनुसार यह अनुमान केवल 202 वर्षों का था।
- रिपोर्ट के अनुसार, हालाँकि भारत अपने यहाँ लिंगानुपात में व्याप्त असामानता को लगभग दो-तिहाई दूर करने में सफल रहा है लेकिन WEF ने देश के दूर-दराज़ के इलाकों में महिलाओं की स्थिति और भारतीय समाज में गहराई तक फैले लैंगिक अंतराल पर चिंता जाहिर की है।

नोट :

सुझाव:

- रिपोर्ट के अनुसार, यद्यपि हम शिक्षा के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन सुधार कर रहे हैं लेकिन महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा, ज़बरन विवाह और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं में होने वाला भेदभाव आज भी चिंता का विषय है जिसे दूर करने की सख़्त ज़रूरत है।
- WEF के अनुसार, इस असामानता को दूर करने के लिये ज़रूरी है कि समय के साथ उभरते नए क्षेत्रों जैसे क्लाउड-कम्प्यूटिंग, इंजीनियरिंग, डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता(AI) में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए तथा नई पीढ़ी को इससे जुड़ने के लिये प्रोत्साहित किया जाए।
- उदाहरण के लिये, इस बार भी सर्वे में शीर्ष 10 में नोर्डिक देशों ने जगह बनायीं है। 2006 के आंकड़ों से तुलना करने पर पता चलता है कि इन देशों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ कंपनियों में शीर्ष पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ी है और श्रमिक बाज़ार में भी कुशल महिलाओं की हिस्सेदारी में तेजी देखने को मिली है।
- संभव है कि अगले माह दावोस, स्विट्ज़रलैंड में होने वाले WEF के शिखर सम्मेलन के महत्त्वपूर्ण मुद्दों में एक मुद्दा लैंगिक अंतराल भी हो।
- WEF ने कहा कि वह इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि 2030 तक WEF दावोस शिखर सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी को दोगुना किया जाए।

टेक कंपनियों पर बाल श्रम कराने का आरोप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी टेक कंपनियों टेस्ला (Tesla), एप्पल (Apple), अल्फाबेट (Alphabet), डेल (Dell) तथा माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के विरुद्ध बाल श्रम के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- विश्व की इन पाँच सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों के खिलाफ दायर इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ये कंपनियाँ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic of the Congo-DRC) में स्थित कोबाल्ट (Cobalt) की खदानों में बच्चों से ज़बरन काम कराती हैं।
- हाल ही में DRC की एक कोबाल्ट की खदान के धँसने से 14 बच्चे दब गए जिसमें छह बच्चों की मौत हो गई तथा अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
- इस घटना के बाद घायल बच्चों के परिवारों की तरफ से अमेरिकी मानवाधिकार संस्था इंटरनेशनल राइट्स एडवोकेट्स (International Rights Advocates) ने इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
- संस्था का मानना है कि DRC की खदानों में हो रहे अवैध खनन, मानवाधिकारों का उल्लंघन तथा भ्रष्टाचार की जानकारी इन कंपनियों को थी।
- इन खदानों में काम करने वाले बच्चे 2-3 डॉलर प्रतिदिन के हिसाब से मज़दूरी करते हैं तथा गरीबी व पारिवारिक दबाव के कारण वे स्कूल छोड़कर खदानों में काम करने को मजबूर होते हैं।
- गौरतलब है कि तकनीकी कंपनियों द्वारा कोबाल्ट का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यत: मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इलेक्ट्रिक कारों व अन्य तकनीकी यंत्रों में लिथियम-आयन बैटरी (Lithium-ion Battery), इलेक्ट्रोप्लेटिंग (Electroplating) तथा मिश्रधातुओं (Alloys) के निर्माण में होता है।

कोबाल्ट (Cobalt):

- कोबाल्ट एक संक्रमण धातु (Transition Metal) है तथा यह अपने अनूठे भौतिक-रासायनिक गुणों की वजह से अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है जिसे किसी अन्य पदार्थ द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता।
- कोबाल्ट की प्रमुख विशेषता इसकी कठोरता, जंग-रोधी (Corrosion Resistant), ऑक्सीकरण-रोधी (Oxidation Resistant), ऊष्मा-रोधी (Heat Resistant), लौह-चुंबकीय (Ferromagnetic) तथा विद्युत का सुचालक (Conductor of Electricity) होना है।

नोट :

- इन विशेषताओं की वजह से कोबाल्ट की वैश्विक बाज़ारों में अत्यधिक मांग है तथा कुल वैश्विक कोबाल्ट के लगभग 60 प्रतिशत का उत्पादन अकेले DRC करता है।
- वाक फ्री (Walk Free) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) द्वारा यह कहा गया कि वर्तमान में लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग आधुनिक दासत्व (Modern Slavery) के शिकार हैं जिन्हें बलात् श्रम या ज़बरन विवाह द्वारा बंधक बना कर रखा गया है।

डिब्बा-बंद खाद्य पदार्थों का स्वास्थ्य पर प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (Centre for Science and Environment-CSE) ने फास्टफूड्स में नमक (Salt) तथा फैट (Fat) की मात्रा पर एक अध्ययन किया। इसमें भारतीय बाज़ारों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों में इनकी मात्रा आवश्यकता से अधिक पाई गई।

मुख्य बिंदु:

- CSE द्वारा किये गए अध्ययन में 33 लोकप्रिय जंकफूड्स के नमूनों को शामिल किया गया था तथा इनमें नमक, फैट, ट्रांसफैट एवं कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा की जाँच की गई।
- इन खाद्य पदार्थों की उपयुक्तता की जाँच हेतु CSE ने अनुशंसित आहार भत्ता (Recommended Dietary Allowance-RDA) को आधार माना।

"एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिये जाने वाले आहार में पोषकों की औसत मात्रा को RDA कहा जाता है। भारत में RDA की मात्रा का निर्धारण विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान (National Institute of Nutrition-NIN) द्वारा किया जाता है।"

- RDA के अनुसार, एक वयस्क को प्रतिदिन 5 ग्राम नमक, 60 ग्राम फैट, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स तथा 2.2 ग्राम ट्रांसफैट से अधिक पोषकों को ग्रहण नहीं करना चाहिये।
- नमूने में शामिल जंकफूड्स की प्रति 100 ग्राम मात्रा में नमक, फैट, ट्रांसफैट तथा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा RDA के तहत अनुशंसित मात्रा से कहीं अधिक पाई गई।

नियंत्रण के उपाय:

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India-FSSAI) द्वारा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम [Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations] के मसौदे के तहत डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की निर्माता कंपनियों के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।
- निर्माता कंपनियों के लिये अनिवार्य होगा कि वे खाद्य सामग्री की कैलोरी, संतृप्त वसा, ट्रांस फैट, एडेड शुगर तथा सोडियम की मात्रा को पैक के आगे की तरफ प्रदर्शित करें।
- इसके अलावा कंपनियों को फूड प्रोडक्ट्स पर लगे लेबल में खाद्य सामग्री में उपस्थित पोषक तत्त्वों की मात्रा को RDA के प्रतिशत में दिखाना होगा।
- CSE ने इस मसौदे के तहत सुझाव दिया है कि पेरू (Peru) तथा चिली (Chile) की तर्ज पर भारत में भी सभी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के पैक पर लाल अष्टभुज (Red Octagon) का निशान होना चाहिये जिसके माध्यम से चेतावनी संबंधी निर्देश दिये गए हों।
- जैसे- लाल अष्टभुज का निशान पैक के अगले हिस्से में हो तथा उस पर यह प्रदर्शित किया जाए कि कोई सामग्री RDA द्वारा निर्धारित मात्रा की तुलना में कितनी अधिक डाली गई है।

लाल अष्टभुज (Red Octagon):

- यह वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक प्रतीक चिह्न है। इसके माध्यम से खाद्य सामग्रियों में शामिल पोषकों की अधिकता को प्रदर्शित करने हेतु चेतावनी दी जाती है।

नोट :

- उदाहरण के तौर पर किसी खाद्य पदार्थ में मीठे की मात्रा अधिक होने पर लाल अष्टभुज के अंदर निर्देश में "हाई इन शुगर" (High in Sugar) या कैलोरी की मात्रा अधिक होने पर "हाई इन कैलोरी" (High in Calorie) लिखा जाएगा।
- इस प्रकार के चिह्नों के प्रयोग से खाद्य पदार्थों में शामिल सामग्रियों की कैलोरी की गणना नहीं करनी होगी बल्कि चिह्नों के माध्यम से इसे आसानी से दर्शाया जा सकेगा।
- चिली में यह व्यवस्था वर्ष 2016 में लागू की गई थी। इसके एक वर्ष बाद कार्बोनेटेड पेय पदार्थों (Carbonated Beverages) की प्रति व्यक्ति खपत में 24.9 प्रतिशत की कमी आई।

अल्पसंख्यकों की पहचान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान संबंधी याचिका को खारिज कर दिया।

याचिका के बारे में:

- याचिकाकर्त्ता ने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(C) के अंतर्गत 23 अक्तूबर, 1993 को जारी एक अधिसूचना के विरोध में याचिका दायर की थी।
- इस अधिसूचना में केंद्र सरकार ने मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया था। याचिकाकर्त्ता ने कहा कि सरकार ने यह अधिसूचना अल्पसंख्यक की परिभाषा तय किये बिना तथा इस संबंध में कोई भी निर्देश दिये बिना जारी की थी।
- याचिकाकर्त्ता ने टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा निर्धारित करने वाली इकाई में राज्य को भी आधार बनाया गया है।

टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002):

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान हेतु दो आधार बताए गए थे- राष्ट्रीय व प्रांतीय

- याचिकाकर्त्ता ने कहा कि हिंदू आठ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, अत: उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष:

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भाषा को राज्य आधारित माना जाता है परंतु धर्म को अखिल भारतीय स्तर पर माना जाना चाहिये क्योंकि धर्म को राज्य की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता।
- सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता से पूछा कि मुस्लिमों को कश्मीर में बहुसंख्यक तथा अन्य स्थानों पर अल्पसंख्यक मानने में क्या समस्या है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का पक्ष:

- यह याचिका नवंबर 2017 को दायर की गई थी तथा सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संपर्क करने के लिये कहा था।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कहा कि कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और केवल केंद्र ही ऐसा कर सकता है।
- याचिकाकर्त्ता ने यह तर्क दिया कि लक्षद्वीप और जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं तथा असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार में इनकी काफी आबादी है फिर भी वे अल्पसंख्यक दर्जे का लाभ उठा रहे हैं लेकिन जो समुदाय वास्तव में अल्पसंख्यक हैं, उन्हें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा न दिये जाने के कारण वे अपना वैध हिस्सा नहीं पा रहे हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities):

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया था।
- यह अधिनियम 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं करता किंतु केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करे।

नोट :

- आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 5 अन्य सदस्य होते हैं।
- अध्यक्ष सहित पाँच सदस्यों का अल्पसंख्यक समुदाय से होना आवश्यक है।
- अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
- **प्रमुख कार्य:**
  - अल्पसंख्यकों की प्रगति का मूल्यांकन करना।
  - अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये केंद्र व राज्य सरकार को प्रभावी उपायों की सिफारिश करना।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस (National Minorities Right Day):

- अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिये हर वर्ष 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है।
- यह दिवस 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा' को अपनाने का प्रतीक है।
- यह दिन अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों और उनकी सुरक्षा के बारे में लोगों में बेहतर समझ विकसित करने तथा उन्हें शिक्षित करने पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

चर्चा में क्यों ?

अखिल भारतीय मातृत्व लाभ कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (The Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana-PMMVY) की अपवर्जनात्मक प्रकृति के लिये आलोचना की गई है।

अपवर्जनात्मक प्रकृति के कारण:

- इस योजना का लाभ किसी महिला को केवल पहले बच्चे के जन्म के आधार पर मिलता है।
- इस योजना में पंजीकरण के लिये आवेदक महिला को अपने पति का आधार संबंधी विवरण प्रदान करना होता है जिससे एकल महिलाएँ, अविवाहित माताएँ, अभित्यक्त पत्नियाँ और विधवा महिलाएँ इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाती हैं।
- इस योजना में आवेदन करने की न्यूनतम आयु 19 वर्ष है अत: 18 वर्ष से कम आयु की नवविवाहिता इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाती हैं।
- पहले शिशु को जन्म देने वाली लगभग 30-35% महिलाएँ 18 वर्ष से कम आयु की हैं।
- नवजात के माता-पिता से अलग-अलग यह प्रमाण लिया जाता है कि वह उस महिला और उसके पति से पहला जीवित बच्चा है।
- लाभार्थी महिला को अपने वैवाहिक घर का पता संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत करना पड़ता है, अत: यह नवविवाहित महिलाओं के लिये चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान सामान्यत: उन्हें घर में रहने तथा आराम करने की आवश्यकता होती है।
- दस्तावेज़ीकरण की जटिल प्रक्रिया के कारण हाशिये पर रहने वाली महिलाओं जैसे- यौनकर्मी, हिरासत में रहने वालीं महिलाएँ, प्रवासी और संघर्ष के बाद की स्थितियों में रहने वालीं महिलाएँ इस योजना का लाभ नहीं उठा पाती हैं।
- एक महिला कार्यकर्त्ता के अनुसार, महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया के दौरान भारी रिश्वत देनी पड़ती है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (The Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana):

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी, 2017 को देश भर में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु की गई थी।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नकद लाभ प्रदान किया जाता है ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके।
- **लक्षित लाभार्थी:** सभी गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ, जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रूप से रोज़गार पर रखा गया है या जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं।

नोट :

- PMMVY के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को तीन किश्तों में 5,000 रुपए दिये जाते हैं और शेष 1000 रुपए की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दी जाती है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपए प्राप्त होते हैं

इस योजना में बच्चों की संख्या का प्रावधान समाप्त कर सभी महिलाओं, चाहे वे औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्र, वेतन या अवैतनिक कार्य में संलग्न हों, को शामिल किया जाना चाहिये तथा इन प्रतिबंधों को हटाकर इस योजना को सार्वभौमिक बनाने की आवश्यकता है। ज़मीनी स्तर की कार्यकर्ताओं को संबंधित महिलाओं की समस्याओं तथा चिंताओं को सरकार तक पहुँचाने में सहायता करनी चाहिये।

WHO: ट्रास्टूजुमैब बायोसिमिलर्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) ने स्तन कैंसर के इलाज के लिये उपयोग में लाई जाने वाली दवा ट्रास्टूजुमैब (Trastuzumab) के पहले बायोसिमिलर्स (Biosimilars) दवा के वाणिज्यिक प्रयोग की अनुमति प्रदान की।

मुख्य बिंदु:

- वैश्विक स्तर पर महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले प्राय: देखने को मिलते हैं। वर्ष 2018 में लगभग 21 लाख महिलाएँ स्तन कैंसर से पीड़ित थीं। इनमें से 6 लाख 30 हज़ार महिलाओं की मौत इलाज में देरी या आवश्यक उपचार की सुविधा न होने की वजह से हो गई।
- ट्रास्टूजुमैब नामक दवा को WHO द्वारा आवश्यक दवाओं की सूची में वर्ष 2015 में शामिल किया गया था।
- यह दवा स्तन कैंसर के लगभग 20 प्रतिशत मामलों के इलाज में सफल रही है तथा प्रारंभिक एवं कई मामलों में उच्च स्तरीय कैंसर के इलाज में भी काफी प्रभावी साबित हुई है।
- ट्रास्टूजुमैब की वार्षिक औसत कीमत 20,000 डॉलर है। इसके अत्यधिक कीमती होने की वजह से यह विश्व की अधिकांश महिलाओं तथा देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था द्वारा वहनीय नहीं है।
- ट्रास्टूजुमैब दवा के बायोसिमिलर्स की कीमत इसकी कीमत से 65 प्रतिशत कम है तथा भविष्य में अन्य दवाएँ भी WHO द्वारा पूर्व-अर्हता (Prequalification) प्राप्त करने हेतु प्रतीक्षा में हैं, जिनके बाज़ार में आने के बाद कीमतों में और अधिक कमी होने की संभावना है।
- इस दवा के बायोसिमिलर्स की जाँच में WHO द्वारा इसकी प्रभावशीलता, सुरक्षा तथा गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं और विभिन्न देशों द्वारा आपूर्ति हेतु अनुसंशित किया गया।
- पिछले पाँच वर्षों में ट्रास्टूजुमैब के कुछ बायोसिमिलर्स विकसित किये गए हैं लेकिन उनमें से किसी को WHO द्वारा पूर्व-अर्हता नहीं प्रदान की गई है। पूर्व-अर्हता प्राप्त करने के बाद देशों को इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि वे इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं।

बायोसिमिलर्स (Biosimilars):

- जेनेरिक दवाओं की भाँति ही बायोसिमिलर्स भी मूल बायो-थेराप्यूटिक दवाओं (Biotherapeutic Medicines) का सस्ता रूपांतरण होता है, जबकि इनकी प्रभावशीलता समान होती है।
- कंपनियों द्वारा इनका निर्माण तब किया जाता है जब मूल उत्पाद की पेटेंट (Patent) अवधि समाप्त हो गई हो।

बायो-थेराप्यूटिक दवाएँ (Biotherapeutic Medicines):

- उन दवाओं को कहा जाता है जो संश्लेषित रसायनों की बजाय जैविक तथा सजीव स्रोतों जैसे- कोशिका, रक्त, रक्त कणिकाएँ, ऊतक तथा अन्य पदार्थों से निर्मित की गई हों।
- अनेक जैविक दवाएँ (Biologic Medicines) विशेषीकृत ड्रग (Specialty Drugs) होती हैं। इनकी कीमत अत्यधिक होती है तथा उन बीमारियों के इलाज के लिये कारगर होती हैं जिनका कोई अन्य इलाज उपलब्ध नहीं होता है। इसमें जीन तथा कोशिका आधारित थेरेपी शामिल है।

नोट :

- कई बायो-थेराप्यूटिक दवाओं का प्रयोग कैंसर, मधुमेह तथा आर्थराइटिस जैसे रोगों के इलाज में किया जाता है।
- हाल ही में अफ्रीका के उप-सहारा क्षेत्र में 1325 महिलाओं पर किये गए एक अध्ययन के अनुसार स्तन कैंसर की शुरूआती पहचान के बावजूद एक वर्ष तक 227 (17%) महिलाओं का इलाज संभव नहीं हो सका। इन आँकड़ों से पता चलता है कि कैंसर के उपचार में इलाज का खर्च एक बड़ी बाधा है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर शोध एजेंसी के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2040 तक स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं की संख्या लगभग 31 लाख तक पहुँच जाएगी।

आगे की राह:

- स्तन कैंसर की समस्या से निजात पाने के लिये आवश्यक है कि बायोसिमिलर्स की उपलब्धता बढ़ायी जाए। इससे इनकी कीमतों में और कमी होने की संभावना है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अधिक नवाचार होंगे और इन दवाओं की पहुँच विस्तृत होगी।

जनसंख्या स्थिरता पर नीति आयोग की कार्ययोजना

चर्चा में क्यों ?

नीति आयोग बढ़ती जनसंख्या और इसके उपायों पर चर्चा करने के लिये 20 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में भारतीय जनसंख्या संस्थान (POPULATION FOUNDATION OF INDIA) के साथ मिलकर एक सलाहकार सम्मेलन आयोजित करेगा।

मुख्य बिंदु:

- इस बैठक का विषय- जनसंख्या स्थिरीकरण की सोच को साकार करने: किसी को पीछे नहीं छोड़ने'' (Realizing the vision of population stabilization: leaving no one behind) होगा।
- इस सम्मेलन में कई महत्त्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, अनुभवी सलाहकार और विषय विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य जनसंख्या समस्या पर चर्चा करना तथा इसके निवारण के सुझाव तलाशना है, ये सुझाव 15 अगस्त, 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा देश की जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिये किये गए आह्वान को पूरा करने में मदद करेंगे।
- सुझावों के आधार पर नीति आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली कार्ययोजना, परिवार नियोजन कार्यक्रमों में आने वाली कमियों को दूर करने में मददगार हो सकती है।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य, किशोरों और युवाओं पर विशेष ध्यान के साथ अंतर-विभागीय विषमताओं को दूर करने, मांग निर्माण, गर्भनिरोधक सेवाओं की पहुँच एवं देखभाल की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना तथा परिणामों में क्षेत्रीय विषमताओं को संबोधित करने के लिये रचनात्मक सुझाव देना है।

सम्मेलन से अपेक्षित कुछ प्रमुख सुझाव निम्न हैं -

- गर्भनिरोधकों के विकल्प बढ़ाना, बच्चों के जन्म के बीच के अंतर को बढ़ाना तथा महिलाओं को इस विषय पर विस्तृत जानकारी देना।
- युवाओं को विवाह और यौन संबंधों के बारे में स्वास्थ्य और आयु संबंधित सामाजिक निर्धारकों की जानकारी देना।
- परामर्श के साथ देखभाल सेवाओं को बेहतर बनाने, दवाओं के दुष्प्रभावों के बेहतर प्रबंधन और परिवार नियोजन में सहायता करना।
- देश की 30% युवा जनसंख्या की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन योजना के लिये बजटीय आवंटन बढ़ाना।
- गर्भनिरोधक के विकल्पों के प्रति मौजूदा सामाजिक-सांस्कृतिक दुष्प्रचारों को संबोधित करना तथा युवाओं से इन समस्याओं को लेकर संवाद बढ़ाने के लिये संचार के नए माध्यमों (जैसे- Social Media आदि) में बड़े पैमाने पर निवेश करना।
- अंतर-विभागीय संवाद को बढ़ावा देने और बहुपक्षीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये जनसंख्या स्थिरीकरण तथा परिवार नियोजन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में रखना।

15 अगस्त, 2019 को लालकिले से अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री ने अनियंत्रित रूप से बढ़ती जनसंख्या पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि,"लगातार बढ़ती जनसंख्या हमारे और हमारी अगली पीढ़ी के लिये कई समस्यायें और चुनौतियाँ लाने वाली हैं।" साथ ही उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिये देश के सभी नागरिकों से अपना योगदान देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने जनसंख्या नियत्रंण के प्रति जागरूक लोगों की प्रशंसा की।

नोट :

बढ़ती जनसँख्या की चुनौतियाँ:

- किसी भी देश की स्वस्थ और शिक्षित जनसंख्या उसके लिये मानव पूँजी (Human Capital) के रूप में वरदान का काम करती हैं लेकिन यदि जनसंख्या इतनी बढ़ जाये कि देश के सभी नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि) का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाए तो यही जनसंख्या उसके लिये अभिशाप बन जाती है।
- एक अनुमान के अनुसार भारत की वर्तमान जनसंख्या 37 करोड़ से अधिक है, जून 2019 में यू.एन. द्वारा जारी द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019: हाइलाइट्स (The World Population Prospects 2019: Highlights) नामक एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 तक भारत, चीन को पछाड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।
- इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के स्वास्थ्य, युवा रोज़गार, वृद्धों की देखभाल से लेकर बढ़ती शहरी आबादी के दबाव आदि को नियंत्रित करना देश के लिये एक बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष:

भारत में जनसंख्या बढ़ने के कारणों में अशिक्षा, कम आयु में विवाह तथा परिवार नियोजन जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति व्याप्त सामाजिक अंधविश्वास का होना है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इतनी बड़ी जनसंख्या पर सरकारी दबाव के बजाय शिक्षा, जागरूकता और समाज के सभी वर्गों के आपसी सामाजिक सहयोग से ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। परिवार नियोजन को विकास के क्षेत्र में सार्वभौमिक रूप से सर्वोत्तम निवेश माना जाता है। भारत को अपने सतत् विकास और आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिये यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ गर्भनिरोधकों के प्रति जागरूकता और गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं की पहुँच बढ़ सके।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) को अद्यतन करने के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल से 3,941 करोड़ रुपए की मांग की है।

मुख्य बिंदु:

- गृह मंत्रालय ने वर्ष 2021 की जनगणना के लिये 8,754 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के लिये 3,941 करोड़ रुपए की मांग की है।
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का अद्यतन डेटा जनगणना-2021 के प्रथम चरण के आँकड़ों के साथ प्रकाशित किया जाएगा।
- इस अद्यतन प्रक्रिया के दौरान बायोमेट्रिक आँकड़ों को एकत्रित नहीं किया जाएगा।

नया क्या होगा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में ?

- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के लिये 21 बिंदुओं के आधार पर डेटा एकत्रित किया जाएगा, जबकि वर्ष 2010 का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 15 बिंदुओं के आधार पर एकत्रित आँकड़ों के अनुसार तैयार किया गया था ।
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने की प्रक्रिया के दौरान माता-पिता की जन्म-तिथि और जन्म-स्थान को एक बिंदु के रुप में शामिल किया जाएगा, यह बिंदु पहले तैयार किये गए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में शामिल नहीं था।
- वहीं इस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में अंतिम निवास स्थान, पासपोर्ट नंबर, आधार आईडी, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर को भी अद्यतन आँकड़ों के रूप में शामिल किया जाएगा, इन आँकड़ों को वर्ष 2010 के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया था।
- इस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में माँ का नाम, पिता का नाम, पति और पत्नी के नाम से संबंधित तीन बिंदुओं को एक ही बिंदु में समाहित किया जाएगा।

नोट :

क्या है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ?

- यह 'देश के सामान्य निवासियों' की एक सूची है जो नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उप-ज़िला, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है।
- कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने या उससे अधिक समय से भारत में रह रहा है या अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक यहाँ रहने का इरादा रखता है, उसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होता है।
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को नागरिकता कानून, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाता है।
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में पंजीकरण कराना भारत के प्रत्येक 'सामान्य निवासी' के लिये अनिवार्य है।
- देश के नागरिकों की पहचान का डेटाबेस एकत्र करने के लिये वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी।

भारतीय भेषज संहिता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारतीय भेषज संहिता (Indian Pharmacopoeia- IP) को औपचारिक तौर पर स्वीकृति दे दी गई। इसके बाद IP का प्रयोग अफगानिस्तान में दवाओं व अन्य स्वास्थ्य उत्पादों के निर्माण में किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- IP को औपचारिक तौर पर स्वीकृति देने वाला अफगानिस्तान पहला देश है।
- IP आधिकारिक तौर पर स्वीकृत एक पुस्तक है जिसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार बनाया गया है।
- ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की दूसरी अनुसूची के तहत IP को एक आधिकारिक पुस्तक का दर्जा दिया गया है। इसका कार्य देश में आयातित और/अथवा निर्मित दवाओं की बिक्री, स्टॉक, प्रदर्शनी या वितरण हेतु मानदंड निर्धारित करना है।
- यह देश में दवाओं की पहचान, गुणवत्ता, शुद्धता तथा क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनके निर्माण एवं बिक्री के लिये मानक तय करता है।
- IP के निर्माण के लिये उत्तरदायी संस्था भारतीय भेषज संहिता आयोग (Indian Pharmacopoeia Commission- IPC) है।
- भारतीय भेषज संहिता आयोग भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है।

भेषज संहिता (Pharmacopoeia):

यह एक प्रकार की पुस्तक होती है जिसमें विभिन्न फार्मास्यूटिकल पदार्थों के फार्मूले तथा उनके निर्माण की विधियाँ संकलित होती हैं।

- देश में मानव तथा पशुओं के स्वास्थ्य के लिये आवश्यक दवाओं हेतु प्रमाणिक एवं आधिकारिक मानकों का निर्धारण IPC द्वारा किया जाता है साथ ही निर्धारित मानकों का प्रयोग भारत में दवाओं की गुणवत्ता के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- इसके अलावा IPC द्वारा IP संदर्भ पदार्थों (IP Reference Substances- IPRS) का निर्माण किया जाता है जो एक मानक (Fingerprints) की तरह कार्य करते हैं। इनका प्रयोग IP मोनोग्राफ के तहत किसी पदार्थ के परीक्षण एवं शुद्धता की जाँच के लिये किया जाता है।
- IP के अलावा विश्व में अधिकांश देशों की दवाओं की विवरणिका (Registry) है जिसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे- अमेरिका की U.S.P., ब्रिटेन की B.P. आदि।
- दवाओं के नामों के साथ अक्सर IP, BP, या USP लिखा जाता है जिससे यह पता चलता है कि वह दवा किस देश के भेषज संहिता के फॉर्मूले पर आधारित है।

नोट :

वैश्विक तंबाकू खपत में कमी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट "तंबाकू उपभोग का प्रचलन 2000-2025" (Trends in Prevalence of Tobacco Use 2000-2025) के तीसरे संस्करण में कहा गया है कि विश्व में तंबाकू के उत्पादन में लगातार कमी आई है।

मुख्य बिंदु:

- वर्तमान में 13 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में लगभग 4 करोड़ 30 लाख बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं जिसमें 1 करोड़ 40 लाख लड़कियाँ तथा 2 करोड़ 90 लाख लड़के शामिल हैं।
- WHO द्वारा पहली बार कहा गया है कि तंबाकू का प्रयोग करने वाले पुरुषों की संख्या में लगातार कमी हुई है।
- तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष 80 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 70 लाख लोग तंबाकू का प्रत्यक्ष सेवन करते हैं, जबकि 10 लाख से अधिक लोग अप्रत्यक्ष तौर पर (सिगरेट के धुँए से आदि कारणों से) प्रभावित होते हैं।
- तंबाकू की खपत से होने वाली अधिकतर मौतें निम्न एवं मध्यम आय वर्ग वाले देशों में होती हैं। इन देशों में तंबाकू उत्पादन करने वाली कंपनियों का हस्तक्षेप तथा बाज़ार व्यापक पैमाने पर होता हैं।
- पिछले दो दशकों में वैश्विक स्तर पर तंबाकू के प्रयोग में कमी आई है वर्ष 2000 में जहाँ 1,397 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते थे वहीं वर्ष 2018 में 1,337 करोड़ लोग इसका सेवन करते हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि तंबाकू के सेवन करने वाले पुरुषों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है तथा यह अनुमानित है कि तंबाकू का सेवन करने वाले पुरुषों की संख्या में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2020 तक 10 लाख की कमी आएगी।
- वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2020 तक तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों (पुरुष व महिला दोनों) की संख्या में 1 करोड़ की कमी आएगी तथा वर्ष 2025 तक अतिरिक्त 2 करोड़ 70 लाख लोग इसका प्रयोग छोड़ देंगे।
- वर्ष 2010 के बाद विश्व के लगभग 60 प्रतिशत देशों में तंबाकू के सेवन में लगातार कमी आई है।

आगे की राह:

- इन उपलब्धियों के बावजूद सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक वैश्विक तंबाकू खपत में 30 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है कि वर्ष 2025 तक इसमें केवल 23 प्रतिशत की ही कमी की जा सकेगी।
- तंबाकू के सेवन में 30 प्रतिशत की कमी के लक्ष्य को केवल 32 देशों द्वारा ही लागू किया जा रहा है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि विश्व के अन्य देश भी तंबाकू के प्रयोग को सीमित करने की कोशिश करें।
- वैश्विक स्तर पर तंबाकू के प्रयोग में इस कमी से प्रदर्शित होता है कि यदि सरकारों द्वारा व्यापक स्तर पर तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के प्रति मज़बूत नीतियाँ लागू की जाएँ तो इससे देश के नागरिकों और समाज के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हो सकता है।

भारत में मानसिक विकार की समस्या

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंडिया स्टेट लेवल डिज़ीज़ बर्डन इनिशिएटिव (India State-Level Disease Burden Initiative) द्वारा भारत में मानसिक विकारों के संबंध में एक अध्ययन किया गया जिसे लांसेट साइकाइट्री (Lancet Psychiatry) में प्रकाशित किया गया।

मुख्य बिंदु:

- इस रिपोर्ट को द बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया: द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ स्टडी 1990-2017 (The burden of mental disorders across the states of India: the Global Burden of Disease Study 1990–2017) नाम दिया गया है।

नोट :

- इसके अनुसार, अवसाद तथा चिंता भारत में मानसिक विकारों के प्रमुख कारण हैं तथा इनका प्रभाव दक्षिणी राज्यों और महिलाओं में अधिक है। इसके अलावा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।
- लगभग प्रत्येक 7 में से 1 भारतीय या कुल 19 करोड़ 70 लाख लोग विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों से ग्रसित हैं।
- वर्ष 2017 में देश में लगभग 76 लाख लोग बाइपोलर डिसऑर्डर (Bipolar Disorder) से ग्रसित थे। इसका सर्वाधिक प्रभाव गोवा, केरल, सिक्किम तथा हिमाचल प्रदेश में देखा गया।
- इसी वर्ष लगभग 35 लाख लोग सिज़ोफ्रेनिया (Schizophrenia) से ग्रसित थे। इसका प्रभाव गोवा, केरल, तमिलनाडु तथा दिल्ली में सर्वाधिक था।
- भारत में कुल बीमारियों में मानसिक विकारों की हिस्सेदारी विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (Disability Adjusted Life Years- DALY) के अनुसार, वर्ष 1990 में 2.5% थी तथा वर्ष 2017 में यह बढ़कर 4.7% हो गई।
- यहाँ 1 DALY का आशय एक स्वस्थ जीवन में एक वर्ष की कमी से है।
- वर्ष 2017 में भारत में मानसिक विकार DALY के सभी मामलों में 33.8% लोग अवसाद (Depression), 19% लोग एंग्जायटी डिसऑर्डर (Anxiety Disorder), 10.8% लोग इडियोपथिक डेवलपमेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी (Idiopathic Developmental Intellectual Disability) तथा 9.8% लोग सिज़ोफ्रेनिया (Schizophrenia) से ग्रसित थे।
- इस अध्ययन में राज्यों को सामाजिक-जनांकिकीय इंडेक्स (Socio-Demographic Index- SDI) के आधार पर तीन वर्गों- निम्न, मध्यम, तथा उच्च में विभाजित किया गया।
- SDI के मापन में राज्य की प्रतिव्यक्ति आय, औसत शिक्षा, 25 वर्ष से कम आयु की महिलाओं में प्रजनन दर जैसे पैमानों को अपनाया गया।
- उच्च SDI वाले राज्यों जैसे- तमिलनाडु, केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तेलंगाना में अवसाद एवं एंग्जायटी की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित लोग थे।
- इस अध्ययन में कहा गया कि अवसाद, एंग्जायटी, ईटिंग डिसऑर्डर के मामले में पुरुषों की तुलना में महिलाएँ अधिक प्रभावित थीं।

आगे की राह:

- इस अध्ययन के आधार पर देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर ज़ोर देने तथा उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इन समस्याओं को एक लांछन की तरह देखने की बजाय इनके लिये बेहतर इलाज उपलब्ध कराए जाने चाहिये।
- पिछले तीस वर्षों के आँकड़ों पर किये गए अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में मानसिक विकार गैर-घातक बीमारियों के मुख्य कारण है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इससे आत्महत्या जैसी समस्याएँ भी बढ़ती हैं। अत: आवश्यक है कि सामुदायिक स्तर पर एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार द्वारा उनके नियंत्रण के लिये प्रयास किये जाएं।
- इस अध्ययन के आधार पर लोगों को इससे बचाव हेतु राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य नीतियों जैसे आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat), स्वास्थ्य बीमा योजना (Health Insurance Scheme), हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (Health and Wellness Centre) आदि के माध्यम से मानसिक विकार संबंधी समस्याओं को दूर किया जाए।
- यह अध्ययन राज्यों के स्तर पर मानसिक विकारों के संबंध में जानकारी देता है जिसका प्रयोग नीति-निर्माताओं तथा स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा विभिन्न राज्यों में इन बीमारियों के नियंत्रण हेतु किया जा सकता है।

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई में संविधान के अनुच्छेद-142 का प्रयोग करते हुए इर्रीट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज (Irretrievable Breakdown of Marriage) को विवाह विच्छेद का आधार माना।

मुख्य बिंदु:

- वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) के तहत इर्रीट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को विवाह विच्छेद का आधार नहीं माना जाता हैं।

नोट :

- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिये अनुच्छेद-142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया है।

हिंदू विवाह अधिनियम,1955 में विवाह विच्छेद का आधार:

- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह विच्छेद की प्रक्रिया दी गई है जो कि हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म को मानने वालों पर लागू होती है।
- इस अधिनियम की धारा-13 के तहत विवाह विच्छेद के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं:
  - व्यभिचार (Adultry)- यदि पति या पत्नी में से कोई भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाहेतर संबंध स्थापित करता है तो इसे विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है।
  - क्रूरता (Cruelty)- पति या पत्नी को उसके साथी द्वारा शारीरिक, यौनिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो क्रूरता के तहत इसे विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है।
  - परित्याग (Desertion)- यदि पति या पत्नी में से किसी ने अपने साथी को छोड़ दिया हो तथा विवाह विच्छेद की अर्जी दाखिल करने से पहले वे लगातार दो वर्षों से अलग रह रहे हों।
  - धर्मांतरण (Proselytisze)- यदि पति पत्नी में से किसी एक ने कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लिया हो।
  - मानसिक विकार (Unsound Mind)- पति या पत्नी में से कोई भी असाध्य मानसिक स्थिति तथा पागलपन से ग्रस्त हो और उनका एक-दूसरे के साथ रहना असंभव हो।
- इसके अलावा अधिनियम की धारा-13B के तहत आपसी सहमति को विवाह विच्छेद का आधार माना गया है।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954) की धारा-27 में इसके तहत विधिपूर्वक संपन्न विवाह के लिये विवाह विच्छेद के प्रावधान दिये गए हैं।

हालाँकि इन दोनों अधिनियमों में से किसी में भी इर्रीट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को विवाह विच्छेद का आधार नहीं माना गया है।

इर्रीट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज (Irretrievable Breakdown of Marriage):

- हाल ही में के आर. श्रीनिवास कुमार बनाम आर. शमेथा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों की जाँच करते हुए इर्रीट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को आधार मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में कहा कि जिन मामलों में वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अव्यवहार्य, भावनात्मक रूप से मृतप्राय यानी जिसमें सुधार की कोई संभावना न हो तथा अपूर्ण रूप से टूट चुके हों उन्हें विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है।
- ऐसे वैवाहिक संबंध निष्फल होते हैं तथा इनका जारी रहना दोनों पक्षों को मानसिक प्रताड़ना देता है। इन मामलों में किसी वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा अनुच्छेद-142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक है।
- अनुच्छेद-142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति है कि जिन मामलों में कानून या विधि द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में वह उस मामले को स्वयं के अधिकार क्षेत्र में लाकर अंतिम निर्णय दे सकता है।
- न्यायालय ने पहले भी कई मामलों में, जहाँ वैवाहिक संबंध मृतप्राय हो जाते हैं, अनुच्छेद-142 का प्रयोग करते हुए इर्रीट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को विवाह विच्छेद का आधार माना है।
- भारत के विधि आयोग (Law Commission of India) ने पहले भी दो बार हिंदू धर्म में अपरिवर्तनीय संबंध विच्छेद को विवाह विच्छेद का आधार बनाने के लिये हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) तथा विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) में इसे शामिल करने की अनुशंसा की है।
- विधि आयोग ने इस संबंध में पहली बार वर्ष 1978 में अपनी 71वीं रिपोर्ट में तथा दूसरी बार वर्ष 2009 में 217वीं रिपोर्ट में अधिनियम में संशोधन की अनुशंसा की थी।

संविधान का अनुच्छेद-142:

- संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायाधिकार का प्रयोग करते समय ऐसे निर्णय या आदेश दे सकता है जो इसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिये आवश्यक हो।

नोट :

- इसके तहत दिये गये निर्णय या आदेश पूरे भारत संघ में संसद या उसके अधीन बने नियमों की भाँति ही तब तक लागू होंगे, जब तक इससे संबंधित कोई अन्य प्रावधान राष्ट्रपति या उसके आदेश द्वारा लागू नहीं कर दिया जाता।
- अनुच्छेद 142(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को हाज़िर कराने, किन्हीं दस्तावेज़ों के प्रकटीकरण या अपनी किसी अवमानना का अन्वेषण करने या दंड देने के संबंध में आदेश देने की शक्ति होगी।
- यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को "पूर्ण न्याय" सुनिश्चित करने की शक्ति प्रदान करता है तथा इसका प्रयोग प्राय: मानवाधिकार तथा पर्यावरण संरक्षण के मामलों में ही किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या भूमि विवाद मामले में भी संविधान के अनुच्छेद-142 का प्रयोग किया गया था।

भारत में कुपोषण की स्थिति

चर्चा में क्यों ?

हॉवर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक टीम ने कुपोषण के प्रसार में धन असमानता के प्रभाव का आकलन ज़िला-स्तरीय रुझानों के आधार पर किया है।

- ध्यातव्य है कि यह आकलन कुपोषण के पाँचों संकेतकों {स्टंटिंग (Stunting), कम वज़न (Underweight), वेस्टिंग (Wasting), जन्म के समय कम वज़न और एनीमिया} और धन असमानता के संदर्भ में किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- टीम ने प्रत्येक ज़िले को समग्र भार और धन असमानता पर आधारित चार श्रेणियों- असमानता (Disparity), ख़तरा (Pitfall), तीव्रता (Intensity) या समृद्धि (Prosperity) के अंतर्गत वर्गीकृत किया था।
- शोधकर्ताओं ने वर्ष 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 4 (National Family Health Survey- NFHS 4) के डाटा का विश्लेषण किया और पाया कि चार संकेतकों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में गरीबों में एनीमिया के सर्वाधिक 54.6% मामले पाये गए थे।
- गुजरात, झारखंड और बिहार के सभी ज़िलों में कम वज़न वाले बच्चों के संदर्भ में धन संबंधी असमानताएँ सबसे अधिक जबकि मिज़ोरम, नगालैंड तथा मणिपुर में सबसे कम थीं।
- भारत के उत्तर और मध्य क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड शामिल हैं; मुख्य रूप से स्टंटिंग एवं अंडरवेट के मामलों में अधिकतर 'ख़तरा' तथा 'तीव्रता' वाले ज़िलों की श्रेणी में शामिल हैं।
- शोध के अनुसार यद्यपि भारत सरकार की नई पहल राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission) से बाल कुपोषण में एक प्रगतिशील गिरावट आई है किंतु यह गिरावट धीमी रही है और सुधारों के संपूर्ण जनसंख्या में समान रूप से वितरण का अभाव है।
- विश्व स्तर पर मध्यम और निम्न-आय वाले देशों में पाँच वर्ष से कम उम्र के 200 मिलियन से अधिक बच्चों का कुपोषित होना एक बड़ी समस्या है। हालाँकि भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, देश में बाल कुपोषण की संख्या में गिरावट आई है किंतु विभिन्न अध्ययनों के अनुसार गिरावट की दर बहुत धीमी है और भारत अभी भी कुपोषण के खिलाफ संघर्ष कर रहा है।

क्या है कुपोषण ?

- कुपोषण (Malnutrition) वह अवस्था है जिसमें पौष्टिक पदार्थ और भोजन, अव्यवस्थित रूप से ग्रहण करने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। चूँकि हम स्वस्थ रहने के लिये भोजन के ज़रिये ऊर्जा और पोषक तत्त्व प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिजों सहित पर्याप्त पोषक तत्त्व नहीं मिलते हैं तो हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं।
- कुपोषण तब भी होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्त्वों की सही मात्रा उपलब्ध नहीं होती है।

भारत में कुपोषण के कारण

- क्रय शक्ति कम होने के कारण गरीब परिवारों को आवश्यक मात्रा में पौष्टिक आहार क्रय करना मुश्किल हो जाता है और जिसके कारण वे कुपोषण का शिकार होते हैं। परिणामस्वरूप उनकी उत्पादन क्षमता में कमी आती है और निर्धनता तथा कुपोषण का चक्र इसी प्रकार चलता रहता है।

नोट :

- देश में पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण आहार के संबंध में जागरूकता की कमी स्पष्ट दिखाई देती है फलत: पोषण के प्रति जागरूकता के अभाव के कारण पूरा परिवार कुपोषण का शिकार होता है।
- पोषण की कमी और बीमारियाँ कुपोषण के प्रमुख कारण हैं। अशिक्षा और गरीबी के चलते भारतीयों के भोजन में आवश्यक पोषक तत्त्वों की कमी पाई जाती है जिसके कारण कई प्रकार के रोग, जैसे- एनीमिया, घेंघा व बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। साथ ही पारिवारिक खाद्य असुरक्षा तथा जागरूकता की कमी भी कुपोषण का एक बड़ा कारण माना जा सकता है।
- देश में स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता भी इसका एक मुख्य कारण माना जा सकता है। सरकारी आँकड़ों के मुताबिक, भारत में लगभग 1700 मरीज़ों पर एक डॉक्टर उपलब्ध हो पाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर 1000 मरीज़ों पर 1.5 डॉक्टर होते हैं।
- कुपोषण का बड़ा कारण लैंगिक असमानता भी है। भारतीय महिला के निम्न सामाजिक स्तर के कारण उसके भोजन की मात्रा और गुणवत्ता में पुरुष के भोजन की अपेक्षा कहीं अधिक अंतर होता है।
- स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता तथा गंदगी भी कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है।

कुपोषण से निपटने की महत्त्वपूर्ण रणनीतियाँ:

- जिन ज़िलों में कुपोषण का प्रसार समान रूप से अधिक है, उन ज़िलों में हस्तक्षेप की एक अलग रणनीति की अपनाने आवश्यकता है।
- बाल पोषण (Child Nutrition) की प्रगति प्रभावी और समान रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- कृषि को अधिक उत्पादक एवं विविधतापूर्ण बनाना ताकि बेहतर पोषण उपलब्ध हो सके।
- आय में वृद्धि से संबंधित कार्यक्रमों को गरीबों एवं कुपोषितों के लिये और अधिक लक्षित करना।
- खाद्य असुरक्षा की सतत् निगरानी करना।
- स्वास्थ्य सेवाओं के साथ पोषण को भी सम्मिलित करना।

सरकारी प्रयास-

एकीकृत बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Service- ICDS)

- एकीकृत बाल विकास योजना 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 1975 में यह योजना प्रारंभ की गई थी।

पोषण अभियान और आवंटित धन का उपयोग

चर्चा में क्यों ?

संसद के हालिया सत्र में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने वर्ष 2017 से अभी तक पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) के तहत आवंटित कुल धन का लगभग 30 प्रतिशत ही प्रयोग किया है।

- मिज़ोरम, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और बिहार के अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने विगत तीन वर्षों में आवंटित राशि के आधे हिस्से का भी उपयोग नहीं किया।

प्रमुख बिंदु

- पोषण अभियान के तहत आवंटित धन के उपयोग के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन मिज़ोरम का रहा जिसने अपने लिये आवंटित कुल धन का लगभग 66 प्रतिशत हिस्सा प्रयोग किया। ज्ञात हो कि अभियान के तहत मिज़ोरम को तीन वर्षों में 1979.03 लाख रुपए दिये जाए जिसमें से उसने कुल 1310.52 लाख रुपए प्रयोग किये।
- वहीं इस मामले में सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब का रहा जिसने कुल आवंटित धन का मात्र 0.45 प्रतिशत धन ही उपयोग किया। पंजाब को तीन वर्षों की अवधि में कुल 6909.84 लाख रुपए जारी किये गए जिसमें से उसने मात्र 30.88 लाख रुपए प्रयोग किये।

नोट :

- विदित है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने अब तक अपने-अपने राज्यों में इस योजना को कार्यान्वयित नहीं किया है। हालाँकि ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य के अंतर्गत अभियान के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दे दी थी, परंतु पश्चिम बंगाल में अभी भी योजना का क्रियान्वयन बाकी है।
- विशेषज्ञों का मानना है की फंड के उपयोग को लेकर मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े पोषण अभियान की एक गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan)

- दिसंबर 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देशभर में कुपोषण की समस्या को संबोधित करने हेतु पोषण अभियान की शुरुआत की थी।
- अभियान का उद्देश्य परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के माध्यम से देश भर के छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में कुपोषण तथा एनीमिया को चरणबद्ध तरीके से कम करना है।
- इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अभियान के तहत राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी ज़िलों को शामिल किया गया है।
- पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन की अभिकल्पना नीति आयोग द्वारा 'राष्ट्रीय पोषण रणनीति' के तहत की गई है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक "कुपोषण मुक्त भारत" का निर्माण करना है।
- इस अभियान का लक्ष्य लगभग 9046.17 करोड़ रुपए के बजट के साथ देश भर के 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुँचाना है।
- अभियान की कुल लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा बजटीय समर्थन के माध्यम से दिया जा रहा है, जबकि शेष 50 प्रतिशत हिस्सा विश्व बैंक तथा अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा दिया जा रहा है।
  - बजटीय समर्थन के माध्यम से दिये जा रहे हिस्से को तीन भागों में बाँटा गया है: (1) पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिये 90:10 जिसमें 90 प्रतिशत केंद्र द्वारा दिया जाएगा 10 प्रतिशत राज्यों द्वारा (2) बिना विधायिका के केंद्रशासित प्रदेशों कि स्थिति में 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा दिया जाएगा (3) अन्य राज्यों की स्थिति में 60:40 जिसमें 60 प्रतिशत केंद्र द्वारा दिया जाएगा और 40 प्रतिशत राज्यों द्वारा।

अभियान का प्रभाव

- हालाँकि पोषण अभियान के परिणामों को कार्यक्रम की स्वीकृत अवधि पूरी होने के बाद ही जाना जा सकता है, परंतु इस संदर्भ में व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (Comprehensive National Nutrition Survey-CNNS) के आँकड़ों पर गौर किया जा सकता है।
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ (UNICEF) द्वारा आयोजित व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में से 34.7% बच्चे स्टंटिंग अर्थात् कद न बढ़ने की समस्या का सामना कर रहे हैं, वहीं इसी आयु वर्ग के 33.4% बच्चे अल्प-वज़न की समस्या से जूझ रहे हैं।

आगे की राह

- पोषण अभियान के तहत आवंटित धन के उपयोग संबंधी आँकड़े स्पष्ट रूप से इस अभियान के प्रति राज्य सरकारों की गैर-ज़िम्मेदारी प्रदर्शित करते हैं।
- देशभर में कुपोषण और एनीमिया जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिये एक सक्रिय तंत्र की आवश्यकता है और राज्य सरकारों के सहयोग के बिना इस तंत्र का निर्माण संभव नहीं है।
- अत: आवश्यक है की राज्य सरकारें इस ओर गंभीरता से ध्यान दें ताकि इस समस्या को जल्द-से-जल्द समाप्त किया जा सके।

नोट :

कला एवं संस्कृति

अजंता और एलोरा की गुफाएँ

चर्चा में क्यों ?

महाराष्ट्र सरकार ने अजंता और एलोरा की गुफाओं में स्थापित दो पर्यटक आगंतुक केंद्रों को बिजली और पानी के बिल (5 करोड़ रुपए) न जमा करने के कारण बंद कर दिया है।

अजंता की गुफाएँ:

- अवस्थिति: ये गुफाएँ महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी के पास सह्याद्रि पर्वतमाला (पश्चिमी घाट) में रॉक-कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित हैं।
- गुफाओं की संख्या: इसमें कुल 29 गुफाएँ (सभी बौद्ध) हैं, जिनमें से 25 को विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
- **गुफाओं का विकास**
  - गुफाओं का विकास 200 ई.पू. से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था।
  - वाकाटक राजाओं जिनमें हरिसेना एक प्रमुख था, के संरक्षण में अजंता की गुफाएँ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थीं।
  - अजंता की गुफाओं की जानकारी चीनी बौद्ध यात्रियों फ़ाहियान (चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 380- 415 ईस्वी) और ह्वेन त्सांग (सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 606 - 647 ईस्वी) के यात्रा वृतांतों में पाई जाती है।
- **अजंता की गुफाओं में चित्रकारी:**
  - इन गुफाओं में आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया था।
  - इन गुफाओं के चित्रों में लाल रंग की प्रचुरता है किंतु नीले रंग की अनुपस्थिति है।
  - इन चित्रों में सामान्यत: बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है।
- यूनेस्को स्थल: इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।

एलोरा की गुफाएँ:

- अवस्थिति: ये गुफाएँ महाराष्ट्र की सह्याद्रि पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं।
- गुफाओं की संख्या: यहाँ 34 गुफाओं का एक समूह है, जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं।

गुफाओं का विकास:

- इन गुफाओं के समूह को 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा विकसित किया गया था।
- इनकी शुरुआत राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा की गई थी।
- ये गुफाएँ विषय और स्थापत्य शैली के रूप में प्राकृतिक विविधता को दर्शाती हैं।

  यूनेस्को स्थल: इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।
- एलोरा की गुफाओं के मंदिरों में सबसे उल्लेखनीय कैलासा (कैलासनाथ; गुफा संख्या 16) है, जिसका नाम हिमालय के कैलास पर्वत (हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान) के नाम पर रखा गया है।
- एलोरा की बौद्ध, ब्राह्मण और जैन गुफाएँ मध्य भारत में पैठण (Paithan) से उज्जैन (Ujjain) जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर बनाई गई थीं।

नोट :

सह्याद्रि पर्वतमाला

- पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरि पहाड़ियों और केरल में अन्नामलाई पहाड़ियों या इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है।
- पश्चिमी घाट, पहाड़ियों की उत्तर-दक्षिण श्रृंखला है जो दक्कन के पठारी क्षेत्र के पश्चिमी सिरे को चिह्नित करते हैं।
- पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की तुलना में ऊँचाई में अधिक तथा निरंतरता को बनाए हुए है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी औसत ऊँचाई लगभग 1,500 मीटर है।
- अनाइमुदी (2,695 मीटर), प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊँची चोटी पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, इसके बाद नीलगिरि पहाड़ियों पर डोडाबेट्टा (2,637 मीटर) स्थित है।
- अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे कृष्णा, कावेरी का उद्गम पश्चिमी घाट से हुआ है।

संस्कृत शिलालेख

चर्चा में क्यों ?

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की पुरालेख शाखा ने दक्षिण भारत में अब तक के सबसे पुराने संस्कृत शिलालेख की खोज की है। इस शिलालेख से सप्तमातृका के बारे में जानकारी मिलती है।

सप्तमातृका (Saptamatrika):

- सप्तमातृका हिंदू धर्म में सात देवियों का एक समूह है जिसमें शामिल हैं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, चामुण्डा, इंद्राणी।
- किसी-किसी संप्रदाय में इन सातों देवियों को 'महालक्ष्मी' के साथ मिलाकर 'अष्ट मातृ' कहा जाता है।
- सप्तमातृका की जानकारी कदंब ताम्र प्लेट, प्रारंभिक चालुक्य तथा पूर्वी चालुक्य ताम्र प्लेट से मिलती है।

चेब्रोलू शिलालेख विवरण:

- यह सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले के चेब्रोलू गाँव में पाया गया है।
- इस शिलालेख को स्थानीय भीमेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार और मरम्मत के दौरान प्राप्त किया गया है।
- इस शिलालेख में संस्कृत और ब्राह्मी वर्ण हैं, इसे सातवाहन वंश के राजा विजय द्वारा 207 ईसवी में जारी किया गया था।
  मत्स्य पुराण के अनुसार, राजा विजय सातवाहन वंश के 28वें राजा थे, इन्होंने 6 वर्षों तक शासन किया था।
- इस शिलालेख में एक मंदिर तथा मंडप के निर्माण के बारे में वर्णन किया गया है।
- इस अभिलेख में कार्तिक नामक व्यक्ति को ताम्ब्रापे नामक गाँव में, जो कि चेब्रोलू गाँव का प्राचीन नाम था सप्तमातृका मंदिर के पास प्रासाद (मंदिर) व मंडप बनाने का आदेश दिया गया है।
- इस चेब्रोलू संस्कृत शिलालेख से पहले इक्ष्वाकु राजा एहवाल चंतामुला (Ehavala Chantamula) द्वारा चौथी सदी में जारी नागार्जुनकोंडा शिलालेख को दक्षिण भारत में सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख माना जाता था।

अन्य शिलालेख:

- इस स्थान पर एक अन्य शिलालेख भी मिला है जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है जिसे पहली सदी का बताया जा रहा है।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI)

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्त्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिये एक प्रमुख संगठन है।
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्त्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है ।
- इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार, यह देश में सभी पुरातत्त्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है।
- यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को भी विनियमित करता है।
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

नोट :

सातवाहन वंश:

- सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यत: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक था।
- इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी तथा इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान/पैठन में थी।
- सातवाहन शासक 'हाल' एक बड़ा कवि था इसने प्राकृत भाषा में 'गाथासप्तशती' की रचना की है।
- सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी।
- सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था जिसे 'काषार्पण' कहा जाता था।
- भड़ौच सातवाहन वंश का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था।

इक्ष्वाकु वंश:

- भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेषों पर कृष्णा-गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ।
- इक्ष्वाकुओं ने कृष्णा-गुंटूर क्षेत्र में भूमि-अनुदान की प्रथा चलाई। इस क्षेत्र में अनेक ताम्रपत्र सनदें पाई गई हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय संसद ने विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2019 [Special Protection Group (Amendment) Bill, 2019] पारित किया जिसके द्वारा विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 1988 (Special Protection Group Act, 1988) में संशोधन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 1988 प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके निकट परिजनों की सुरक्षा के लिये विशेष सुरक्षा दल (Special Protection Group-SPG) के गठन तथा उसके विनियमन से संबंधित है।
- अधिनियम के अंतर्गत SPG प्रधानमंत्री और उनके परिवार के करीबी सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करती है। पद छोड़ने की तिथि के एक वर्ष बाद तक पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के करीबी सदस्यों को भी SPG सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- इस अवधि के बाद खतरे के स्तर को देखते हुए SPG सुरक्षा दी जाती है। खतरे के स्तर का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। यह खतरा निम्नलिखित प्रकार का होना चाहिये:
  1. अगर वह सैन्य या आतंकवादी संगठन द्वारा उत्पन्न हो रहा हो, और
  2. वह गंभीर एवं निरंतर जारी रहने वाला हो।
     - विधेयक इस प्रावधान में संशोधन करता है और कहता है कि SPG प्रधानमंत्री एवं उनके साथ सरकारी आवास में रहने वाले परिवार के करीबी सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करेगी।
     - SPG पूर्व प्रधानमंत्रियों और उन्हें आवंटित आवास में उनके साथ रहने वाले परिवार के करीबी सदस्यों को भी सुरक्षा प्रदान करेगी तथा यह पद छोड़ने की तिथि के पाँच वर्ष बाद तक उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी।
     - एक्ट में प्रावधान है कि अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री की SPG सुरक्षा हटाई जाती है, तो उसके परिवार के करीबी सदस्यों से भी यह सुरक्षा हटा ली जाएगी, बशर्ते परिवार के करीबी सदस्यों पर खतरे का स्तर ऐसी सुरक्षा को न्यायसंगत ठहराता हो।
     - विधेयक इस शर्त को हटाता है और कहता है कि अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री की SPG सुरक्षा हटाई जाती है तो उसके परिवार के करीबी सदस्यों से भी सुरक्षा हटा दी जाएगी।

SPG क्या है ?

विशेष सुरक्षा दल (SPG) देश की एक सशस्त्र बल है। यह भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय (Cabinet Secretariat) के अधीन आता है। यह बल देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों सहित उनके परिवार के करीबी सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। सेना की इस यूनिट की स्थापना वर्ष 1988 में संसद के अधिनियम 4 की धारा 1(5) के अंतर्गत की गई थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- वर्ष 1981 से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी दिल्ली पुलिस के विशेष सुरक्षा बल की थी। लेकिन वर्ष 1981 में इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी एक स्पेशल टास्क फॉर्स (Special Task Fprce-STF) को दी गई।
- वर्ष 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तय किया गया कि इस विशेष समूह को प्रधानमंत्री की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये।

नोट :

- इसके लिये गृह मंत्रालय के अधीन बीरबल नाथ समिति का गठन किया गया। इस समिति ने वर्ष 1985 में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट (Special Protection Unit-SPU) के गठन की सिफारिश की।
- वर्ष 1988 में संसद के विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 1988 (Special Protection Group Act) पारित किया गया तथा SPU का नाम बदलकर SPG रखा गया।

गुजरात का आतंकवाद निरोधक अधिनियम (GCTOC)

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रपति की मंज़ूरी के साथ गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण (Gujarat Control of Terrorism and Organised Crime- GCTOC) अधिनियम 1 दिसंबर, 2019 से प्रवर्तित हो गया है।

MCOCA से अधिक व्यापक है यह अधिनियम

यह आतंकवाद निरोधक अधिनियम, जिसे तीन राष्ट्रपतियों ने राज्य को वापस भेज दिया था, दो उल्लेखनीय अंतरों के साथ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (Maharashtra Control of Organised Crime Act- MCOCA) से अत्यधिक प्रेरित है। GCTOC तथा MCOCA के बीच ये दो प्रमुख अंतर हैं:

- महाराष्ट्र के अधिनियम में शामिल संचार के अवरोधन पर नियंत्रण (Checks on Interception of Communication), गुजरात के अधिनियम में शामिल नहीं है।
- GCTOCA में 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषा में 'सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की मंशा' (Intention to Disturb Public Order) को भी शामिल किया गया है।

ये दो अंतर GCTOCA को MCOCA की तुलना में अधिक कठोर और व्यापक बनाते हैं।

MCOCA में अवरोधन (Interception in MCOCA)

- MCOCA की पाँच धाराएँ (13, 14, 15, 16 और 27) संचार के अवरोधन से संबंधित हैं।
- अधिनियम में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किये जाने पर यह अवरोधन 60 दिनों से अधिक अवधि तक जारी नहीं रह सकता है और अवधि के विस्तार के लिये अनुमति की आवश्यकता होगी।
- अवधि में विस्तार किये जाने हेतु आवेदन में अब तक के अवरोधन के परिणामों पर एक वक्तव्य अथवा परिणाम प्राप्त करने में विफलता के लिये एक उचित स्पष्टीकरण शामिल होना चाहिये।
- यदि विस्तार की अनुमति दी जाती है तो यह 60 दिनों से अधिक अवधि की नहीं हो सकती है।
- अधिनियम सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की समीक्षा करने के लिये एक समिति के गठन का प्रावधान करता है और अनधिकृत अवरोधन या अवरोधन के नियमों के उल्लंघन के मामले में एक वर्ष तक के कारावास की सज़ा निर्धारित करता है।
- अवरोधन की उपयोगिता का विश्लेषण कैलेंडर वर्ष के अंतिम तीन माह के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

कॉल का अवरोधन कौन कर सकता है ?

- जाँच की निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संचार के अवरोधन के लिये प्राधिकार की मांग करने वाले आवेदन को आरक्षी अधीक्षक (SP) या उससे उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- अधिनियम विभिन्न विवरणों को निर्दिष्ट करता है जिनका आवेदन में उल्लेख होना चाहिये।
- अवरोधन की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब जाँच एजेंसी यह स्पष्ट करती है कि खुफिया जानकारी एकत्रित करने के अन्य तरीके आजमाए जा चुके हैं और वे विफल रहे हैं।
- अनुमति देने वाला सक्षम प्राधिकारी राज्य गृह विभाग का एक अधिकारी होना चाहिये जो सरकार के सचिव रैंक से नीचे का अधिकारी न हो।
- अविलंब मामलों में अतिरिक्त DGP या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी अवरोधन को अधिकृत कर सकता है लेकिन उसके आदेश के 48 घंटों के भीतर एक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को सौंपा जाना अनिवार्य है।

नोट :

GCTOCA अधिक शक्तिशाली कैसे है ?

- गुजरात का अधिनियम केवल अवरोधन के माध्यम से एकत्र किये गए सबूतों की स्वीकार्यता को संबोधित करता है और संचार अवरोधन की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करता है।
- इसकी धारा 14 MCOCA की संबंधित धारा की अनुकृति है और इसमें जोड़ा गया है कि: " CrPC, 1973 या उस समय प्रवर्तित किसी अन्य कानून में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद जुटाए गए साक्ष्य मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे।"
- "किसी अन्य कानून" को परिभाषित नहीं किया गया है।
- GCTOCA में MCOCA के अनिवार्य वार्षिक रिपोर्ट के समान भी कोई प्रावधान नहीं है।

'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषा

- गुजरात के अधिनियम में 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषा अब निरस्त हो चुके आतंकवाद निरोधक अधिनियम (Prevention of Terrorism Act- POTA), 2002 में शामिल परिभाषा के समान ही है, लेकिन इसमें 'सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की मंशा से किया गया कृत्य' भी शामिल है।
- परिभाषा का यह विस्तार "पाटीदार आंदोलन जैसे किसी भी आंदोलन को आतंकवादी कृत्य घोषित करने और कठोर सज़ा देने का अवसर प्रदान करता है।"
- गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act- UAPA) 1967, जो भारत का मुख्य आतंकवाद-रोधी केंद्रीय कानून है, "इस तरह के आंदोलन को 'आतंकवाद' कहे जाने का अवसर प्रदान नहीं करता बल्कि इस तरह का कृत्य IPC की उन धाराओं और देशद्रोह कानून के दायरे में आता है जो अत्यंत कठोर सज़ा देने के लिये पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं हैं"।
- गुजरात का अधिनियम आतंकवादी कृत्य को "सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने या राज्य की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने या लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग के मन में आतंक कायम करने की मंशा" के रूप में परिभाषित करता है।

गुजरात के अधिनियम से संबंधित विभिन्न तर्क

- सरकार, नियमों का निर्माण करते समय उन नियंत्रणों व संतुलनों का प्रावधान कर सकती है जो गुजरात के इस आतंक निरोधक अधिनियम में अनुपस्थित हैं।
- यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह भी प्रावधान है कि न्यायालय राज्य सरकार को इस आशय के नियमों के निर्माण के लिये कह सकती है।
- अधिनियम की संवैधानिक वैधता को "मामला-विशिष्ट" आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
- गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के संबंध में विधि-व्यवस्था बनाम निजता के संघर्ष की एक स्थिति भी बन रही है। यद्यपि यह समय ही बताएगा कि संचार अवरोधन का उपयोग कैसे किया गया और इसकी व्याख्या कैसे की जाती है।
- "आतंकवादी कृत्य" की परिभाषा "अत्यंत व्यापक" है, हालाँकि इसे सीमित करने के लिये अधिनियम में प्रक्रिया भी निहित है।
  1. पहला नियंत्रण प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के रूप में है जिसे SP या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जा सकता है। सामान्यत: यदि FIR दर्ज करने की शक्ति किसी उप-निरीक्षक या निरीक्षक-स्तर के अधिकारी को दी जाती है तो इसके दुरुपयोग की संभावना रहती है।
  2. दूसरा, यदि मान लिया जाए कि प्राथमिकी एक राजनीतिक मंशा के साथ दर्ज की गई है तब भी यह प्रावधान मौजूद है कि आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय के संज्ञान लेने से पहले राज्य सरकार से मंज़ूरी प्राप्त करना आवश्यक है।
  - यद्यपि GCTOC अधिनियम जाँच प्रक्रिया के संबंध में कार्यकारी को शक्ति प्रदान करता है लेकिन ऐसे प्रावधान तो निरस्त हो चुके पूर्व के टाडा (TADA) और पोटा (POTA) आतंकरोधी अधिनियमों में भी मौजूद थे।

नोट :

सार्वजनिक संपत्तियों का विनाश तथा संबंधित कानून

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा दंगा और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने पर नाराज़गी व्यक्त की।

मुख्य बिंदु:

- जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों पर कथित पुलिस ज़्यादती संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई के लिये सहमत होते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने प्रदर्शनकारियों द्वारा दंगा और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने पर नाराज़गी व्यक्त की।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरने के लिये स्वतंत्र हैं परंतु यदि वे सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं तो उनकी बात न्यायालय द्वारा नहीं सुनी जाएगी।
- सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के खिलाफ कानून के बावजूद देश भर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान दंगा, बर्बरता और आगज़नी की घटनाएँ आम हैं।

सार्वजनिक संपत्तियों के सरक्षण के लिये कानून:

- लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984:
  - इस अधिनियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण कृत्य द्वारा नुकसान पहुँचाता है तो उसे पाँच साल तक की जेल अथवा जुर्माना या दोनों सज़ा से दंडित किया जा सकता है।
  - इस अधिनियम के अनुसार लोक संपत्तियों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है-
    - कोई ऐसा भवन या संपत्ति जिसका प्रयोग जल, प्रकाश, शक्ति या उर्जा के उत्पादन और वितरण किया जाता है।
    - तेल संबंधी प्रतिष्ठान
    - खान या कारखाना
    - सीवेज संबंधी कार्यस्थल
    - लोक परिवहन या दूर-संचार का कोई साधन या इस संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान और संपत्ति।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कई अवसरों पर इस कानून को अपर्याप्त बताया है और दिशा-निर्देशों के माध्यम से अंतराल को भरने का प्रयास किया है।
- वर्ष 2007 में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के बढे पैमाने पर विनाश के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पूर्व न्यायाधीश के.टी. थॉमस और वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन की अध्यक्षता में दो समितियों का गठन किया ताकि कानून में बदलाव के लिये सुझाव प्राप्त किये जा सकें।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए दिशा-निर्देश:

- वर्ष 2009 में 'डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ Vs स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स (Destruction of Public & Private Properties v State of AP and Others) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों समितियों की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये-
  - के.टी. थॉमस समिति ने सार्वजनिक संपत्ति के विनाश से जुड़े मामलों में आरोप सिद्ध करने की ज़िम्मेदारी की स्थिति को बदलने की सिफारिश की।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सामान्यत: अभियोजन को यह साबित करना होता है कि किसी संगठन द्वारा की गई प्रत्यक्ष कार्रवाई में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचा है और आरोपी ने भी ऐसी प्रत्यक्ष कार्रवाई में भाग लिया। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े मामलों में कहा कि आरोपी को ही स्वंय को बेगुनाह साबित करने की ज़िम्मेदारी दी जा सकती है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय को यह अनुमान लगाने का अधिकार देने के लिये कानून में संशोधन किया जाना चाहिये कि अभियुक्त सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का दोषी है।

नोट :

- सामान्यत: कानून यह मानता है कि अभियुक्त तब तक निर्दोष है जब तक कि अभियोजन पक्ष इसे साबित नहीं करता।
- नरीमन समिति की सिफारशें सार्वजनिक संपत्ति के विनाश की क्षतिपूर्ति से संबंधित थीं।
- सिफारिशों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का आरोप तय करते हुए संपत्ति में आई विकृति में सुधार करने के लिये क्षतिपूर्ति शुल्क लिया जाएगा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को भी ऐसे मामलों में स्वत: संज्ञान लेने के दिशा-निर्देश जारी किये तथा सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के कारणों को जानने तथा क्षतिपूर्ति की जाँच के लिये एक तंत्र की स्थापना करने के लिये कहा।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का प्रभाव:

- सार्वजनिक संपत्ति के विनाश से जुड़े कानून की तरह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों का भी सीमित प्रभाव दिखा है क्योंकि प्रदर्शनकारियों की पहचान करना अभी भी मुश्किल है, विशेषत: उन मामलों में जब किसी नेता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विरोध-प्रदर्शन का आह्वान नहीं किया जाता है।
- वर्ष 2015 में पाटीदार आंदोलन के बाद हार्दिक पटेल पर हिंसा भड़काने के लिये राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में यह तर्क दिया गया कि चूँकि न्यायालय के पास हिंसा भड़काने से संबंधित कोई सबूत नहीं है इसलिये उसे संपत्ति के नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
- वर्ष 2017 में एक याचिकाकर्त्ता ने दावा किया था कि उसे एक निरंतर आंदोलन के कारण सड़क पर 12 घंटे से अधिक समय बिताने के लिये मजबूर किया गया था। कोशी जैकब बनाम भारत संघ नामक इस मामले के फैसले में न्यायालय ने पुन: कहा कि कानून को अद्यतन करने की आवश्यकता है परंतु याचिकाकर्त्ता को कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया क्योंकि विरोध-प्रदर्शन करने वाले न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं थे।

भारत में इंटरनेट का निलंबन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नागरिकता संशोधन विधेयक,2019 के संसद में पारित होने के पश्चात देश के विभिन्न भागों में इस विधेयक का विरोध शुरू हो गया। परिणामस्वरूप सरकार द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए देश के विभिन्न भागों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। पिछले कई दिनों में सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC) में इंटरनेट बंद होने से संबंधित अनेकों सूचनाओं से भरा पड़ा है। गौरतलब है कि सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर विश्व में इंटरनेट बंद होने की घटनाओं को ट्रैक करता है।

इंटरनेट बंद के कारण:

- चूँकि भारत विश्व का सबसे बड़ा एवं विकासशील इंटरनेट बाज़ार है और इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान करना अत्यंत आसान होता है जिसका प्रयोग देश के भीतर दंगे भड़काने और विभिन्न हिंसक प्रतिक्रियाओं के लिये भी किया जाता है। फलत: आपातकालीन स्थिति में सूचनाओं के संप्रेषण को रोकने हेतु इंटरनेट बंद किया जाता है।
- जब किसी क्षेत्र में अफवाहों,फेक न्यूज़ या अन्य कारणों से सरकार या प्रशासन को कानून के प्रवर्तन में समस्या आती है तो प्रारंभिक और निवारक प्रतिक्रिया के रूप में सरकार द्वारा इंटरनेट बंद कर दिया जाता है।

इंटरनेट बंद का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- भारत में इंटरनेट बंद की लागत बहुत अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (Indian Council Research for International Economic Relation-ICRIER) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में लगभग 16000 घंटे इंटरनेट बंद रहा जिसकी लागत लगभग 3 बिलियन डॉलर के आसपास होने का अनुमान है।

भारत में 2019 में इंटरनेट बंद होने की घटनाएँ :

- हाल ही में नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 को संसद में पारित किया गया जिसके विरोध में जनांदोलन एवं विरोध प्रदर्शन किये जा रहे हैं फलत: कानून व्यवस्था का कारण बताकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा, मुर्शिदाबाद, मालदा इत्यादि स्थानों, उत्तरप्रदेश के अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर जिलों तथा जम्मू-कश्मीर,असम एवं मेघालय के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिया गया।

नोट :

- बीते नवंबर महीने में उच्चतम न्यायालय द्वारा जब अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया गया तब भी देश के विभिन्न हिस्सों में तनाव और हिंसा की आशंका के चलते प्रतिबंधात्मक उपाय के रूप में इंटरनेट बंद की घटनाएँ व्यापक स्तर पर देखी गई थी।
- 5 अगस्त 2019 को जब संसद द्वारा संविधान में उल्लिखित अस्थायी धारा 370 जो कि जम्मू-कश्मीर के संबंध में विशेष उपबंध करती है, के निरसन और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया था तब जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा कारणों से इंटरनेट सेवा को प्रतिबंधित कर दिया गया था जो कि जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में आज भी प्रतिबंधित है।
- गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में पिछले 135 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद है जो भारत में इंटरनेट बंद के संदर्भ में एक रिकॉर्ड है। इसके पहले 2017 में दार्जिलिंग में 100 दिनों तक दूरसंचार सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया था।
- ऐसे राज्य जिनमें सर्वाधिक इंटरनेट बंद की घटनाएँ हो चुकी हैं :

इंटरनेट बंद की घटनाओं की आवृत्तियों के अनुसार, सर्वाधिक इंटरनेट सेवा बंद करने वाले राज्य निम्नलिखित हैं :-

- जम्मू-कश्मीर : SFLC (softwere freedom law center) के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2012 से लगभग 180 बार इंटरनेट बंद की घटनाएँ हो चुकी हैं। यहाँ इंटरनेट बंद का मुख्य कारण सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़,बड़े सर्च अभियान. गोलीबारी और CRPF के जवानों पर हमला इत्यादि हैं।
- राजस्थान : राजस्थान में वर्ष 2015 से लगभग 67 बार इंटरनेट बंद की घटनाएँ हो चुकी हैं जिसका मुख्य कारण अफ़वाहों को रोकना और सांप्रदायिक हिंसा के संदर्भ में बंद का आयोजन किया जाना है।
- उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015 से लगभग 19 बार इंटरनेट बंद की घटनाएँ हो चुकी हैं। जिसका मुख्य कारण सांप्रदायिक एवं आपराधिक घटनाओं के बाद कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना था।

इंटरनेट बंद से संबंधित कानून :

- दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के अंतर्गत देश के गृह मंत्रालय के सचिव या राज्य के सक्षम पदाधिकारी को दूरसंचार सेवाओं के निलंबन का अधिकार दिया गया है।
- भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम,1885 की धारा 5(2) के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे लोक संकट या जन सुरक्षा या भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संदेश सेवा (Messaging) को प्रतिबंधित कर सकती हैं।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 144 के अंतर्गत भी दूरसंचार सेवाओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। धारा 144 जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारी को सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए दूरसंचार सेवाओं के निलंबन का अधिकार देती है।

नगालैंड में AFSPA

चर्चा में क्यों ?

30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संपूर्ण नगालैंड में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून [Armed force (Special Power) Act- AFSPA] को 6 महीनों के लिये बढ़ा दिया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- केंद्र सरकार ने नगालैंड की जोखिमपूर्ण और अशांत स्थिति के आधार पर संपूर्ण राज्य में AFSPA को अगले 6 महीनों के लिये 30 दिसंबर, 2019 से बढ़ाने को मंज़ूरी दी है।
- गौरतलब है कि गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने पूरे नगालैंड राज्य को इस कानून के तहत छह और महीनों के लिये "अशांत क्षेत्र" घोषित किया है, जो सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व अनुमति के कहीं भी ऑपरेशन करने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।

नोट :

- केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत नगालैंड के संपूर्ण क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है।
- वर्तमान समय में असम, नगालैंड और मणिपुर (इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर) के संपूर्ण क्षेत्र में लागू है।
- अरुणाचल प्रदेश के तीन ज़िलों- तीरप, चांगलांग और लोंगडिंग के साथ-साथ असम से लगने वाले अरुणाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र वाले 8 पुलिस स्टेशनों में यह कानून लागू है।
- गौरतलब है कि मणिपुर और असम को "अशांत क्षेत्र" घोषित करने वाली अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई है। जबकि नगालैंड के संपूर्ण क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को "अशांत क्षेत्र" घोषित करने वाली अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है।

दृष्टि The Vision

नोट :

नीतिशास्त्र

गांधी विश्वकोश

चर्चा में क्यों ?

देश में जागरूकता फैलाने के लिये भारत सरकार "गांधी विश्वकोश" विकसित कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- इसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गांधीवादी दर्शन और विचारों को बढ़ावा देना है।
- भारत सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 5.25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दी है।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद National Council of Science Museums

- यह परिषद एक स्वायत्त संगठन है जो संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत है। देश भर में लगभग 24 ऐसे संग्रहालय हैं। इन परिषदों की स्थापना का उद्देश्य देश में सभी अनौपचारिक विज्ञान संचार गतिविधियों का समन्वय करना है।
- बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम नामक पहला विज्ञान संग्रहालय 2 मई, 1959 में बनाया गया था। परिषद अब राज्य सरकारों के सहयोग से विज्ञान केंद्र विकसित कर रही है।
- 2 मई, 1959 को CSIR के अंतर्गत प्रथम विज्ञान संग्रहालय– बिड़ला औद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय की शुरुआत हुई।
- जुलाई 1965 में देश के दूसरे विज्ञान संग्रहालय विश्वेश्वरैया औद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय की शुरुआत बैंगलोर में हुई।
- कोलकाता और बैंगलोर के बाद मुंबई में तृतीय संग्रहालय का कार्य वर्ष 1974 में शुरू किया गया।
- अभी तक परिषद ने मुंबई, नागपुर, कालीकट, भोपाल और गोवा में 5 विज्ञान केंद्रों का निर्माण किया है।

नोट :

चर्चा में

मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया 'मोबाईल ट्रैकिंग कैमरा' (Mobile tracking Camera) लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह कैमरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है तथा यह हर मौसम में दिन-रात काम करने में सक्षम है।

आवश्यकता:

- ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह कदम मोबाइल फोन के कारण होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिये उठाया है।
- न्यू साउथ वेल्स में प्रशासन ने वर्ष 2021 में होने वाली मौतों को 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा है।
  - सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2012-2018 तक न्यू साउथ वेल्स में मोबाईल फोन के इस्तेमाल के चलते लगभग 158 लोगों की मौत हुई।

नगालैंड स्थापना दिवस

पूर्वोत्तर राज्य नगालैंड की राजधानी कोहिमा में 1 दिसंबर, 2019 को नगालैंड का 57वाँ स्थापना दिवस मनाया गया।

स्थापना:

- नगालैंड 1 दिसंबर, 1963 को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रुप में अस्तित्व में आया तथा 16,579 वर्ग किमी० क्षेत्रफल के साथ यहाँ का लिंगानुपात 931 है।

अवस्थिति:

- यह पूर्व में म्याँमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम तथा दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है।
- नगालैंड तथा म्याँमार के बीच सरामती पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक सीमा बनाती है जो नगालैंड की सबसे ऊँची पहाड़ी भी है।

कृषि:

- राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा यहाँ की मुख्य खाद्य फसल धान है इसके अलावा कुल कृषि के 70% भाग पर धान की खेती की जाती है।
- यहाँ खेती की स्लेश तथा बर्न प्रणाली प्रचलित है जिसे स्थानीय स्तर पर झूम खेती कहा जाता है।

परिवहन एवं पर्यटन:

- राज्य का दीमापुर ज़िला पूरे देश से रेल एवं हवाई यातायात से जुड़ा है।
- नगालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के पहले सप्ताह में हॉर्नबिल उत्सव (Hornbill Festival) का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा सेकरेन्यी (फरवरी), मोन्यु (अप्रैल) आदि यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं।

ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य

हाल ही में एक बाघ ने टिपेश्वर बाघ अभयारण्य से चलकर महाराष्ट्र और तेलंगाना होते हुए ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य तक लगभग 1,300 किलोमीटर की दूरी तय की।

नोट :

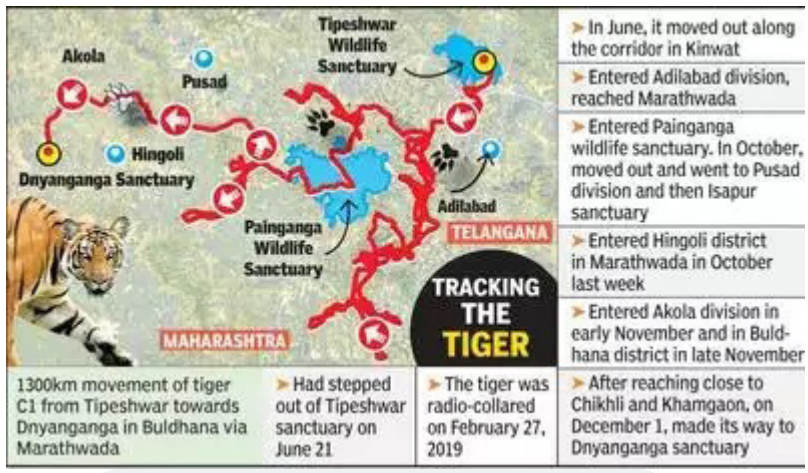

ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य के विषय में:

- यह वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है तथा मेलघाट बाघ अभयारण्य का एक ही एक हिस्सा है।
- यह ज्ञानगंगा नदी के पास स्थित है जो कि ताप्ती की एक सहायक नदी है।
- यह अभयारण्य तेंदुए, स्लॉथ बीयर (Sloth Bear), भौंकने वाला हिरण (Barking Deer), नीलगाय, चित्तीदार हिरण, लकड़बग्घा, जंगली बिल्लियाँ और सियार आदि का आवास स्थल है।

टिपेश्वर बाघ अभ्यारण्य:

- यह महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले में स्थित है।
- पूर्णा, कृष्णा, भीमा और ताप्ती नदियाँ इस अभयारण्य से होकर बहती हैं।
- यहाँ जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के कारण इसे महाराष्ट्र का ग्रीन ओएसिस (Green Oasis) भी कहा जाता है।

टैनबो कला

हाल ही में केरल के एक किसान ने प्रसिद्ध गुरुवायुर मंदिर के हाथी (गुरुवायुर केसवन) का चित्रण टैनबो कला (Tanbo Art) के रूप में किया।

टैनबो कला के विषय में:

- यह जापान की कला है इसमें लोग धान के खेत में चित्रण करने के लिये विभिन्न प्रकार के रंगों और किस्मों का धान बोते हैं।

गुरुवायुर मंदिर :

- गुरुवायुर मंदिर केरल राज्य के त्रिशूर ज़िले में स्थित है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण के बालरूप में भगवान गुरुवायुरप्पन की मूर्ति स्थापित है।
- गुरुवायुर मंदिर को 'बैकुंठद्वार' व 'दक्षिण की द्वारका' भी कहा जाता है।
- इस मंदिर में केवल हिन्दुओं को प्रवेश की अनुमति है।

गुरुवायुर केसवन:

- गुरुवायुर केसवन को प्राचीन काल से केरल के सिद्ध मंदिर के हाथी के रूप में जाना जाता है यह राजसी हाथी भगवान गुरुवायुरप्पन को समर्पित था। इस हाथी की वर्ष 1976 में मृत्यु हो गई।

नोट :

पावर ऑफ़ साइबेरिया

हाल ही में रूस और चीन ने पावर ऑफ़ साइबेरिया (Power Of Siberia) नामक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया।

लाभ:

- यह पाइपलाइन चीन और रूस को कोयले को प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापित करने में मदद मिलेगी तथा ताप के अलावा इस पाइपलाइन से विद्युत् उत्पादन भी किया जा सकेगा।
- नई पाइपलाइन यूरेशिया में रूस और चीन के प्रमुख सहयोगियों के रूप में ऊर्जा एकीकरण का प्रतीक है

पावर ऑफ़ साइबेरिया के विषय में:

- रूस की भूमिका यूरोप में एक प्राथमिक गैस आपूर्तिकर्त्ता की रही है लेकिन रूस और चीन के बीच पावर ऑफ साइबेरिया पहली क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन है।
- अनुबंध के तहत रूस अगले 30 वर्षों में चीन को 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगा।

अवस्थिति:

- चीन के हीहे (Heihe) क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले यह पाइपलाइन यांग्त्ज़ी नदी (Yangtze River) और अमूर नदी (Amur River) के डेल्टाओं से होकर गुजरती है।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (International Day Of Persons With Disabilities) 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

थीम:

- वर्ष 2019 के लिये इसकी थीम- विकलांग व्यक्तियों और उनके नेतृत्व की भागीदारी को बढ़ावा देना: 2030 विकास एजेंडा पर कार्रवाई करना (Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda) है

उद्देश्य:

- इस दिवस को मनाने का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य दिव्यांगजनों की अक्षमता के मुद्दों पर समाज में जागरूकता, लोगों की समझ और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है।
- दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान, कल्याण और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी सहायता करना।
- आधुनिक समाज में दिव्यांगजनों के साथ हो रहे हर प्रकार के भेद-भाव को समाप्त करना।

भारत में प्रयास:

- अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) का दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग प्रत्येक वर्ष दिव्यांगजन सशक्तीकरण की दिशा में अर्जित उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं कार्यों के लिये व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और राज्य/ज़िला आदि को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है।

टाइफून कम्मुरी

हाल ही में तेज़ हवाओं और भारी वर्षा के साथ टाइफून कम्मुरी (Typhoon Kammuri) फिलीपींस के तट से टकराया।

- कम्मुरी, फिलीपींस में आने वाला इस वर्ष का 20वाँ टाइफून है।

नोट :

टाइफून के विषय में:

- ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन सागर क्षेत्र में टाइफून कहते हैं।
- अधिकांश टाइफून जून से नवंबर के बीच आते हैं एवं दिसंबर से मई के बीच भी सीमित टाइफून आते हैं तथा ये जापान, फिलीपींस और चीन को प्रभावित करते हैं।

ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिये आवश्यक दशाएँ:

- गर्म तथा आर्द्र वायु का लगातार आरोहण होना चाहिये, क्योंकि चक्रवात को ऊर्जा की आपूर्ति संघनन की गुप्त ऊष्मा से होती है।
- वृहद् समुद्र सतह तथा उसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिये।
- निम्न वायुदाब तथा वायु का अभिसरण होना चाहिये।
- कोरियोलिस बल की उपस्थिति।
- धरातलीय चक्रवात के ऊपरी वायुमंडल में प्रतिचक्रवाती दशाएँ।

अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस

प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस (International Day for the Abolition of Slavery) मनाया जाता है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य मानव तस्करी, बाल श्रम, आधुनिक गुलामी के अन्य रूपों जैसे- ज़बरदस्ती शादी और सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों की सेना में ज़बरन भर्ती से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है।
  - संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 दिसंबर, 1929 को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस की शुरुआत की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रत्येक 4 में से 1 बच्चा आधुनिक गुलामी का शिकार है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation- ILO) के अनुसार, विश्व में लगभग 40 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी के शिकार हैं जिसमें 15.4 मिलियन ज़बरन शादी के है और 24.9 मिलियन लोग बंधुआ श्रम में शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation- ILO):

- यह 'संयुक्त राष्ट्र' की एक विशिष्ट एजेंसी है, जो श्रम संबंधी समस्याओं/मामलों, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, सामाजिक संरक्षा तथा सभी के लिये कार्य अवसर जैसे मामलों को देखती है।
- इस संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् 'लीग ऑफ नेशन्स' (League of Nations) की एक एजेंसी के रूप में सन् 1919 में की गई थी। भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य रहा है।
- इस संगठन का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है।

हॉर्नबिल महोत्सव

नगालैंड राज्य के स्थापना दिवस (1 दिसंबर, 1963) के अवसर पर हर साल 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव (Hornbill Festival) का आयोजन किया जाता है।

मुख्य आकर्षण:

- इस बार राज्य में 20वें हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
- इस बार इस महोत्सव में सिंगल यूज़ प्लास्टिक (Single Use Plastic) पर प्रतिबंध है।

नोट :

नामकरण एवं शुरुआत:

- इस महोत्सव का नामकरण हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया है तथा इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी।

आयोजन:

- इस उत्सव का आयोजन राज्य पर्यटन और कला एवं संस्कृति विभाग (State Tourism and Art & Culture Department) द्वारा किया जाता है।

महोत्सव के विषय में:

- यह सांस्कृतिक महोत्सव नृत्य, संगीत और पारंपरिक भोजन के साथ-साथ वर्षों से अपनाई गई नगा समुदाय की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का कलात्मक प्रदर्शन है, जो कि नगा समाज की विविधताओं को प्रदर्शित करता है।
  - इसे 'त्योहारों का त्योहार' भी कहा जाता है।
- इस महोत्सव का उद्देश्य नगालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करने तथा सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ इसकी परंपराओं को प्रदर्शित करना है।

भारतीय नौसेना दिवस

प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस (Indian Navy Day) मनाया जाता है।

थीम:

- इस दिवस को "एक मजबूत राष्ट्र के लिये सुरक्षित समुद्र और सुरक्षित तट" (Safe Seas and Secure Coasts for a strong Nation) विषय के साथ मनाया जाता है।

शुरुआत:

- वर्ष 1971 में कराची हार्बर में पाकिस्तान के नौसेना मुख्यालय पर भारतीय नौसेना को आपरेशन ट्राइडेंट (Operation Trident) में मिली शानदार कामयाबी की याद में यह दिवस मनाया जाता है।
- 4 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर एक ही रात में पाकिस्तान के तीन जलपोतों को नष्ट कर दिया था।

एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल

हाल ही में शराब निर्माता कंपनियों ने वैश्विक बाज़ारों से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (Extra Neutral Alchohol- ENA) के आयात करने और इसे लागत-प्रभावी बनाने के लिये नीति आयोग से आयात शुल्क में कमी करने की मांग की है।

विशेषताएँ:

- एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल मादक पेय बनाने हेतु प्राथमिक कच्चा माल है।
- यह खाद्य-श्रेणी का एक रंगहीन अल्कोहल है जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है।
- यह गंधहीन और स्वादहीन होता है तथा आमतौर पर इसमें 95% से अधिक अल्कोहल की मात्रा होती है।

इसके स्रोत:

- इसे विभिन्न स्रोतों जैसे- शीरा और अनाज से प्राप्त किया जाता है।

उपयोग:

- अल्कोहल युक्त मादक पेय पदार्थों के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है।

नोट :

- इसके अलावा एक अच्छा विलायक होने के कारण इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल के उत्पादों जैसे- इत्र, हेयर स्प्रे तथा साथ-ही-साथ फार्मास्यूटिकल उत्पादों जैसे- एंटीसेप्टिक्स, ड्रग्स, सिरप, मेडिकेटेड स्प्रे आदि के निर्माण में एक आवश्यक घटक के रूप में किया जाता है।
- भारत में ENA बाजार वर्ष 2018 में 2.9 बिलियन लीटर की मात्रा में था।

विश्व मृदा दिवस

स्वस्थ मृदा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और मृदा संसाधनों के स्थायी प्रबंधन हेतु जागरूकता फैलाने के लिये प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस (World Soil Day) मनाया जाता है।

थीम:

- वर्ष 2019 के लिये इसकी थीम - 'मृदा का कटाव बंद करो, हमारे भविष्य को बचाओ' (Stop Soil Erosion, Save Our Future) है।

पृष्ठभूमि:

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) ने जून 2013 में विश्व मृदा दिवस का समर्थन किया था।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सम्मलेन में इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया तथा दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया तथा 5 दिसंबर, 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस मनाया गया।

पहला 'ईट राइट स्टेशन'

मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) द्वारा देश के पहले 'ईट राइट स्टेशन' (Eat Right Station) के रुप में प्रमाणित किया गया है।

पृष्ठभूमि:

- 'ईट राइट स्टेशन' अभियान FSSAI द्वारा वर्ष 2018 में चलाए गए 'ईट राइट इंडिया' अभियान का एक हिस्सा है।
- 'ईट राइट इंडिया' दो स्तंभों 'स्वस्थ खाओ और सुरक्षित खाओ' पर आधारित है।

उद्देश्य:

- 'ईट राइट स्टेशन' अभियान का उद्देश्य स्वस्थ आहार मुहैया कराते हुए लोगों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।

चयन का आधार:

- इस स्टेशन का चयन खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के अनुपालन, स्वस्थ आहार की उपलब्धता, ढुलाई एवं खुदरा बिक्री केंद्रों पर खाद्य पदार्थों की बेहतर निगरानी, खाद्य अपशिष्ट के प्रबंधन, स्थानीय एवं सीज़नल खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा तथा स्वस्थ आहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के आधार पर किया गया है।

FSSAI:

- FSSAI केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के तहत कार्यरत एक स्वायत्त एवं सांविधिक निकाय है।
- केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया।
- FSSAI मानव उपभोग के लिये पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम करता है।

नोट :

ज़ीरो एफआईआर

हाल ही में आंध्र प्रदेश में कृष्णा ज़िले के कांचीचेरला में नंदीगामा उपखंड के तहत पहली ज़ीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज की गई है।

ज़ीरो एफआईआर के विषय में:

- ज़ीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा किसी संज्ञेय अपराध के लिये पंजीकृत की जा सकती है, बिना इस बात की परवाह किये कि मामला उनके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं और उसे एक उपयुक्त पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जाता है।

भारत में स्थिति:

- भारत में ज़ीरो एफआईआर की अवधारणा का सर्प्रथम सुझाव, आपराधिक कानूनों में संशोधन की समीक्षा के लिये गठित जस्टिस वर्मा समिति ने दिया था।
- इसके अलावा 12 अक्तूबर, 2015 को गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक एडवाइज़री जारी की गई ताकि संबंधित विभागों को अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये जा सकें।
- ज़ीरो एफआईआर इससे पहले भी दर्ज की जा चुकी है लेकिन यह इस तरह का पहला मामला था जिसमें त्वरित कार्रवाई के लिये ज़ीरो एफआईआर दर्ज की गई।
- जो पुलिस अधिकारी ज़ीरो एफआईआर के पंजीकरण का पालन करने में विफल रहते हैं, उन पर आईपीसी की धारा 166 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

प्लॉगिंग रन

हाल ही में फिट इंडिया प्लॉगिंग रन (Plogging Run) के लिये रिपु दमन बेवली को भारत का प्लॉगिंग दूत घोषित किया गया।

आयोजन:

- पहले फिट इंडिया प्लॉगिंग रन की शुरुआत 2 अक्तूबर, 2019 को हुई थी जिसमें देश भर के 62 हज़ार स्थानों से 36 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था।
  - इसका समापन दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में हुआ।
- इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, गैर- सरकारी संगठनों, केंद्रीय विद्यालय और कई अन्य संगठनों ने मिलकर किया था।
- इस कार्यक्रम के तहत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) ने देशव्यापी प्लॉगिंग दूत अभियान की शुरुआत भी की, इसके तहत जो भारतीय दौड़ते हुए अपने शहरों, नगरों और ज़िलों को स्वच्छ बना रहे हैं, उन्हें अपने क्षेत्रों का प्लॉगिंग दूत नामित किया गया है।

प्लॉगिंग रन:

- प्लॉगिंग दो शब्दों, स्वीडिश वाक्यांश प्लोकाअप (Plocka Upp) और जॉगिंग (Jogging) का एक संयोजन है।
- यह एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय फिटनेस प्रवृत्ति (International Fitness Trend) है, जिसमें टहलना और कचरा उठाना शामिल है।
- इसे फिट इंडिया आंदोलन में शामिल किया गया है।
- इसके तहत स्वच्छता के साथ फिटनेस को भी प्रोत्साहन दिया जाता है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और निर्मल बनाना है।

नोट :

रिपु दमन बेवली:

- श्री बेवली ने 2017 में प्लॉगिंग शुरू की थी। बेवली और उनके दल ने लगभग दो महीने के दौरान 1,000 किलोमीटर की दौड़ पूरी की और 50 शहरों को स्वच्छ बनाया। इस दौरान उन्होंने 2.7 टन कचरा जमा किया।

अभ्यास इन्द्र- 2019

भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'इन्द्र'- 2019 (Exercise INDRA- 2019) का आयोजन 10- 19 दिसंबर 2019 तक बबीना (झाँसी), पुणे और गोवा में एक साथ किया जाएगा।

शुरुआत:

- इन्द्र सैन्य अभ्यास श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी तथा वर्ष 2017 में रूस के व्लादिवोस्टोक में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें दोनों देशों की थल, वायु एवं जल सेनाओं ने भाग लिया

उद्देश्य:

- इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक कौशल, अनुभव और सैन्य तकनीक को साझा करना है।
- इसके अलावा यह सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

मॉरिटानिया

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के मॉरिटानिया के तट पर शरणार्थियों को ले जा रही एक नाव के पलट जाने से लगभग 58 शरणार्थियों की मृत्यु हो गई।

अवस्थिति:

- मॉरिटानिया अफ्रीका के अटलांटिक तट पर स्थित है तथा यह उत्तर-पश्चिम में सहारा मरुस्थल, उत्तर-पूर्व में अल्जीरिया, पूर्व और दक्षिण-पूर्व में माली तथा दक्षिण-पश्चिम में सेनेगल से घिरा हुआ है।
- यह अफ्रीका महाद्वीप का 11वाँ सबसे बड़ा देश है तथा इसमें बड़े पैमाने पर रेगिस्तान शामिल है।
- इसकी राजधानी नौआकोट है तथा इसे फ्राँस से 28 नवंबर, 1960 को स्वतंत्रता मिली।
- यह संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ का सदस्य है।

विशेषताएँ:

- इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता 'गुलब एर रिचाट' (Guelb er Richat) है, जिसे 'सहारा की आँख' (Eye Of Sahara) के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक गहरी क्षत-विक्षत गुंबद है जिसमें अंतर्वेधी एवं बहिर्वेधी दोनों प्रकार की आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं।

डीम्ड फ़ॉरेस्ट

हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने डीम्ड फ़ॉरेस्ट (Deemed Forests) की एक नई परिभाषा दी जिसे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 1996 में वनों के बारे में दिए गए एक निर्णय दायरे से बाहर बताया है।

पृष्ठभूमि:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वन का मतलब उसके शाब्दिक अर्थ से है यानी वह जगह जहाँ पेड़-पौधों की उपस्थिति हो, भले ही वहाँ किसी का भी स्वामित्व हो।
- आदेश के अनुसार, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 हर उस वन पर लागू होता है, जो वन के शाब्दिक अर्थ की परिभाषा के तहत आता है।

नोट :

- सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को वन की पहचान करने और उन्हें सूचित करने को भी कहा था।
- कुछ राज्यों में डीम्ड वन पहले से ही वनों की एक कानूनी श्रेणी है और उन्हें शब्दकोष की परिभाषा के अनुसार परिभाषित नहीं किया गया है।

उत्तराखंड राज्य द्वारा दी गई परिभाषा:

- राज्य के अनुसार, वहाँ के राजस्व आँकड़ों में दर्ज 10 हेक्टेअर क्षेत्र या उससे अधिक क्षेत्र के वन जिनका वितान घनत्व (Canopy Density) 60% से अधिक हो, वे ही डीम्ड फ़ॉरेस्ट माने जाएंगे।
- साथ ही यह भी कहा गया कि इनमें 75% स्थानीय प्रजातियों के पेड़-पौधे होने चाहिये।

मुद्दा:

- राज्य के रिज़र्व और संरक्षित वनों में भी 60% वितान घनत्व (Canopy Density) वाले वन कम ही हैं ऐसे में राजस्व आँकड़ों में दर्ज भूमि पर आच्छादित वनों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होने की संभावना है।

नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार

हाल ही में केरल की नर्स लिनी पीएन (Lini P.N.) को मरणोपरांत राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार- 2019 (National Florence Nightingale Awards- 2019) से सम्मानित किया गया है।

- लिनी पीएन केरल में एक नर्स थीं जिनकी वर्ष 2018 में निपाह वायरस के प्रकोप के दौरान एक मरीज का इलाज करते समय संक्रमण से मृत्यु हो गई थी।

शुरुआत:

- भारत सरकार ने वर्ष 1973 में नर्सों द्वारा प्रदान की जाने वाली सराहनीय सेवाओं को मान्यता प्रदान करने के तौर पर राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना की।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) ने वर्ष 2020 को नर्स (Nurse) और प्रसाविका (MidWife) वर्ष घोषित किया है।

पुरस्कार राशि:

- इस पुरस्कार में 50000 रुपए नकद, एक प्रमाण पत्र, एक प्रशस्ति-पत्र और एक पदक दिया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस:

- आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई, 1820 को हुआ था और इस दिन को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है।

निपाह:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, निपाह वायरस एक नई उभरती बीमारी है। इसे 'निपाह वायरस एन्सेफलाइटिस' भी कहा जाता है जो कि एक वायरल संक्रमण है।
- इसका मुख्य लक्षण बुखार, खांसी, सिरदर्द, दिमाग में सूजन, उल्टी होना, साँस लेने में तकलीफ होना आदि हैं।
- यह वायरस इंसानों के साथ-साथ जानवरों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। यह आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँच जाता है।

ब्रिक्स दूरसंवेदी आभासी उपग्रह समूह

हाल ही में ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा ब्रिक्स दूरसंवेदी आभासी उपग्रह नक्षत्र (BRICS Remote Sensing Vietual Satellite Constellation) के निर्माण पर सहयोग विकसित करने के लिये सहमति व्यक्त की गई है।

नोट :

पृष्ठभूमि:

- ब्रिक्स दूरसंवेदी आभासी उपग्रह समूह फोरम का पहला आयोजन वर्ष 2017 में ब्राज़ील में किया गया था।
- इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना तथा ब्रिक्स देशों के लिये उपग्रह अवलोकन की दक्षता में सुधार करने हेतु संसाधनों को साझा करना है।

इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा:

- आभासी उपग्रह समूह
- वास्तविक उपग्रह समूह

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य उपग्रह रिमोट सेंसिंग डेटा तक पहुँच प्राप्त करना है।
- इसका उपयोग ब्रिक्स देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिये किया जा सकता है।

सत्रिया नृत्य

हाल ही में नृत्य समीक्षक एवं इतिहासकार डॉ सुनील कोठारी को सत्रिया नृत्य (Sattriya Dance) को लोकप्रिय बनाने के लिये माधवदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

उत्पत्ति:

- सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किये गए नव-वैष्णव आंदोलन के एक हिस्से के रूप में 'सत्र' मठ में हुई थी।
- शंकर देव ने इसे अंकीयानाट के प्रदर्शन के लिये विकसित किया था।

विस्तार:

- यह पूर्वोत्तर भारत के असम की प्रसिद्ध नृत्य शैली है।

संकलन:

- इसमें पौराणिक कथाओं का समावेश होता है प्रारंभ में यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता था परंतु अब इसे महिलाओं द्वारा भी किया जाता है।
  - नृत्य करने वाले पुरुष को 'पाक' तथा महिला को 'प्राकृत पाक' कहा जाता है
- इसमें शंकरदेव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है, जिसे 'बोरगीत' कहा जाता है।
- इसमें ढोल, ताल एवं बांसुरी का प्रयोग होता है और वर्तमान में इसमें हारमोनियम का प्रयोग भी किया जाने लगा है।
- इस नृत्य शैली को संगीत अकादमी द्वारा 15 नवंबर, 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल कर लिया गया।

विशेषताएँ:

- इस नृत्य को कई विधाओं जैसे- अप्सरा नृत्य, बेहर नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य, मंचोकनृत्य, रास नृत्य में बाँटा गया है।
- इस नृत्य में भी अन्य शास्त्रीय नृत्यों की भाँति नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकार एवं अभिनय दर्पण के सिद्धांतों का प्रयोग होता है।

प्रमुख नर्तक/नर्तकियाँ:

- इस नृत्य से संबंधित प्रमुख नर्तकों में रामकृष्ण तालुकदार तथा कृष्णाक्षी कश्यप आदि हैं।

टायर पायरोलिसिस

हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 19 राज्यों में 270 टायर पायरोलिसिस इकाइयों की जाँच की और पाया कि ये इकाइयाँ प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं।

नोट :

पृष्ठभूमि:

- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने अप्रैल 2019 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट में माना था कि टायर पायरोलिसिस इकाइयों में 40% से अधिक इकाइयाँ नियमों का अनुपालन नहीं कर रही हैं।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 19 राज्यों में स्थित कुल 637 इकाइयों मे से 251 इकाइयाँ नियमबद्ध थीं, वहीं 270 इकाइयाँ नियमों का पालन नहीं कर रही थीं, जबकि 116 इकाइयाँ बंद थीं।

टायर पायरोलिसिस के विषय में:

- टायर पायरोलिसिस अपशिष्ट टायरों को उपयोगी संसाधनों जैसे-ईंधन तेल, कार्बन ब्लैक, स्टील वायर आदि में बदलने की तकनीक है।
- इस तकनीक में अपशिष्ट टायरों को 250-500°C तापमान पर गर्म किया जाता है जिससे कार्बन पदार्थ, पायरो-गैस एवं तेल अवशेष के रूप में उत्सर्जित होते है वहीं इन उत्सर्जित पदार्थों का पर्याप्त प्रबंधन न होने से मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है।
- यह तकनीक टायर जलाने की तुलना में अधिक सुरक्षित मानी जाती है।

अन्य बिन्दु:

- भारत पुनर्चक्रण और निपटान के लिये ऑस्ट्रेलिया एवं यू.के. से इस्तेमाल किये गए टायरों का आयात भी करता है।
- भारत में प्रतिदिन लगभग 100 मिलियन टायरों का अपशिष्ट उत्पन्न होता है जिसमें कुछ का ही पुनर्नवीनीकरण हो पाता हैं।
- NGT ने विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन के कारण वर्ष 2014 में इस्तेमाल हुए टायरों को खुले में जलाने या ईंट भट्टों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी।

नाट्यशास्त्र उत्सव

1-3 दिसंबर तक संगीत नाटक अकादमी द्वारा कलाक्षेत्र फाउंडेशन और भरत इलांगो फाउंडेशन फॉर एशियन कल्चर के सहयोग से 'नाट्यशास्त्र उत्सव' का आयोजन किया गया।

उत्पत्ति

- नाट्यशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें नाट्य कला के विभिन्न पहलुओं और नाट्य सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया गया है।
- माना जाता है कि ऋग्वेद से पाठ्य वस्तु, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस योजना लेकर भरत मुनि ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व नाट्यशास्त्र की रचना की थी।
- नाट्यशास्त्र को 'पंचम वेद' भी कहा जाता है।

विशेषताएँ

- संस्कृत में रचित इस ग्रंथ को 36 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें ललित कला का वर्णन करते हुए 6000 से अधिक छंदबद्ध सूत्र या पद लिखे गए हैं।
- यह ग्रंथ भरत मुनि से नाट्यवेद के बारे में पूछने वाले साधुओं और भरत मुनि के बीच एक संवाद के रूप में लिखा गया है।
- भरत मुनि ने इस ग्रंथ में नाटक के कुल 15 प्रकारों का वर्णन किया है। साथ ही इसमें आठ प्रकार के छोटे नाटकों का भी उल्लेख किया गया है।
- ग्रंथ में अभिनय के चार पहलुओं का वर्णन किया गया है:
  - अंगिक: शरीर के कुछ हिस्सों की गतियों के माध्यम से संदेश पहुँचाना।
  - वाचिक: संवाद सहित अभिनय।
  - आहार्य: वेशभूषा और श्रृंगार।
  - सात्विक: होंठ, भौंहों एवं अन्य अंगों के सूक्ष्म संचलन से आंतरिक भावों का प्रकटन।

नोट :

सार्क का स्थापना दिवस

8 दिसंबर, 2019 को 35वें सार्क चार्टर दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने एक समृद्ध व शांतिपूर्ण दक्षिण एशिया के उभार की संभावनाओं पर चर्चा की।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की स्थापना 8 दिसंबर,1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी।
- मालदीव, भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका सार्क के संस्थापक सदस्य हैं जिन्होंने इसकी स्थापना के लिये इस चार्टर पर हस्ताक्षर किये।
- सार्क को प्राय: दक्षेस भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है।
- वर्ष 2007 में अफगानिस्तान सार्क का आठवाँ सदस्य देश बना।

अन्य तथ्य

- आमतौर पर सार्क शिखर सम्मेलन का द्विवार्षिक आयोजन सदस्य देशों द्वारा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में किया जाता है। शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाले सदस्य को उस वर्ष संगठन का अध्यक्ष माना जाता है।
- अंतिम सार्क सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2014 में काठमांडू में किया गया था।
- वर्ष 2016 में सार्क सम्मेलन का आयोजन इस्लामाबाद में होना था लेकिन उसी वर्ष 18 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के एक शिविर पर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था ।
- बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान द्वारा भी इस्लामाबाद की बैठक में भाग लेने से मना करने के बाद यह शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया था।
- पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों द्वारा इस क्षेत्र में की जा रही सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनज़र पिछले तीन वर्षों से भारत सार्क से दूर हट रहा है।

एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह

4-6 दिसंबर, 2019 तक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) के एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह (Asian Elephant Specialist Group -AsESG) की 10वीं बैठक का आयोजन मलेशिया के सबाह प्रांत के कोटा किनबालु में किया गया।

बैठक के बारे में:

- 130 से भी अधिक हाथी संरक्षणवादियों, साझेदार संगठनों और विशेषज्ञों ने इस बैठक में भाग लिया।
- इस बैठक के दौरान एशियाई एलीफैंट रेंज में शामिल राज्यों द्वारा हाथी संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन हेतु सर्वोत्तम अभ्यासों, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी में समूह के सदस्यों को शामिल करने के लिये तंत्र, बंदी बनाए गए हाथियों के कल्याण से संबंधित विषयों और हाथी संरक्षण में अफ्रीकी देशों के अनुभवों को साझा करने एवं इनसे सीखने जैसे विस्तृत मुद्दों पर चर्चा की गई।

AsESG के बारे में:

- IUCN एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह (AsESG) एशियाई हाथियों (वैज्ञानिक नाम-एलिफस मैक्सिमस) के अध्ययन, निगरानी, प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु वैज्ञानिक और गैर-वैज्ञानिक दोनों प्रकार के विशेषज्ञों का एक वैश्विक नेटवर्क है।
- AsESG इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) के स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन (SSC) का एक अभिन्न अंग है।
- AsESG का उद्देश्य एशियाई हाथियों की आबादी को पर्याप्त स्तर पर बनाए रखने हेतु इनके दीर्घकालिक संरक्षण को बढ़ावा देना है।
- AsESG में 18 देशों के लगभग 110 विशेषज्ञ शामिल हैं और वर्तमान में इस समूह के अध्यक्ष विवेक मेनन (भारत) हैं।
- एशियाई हाथी के लिये रेड लिस्ट प्राधिकरण के रूप में AsESG, IUCN की रेड सूची का नियमित आकलन करता है।

नोट :

व्हाइट आइलैंड

हाल ही में न्यूज़ीलैंड के व्हाइट आइलैंड पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कुछ पर्यटकों की मौत हो गई।

- व्हाइट आइलैंड एक सक्रिय ऐंडेसाइट स्ट्रेटो ज्वालामुखी (Andesite Strato Volcano) है, जो न्यूज़ीलैंड के उत्तरी द्वीप के पूर्वी तट से 30 मील की दूरी पर प्लेंटी की खाड़ी (Bay of Plenty) में स्थित है।
  - स्ट्रेटो ज्वालामुखी: स्ट्रेटो ज्वालामुखी, जिसे समग्र ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है, एक शंक्वाकार ज्वालामुखी है जो कठोर लावा, टेफ्रा, प्यूमिस और राख की कई परतों द्वारा निर्मित होता है।
  - सक्रिय ज्वालामुखी: वे ज्वालामुखी जिनसे समय-समय पर मैग्मा निकलता रहता है या वर्तमान में उद्गार हो रहे हैं जैसे- लिपारी द्वीपसमूह (इटली) का स्ट्राम्बोली (भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ)
- व्हाइट आइलैंड न्यूज़ीलैंड का सबसे सक्रिय शंकु ज्वालामुखी है जिसका लगभग 70% हिस्सा समुद्र के नीचे स्थित है।
- व्हाइट आइलैंड ताऊपो ज्वालामुखी क्षेत्र (Taupo Volcanic Zone) का हिस्सा है, ताऊपो ज्वालामुखी क्षेत्र न्यूज़ीलैंड के उत्तरी द्वीप में एक ज्वालामुखी क्षेत्र है जो पिछले दो मिलियन वर्षों से सक्रिय है।

पृष्ठभूमि

- 20 फरवरी, 1992 को व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी को न्यूज़ीलैंड का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी घोषित किया गया था।
- इस द्वीप की खोज वर्ष 1769 के आसपास पहली बार 'जेम्स कुक' ने की थी।
- इस द्वीप को माओरी (न्यूज़ीलैंड के मूल निवासी) लोगों द्वारा 'व्हाकारी' (Whakaari) नाम दिया गया है।

व्हाइट आइलैंड: पर्यटन का केंद्र

- 1920 के दशक में खनन के दौरान इमारतों के अवशेष मिलने से यह आइलैंड एक पर्यटक आकर्षण केंद्र बन गया जो हर साल 17,000 से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है।

ज्वालामुखी से संबंधित शब्दावली:

1. मैग्मा/लावा: मैग्मा एक गर्मगलित पदार्थ है, जिसकी उत्पति तापमान में वृद्धि या दाब में कमी या दोनों के कारण होती है और यह पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है। जब यह मैग्मा सतह पर पहुँचता है तो उसे 'लावा' कहते हैं।
2. ज्वालामुखी शंकु: शंकु का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकास नली के चारों ओर लावा का शंक्वाकार रूप में जमने से होता है, जबकि इसका मध्य भाग एक कीपानुमा गर्त के रूप में विकसित होता है।
3. प्यूमिस: ये लावा के झाग से बने होते हैं इसलिये इनका घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है, फलत: ये जल के ऊपर तैरते हैं।
4. धूल/राख: ये अत्यंत महीन कण होते है जो हवा के साथ उड़ सकते हैं।

मानवाधिकार दिवस

दुनिया भर में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस (Human Rights Day) मनाया जाता है।

थीम:

वर्ष 2019 की थीम 'यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स' (Youth Standing up for Human Rights) है।

लक्ष्य:

इस मानवाधिकार दिवस पर संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य युवाओं को परिवर्तन के एजेंट के रूप में आगे लाना तथा नस्लवाद, घृणास्पद भाषण, गुंडागर्दी, भेदभाव के खिलाफ एवं जलवायु न्याय के लिये संघर्ष को प्रोत्साहित करना है।

नोट :

पृष्ठभूमि:

- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights- UDHR) एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज़ है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर, 1948 को पेरिस (फ्राँस) में अपनाया था।
- इस घोषणा में बताया गया है कि विश्व में न्याय, स्वतंत्रता और शांति के स्तंभ, मानव जाति के समान तथा अक्षम्य अधिकार एवं उनकी अंतर्निहित गरिमा पर टिके हुए है।
- वर्ष 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों का एक समूह (जिन्हें पेरिस सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है) तैयार किया जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुआ।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1993 में 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC)

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्तूबर, 1993 को की गई थी।
- NHRC एक बहु-सदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं।
- यह भारतीय संविधान द्वारा दिये गए मानवाधिकारों जैसे - जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

वोल्कर नियम

हाल ही में फेडरल रिज़र्व के पूर्व अध्यक्ष पॉल वोल्कर, जिन्होंने 1980 के दशक में अमेरिका की मुद्रास्फीति से निपटने में मदद की तथा वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान वॉल स्ट्रीट सुधारों को प्रेरित किया था, का निधन हो गया।

- वर्ष 2008 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से उबारने के लिये, उन्होंने 'वोल्कर नियम' का प्रस्ताव दिया था।
- वोल्कर नियम में बैंकों को जमाकर्त्ताओं की नकदी के साथ उच्च जोखिम वाले निवेश करने से प्रतिबंधित किया गया था।

वोल्कर नियम बैंकिंग संस्थाओं को प्रतिबंधित करता है-

- वोल्कर नियम बैंकों को प्रतिभूतियों, डेरिवेटिव्स और कमोडिटी फ्यूचर्स के अल्पकालिक स्वामित्व व्यापार (short term properietary trading) के लिये अपने स्वयं के खातों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाता है।
  - यह नियम बैंकों या बीमित डिपॉजिटरी संस्थाओं को हेजफंड या निजी इक्विटी फंड में स्वामित्व हितों को प्राप्त करने के लिये कुछ छूट प्रदान करते हुए प्रतिबंध लगाता है।

अन्य बिंदु:

- स्वामित्व व्यापार (Proprietary Trading) तब होता है जब कोई बैंक या फर्म प्रत्यक्ष लाभ के उद्देश्य से अपने स्वयं के धन का निवेश करता है।
- इस तरह बैंक या फर्म अपने ग्राहकों के पैसे का उपयोग करने के बजाय अपने स्वयं के खाते से संबंधित स्टॉक (Stock), डेरिवेटिव्स (Derivatives), बॉण्डस (Bonds), कमोडिटीज़ या अन्य वित्तीय साधनों का इस्तेमाल करता है।

विश्व धरोहर सप्ताह 2019

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाता है। भारत में विश्व धरोहर सप्ताह भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा मनाया जाता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- इसका उद्देश्य समृद्ध धरोहर के प्रति लोगों को जागरूक करना और इनके संरक्षण के लिये प्रयास करना है।

नोट :

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण और कई अन्य संग्रहालयों द्वारा प्राचीन स्मारकों के महत्त्व एवं संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिये विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाता है।
- भारत में 38 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जिनमें से 30 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं।
  - यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की सूची में 'जयपुर' सबसे नया है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)

- यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में स्थायी शांति बनाए रखने के रूप में "मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता" को विकसित करने के लिये की गई थी।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्राँस) में स्थित है।
- गठन: 16 नवंबर, 1945
- कार्य: शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI):

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्त्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिये एक प्रमुख संगठन है।
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्त्वीय स्थलों और अवशेषों का रख-रखाव करना है ।
- इसके अतिरिक्त प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार, यह देश में सभी पुरातत्त्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है।
- यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को भी विनियमित करता है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

फ्रॉगफोन

हाल ही में वैज्ञानिकों ने जंगलों में रहने वाले जीवों की निगरानी के लिये एक नई डिवाइस 'फ्रॉगफोन' विकसित की है।

मुख्य बिंदु:

- मेंढकों की निगरानी के लिये सबसे ज़्यादा प्रभावी होने के कारण इस डिवाइस को "फ्रॉगफोन" नाम दिया गया है।
- यह दुनिया की पहली ऐसी सौर-संचालित रिमोट सर्वेक्षण डिवाइस है जो मेंढकों की आवाज़ को पहचान सकती है और 3G एवं 4G सेलफोन के ज़रिये उनका सर्वेक्षण कर सकती है इसके लिये न तो प्री-रिकार्डिंग की ज़रूरत है और न ही किसी तरीके की आवाज़ अपलोड करना ज़रूरी है।
- शोधकर्त्ताओं का मानना है कि तालाबों, पोखरों और नदियों के आसपास एक बार इस डिवाइस को इंस्टाल करने के बाद कभी भी मेंढकों की आवाज़ को सेलफोन की मदद से सुना जा सकता है।

शोधकर्त्ता टीम:- इसे ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय और कैनबरा विश्वविद्यालय की एक टीम द्वारा विकसित किया गया है।

फ्रॉगफोन कैसे काम करता है:

- फ्रॉगफोन द्वारा मेंढकों के निवास स्थान को संकेत भेजने और इसे वापस प्राप्त करने में तीन सेकंड का समय लगता है।
  - इन कुछ सेकंडों के दौरान डिवाइस का तापमान सेंसर सक्रिय हो जाएगा और पर्यावरणीय डेटा जैसे वायु का तापमान, पानी का तापमान और बैटरी वोल्टेज टेक्स्ट मैसेज के रूप में संकेत भेजने वाले के सेलफोन पर आ जाएगा।
- शोधकर्त्ता फ्रॉगफोन को दूर से डायल करने के बाद प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके मेंढकों से संबंधित हर छोटी - बड़ी जानकारी को आसानी से एकत्र कर सकेंगे।

नोट :

फ्रॉगफोन की उपयोगिता:

- यह डिवाइस लागत और जोखिमों को कम करेगा।
- फ़ील्ड साइट पर मानव उपस्थिति के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकेगा।
- वन्यजीव संरक्षण की दिशा में यह डिवाइस नई रणनीति बनाने में मदद कर सकती है।
- इस डिवाइस से स्थानीय मेंढकों की जनसंख्या की निगरानी करके पर्यावरणीय स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

कीर्ति मठ की 25वीं स्थापना वर्षगाँठ

कीर्ति मठ की 25वीं स्थापना वर्षगाँठ के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मैक्लोडगंज, धर्मशाला में 14वें दलाई लामा ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया।

- कीर्ति गोम्पा (मठ) की स्थापना वर्ष 1472 में त्सोंगखापा (Tsongkhapa) के एक शिष्य रोंगपा चेनाकपा (Rongpa Chenakpa) ने की थी।
- कीर्ति रिनपोचे (Kirti Rinpoche) द्वारा स्थापित पहला कीर्ति मठ गीलरंग (Gyelrang) में था। इस समय चीन के सिचुआन में दो मुख्य कीर्ति मठ तकत्संग ल्हामो (Taktsang Lhamo) और नगावा प्रांत में स्थित हैं।
  - चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण किये जाने से पहले यह क्षेत्र खाम के ऐतिहासिक तिब्बती क्षेत्र का हिस्सा था।
  - टकत्संग ल्हामो (Taktsang Lhamo) को 'सांस्कृतिक क्रांति' के दौरान नष्ट कर दिया गया था और अब इसे फिर से बनाया गया है।
- 12वें कीर्ति त्सेन्जब रिनपोचे (मठ का मुखिया बनने वाले 55वें लामा) अब निर्वासन में रहते हैं।
- कीर्ति त्सेन्जब रिनपोचे ने तिब्बती निर्वासित भिक्षुओं को आश्रय देने के लिये अप्रैल 1990 में भारत के धर्मशाला में एक कीर्ति मठ की स्थापना की थी।

वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड

हाल ही में ओडिशा सरकार ने 'JAGA Mission' के लिये वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड (World Habitat Award) जीता।

मुख्य बिंदु:

- वर्ल्ड हैबिटेट अवाड्र्स की स्थापना, वर्ष 1985 में बिल्डिंग एंड सोशल हाउसिंग फाउंडेशन (Building and Social Housing Foundation) द्वारा की गई थी।
- यह पुरस्कार वर्ल्ड हैबिटेट (यूके में स्थित) द्वारा यूएन-हैबिटेट (UN-Habitat) के साथ मिलकर प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार दुनिया भर से अभिनव, उत्कृष्ट और क्रांतिकारी आवासीय विचारों, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की पहचान स्वरूप प्रदान किया जाता है।
- ओडिशा सरकार ने अपनी महत्त्वाकांक्षी पहल 'JAGA' मिशन के लिये विश्व पर्यावास पुरस्कार जीता है, जिसके तहत झुग्गियों में रहने वाले 52,682 शहरी गरीब परिवारों को 'भूमि अधिकार प्रमाण पत्र' प्रदान किया गया है।

'JAGA' मिशन-ओडिशा

- ओडिशा सरकार ने 7 मई, 2018 को इस मिशन की शुरुआत की थी।
- इस मिशन का उद्देश्य "आत्म-सम्मान और बेदखली के सतत भय से मुक्ति" देने के वादे के तहत मलिन बस्तियों में रहने वाले एक लाख शहरी गरीबों को लाभान्वित करना।
- 'टाटा ट्रस्ट' और 'नॉर्मन फोस्टर फाउंडेशन' के सहयोग से इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है।
- हाल ही में इस परियोजना को शहरी गरीबों के जीवन को बदलने में तकनीकी नवाचार के लिये 'भारत भू-स्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार' (India Geospatial Excellence Award) से भी सम्मानित किया गया था।

नोट :

भारतीय संस्कृति पोर्टल

हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने भारत की समृद्ध मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्राप्त करने के लिये 'भारतीय संस्कृति पोर्टल' लॉन्च किया।

विशेषताएँ:

- यह पहला सरकारी अधिकृत पोर्टल है जहाँ संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों (जैसे- भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र) के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधन एक ही मंच पर सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं।
- इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था, जबकि डेटा का संकलन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) द्वारा किया गया है।
- यह पोर्टल देश भर में अभिलेखागार, संग्रहालयों, अकादमियों और पुस्तकालयों से दस्तावेज़ो, छवियों, ऑडियो-वीडियो फ़ाइलों तथा अन्य डेटा को संगृहीत करता है।
- इस पोर्टल पर वर्तमान में 90 लाख से अधिक वस्तुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है।
- यह परियोजना भारत की 'डिजिटल इंडिया' पहल का हिस्सा है, जो देश एवं विदेश दोनों में भारत की समृद्ध मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देती है।
- यह पोर्टल वर्तमान में अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा के साथ भविष्य में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा।

पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री:

- इस पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री में मुख्य रूप से दुर्लभ पुस्तकें, ई-पुस्तकें, पांडुलिपियाँ, संग्रहालय की कलाकृतियों, आभासी दीर्घाओं, अभिलेखागार, फोटो अभिलेखागार, गज़ेटियर, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, वीडियो, चित्र, व्यंजन, यूनेस्को, भारत के संगीत उपकरण शामिल हैं।

नवआर्म्स- 2019

नौसेना हथियार प्रणाली "नवआर्म्स - 2019" पर चौथी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी 12-13 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली के रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान में आयोजित की जाएगी।

संगोष्ठी की थीम: मेक इन इंडिया – युद्ध श्रेणी : अवसर और आवश्यकताएँ (Make in India - Fight Category: Opportunities and Imperatives)

मुख्य बिंदु:

- यह आयोजन विचारों के आदान-प्रदान, जागरूकता पैदा करने और नौसेना हथियार प्रणाली के क्षेत्र में भारतीय / अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग के लिए उभरती संभावनाओं की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगा।
- नवआर्म्स देश में आयोजित नौसेना हथियार प्रणालियों पर एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी है, जो नौसेना के हथियारों के जीवन चक्र प्रबंधन में सभी हितधारकों को आमंत्रित करने और उनके विचारों और चिंताओं को साझा करने के लिये एक साझा मंच प्रदान करती है।
- नवआर्म्स के पिछले तीन संस्करण 2007, 2010 और 2013 में आयोजित किये गए थे।

पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान

वन विभाग और केरल एवं पूर्वोत्तर राज्यों के वन विशेषज्ञों ने पापिकोंडा नेशनल पार्क में तितली की प्रजातियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है।

मुख्य बिंदु:

- यह सर्वेक्षण कार्य 12 से 15 दिसंबर तक चलेगा।
- इस सर्वेक्षण के अंतर्गत तितली की प्रजातियों का दस्तावेज़ीकरण किया जाएगा।

नोट :

- केरल स्थित पर्यावरण फोरम के विशेषज्ञों ने बताया कि पूर्वी घाट में पापिकोंडा पहाड़ी क्षेत्र के पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में "तितली की प्रवासी प्रजातियों" पर एक विशेष अध्ययन के साथ तितली की सभी प्रजातियों का रिकॉर्ड तैयार करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण किया जाएगा।
- तितली की प्रजातियों में विविधता, राष्ट्रीय उद्यान के एक स्वास्थ्य संकेतक के रूप में माना जाता है।

पापिकोंडा नेशनल पार्क:

- पापिकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी ज़िलों एवं तेलंगाना के खम्मम ज़िले में 1012.86 वर्ग किलोमीटर में फैला है।
- इसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक 'महत्त्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र' (Important Bird and Biodiversity Area) के रूप में मान्यता दी गई थी।

आगे की राह:

विशेषज्ञों का प्रयास पापिकोंडा नेशनल पार्क की मौजूदा जैव विविधता की एक तस्वीर पेश करेगा।

तितली की प्रजातियों से संबंधित 'निष्कर्ष एवं रिपोर्ट' वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण (Conservation of Migratory Species of Wild Animals- CMS) पर 13वें COP (Conference of Parties) में गुजरात के गांधीनगर में प्रस्तुत की जाएगी।

शोर मंदिर

मामल्लपुरम के 'शोर मंदिर' के उत्तरी किनारे को अपरदित हो रही तटरेखा का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य बिंदु:

- बताया गया है कि तटरेखा में हर साल 4-5 मीटर की कमी आ रही है।
- 'भारतीय तटरेखा में परिवर्तन पर राष्ट्रीय मूल्यांकन रिपोर्ट' (1990-2016) के अनुसार, तमिलनाडु में पिछले दो दशकों में तटरेखा का 41% अपरदन हुआ है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि सर्वेक्षण से पता चला है कि 991.47 किलोमीटर की तटरेखा में से लगभग 407.05 किमी तटरेखा का कटाव हो चुका है।
- 'राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र' की रिपोर्ट के अनुसार इस कटाव के निम्नलिखित कारण हैं-
  - बंदरगाहों का निर्माण
  - समुद्र तट पर रेत खनन
  - समुद्र-स्तर में वृद्धि
  - चक्रवात
  - नदियों के पार बांधों का निर्माण

मामल्लपुरम के बारे में:

- मामल्लपुरम जिसे महाबलीपुरम या सेवन पैगोडा भी कहा जाता है, एक शहर है जो चेन्नई से 60 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है।
- मामल्लपुरम के स्मारक और मंदिर, जिनमें शोर मंदिर परिसर शामिल हैं, को सामूहिक रूप से वर्ष 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था।

तीन तीर्थों वाला एक मंदिर (शोर मंदिर)

- शोर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के एक छोटे से शहर मामल्लपुरम में समुद्र के किनारे स्थित है।
- इसे स्थानीय रूप से अलाइवय-के-कोविल (Alaivay-k-kovil) के नाम से जाना जाता है।

नोट :

- यह मंदिर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रेनाइट बोल्डर पर टिका हुआ है।
- इसे संभवत: नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था, जिसे राजसिम्हा (पल्लव शासक) के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने 700 से 728 ई तक शासन किया था।
- इस परिसर में तीन अलग-अलग तीर्थ हैं: दो भगवान शिव और एक विष्णु को समर्पित है।
- तीनों तीर्थों में 'विष्णु तीर्थ' सबसे पुराना और छोटा है।
- शोर मंदिर परिसर में एक कटे हुए पत्थरों से निर्मित और एक मुक्त खड़ा संरचनात्मक मंदिर है। यह परिपक्व द्रविड़ वास्तुकला के सभी तत्त्वों को प्रदर्शित करता है।

ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में किसी भी तरह के निर्माण पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन में निर्माण पर मार्च 2018 में रोक लगाई थी।

- ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (TTZ) स्मारक को प्रदूषण से बचाने के लिये ताजमहल के चारों ओर 10,400 वर्ग किमी. का परिभाषित क्षेत्र है।
- यह उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस एवं एटा और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में फैला हुआ है।
- ताजमहल के चारों ओर स्थित एक समलम्ब (Trapezoid) के आकार का होने के कारण इसे ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (TTZ) का नाम दिया गया है।
- ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में तीन विश्व धरोहर स्थल ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर-सीकरी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

- एक जनहित याचिका के जवाब में ताजमहल को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिसंबर,1996 को ताज ट्रैपेजियम ज़ोन (TTZ) के तहत आने वाले उद्योगों के बारे में एक फैसला सुनाया जिसके तहत-
- TTZ में स्थित उद्योगों में कोयले / कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- कहा गया है कि उद्योगों में कोयला / कोक को प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापित किया जाए।
- या उद्योगों को TTZ के बाहर स्थानांतरित या बंद किया जाए।

आगे की राह

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक हटाने के बाद अब सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की अनुमति से ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन में बुनियादी सुविधाओं के लिये गैर-प्रदूषणकारी निर्माण कार्य किये जा सकेंगे।

सुब्रह्मण्य भारती

सुब्रह्मण्य भारती तमिलनाडु के एक कवि, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्हें 'महाकवि भारतियार' के नाम से जाना जाता था।

परिचय:

- सुब्रह्मण्य भारती का जन्म 11 दिसंबर, 1882 को तमिलनाडु के तिरूनेलवेल्ली ज़िले में एट्टियापुरम नामक गाँव में हुआ था।

भारती: एक कवि और राष्ट्रवादी

- सुब्रह्मण्य भारती तमिल साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात करने वाले महत्त्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएँ राष्ट्र प्रेम, भक्ति और रहस्यवादी विषयों से संबंधित हैं।
- भारती मुख्य रूप से एक गीतकार थे। उनकी महान काव्यात्मक रचनाओं में ''कन्नम पट्टू'', ''नीलवम वम्मिनुम कत्रम'', ''पांचाली सबतम'', ''कुयिल पट्टु'' शामिल हैं।
- भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद संबंधी इनके गीतों ने तमिलनाडु में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिये जन समर्थन जुटाने में मदद की थी।

नोट :

- भारती ने मई 1906 में ''इंडिया'' का प्रकाशन तमिल में आरंभ किया। इस प्रकाशन में फ्रांस की क्रांति के तीन नारों- स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, को अपना लक्ष्य घोषित किया गया।
- वर्ष 1908 में इनकी एक क्रांतिकारी रचना ''स्वदेश गीतांगल'' प्रकाशित हुई।
- भारती ने भारतीय राष्ट्रीय काँन्ग्रेस के बनारस अधिवेशन (1905) और सूरत अधिवेशन (1907) में हिस्सा लिया।
- भारती वर्ष 1919 में मद्रास के राजाजी गृह में महात्मा गांधी से मिले।

भारती: एक समाज सुधारक

- भारती जाति-व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्होंने घोषणा की थी कि केवल दो जातियाँ हैं - पुरुष और महिला अन्य कोई जाति नहीं है।
- भारती ने महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिये काम किया।
- भारती ने बाल विवाह और दहेज का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।

आई.बी.एम. ग्राफ

आईबीएम कंपनी ने पूरे विश्व के लिये एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल 'IBM GRAF' तैयार किया है।

मुख्य बिंदु:

- यह एक मौसम पूर्वानुमान टूल है जो उच्च-रिज़ॉल्यूशन मौसम पूर्वानुमान से संबंधित जानकारी प्रदान करता है।
- वैश्विक स्तर पर वर्तमान मौसम पूर्वानुमान मॉडलों में ज़्यादातर 9-13 किलोमीटर की दूरी तक के रिज़ॉल्यूशन पर आधारित हैं और हर छह घंटे में अपडेट होते हैं।
- 'IBM GRAF' 3 किलोमीटर की दूरी तक के रिज़ॉल्यूशन पर पूर्वानुमान प्रदान करता है और प्रति घंटा अपडेट किया जाता है।
- यह तकनीक वायुमंडलीय और महासागरीय डेटा को सुपर कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषित करके वांछित समय सीमा में पूर्वानुमान जारी करती है।
- यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उपयोग किये जाने वाले 12 किलोमीटर रिज़ॉल्यूशन के मॉडल की तुलना में काफी उन्नत है।
- यह मॉडल भारत में उपलब्ध मौसम से संबंधित डेटा का उपयोग करके मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार लायेगा।

उपयोग:

- यह नया वैश्विक उच्च-रिज़ॉल्यूशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल भारत के कृषि क्षेत्र के लिये अग्रिम जानकारी जुटाने तथा जलवायु परिवर्तन के ख़तरों से निपटने में मदद करेगा।
- यह मॉडल ऊर्जा कंपनियों, उपभोक्ता ब्रांडों, बीमा व्यवसायों और उपग्रह इमेज विश्लेषकों के लिए भी उपयोगी होगा।

पुष्पा वीणा

हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल गिटार फेस्टिवल 2019 में विश्व को 'पुष्पा वीणा' से अवगत कराया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- इसका आविष्कार एक प्रसिद्ध भारतीय स्लाइड गिटारवादक 'पंडित देबाशीष भट्टाचार्य' ने किया है।
- पुष्पा वीणा एक ध्वनिक स्लाइड वाद्य यंत्र है यह पंडित देवाशीष भट्टाचार्य के त्रिमूर्ति गिटार (चतुरंगी, आनन्दी और गंधर्व) की पिछली रचनाओं से बहुत अलग एवं अद्वितीय है।
- पुष्पा वीणा भारत और एशिया के साथ-साथ दुनिया के शास्त्रीय और लोक संगीत की प्राचीन कला का प्रतिनिधित्व करता है।

वीणा:एक वाद्य यंत्र

- वीणा वस्तुत: तंत्री वाद्यों का संरचनात्मक नाम है, इसमें तंत्री तारों के आलावा, घुड़च, तरब के तार तथा सारिकाए होती हैं।
- वीणा से ही रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा, विचित्र वीणा विकसित हुई हैं।

नोट :

- हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रुद्र वीणा को बजाया जाता है।
- कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त होने वाला 'तानपुरा या तम्बूरा' दक्षिण भारतीय वीणा डिज़ाइन है।

कुचिपुड़ी नृत्य

कुचिपुड़ी नृत्य (आंध्र प्रदेश) का मंचन अमेरिका के लॉस एंजिल्स में स्थित वॉल्ट डिज़नी कॉन्सर्ट हॉल में किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक नृत्य शैली है, जिसका जन्म आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गाँव में हुआ था।
- यह गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप है। भागवत पुराण इसका मुख्य आधार है।
- इस नृत्य में पद संचालन एवं हस्तमुद्राओं का विशेष महत्त्व है।
- कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे लोकप्रिय रूप मटका नृत्य है।
- इस नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं- यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी आदि।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) ने वर्ष 2017-18 के लिये IL & FS वित्तीय सेवा लिमिटेड की लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा (AQR) रिपोर्ट जारी की।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2018 में अपने गठन के बाद से NFRA की यह पहली लेखापरीक्षा गुणवत्ता समीक्षा (AQR) रिपोर्ट है।
- यह ऑडिट कंपनी अधिनियम 2013 और NFRA नियम- 2018 की धारा 132 (2) (b) के अनुसार आयोजित किया गया था।

IL&FS

- IL&FS एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसे 30 साल पहले भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिये धन एकत्र करने हेतु स्थापित किया गया था।
- यह कंपनी वर्ष 2018 में कर्ज चुकाने में डिफॉल्टर साबित हुई थी जिस कारण इससे जुड़ी अन्य कंपनियों और देश के वित्तीय सेक्टर पर बड़ा खतरा मंडराने लगा था।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA):

- इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वर्ष 2018 में की गई थी।
- NFRA की स्थापना के कारण भारत अब 'अंतर्राष्ट्रीय फोरम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर' की सदस्यता के लिये पात्र है।

अंतर्राष्ट्रीय फोरम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर:

- इसकी स्थापना 2006 में पेरिस में हुई थी।
- यह एक वैश्विक सदस्य संगठन है जिसमें 53 न्यायालयों के नियामक शामिल हैं।
- यह विश्व स्तर पर ऑडिटिंग में सुधार करके निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने का काम करता है।

अटल भूजल योजना

अटल भूजल योजना (ABHY) सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के सतत प्रबंधन के लिये 6,000 करोड़ रुपए की एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- यह योजना जल उपयोगकर्त्ता संघों, जल बजट, ग्राम-पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन आदि के माध्यम से लोगों की भागीदारी की परिकल्पना करती है।
- इसका कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय (पहले इसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के रूप में जाना जाता था) के द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना को भारत और विश्व बैंक द्वारा 50:50 के आधार पर वित्तपोषित किया जा रहा है।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिये चिंन्हित 'अति जलदोहन एवं जल-तनाव (Water Stress) वाले क्षेत्र' गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं।
  - राज्यों का चयन भूजल दोहन और क्षरण, स्थापित कानूनी एवं नियामकीय उपकरणों, संस्थागत तैयारी और भूजल प्रबंधन से संबंधित पहलों को लागू करने में अनुभव के अनुसार किया गया है।

मुल्लापेरियार बांध

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्लापेरियार बांध से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिये तीन सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है।

- इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव 1960 के बाद से बना हुआ है।
  - जिसमें केरल ने बांध की सुरक्षा और बांध के जल स्तर में कमी के बारे में चिंताओं का हवाला दिया।
  - तो वहीं इस बांध से तमिलनाडु के पाँच ज़िलों में जलापूर्ति, सिंचाई और बिजली उत्पादन के महत्त्व को देखते हुए तमिलनाडु ने लगातार इसका विरोध किया है।
- मुल्लापेरियार बांध केरल के इडुक्की ज़िले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है।
- इसके द्वारा तमिलनाडु राज्य अपने पाँच दक्षिणी ज़िलों के लिये पीने के पानी और सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
  - ब्रिटिश शासन के दौरान 999 साल के लिये किये गए एक समझौते के अनुसार, इसके परिचालन का अधिकार तमिलनाडु को सौंपा गया था।
- इस बांध का उद्देश्य पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार नदी के पानी को तमिलनाडु में वृष्टि छाया क्षेत्रों में पूर्व की ओर मोड़ना है।

पेरियार नदी:

- पेरियार नदी 244 किलोमीटर की लंबाई के साथ केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है।
- इसे 'केरल की जीवनरेखा' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह केरल राज्य की बारहमासी नदियों में से एक है।
- पेरियार नदी पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है और 'पेरियार राष्ट्रीय उद्यान' से होकर बहती है।
- मुख्य सहायक नदियाँ- मुथिरपूझा, मुल्लायार, चेरुथोनी, पेरिनजंकुट्टी

अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कॉन्ग्रेस

भारत, मार्च 2020 में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कॉन्ग्रेस (International Geological Congress-IGC) की मेज़बानी करेगा। ध्यातव्य है कि 35वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कॉन्ग्रेस का आयोजन केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 2016 में किया गया था।

थीम/विषयवस्तु:

नई दिल्ली में आयोजित होने वाली इस कॉन्ग्रेस की थीम है- "भू-विज्ञान: समावेशी विकास के लिये मूलभूत विज्ञान" (Geosciences: The Basic Science for a Sustainable Future)।

नोट :

IGC के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कॉन्ग्रेस (IGC) पृथ्वी विज्ञान की उन्नति का प्रतिष्ठित वैश्विक मंच है। IGC के प्रथम सत्र का आयोजन वर्ष 1878 में फ्राँस में किया गया था। इसका उद्देश्य वैश्विक भूवैज्ञानिक समुदाय को नियमित अंतराल पर बैठक के लिये एक संगठनात्मक ढाँचा तैयार करने का अवसर प्रदान करना था।
- IGC को भू-वैज्ञानिकों का ओलम्पिक के नाम से भी जाना जाता है।
- इस प्रतिष्ठित वैश्विक भूवैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन चार वर्षों में एक बार किया जाता है। इस सम्मेलन में विश्व के लगभग 5000-6000 भूवैज्ञानिक भाग लेते हैं।

36वाँ IGC

- 36वाँ IGC व्यापक विज्ञान कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के लिये खान मंत्रालय (Ministry of Mines) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) धनराशि उपलब्ध कराएंगे।
- सम्मेलन के आयोजन में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (Indian National Science Academy-INSA) तथा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी सहयोग प्रदान करेंगे।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India) इस आयोजन की नोडल एजेंसी है।

भारत दूसरी बार करेगा IGC की मेज़बानी

- भारत एकमात्र एशियाई देश है जो दूसरी बार इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने पहली बार वर्ष 1964 में 22वें IGC (एशिया में पहला) का आयोजन किया था।
- इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था।

सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम

भारत सरकार सुरक्षित आंतरिक उपयोग के लिये व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफार्मों के समरूप एक सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम (Government Instant Messaging System- GIMS) का परीक्षण कर रही है।

- वर्तमान में GIMS का ओडिशा सहित कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में परीक्षण किया जा रहा है।

निर्माण:

- इसका डिज़ाइन और विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatic Centre- NIC) की केरल यूनिट द्वारा किया गया है।
- इसका निर्माण केंद्र और राज्य सरकार के विभागों तथा संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु अंत: और अंतर्संगठन संचार के लिये किया गया है।
- GIMS में एकल और समूह संदेश के अलावा सरकारी तंत्र में पदानुक्रमों को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज़ और मीडिया साझाकरण के भी प्रावधान हैं।

उद्देश्य:

- GIMS विदेशी संस्थाओं के स्वामित्व वाले एप्लीकेशंस से संबंधित सुरक्षा चिंताओं से मुक्त होने में लाभदायक होगी।
- WhatsApp की तरह GIMS में भी एकल संदेश के लिये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (End-To-End Encryption) की सेवा उपलब्ध है।

सतत् तटीय प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय केंद्र

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा चेन्नई में तटीय संसाधनों और पर्यावरण सहित तटीय प्रबंधन के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान के लिये सतत् तटीय प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय केंद्र (National Centre for Sustainable Coastal Management- NCSCM) की स्थापना की गई है।

नोट :

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य पारंपरिक तटीय और द्वीपीय समुदायों के लाभ और कल्याण के लिये भारत में तटीय और समुद्री क्षेत्रों के एकीकृत एवं स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
- इसका उद्देश्य जनभागीदारी, संरक्षण प्रथाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से स्थायी तटों को बढ़ावा देना और वर्तमान तथा भावी पीढ़ी का कल्याण करना है।

भूमिका

- इसमें भू-स्थानिक विज्ञान, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली, तटीय पर्यावरण प्रभाव आकलन, तटीय एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण आदि विभिन्न अनुसंधान विभाग शामिल हैं।
- सर्वे ऑफ इंडिया (Survey Of India) और NCSCM ने बाढ़, कटाव तथा समुद्र-स्तर में वृद्धि की भेद्यता के मानचित्रण (Mapping) को शामिल करते हुए भारतीय तटीय सीमाओं के लिये खतरे की सीमा की मैपिंग की है।
- यह केंद्र, राज्य सरकारों और नीति निर्माण से संबद्ध अन्य हितधारकों को एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (Integrated Coastal Zone Management- ICZM) से संबंधित वैज्ञानिक मामलों में भी सलाह देता है।

जंगुबाई गुफा मंदिर और कपलाई गुफाएँ

महाराष्ट्र-तेलंगाना सीमा पर अवस्थित जंगुबाई गुफा मंदिर और कपलाई गुफाओं (Jangubai Cave Temple and the Kaplai Caves) को गोंड, परधान तथा कोलम आदि आदिवासी जनजातियों द्वारा तीर्थस्थल के रूप में माना जाता है।

कोलम जनजाति

- कोलम जनजाति (कोलावर) महाराष्ट्र की एक अनुसूचित जनजाति है। ये लोग आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी रहते हैं।
- इस जनजाति की भाषा कोमली है जो गोंड भाषा की तरह द्रविड़ भाषाओं का मध्यवर्ती समूह है।
- ये हिंदू धर्म के तहत एक पत्नी/पति विवाह (Monogamy) का पालन करते हैं।
- वर्ष 2018 में सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य में कटकारिया (कठोडिया), कोलम और मारिया गोंड को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के रूप में चिह्नित किया गया है।

गोंड जनजाति

- गोंड जनजाति छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है।
- मुख्यत: यह जनजाति विंध्य और सतपुड़ा के बीच के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में निवास करती है।

परधान जनजाति

- परधान जनजाति गोंड जनजाति का एक उपसमूह है जो मध्य भारत में रहते हैं।
- इस जनजाति का अधिकांश हिस्सा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहता है।
- इस जनजाति के लोगों की प्राथमिक भाषा उनकी अपनी 'परधान' भाषा है लेकिन कुछ परधान जनजाति के लोग हिंदी, मराठी और गोंडी भाषा भी बोलते हैं।
- परधान जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय त्योहारों और जीवन के महत्त्वपूर्ण समारोहों में गायन एवं संगीत है।

सतत् विकास सेल

कोयला मंत्रालय (Ministry Of Coal) ने देश में कोयला खनन को पर्यावरण के दृष्टिकोण से सतत् बनाने के उद्देश्य से सतत् विकास सेल (Sustainable Development Cell- SDC) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

नोट :

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य खनन कार्य बंद होने के बाद पर्यावरण को होने वाले नुकसान से निपटना है।

भूमिका:

- SDC पर्यावरण नुकसान को कम करने के उपायों पर एक नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करके कोयला कंपनियों को सलाह देगा।
- उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग और खनन के कारण पर्यावरण की हानि को न्यूनतम करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- इसके अलावा यह कोयला मंत्रालय के नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगा।

कार्य:

- SDC का कार्य योजनाबद्ध तरीकों से आँकड़ों का संग्रह और विश्लेषण, सूचनाओं की प्रस्तुति, सूचना आधारित योजना तैयार करना, सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाना, परामर्श, नवोन्मेषी विचार, स्थल विशेष दृष्टिकोण ज्ञान को साझा करना तथा लोगों और समुदायों के जीवन को आसान बनाना है।
- इसके अलावा SDC भूमि के पुनर्वितरण और वनीकरण, वायु गुणवत्ता, उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रवर्द्धन, खान जल प्रबंधन, खानों का सतत प्रबंधन, सतत् खान पर्यटन, योजना और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही नीति, शोध, शिक्षा और विस्तार का कार्य करेगा।

स्ट्रैंडहॉग बग

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की भेद्यता से संबंधित स्ट्रैंडहॉग बग (StrandHogg Bug) के बारे में चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी किया है।

स्ट्रैंडहॉग के विषय में:

- स्ट्रैंडहॉग नाम का यह बग स्मार्टफोन के मल्टी टास्किंग सिस्टम में पाया गया है।
- यह वायरस एप्लीकेशंस को असली एप्लीकेशंस की तरह दिखाने वाला बग है।
- इस बग के माध्यम से साइबर अपराधी, उपयोगकर्त्ता के बैंक अकाउंट के लॉग-इन पासवर्ड के अलावा लोकेशन, समेत कई प्रकार के निजी डेटा में सेंध लगा सकते हैं।
- साथ ही माइक्रोफोन से लोगों की बात सुनने, कैमरे से फोटो लेने और एसएमएस पढ़ने जैसे काम कर सकते हैं।

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव (Privilege Motion) चर्चा में रहा जो किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है।

विशेषाधिकारों के विषय में:

संसदीय विशेषाधिकार संसद के प्रत्येक सदन तथा उसकी समितियों को सामूहिक रूप से तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं ताकि वे अपने कार्यों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सकें।

जब इनमें से किसी भी अधिकार की अवहेलना की जाती है, तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है तथा यह संसद के कानून के तहत दंडनीय है।

संबंधित प्रक्रिया:

- कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से किसी सदस्य या सभा या इसकी समिति के विशेषाधिकार के हनन से संबंधित कोई प्रश्न उठा सकता है।
- विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिये दोषी पाए जाने पर किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्ताव के रूप में एक नोटिस दिया जाता है।

नोट :

- विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की जाँच प्रथम स्तर पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है।
- अध्यक्ष/सभापति स्वयं विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं।

विशेषाधिकार समिति:

- इसकी कार्य प्रकृति अल्प-न्यायिक की तरह है, यह सदन एवं इसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन का परीक्षण करती है एवं उचित कार्यवाही की सिफारिश करती है।
  - लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं।
  - राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं।

विशेषाधिकारों के स्त्रोत:

- मूल रूप में संविधान (अनुच्छेद 105) में दो विशेषाधिकार बताए गए हैं:
  1. संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता।
  2. इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार।
- लोकसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 तथा राज्यसभा की नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम संख्या 187 विशेषाधिकार को नियंत्रित करते हैं।
- संसद ने अभी तक विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के लिये कोई विशेष विधि नहीं बनाई है। यह पाँच स्रोतों पर आधारित है-
  - संवैधानिक उपबंध, संसद द्वारा निर्मित अनेक विधियाँ, दोनों सदनों के नियम, संसदीय परंपरा, न्यायिक व्याख्या।

कावेरी वन्यजीव अभयारण्य

हाल ही में कर्नाटक में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य (Cauvery Wildlife Sanctuary) के पास बिजली की चपेट में आने से हाथियों की मृत्यु के कई मामले सामने आए हैं।

- उल्लेखनीय है कि नवंबर 2019 में कर्नाटक वन विभाग ने पशुओं के लिये चारे की उपलब्धता बढ़ाने हेतु कावेरी वन्यजीव अभयारण्य सहित माले महादेश्वरा पहाड़ी वन्यजीव अभयारण्य और बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य में घास भूमि प्रबंधन कार्य शुरू किया था।

कावेरी वन्यजीव अभयारण्य:

- इसकी स्थापना वर्ष 1987 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1973 के तहत वन्यजीव और उसके पर्यावरण की रक्षा, प्रसार या विकास के उद्देश्य से की गई थी।
- इसमें कर्नाटक राज्य के मांड्या, रामनगर और चामराजनगर ज़िलों के आरक्षित वन शामिल हैं।
- लगभग 102 कि.मी. वर्ग क्षेत्र में फैला यह वन्यजीव अभयारण्य पूर्व व उत्तर की ओर से कावेरी नदी तथा पश्चिम व उत्तर- पूर्व की ओर से तमिलनाडु राज्य से घिरा है।
  - इसका नामकरण कावेरी नदी के नाम पर ही हुआ है।
- यहाँ की वनस्पति में पर्णपाती, जलीय व स्क्रब वन पाए जाते हैं।
- यह अभयारण्य चित्तीदार हिरण, जंगली सूअर, चीता, तेंदुआ, हाथी, सांभर, मालाबार की विशाल गिलहरी, चार सींगों वाले मृग आदि का निवास स्थान है।
- कावेरी वन्यजीव अभयारण्य संकटापन्न महासिर मछली के लिये प्रसिद्ध है ।

माले महादेश्वरा पहाड़ियाँ/ एमएम हिल्स:

- कर्नाटक के चामराजनगर ज़िले में स्थित एमएम हिल्स का एक छोर बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से भी जुड़ा है इसके अलावा तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व भी इसके साथ अपनी सीमा बनाता है।
- लगभग 907 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभयारण्य 13 बाघों का निवास स्थान है।

नोट :

- बाघों के अलावा इस अभयारण्य में तेंदुए, हाथी, सुस्त भालू (Sloth Bear), जंगली कुत्ते, हाइना, बिज्जु, ग्वार, सांभर और चीतल का निवास स्थान है।
- माले महादेश्वरा पहाड़ियों के जंगलों में चंदन की लकड़ी और बाँस के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं।

बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य/ बीआरटी हिल्स :

- बीआरटी हिल्स या बिलगिरी रंगना हिल्स पश्चिमी घाट की पूर्वी सीमा पर लगभग 539 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित एक पर्वतीय श्रृंखला है।
- यह कर्नाटक की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित है जो तमिलनाडु के इरोड ज़िले में स्थित सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं।
- यहाँ शुष्क और पर्णपाती वनस्पतियों से लेकर सदाबहार वनस्पतियों समेत कई किस्में पाई जाती हैं।
  - यहाँ गौर, भालू, चीतल, सांभर, बाघ, तेंदुए, जंगली कुत्ते, हाथी और चार सींग वाले मृग आदि पाए जाते हैं।

दक्षिण एशियाई साहित्य के लिये डीएससी पुरस्कार- 2019

हाल ही में लेखक अमिताभ बागची को उनके उपन्यास 'हाफ द नाइट इज गॉन' के लिये दक्षिण एशियाई साहित्य के लिये डीएससी पुरस्कार-2019 (DSC Prize for South Asian Literature- 2019) से सम्मानित किया गया है।

पुरस्कार के विषय में:

- यह दक्षिण एशिया की संस्कृति, राजनीति, इतिहास या लोगों के बारे में किसी भी जाति या राष्ट्रीयता पर लेखन के लिये लेखकों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- यह दक्षिण एशिया को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्याँमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के रूप में परिभाषित करता है।

स्थापना:

- दक्षिण एशियाई साहित्य के लिये DSC पुरस्कार की स्थापना 2010 में इसके संस्थापकों, सुरिना नरूला और मनहाद नरूला द्वारा की गई थी।

पुरस्कार राशि:

- इस पुरस्कार के तहत 25000 डॉलर की राशि प्रदान की जाती है।

वित्तपोषण:

- यह पुरस्कार बुनियादी ढाँचा कंपनी डीएससी ग्रुप (DSC Group) द्वारा वित्तपोषित है।

महाराजा दलीप सिंह

हाल ही में राज्यसभा के एक सदस्य ने महाराजा दलीप सिंह (Maharaja Duleep Singh) के अवशेषों को इंग्लैंड से भारत लाने की मांग की है।

कौन थे महाराजा दलीप सिंह ?

- दलीप सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र और पंजाब के अंतिम शासक थे।
- इन्हें वर्ष 1843 में पंजाब का महाराजा (पाँच वर्ष की उम्र में) घोषित किया गया था।
- द्वितीय आंग्ल- सिख युद्ध के बाद वर्ष 1849 में महाराजा दलीप सिंह को प्रतिवर्ष £40,000 की पेंशन के बदले संप्रभुता का दावा छोड़ने के लिये मजबूर किया गया था, उस समय उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी।

नोट :

- वर्ष 1853 में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया तथा वर्ष 1854 में ब्रिटेन में बस गए।
- वर्ष 1999 की बीबीसी की एक रिपोर्ट में सिंह को इंग्लैण्ड का पहला सिख अधिवासी (Settler) बताया गया है।
- वर्ष 1893 में 55 साल की उम्र में दलीप सिंह का पेरिस में निधन हो गया तथा उन्हें इंग्लैंड में दफनाया गया था।

कोहिनूर के विषय में:

- कोहिनूर शब्द कोह-ए-नूर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है - प्रकाश का पहाड़ (Mountain Of Light)
- वर्ष 1849 में अंग्रेज़ों द्वारा सिखों को युद्ध में हराने के बाद, दलीप सिंह को एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य किया गया जिसमें लाहौर की संधि में संशोधन किया गया था।
  - दस्तावेज़ के अनुसार सिंह को इस क्षेत्र की संप्रभुता ही नहीं बल्कि कोहिनूर (Koh-i-Noor) हीरे पर दावा भी छोड़ना था।
  - यह हीरा अब लंदन के टॉवर में रखे ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का एक हिस्सा है।

जीईएम संवाद

हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry) द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम, जीईएम संवाद (GeM SAMVAAD) की शुरुआत की गई।

उद्देश्य:

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश के हितधारकों और खुदरा विक्रेताओं को इसमें शामिल करना है।
- इसके अलावा इसका उद्देश्य खरीदारों की विशेष ज़रूरतों को पूरा करते हुए बाज़ार में स्थानीय विक्रेताओं को ऑन-बोर्डिंग सुविधा उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम की अवधि:

- यह कार्यक्रम 19 दिसंबर, 2019 से 17 फरवरी, 2020 तक चलेगा और इसमें देश के सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल होंगे।

GeM के विषय में:

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस या जीईएम की शुरुआत 9 अगस्त, 2016 को हुई थी।
- यह एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीदारी पोर्टल है जो केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त संस्थानों तथा स्थानीय निकायों की सभी खरीदारी संबंधी ज़रूरतों का समाधान करता है।
- इसके अलावा जीईएम पोर्टल का उपयोग, खरीदारी को संपर्क रहित, कागज रहित और कैशलेस बनाता है।
- वर्तमान में जीईएम में 15 लाख से अधिक उत्पाद, लगभग 20,000 सेवाएँ, 3 लाख से अधिक पंजीकृत विक्रेता और सेवाप्रदाता तथा 40,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठन शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश के लिये तीन राजधानियाँ

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में दक्षिण अफ्रीका की तरह तीन राजधानियाँ बनाने का संकेत दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- राज्य की तीन निम्नलिखित राजधानियाँ हो सकती हैं -
  - विधायी- अमरावती
  - कार्यकारी- विशाखापत्तनम
  - न्यायिक- करनूल
- यह निर्णय प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी फर्मों द्वारा जारी विवरण और रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद लिया जाएगा।
  - यदि राज्य सरकार इस पर अमल करती है तो आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहाँ पर तीन राजधानी क्षेत्र होंगे।

नोट :

- दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानियाँ हैं:
  - प्रशासनिक राजधानी- प्रिटोरिया (Pretoria)
  - विधायी राजधानी- केप टाउन (Cape Town)
  - न्यायिक राजधानी- ब्लोमेम्फोनेटिन (Blomemfontein)
  - संवैधानिक न्यायालय जोहान्सबर्ग (Johannesburg) में स्थित है।

कालेश्वरम् लिफ्ट सिंचाई परियोजना

कालेश्वरम् लिफ्ट सिंचाई परियोजना (Kaleshwaram Lift Irrigation Project- KLIP) तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है।

कालेश्वरम् लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बारे में:

- यह विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है।
- इस परियोजना को जलाशयों, पानी की सुरंगों, पाइपलाइनों और नहरों की एक एक जटिल व्यवस्था से सुसज्जित किया गया है जिसके फलस्वरूप गोदावरी के पानी को ऊँचाई वाले स्थानों की ओर प्रवाहित किया जा रहा है।
- गोदावरी औसत समुद्र तल (Mean Sea Level) से 100 मीटर नीचे बहती थी जबकि तेलंगाना औसत समुद्र तल से 300 से 650 मीटर ऊपर स्थित है।
- इस परियोजना ने विश्व की सबसे लंबी पानी की सुरंगों, एक्वा नलिकाओं (Aqua Ducts), भूमिगत वृद्धि पूल (Underground Surge Pool) और सबसे बड़े पंपों के साथ कई रिकॉर्ड बनाए हैं।
- इस परियोजना के तहत कोंडापोखम्मा सागर जलाशय के पास 618 मीटर की ऊँचाई पर पानी की आपूर्ति की जाती है।

गोदावरी नदी:

- गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक प्रवाहित होती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है।
- यह पश्चिमी घाट स्थित नासिक के पास त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है। मुख्य रूप से इस नदी का बहाव दक्षिण-पूर्व की ओर है।
- समुद्र में मिलने से 60 मील (लगभग 96 किमी.) पहले ही नदी बहुत ही सँकरी उच्च दीवारों के बीच से बहती है। बंगाल की खाड़ी में दौलेश्वरम् के पास डेल्टा बनाती हुई यह नदी सात धाराओं के रूप में समुद्र में गिरती है।

गोदावरी की सहायक नदियाँ:

- पूर्णा
- कदम
- प्राणहिता
- सबरी
- इंद्रावती
- मजीरा
- सिंधुकाना
- मनेर
- प्रवरा

कृष्णा-गोदावरी डेल्टा:

- भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ- गोदावरी और कृष्णा, दोनों मिलकर 'कृष्णा-गोदावरी डेल्टा' का निर्माण करती हैं, जो सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा को सामान्यत: 'केजी डेल्टा' भी कहा जाता है।

नोट :

बालिमेला जलाशय

बालिमेला जलाशय को ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकारों की एक संयुक्त बालिमेला परियोजना (Balimela Project) के तहत स्थापित किया गया है।

- बालिमेला परियोजना मचकुंड-सिलेरू नदी के विकास का दूसरा चरण है, इसका पहला चरण मचकुंड परियोजना है।

सिलेरू नदी:

- सिलेरू, सबरी नदी की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है और यह सबरी नदी में विलय से पहले ओडिशा से होकर बहती है।
- सिलेरू को ऊपरी भाग में मचकुंड के नाम से जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के त्रि-जंक्शन सीमा क्षेत्र में सबरी नदी से मिलती है।
- गोदावरी नदी के साथ विलय करने के लिये सबरी नदी आंध्र प्रदेश की सीमा को पार करती है।

होउबारा बस्टर्ड

पाकिस्तान की सरकार ने कतर के शाही परिवार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित होउबारा बस्टर्ड (Houbara Bustard) पक्षी के शिकार हेतु विशेष परमिट जारी किया है।

शारीरिक विशेषताएँ:

- होउबारा बस्टर्ड बड़े आकार का स्थलीय पक्षी हैं जिसकी कई प्रजातियों होती हैं। इनमें उड़ने वाले पक्षी भी शामिल हैं। यह सामान्यत: शुष्क जलवायु में रहता है।
- प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) के अनुसार, इसकी दो अलग-अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी अफ्रीका में क्लैमाइडोटिस अंडुलाटा (Chlamydotis Undulata) और एशिया में क्लैमोटोटिस मैक्केनी (Chlamydotis Macqueenii) प्रजाति पाई जाती है। यह सामान्यत: बसंत में प्रजनन करते हैं।

अधिवास और प्रवास:

- एशियाई होउबारा बस्टर्ड अरब प्रायद्वीप से लेकर सिनाई रेगिस्तान तक पाए जाते हैं।
- सर्दियों के मौसम के दौरान एशियाई बस्टर्ड दक्षिण में पाकिस्तान और अरब प्रायद्वीप के क्षेत्रों में प्रवास करते हैं।

गिरावट का कारण:

- होउबारा बस्टर्ड की संख्या कम होने का मुख्य कारण अवैध शिकार है।

मंथन

हाल ही में मीडिया एवं मनोरंजन कौशल परिषद (Media and Entertainment Skill Council- MESC) द्वारा मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resources and Development- MHRD) के सहयोग से मंथन (Manthan) का आयोजन किया गया।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन उद्योग में कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा कुशल युवाओं एवं कार्यबल को विकसित करना है।

मंथन के विषय में:

- मंथन, मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में उपलब्ध अवसरों की अधिकता पर केंद्रित है।
- यह MESC और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग की संभावनाओं को बढ़ाता है।

नोट :

- MESC के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने BSC ऐनिमेशन एवं VFX, BSC परफॉर्मिंग आर्ट्स और BSC फिल्म मेकिंग जैसे रोज़गारपरक पाठ्यक्रम विकसित किये हैं।
- संबंधित विश्वविद्यालयों को अपने कॉलेजों एवं स्वायत्त कॉलेजों के माध्यम से इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिये सशक्त बनाया गया है।

मकाउ की 20वीं वर्षगांठ

20 दिसंबर को मकाउ (Macau) ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई जायेगी। इसी दिन पूर्वी पुर्तगाली उपनिवेश (मकाउ) चीन को वापस सौंपा गया था।

- मकाउ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (Macau Special Administrative Region- MSAR) चीन का अभिन्न भाग है और चीन के "एक देश, दो प्रणाली" मॉडल का उदाहरण है।
  - "एक देश, दो प्रणालियाँ" एक संवैधानिक सिद्धांत है जो क्रमश: वर्ष 1997 और 1999 में चीन का क्षेत्र बनने के बाद हांगकांग और मकाउ के शासन का वर्णन करता है।

शासन प्रबंधन:

- यह चीन की समाजवादी आर्थिक प्रणाली का समर्थन नहीं करता है तथा विदेशी और रक्षा मामलों को छोड़कर इसे सभी मामलों में उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त है।

अवस्थिति:

- यह हांगकांग से 60 किलोमीटर की दूरी पर पर्ल नदी के मुहाने के पास चीन के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित है।
- इसके क्षेत्र में मकाउ प्रायद्वीप और ताइपा (Taipa) तथा कोलोन (Coloane) के दो द्वीप शामिल हैं।

जनसंख्या:

- मकाउ दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है।

अर्थव्यवस्था:

- मकाउ की अर्थव्यवस्था जुआ उद्योग और कैसिनो पर निर्भर है जिसका सरकारी आय में लगभग 80% योगदान है।

प्याज की नई किस्में

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (Punjab Agricultural University- PAU) ने व्यावसायिक खेती के लिये प्रोसेसिंग-ग्रेड व्हाइट ओनियन {Processing-grade White Onion (PWO-2)} किस्म विकसित की है।

- अभी तक पंजाब के किसान मुख्यत: लाल रंग वाली प्रो-6 (PRO-6) और पंजाब नारोया (Punjab Naroya) किस्म का उत्पादन करते हैं।
  - प्रो-6 किस्म की प्याज 120 दिनों में तैयार होती थी, साथ ही औसतन 175 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार होती है।
  - पंजाब नारोया किस्म 145 दिनों में तैयार होती है, साथ ही इसकी पैदावार औसतन 150 क्विंटल प्रति एकड़ होती है।
  - नई किस्म PWO-2 की औसत उपज 165 क्विंटल प्रति एकड़ है और यह लगभग 140 दिनों में तैयार होती है।
- विश्वविद्यालय ने वर्ष 1994 में पंजाब व्हाइट (Punjab White) नामक एक प्याज की किस्म विकसित की थी। इसकी औसत उपज 135 क्विंटल प्रति एकड़ थी हालाँकि इसमें किसानों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी।
- पंजाब में 2-2.1 लाख टन प्याज का उत्पादन होता है, जो राज्य की आवश्यकता का एक तिहाई हिस्सा पूरा करता है। वर्तमान में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए PWO-2 जैसी किस्मों की आवश्यकता है क्योंकि जिनके बल्बों (Bulbs) को परिवर्तित किया जा सकता है और संसाधित रूप में संग्रहीत किया जा सकता है।

नोट :

गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार

हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार (Gandhi Citizenship Education Prize) की स्थापना की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि:

भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी के आदर्शों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने तथा 150वीं जयंती मनाने के लिये वर्ष 2018 में दो समितियों का गठन किया गया था।

- राष्ट्रीय समिति (National Committee- NC)-
  - इस समिति के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति हैं तथा इसमें उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के प्रतिनिधि, गांधीवादी विचारक और सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं।
  - इसके अलावा एंटोनियो कोस्टा के साथ-साथ, तुलसी गबार्ड, डेसमंड टूटू, बर्नी मेयर (अमेरिकी गांधी के रूप में जाने जाते हैं), योशीरो मोरी (जापान के पूर्व प्रधानमंत्री), कोफी अन्नान सहित अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्ति इस समिति के सदस्य हैं।
- कार्यकारी समिति (Executive Committee- EC)-
  - इस समिति के अध्यक्ष भारत के प्रधान मंत्री हैं यह समिति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नीतियों पर विचार करने तथा दिशा-निर्देश देने के लिए गठित की गई है।

पुरस्कार का उद्देश्य:

- इस पुरस्कार की स्थापना का उद्देश्य महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाना है।

पुरस्कार के विषय में:

- यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाएगा तथा यह महात्मा गांधी के विचारों और उद्धरणों से प्रेरित होगा।
- प्रथम वर्ष के लिये यह पुरस्कार पशु कल्याण के लिये समर्पित होगा क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि किसी भी राष्ट्र की महानता पशुओं के प्रति उसके व्यवहार से आँकी जा सकती है।

पिनाका निर्देशित रॉकेट प्रणाली

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) द्वारा विकसित ओडिशा के चाँदीपुर तट के निकट स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका निर्देशित रॉकेट प्रणाली (Pinaka Guided Rocket System) के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया।

प्रणाली के विषय में:

- पिनाका आर्टिलरी मिसाइल प्रणाली है, जिसकी मारक क्षमता पूरी सटीकता के साथ 75 किलोमीटर है।
- पिनाका के उन्नत संस्करण में नौसंचालन, नियंत्रण और दिशा-प्रणाली जोड़ी गई हैं, ताकि उसकी सटीकता और रेंज में वृद्धि हो सके।
- इसकी रेंज की ट्रैकिंग, दूरमापी (Telemetry), रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल टारगेटिंग प्रणाली (Electro-optical targeting system- EOTS) से की जाती है।

विकास:

- मिसाइल प्रणाली को DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं ने विकसित किया है-
  - आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना (Laboratories Armament Research & Development Establishment- ARDE)
  - अनुसंधान केन्द्र इमारत (Research Centre Imarat- RCI)
  - रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (Defence Research and Development Laboratory- DRDL)

नोट :

- प्रूफ एवं प्रयोगात्मक संगठन (Proof & Experimental Establishment- PXE)
- उच्च ऊर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला (High Energy Materials Research Laboratory- HEMRL)

लाभ:

- यह सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित कार्रवाई मिसाइल (Quick Reaction Surface-to-Air Missile- QRSAM) मैदानी और अर्द्ध-रेगिस्तानी इलाकों में सैन्य टुकड़ियों के लिये सहायक सिद्ध होगी।
- यह दुश्मन की उन मिसाइलों को भी निशाना बनाने में कारगर साबित होगी जो नज़दीक आकर अचानक लुप्त हो जाती हैं। इन मिसाइलों के सफल परीक्षण से भारत की सुरक्षा स्थिति मजबूत होगी।

गोवा मुक्ति दिवस

19 दिसंबर, 2019 को गोवा ने अपना 58वाँ मुक्ति दिवस मनाया यह भारत के स्वतंत्र होने के 14 वर्ष बाद तक पुर्तगालियों के अधीन रहा।

पृष्ठभूमि:

- पुर्तगालियों ने वर्ष 1510 में भारत के कई हिस्सों पर अपना उपनिवेश स्थापित किया परंतु 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली और अंजेडिवा द्वीप तक ही सीमित रहा।
- गोवा मुक्ति आंदोलन ने पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग की यह आंदोलन छोटे पैमाने पर एक विद्रोह के साथ शुरू हुआ लेकिन वर्ष 1940 से 1960 के बीच यह अपने चरम पर पहुँच गया।
  - वर्ष 1961 में भारत द्वारा गोवा के अधिग्रहण के बाद ही यह आंदोलन समाप्त हुआ।
- राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारतीय नौसेना, वायु सेना और सेना द्वारा गोवा में 'ऑपरेशन विजय' चलाकर 19 दिसंबर,1961 को यह राज्य पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया
- पुर्तगालियों से मुक्त करने के बाद इसे दमन और दीव के साथ मिलाकर केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया।
- 30 मई, 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य तथा दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश का दर्ज़ा दिया गया।

नदियाँ:

- गोवा के उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है राज्य की अन्य प्रमुख नदियों में मांडवी, जुआरी, चपोरा, साल आदि हैं।

प्रमुख उद्योग:

- गोवा को बायोटेक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है
- मछली पालन यहाँ का प्रमुख उद्योग है तथा यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है।

मुख्य भाषा:

- यहाँ की मुख्य भाषाएँ कोंकणी (राजभाषा) तथा मराठी है
- यह राज्य कोंकण रेलवे के माध्यम से मुंबई तथा मंगलुरु से जुड़ा हुआ है तथा यह मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

सशस्त्र सीमा बल

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल (Sashastra Seema Bal- SSB) की 56वीं वर्षगाँठ का शुभारंभ किया।

स्थापना:

- सशस्त्र सीमा बल का गठन 'विशेष सेवा ब्यूरो' (Special Service Bureau) के रूप में वर्ष 1963 में हुआ।
- SSB को 15 जनवरी, 2001 को गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल घोषित किया गया तथा 15 दिसम्बर, 2003 को इसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया।

नोट :

- भारत में छह अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों (असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) के साथ-साथ यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Forces- CAPF) का हिस्सा है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा तीन सीमांत मुख्यालय लखनऊ, पटना और गुवाहाटी में हैं।

कार्य:

- SSB को 19 जून, 2001 को भारत-नेपाल सीमा (1751 किलोमीटर) की सुरक्षा करने का कार्य सौंपा गया तथा इसे उस क्षेत्र की प्रमुख खुफिया एजेंसी घोषित किया गया।
- इसके अलावा भारत-भूटान सीमा की सुरक्षा का दायित्व 12 मार्च, 2004 को सौंपा गया और इसके साथ ही इसे उस सीमा की भी प्रमुख खुफिया एजेंसी घोषित कर दिया गया।
- वर्तमान में SSB उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करता है।

उत्तरदायित्व:

- सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना।
- भारतीय सीमाओं पर तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना।
- सीमा पार अपराध को रोकना तथा भारतीय क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश या उससे बाहर जाने को रोकना।

उपलब्धि:

- SSB को इसकी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा में मुख्य भूमिका निभाने की मान्यता में वर्ष 2004 में प्रेसिडेंट कलर्स (President's Colours) प्रदान किया गया।
  - प्रेसिडेंट कलर्स राष्ट्र की सुरक्षा में किसी रेजिमेंट के योगदान की मान्यता में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

भारत की जैव प्रौद्योगिकी संस्था

हाल ही में केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Union Department of Biotechnology) के भूतपूर्व बायोटेक्नोलॉजिस्ट (Biotechnologists) और टेक्नोक्रेट (Technocrats) ने भारत की जैव प्रौद्योगिकी संस्था (Society of Biotechnology of India- SBPI) का शुभारंभ किया।

- केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत है।

SBPI के विषय में:

- SBPI एक गैर-लाभकारी संगठन है।

उद्देश्य:

- यह आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में मुख्य अनुसंधान की ओर परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी ताकि इससे प्राप्त नतीजे आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिये अधिक उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों को जन्म दे सकें।
- SBPI अंतराल क्षेत्रों (Gap Areas) जो भारत की लाईफ साइंस प्रगति में एक बाधा है की ओर देश की अनुसंधान निधि बढ़ाने के लिये पूरक के रुप में कार्य करेगी।
  - ये बाधाएँ मुख्यत: बुनियादी ढाँचे, मानव संसाधन, नियामक ढाँचे और अनुसंधान तथा विकास को अनुप्रयोगों में परिवर्तित करने में आती हैं।
- SBPI के सदस्यों को जैव प्रौद्योगिकी में बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों जैसे- बीटी कॉटन (BT Cotton), पुनरावर्ती चिकित्सीय प्रोटीन (Recombinant Therapeutic Proteins) और टीके लगाने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का अनुभव है।

नोट :

ईको नेटवर्क

हाल ही में भारत सरकार द्वारा अंतर-अनुशासनात्मक नेतृत्व को बढ़ाने के लिये ईको नेटवर्क (EChO Network) लॉन्च किया गया है।

ईको नेटवर्क के विषय में:

- यह नेटवर्क भारत सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों का एक सहयोगी प्रयास है।
- यह पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित क्षेत्रों में अंत:विषयक तरीकों से शिक्षकों तथा छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

उद्देश्य/लक्ष्य:

- इस नेटवर्क का उद्देश्य सभी को ज्ञान साझा करने और प्रयासों को समन्वित करने के लिये विज्ञान के क्षेत्र में एक साथ लाना है तथा इसके लिये ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में संचार करने हेतु प्रशिक्षित हो।

आवश्यकता क्यों ?

- भारत ने पारिस्थितिक और पर्यावरण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये कई राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों को शुरू किया है।
  - उसके लिये शिक्षकों और छात्रों की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जो अंत:विषयक तरीके से समस्याओं की पहचान करके उन्हें हल कर सकें।
  - इसके अलावा जो प्रकृति को समझ सके और चिकित्सा, कृषि, पारिस्थितिकी तथा प्रौद्योगिकी में विश्व की वास्तविक समस्याओं से निपट सके।
- यह नेटवर्क भारतीय शिक्षा के लिये पूरी तरह से एक नया दृष्टिकोण और तकनीकी दुनिया के लिये आवश्यक अन्वेषण को प्रेरित करेगा।

अपाचे हेलीकॉप्टर

हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर (AH-64E Apache Helicopters) के लिये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

पृष्ठभूमि:

- भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वर्ष 2015 में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिये समझौता हुआ था। जिसमें से सितबंर 2019 में 8 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिये गए हैं।
- इसकी आखिरी खेप मार्च, 2020 में मिलेगी।
- यह सेना में पहले से शामिल रूसी हेलीकॉप्टर Mi-35 की जगह लेगा।
- वर्तमान में आर्मी एविएशन कॉर्प्स (Army Aviation Corps) के चीता और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर- ध्रुव का संचालन करती है, जिनका वज़न पाँच टन से कम है।

अपाचे हेलीकॉप्टर की विशेषताएँ:

- यह विश्व का सबसे एडवांस मल्टी-कॉम्बेट हेलीकॉप्टर है जो सेंसर तथा लेज़र इंफ्रारेड की मदद से रात में भी उड़ान भरने में सक्षम है।
- इसमें 2 इंजन होने के कारण यह 280 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ़्तार से उड़ान भरने में सक्षम है तथा इसकी फ्लाईंग रेंज 550 किलोमीटर है।
- यह 16 एंटीटैंक AGM- 114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल (Hellfire and Stinger Missile) से लैस है तथा लगभग 1 मिनट में एक साथ 128 टारगेट पर हमला करने में सक्षम है।
- यह दुश्मन के रडार की पहुँच से बाहर रहने तथा कम ऊँचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है।
- इसके अलावा यह अत्याधुनिक लांगबो फायर कंट्रोल रडार (Longbow Fire Control Radar) से लैस है।

नोट :

महत्त्व:

- यह भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के लिये मददगार होगा तथा उनकी मारक क्षमता में वृद्धि करेगा।
- भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण में महत्त्वपूर्ण कदम है।
- भारत में रक्षा बजट का 35% विमान खरीद पर खर्च होता है।
  - राफेल, तेजस और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर भी बेड़े में शामिल होंगे।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में खतरे को लेकर सजगता।

चीता हेलिकॉप्टर:

- चीता हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन किया गया उच्च प्रदर्शन वाला हेलीकॉप्टर है।
- यह एक ईंजन वाला टर्बोशैफ्ट FAC हेलिकॉप्टर है।
- इसकी 3 यात्रियों या 100 किलोग्राम बाह्य स्लिंग लोड वहन क्षमता है।
- इसकी अधिकतम क्रूज गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा है।

एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर- ध्रुव

- यह स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित तथा ट्विन इंजन, मल्टीरोल, मल्टी मिशन, 5.5-टन वज़न के वर्ग का हेलिकॉप्टर है।
- ध्रुव एमके-I, एमके-II, एमके-III और एमके-I इसके प्रमुख प्रकार हैं।

इस्लामिक सहयोग संगठन

इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation for Islamic Cooperation- OIC) द्वारा भारत में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 [Citizenship (Amendment) Act, 2019] और सर्वोच्च न्यायालय के राम जन्म भूमि विवाद पर फैसले को चिंता का मुद्दा बताया गया है।

OIC की स्थापना:

- OIC की स्थापना मोरक्को के रबात, में 25 सितंबर, 1969 को हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के निर्णय के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई थी।

सदस्य देश:

- OIC संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 57 है।

उद्देश्य:

- यह विश्व के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम जगत के हितों की रक्षा तथा संरक्षण का प्रयास करता है।
- OIC के पास संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के स्थायी प्रतिनिधिमंडल हैं। इसका प्रशासनिक केंद्र (मुख्यालय) जेद्दा, सऊदी अरब में स्थित है।

भारत के स्थिति:

- भारत, OIC का सदस्य देश नहीं है।
  - पहली बार मार्च 2019 में OIC ने भारत को 'गेस्ट ऑफ़ ऑनर' के तौर पर विदेशमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिये आमंत्रित किया था।
  - पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान OIC के संस्थापक सदस्य देश हैं।

नोट :

स्पंदन

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम् (Prakasham) ज़िले के पुलिस अधीक्षक को स्पंदन (SPANDANA) परियोजना के लिये 7वाँ जी-फाइल (G-Files) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- प्रकाशम् ज़िले की जनसंख्या लगभग 40 लाख है और यह यह 18,000 वर्ग किमी. में फैला हुआ है।

परियोजना के विषय में:

- स्पंदन परियोजना की शुरुआत राज्य के पुलिस स्टेशनों को जनता की पहुँच के लिये सुगम बनाने हेतु विशेषकर महिलाओं के लिये जुलाई, 2019 में हुई थी।
  - इसमें लगभग 52% शिकायतकर्त्ता महिलाएँ थीं।
- यह परियोजना ज़िलों के उन लोगों के लिये भी है जो उस ज़िले, राज्य या देश से बाहर रह रहे हैं ऐसे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस से बातचीत कर सकते हैं और अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
- जी-फाइल पुरस्कार के अलावा, स्पंदन को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (Bureau of Police Research and Development- BPR&D) द्वारा भी नामित किया जा चुका है।

परियोजना की सफलता के कारण:

- स्पंदन परियोजना के सफल होने के दो व्यापक कारण हैं-
  1. इसके क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी का उपयोग।
  2. महिला शिकायतकर्ताओं पर विशेष ध्यान।

जी-फाइल पुरस्कार के विषय में :

- जी-फाइल पुरस्कार शासन में अभिनव सुधारों के लिये सिविल सेवकों को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है।

BPR&D के विषय में:

- इसकी स्थापना पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से 28 अगस्त,1970 को की गई थी।
- यह गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत एक परामर्शदायी संगठन है।

मिशन शत-प्रतिशत

पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सितंबर 2019 में सरकारी स्कूलों की कक्षा 5, 8, 10 और 12 में 100% परिणाम प्राप्त करने के लिये मिशन शत-प्रतिशत (Mission Shat Pratishat) की शुरुआत की गई थी।

मिशन का नारा:

- इस मिशन को "असंभव नु संभव बनाइये, शत प्रतिशत नतीजा लाइए" (Make Impossible Possible and Secure 100 Percent Result) नारा दिया गया है।

लक्ष्य:

इस मिशन का लक्ष्य 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों के परिणामों में पास प्रतिशत के आँकड़ों में सुधार करना है।

मिशन के तहत उठाये गए कदम:

- विभिन्न विषयों के शिक्षकों द्वारा अच्छी प्रथाओं को साझा करने और उनका उचित समन्वय सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है।
- शिक्षकों और छात्रों को एडुसैट (शिक्षा उपग्रह) के माध्यम से प्रश्नपत्र की संरचना के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
- छात्रों के लिये हल करने हेतु प्रत्येक विषय के मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करना है।
- सरकारी स्कूल के शिक्षक स्वेच्छा से न केवल काम के दिनों में बल्कि रविवार और छुट्टियों के दौरान भी अतिरिक्त कक्षाएँ ले रहे हैं।

नोट :

संबंधित मुद्दे:

- सैकड़ों प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूल ज़्यादातर ऐसे हैं जिनमें पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं।

रिया उपग्रह

23 दिसंबर, 1672 को जियोवानी कैसिनी (Giovanni Cassini) द्वारा रिया उपग्रह (Rhea Satellite) की खोज की गई थी। रिया उपग्रह के विषय में:

- यह टाइटन के बाद शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है।
- रिया, जियोवानी कैसिनी द्वारा खोजे गये शनि के चार उपग्रहों में से दूसरा था।
- जियोवानी कैसिनी द्वारा खोजे गए चार उपग्रहों का नाम इस प्रकार है-
  - आइपिटस (Iapetus)
  - रिया (Rhea)
  - टेथिस (Tethys)
  - डायोन (Dione)
- रिया, टेथिस तथा डायोन की तरह स्थानबद्ध (Tidally Locked) है यानी इसका एक हिस्सा सदैव शनि के सम्मुख रहता है
- रिया की औसत त्रिज्या 764 किमी है, जो पृथ्वी के लगभग 10वें हिस्से के बराबर है।
  - रिया के मैदानों की औसत आयु लगभग चार बिलियन वर्ष है।
- वर्ष 2010 में, कैसिनी नामक एक अंतरिक्ष यान ने रिया के चारों ओर एक बहुत ही पतले वातावरण का पता लगाया जिसे बहिर्मंडल के रूप में जाना जाता है यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है।
  - कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति का स्रोत निश्चित नहीं है परंतु माना जाता है कि ऑक्सीजन तब उत्पन्न होती है जब रिया शनि का चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आ जाता है।
  - इस उपग्रह की सतह पर ऊर्जावान कणों की उपस्थिति है जो शनि के चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर रासायनिक अभिक्रियाएँ करते हैं जिससे इसकी सतह विघटित होती है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है।

कैसिनी मिशन:

- यह शनि और उसकी प्रणाली को देखने वाला पहला समर्पित अंतरिक्ष मिशन था।
- 15,अक्तूबर 1997 को नासा द्वारा इस मिशन को प्रारंभ किया गया तथा यह 15 सितंबर, 2017 को समाप्त हो गया।
- इसका नामकरण 17वीं शताब्दी के खगोलशास्त्री जियोवानी कैसिनी (Giovanni Cassini) के नाम पर किया गया था।
  - जियोवानी कैसिनी एक इटैलियन खगोलशास्त्री, गणितज्ञ और इंजीनियर थे।

चिल्ले/चिल्लाई- कलां

कश्मीर घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में कठोर शीत ऋतु के पारंपरिक 40 दिन की अवधि 'चिल्ले/चिल्लाई- कलां' (Chillai kalan) की शुरुआत हो गई है।

चिल्ले/चिल्लाई- कलां के विषय में:

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) के अनुसार 21 दिसंबर से 30 जनवरी की अवधि को कश्मीर की स्थानीय भाषा में चिल्ले/चिल्लाई- कलां कहा जाता है।
  - 21 दिसंबर का दिन उत्तरी गोलार्द्ध में शीतकालीन संक्रांति के रुप में मनाया जाता है।

नोट :

- इन 40 दिनों में बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक होती है और तापमान में अधिकतम गिरावट होती है अर्थात यह लगभग शून्य डिग्री के नीचे या उसके आस- पास आ जाता है।
- इन 40 दिनों के बाद शीत लहर जारी रहती है इसलिए चिल्ले/चिल्लाई- कलां के बाद 20 दिन चिल्ले/चिल्लाई- खुर्द (Chillai Khurd) तथा उसके बाद के 10 दिन चिल्ले/चिल्लाई- बच्चा (Chillai Baccha) के नाम से जाना जाता है।

'इकोक्लब'

गुजरात के केवडिया में 20-21 दिसंबर तक राष्ट्रीय हरित कोर 'इकोक्लब' (Eco Club) कार्यक्रम को लागू करने वाली राज्य नोडल एजेंसियों की पहली बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के विषय में:

- इस बैठक का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of the Environment, Forest and Climate Change- MoEF&CC) के तहत कार्यरत पर्यावरण शिक्षा प्रभाग (Environment Education Division) द्वारा गुजरात पारिस्थितिक शिक्षा और अनुसंधान (Gujarat Ecological Education and Research- GEER) के सहयोग से किया गया।
- बैठक में इकोक्लब 'कार्यक्रम को लागू करने हेतु योगदान के लिये एजेंसियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिये गए।
  - इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ इकोक्लब पुरस्कार क्रमशः छत्तीसगढ़ (प्रथम स्थान), केरल (द्वितीय स्थान) और तेलंगाना (तृतीय स्थान) के छात्रों को दिये गए।
  - सांत्वना पुरस्कार गुजरात, सिक्किम और कर्नाटक के इकोक्लब को प्रदान किये गए।

इकोक्लब के विषय में:

- राष्ट्रीय हरित कोर इकोक्लब 'कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2001-2002 में पर्यावरण शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण (Environment Education Awareness and Training- EEAT) योजना के तहत की गई थी।
  - EEAT, वर्ष 1983- 84 में स्थापित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है इसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लिये छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना है।
    - EEAT उद्देश्यों को चार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है:
    - राष्ट्रीय हरित कोर (National Green Corps- NGC)
    - राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान (National Environment Awareness Campaign)
    - सेमिनार/कार्यशालाएँ (Seminars/Workshops)
    - राष्ट्रीय प्रकृति शिविर कार्यक्रम (National Nature Camping Programme)

इकोक्लब के उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को उनके आस-पास के वातावरण के बारे में और उसके साथ पारस्परिकता बढ़ाने हेतु तथा उसमें मौजूद समस्याओं के बारे में, अनुभव के आधार पर ज्ञान प्रदान करना है।
- इसके अलावा इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण तथा विकास से संबंधित मुद्दों पर संवेदनशील बनाना है।
- आगामी वर्ष 2020-21 में इकोक्लब की संख्या वर्तमान में लगभग 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी जाएगी।

66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा नई दिल्ली में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (66th National Film Awards) समारोह में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्ष 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किये गए।

नोट :

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विषय में:

- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी इससे पहले इन पुरस्कारों को राजकीय पुरस्कार कहा जाता था।
- आमतौर पर वार्षिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों की घोषणा अप्रैल के महीने में की जाती है और प्रत्येक वर्ष 3 मई को इन्हें प्रदान किया जाता है परंतु इस वर्ष 17 वीं लोकसभा चुनाव के कारण इन्हें प्रदान करने में देरी हुई।
- वर्ष 2018 के लिये दिये जाने वाले पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है-

श्रेणी	विजेता
सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म	अंधाधुंध
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (साझा)	आयुष्मान खुराना (अंधाधुंध), विक्की कौशल (उरी)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री	कीर्ति सुरेश
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक	आदित्य धर (उरी)
सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर	ज्योति (घूमर, पद्मावत)
सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक	संजय लीला भंसाली
सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रैंडली राज्य	उत्तराखंड
सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फीचर फिल्म	खरवस
सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑन सोशल इश्यू	पैडमेन
सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स फिल्म	स्विमिंग थ्रू द डार्कनेस
सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक (हिंदी)	अनंत विजय
सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म	भोंगा
सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म	टर्टल
सर्वश्रेष्ठ गारो फिल्म	अन्ना
सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म	बरम
सर्वश्रेष्ठ उर्दू फिल्म	हामिद
सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म	एक जे छिलो राजा
सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म	सूडानी फ्रॉम नाइज़ीरिया
सर्वश्रेष्ठ तेलुगू फिल्म	महांती

- इसके अलावा मराठी फिल्म 'नाल' को निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिये इंदिरा गांधी पुरस्कार, मराठी फिल्म 'पानी' को पर्यावरण संरक्षण पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, कन्नड़ फिल्म ओंडाला इराडाला को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिये नरगिस दत्त पुरस्कार प्रदान किया गया।
- अमिताभ बच्चन को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके 50वें वर्ष के लिए भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

दादा साहब फाल्के पुरस्कार:

- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- भारत सरकार ने धुंधीराज गोविन्द फाल्के की जन्म शताब्दी वर्ष 1969 के उपलक्ष्य में उन्हें सम्मान देने के लिये सिनेमा के अत्यंत विशिष्ट व्यक्तिओं को दादा साहब फाल्के सम्मान देने का निर्णय लिया।
- वर्ष 1969 के लिये पहला फाल्के सम्मान वर्ष 1970 में अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था

नोट :

कोंडा रेड्डी आदिवासी

कोंडा रेड्डी आदिवासी (Konda Reddy Tribe) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में सबसे पिछड़े प्राचीन आदिवासी समूहों में से एक है।

निवास स्थान:

- यह आदिवासी समूह गोदावरी नदी के दोनों किनारों (पूर्व और पश्चिम गोदावरी ज़िलों) पर, खम्मम (तेलंगाना) और श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश) के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता है।
- वे मुख्य रूप से आंतरिक वन क्षेत्रों में समाज की मुख्यधारा से कटे हुए रहते हैं।

मुख्य व्यवसाय:

- हाल ही में इस समूह ने परंपरागत काश्तकारियों को स्थानांतरित करके कृषि और बागवानी व्यवसाय को अपनाया लिया है।
- गैर लकड़ी वन उत्पादों का संग्रह और टोकरी बनाना इस आदिवासी समूह की आजीविका के अन्य स्रोत हैं।

भाषा:

- उनकी मातृभाषा एक अद्वितीय उच्चारण के साथ तेलुगु है।
- कोंडा रेड्डी को आदिम जनजाति समूह (अब विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह) के रूप में मान्यता दी गई है।
- कोंडा रेड्डी को उनके पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं जैसे कि बांस, बोतल लौकी और बीज से बने घरेलू लेखों का उपयोग के लिये जाना जाता है।

हिम दर्शन एक्सप्रेस

25 दिसंबर, 2019 को भारतीय रेलवे ने कालका-शिमला मार्ग पर एक विशेष ट्रेन "हिम दर्शन एक्सप्रेस" की शुरुआत की।

- हिम दर्शन एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा विस्टाडोम कोच (शीशे की छत वाले कोच) वाली पहली ट्रेन है जो नियमित रूप से चलेगी।
- विस्टाडोम कोच के होने से पर्यटकों को 95.5 किमी. लंबे कालका-शिमला मार्ग पर वातानुकूलित ट्रेन में बड़ी काँच की खिड़कियों के साथ प्रकृति को करीब से महसूस करने का मौका मिलेगा।
- यह विशेष ट्रेन कालका और शिमला स्टेशन के बीच अगले एक साल के लिये 24 दिसंबर, 2020 तक चलेगी।
- कालका शिमला रेलवे लाइन को वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इसे "भारत के पर्वतीय रेलवे" के तहत सूचीबद्ध किया गया था।
- कालका - शिमला रेलवे के अलावा दो अन्य भारत के पर्वतीय रेलवे हैं:
  - पश्चिम बंगाल में हिमालय की तलहटी में स्थित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (पूर्वोत्तर भारत)
  - नीलगिरि पर्वत रेलवे तमिलनाडु के नीलगिरि पहाड़ियों में स्थित है (दक्षिण भारत)

अटल सुरंग

25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सरकार ने रोहतांग दर्रे के नीचे की रणनीतिक सुरंग का नाम 'अटल सुरंग' रखा।

- 8.8 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 3,000 मीटर की ऊँचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है।
- यह सुरंग पीर पंजाल रेंज से होकर गुज़रेगी।
- यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी में 46 किलोमीटर की कमी करेगी और परिवहन लागत में करोड़ों रुपए की बचत करेगी।
- यह 10.5 मीटर चौड़ी दो लेन वाली सुरंग है। इसमें आग से सुरक्षा के सभी उपाय मौजूद हैं, साथ ही आपात निकासी के लिये सुरंग के साथ ही बगल में एक और सुरंग बनाई गई है।

नोट :

- इस सुरंग का निर्माण हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वालों को सदैव कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जो शीत ऋतु के दौरान लगभग 6 महीने तक लगातार शेष देश से कटे रहते हैं।
- सेरी नुल्लाह डिफ़ॉल्ट ज़ोन इस सुरंग के अंदर है।

पृष्ठभूमि

रोहतांग दर्रे के नीचे रणनीतिक महत्त्व की सुरंग बनाए जाने का ऐतिहासिक फैसला 3 जून, 2000 को लिया गया था जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। सुंरग के दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला 26 मई, 2002 को रखी गई थी।

बार हेडेड गूस

हाल ही में केरल के पत्तनमतिट्टा ज़िला में करिंगली पुंचा के वेटलैंड्स में बार हेडेड गूस (Bar-headed Goose) को देखा गया है।

प्रमुख बिंदु :

- इसे Anser Indicus के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया में सबसे ऊँची उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक माना जाता है।
- यह प्रजाति मध्य चीन और मंगोलिया में पाई जाती है और ये सर्दियों के दौरान भारतीय उप-महाद्वीप में प्रवास शुरू करते हैं तथा मौसम के अंत तक रहते हैं।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार 'लीस्ट कन्सर्न' (Least Concern) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- कारिंगली पुंचा का वेटलैंड पत्तनमतिट्टा ज़िले का एक प्रमुख पक्षी स्थल है। यहाँ वर्ष 2015 की एशियाई वॉटरबर्ड जनगणना में सबसे अधिक पक्षियों के होने की सूचना थी।

अमूर फाल्कन और हूलॉक गिब्बन

अमूर फाल्कन (Amur falcon):

- अमूर फाल्कन दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाले शिकारी पक्षी हैं, ये सर्दियों की शुरुआत के साथ यात्रा शुरू करते हैं।
- ये शिकारी पक्षी दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं तथा मंगोलिया और साइबेरिया से भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों से होते हुये दक्षिणी अफ्रीका तक लाखों की संख्या में प्रवास करते हैं।
- इसका 22,000 किलोमीटर का प्रवासी मार्ग सभी एवियन प्रजातियों में सबसे लंबा है।
- इसका नाम 'अमूर नदी' से मिलता है जो रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है।
- प्रजनन स्थल से दक्षिण अफ्रीका की ओर वार्षिक प्रवास के दौरान अमूर फाल्कन के लिये नागालैंड की दोयांग झील (Doyang Lake) एक ठहराव केंद्र के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार, नागालैंड को "फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड" के रूप में भी जाना जाता है।
- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की रेड लिस्ट के तहत इन पक्षियों को 'संकट बहुत कम' (Least Concerned) के रूप में वर्गीकृत किया गया है लेकिन यह प्रजाति भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत 'संरक्षित' है।

हूलॉक गिब्बन (Hoolock Gibbon):

- हूलॉक गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपि है।
- यह प्राइमेट पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पश्चिम चीन का मूल निवासी है।
- हूलॉक गिबन को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
- पश्चिमी हूलॉक गिब्बन (Western Hoolock Gibbon):
  - यह उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों में निवास करता है किंतु ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण और दिबांग नदी के पूर्व में नहीं पाया जाता है। और भारत के बाहर ये पूर्वी बांग्लादेश और उत्तर-पश्चिम म्याँमार में पाया जाता है।
  - इन्हें IUCN की रेड लिस्ट के तहत 'संकटग्रस्त' (Endangered) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

नोट :

- पूर्वी हूलॉक गिब्बन (Eastern Hoolock Gibbon):
  - ये भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम की विशिष्ट क्षेत्रों और भारत के बाहर दक्षिणी चीन और उत्तर-पूर्व म्याँमार में निवास करते हैं।
  - इन्हें IUCN की रेड लिस्ट के तहत 'संवेदनशील' (Vulnerable) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत में इन दोनों प्रजातियों को भारतीय (वन्यजीव) संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध किया गया है।

राजस्व आसूचना निदेशालय

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) द्वारा राजस्व आसूचना निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence- DRI) की विशिष्ट सेवा और राष्ट्र की रक्षा में गौरवशाली योगदान की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया।

DRI का गठन:

- इसका गठन 4 दिसंबर, 1957 को किया गया था।
- यह भारत की प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया, जाँच और संचालन एजेंसी है।
- यह वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs) के अधीन तस्करी के खतरे से निपटने के लिये एक शीर्ष आसूचना निकाय है।
  - वस्तु और सेवा कर (Goods & Service Tax- GST) के लागू होने के बाद वर्ष 2018 में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Excise and Customs- CBEC) का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC) कर दिया गया था।
- CBIC सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, CGST और IGST शुल्क की चोरी की रोकथाम के संबंध में नीति निर्माण के कार्यों से संबंधित है।

DRI के कार्य:

- इसका कार्य नशीले पदार्थों की तस्करी और वन्यजीव तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील वस्तुओं के अवैध व्यापार एवं तस्करी का पता लगा कर उन पर अंकुश लगाना है।
- इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सीमा शुल्क की चोरी से निपटना है।

DRI को राष्ट्रीय तस्करी विरोधी समन्वय केंद्र (Anti-Smuggling National Coordination Centre- SCord) के लिये प्रमुख एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है।

पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती

25 दिसंबर, 2019 को पंडित मदन मोहन मालवीय (Pandit Madan Mohan Malviya) की 158वीं जयंती मनाई गई।

मालवीय जी के बारे में:

- इनका जन्म 25 दिसंबर, 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था।
- इन्होने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University- BHU) की स्थापना की।
- इन्हें विशेष रूप से कैरिबियन क्षेत्र में भारतीय करारबद्ध प्रणाली (Indian Indenture System) को समाप्त करने में, उनकी भूमिका के लिये भी याद किया जाता है-
  - यह एक प्रकार की श्रम बंधुआ मजदूरी प्रणाली थी जिसे वर्ष 1833 में दासता उन्मूलन के बाद स्थापित किया गया था।
  - इसके तहत वेस्टइंडीज, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया की ब्रिटिश उपनिवेशों में चीनी, कपास, चाय बागानों तथा रेल निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिये अप्रत्यक्ष रुप से श्रमिकों की भर्ती की जाती थी।

नोट :

- इन्होंने 'सत्यमेव जयते' शब्द को लोकप्रिय बनाया। हालाँकि, यह वाक्यांश मूल रूप से मुंडको उपनिषद से लिया गया है।
- इन्हें रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा 'महामना' की उपाधि दी गई और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन ने इन्हें 'कर्मयोगी' का उपाधि दी थी।
- मालवीय जी ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर देवनागरी को ब्रिटिश-भारतीय न्यायालयों में प्रमुख स्थान दिलाया। इसे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है।
- जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये मदन मोहन मालवीय को ब्राह्मण समुदाय से निकाल दिया गया था।
- इन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढावा देने के लिये बहुत काम किया। मालवीय जी को सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रसिद्ध भाषण देने के लिये याद किया जाता है।
- इन्होंने वर्ष 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में अहम भूमिका निभाई की। जिसके द्वारा विभिन्न स्थानीय हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलनों को एक पटल पर लाने में आसानी हुई।
- मालवीय जी के द्वारा संपादित पत्र: हिंदी-भाषा साप्ताहिक अभ्युदय (1907), हिंदी मासिक पत्रिका मर्यादा (1910) तथा अंग्रेजी में दैनिक द लीडर (1909)
- इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया और इसके हिंदी संस्करण को भी प्रकाशित करने में मदद की।
- 12 नवंबर, 1946 को 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
- वर्ष 2014 में मालवीय जी को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस- 2019

24 दिसंबर, 2019 को उपभोक्ता आंदोलन के महत्त्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों तथा ज़िम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस (National Consumers Right Day) मनाया गया।

थीम:

- इस वर्ष उपभोक्ता दिवस की थीम- 'उपभोक्ता शिकायत/विवाद के समाधान की वैकल्पिक प्रणाली' (Alternate Consumer Grievance/Dispute Redressal') है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य उपभोक्ता आंदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उसके अधिकारों तथा ज़िम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करना है।

पृष्ठभूमि:

- 24 दिसम्बर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य खराब सामान, त्रुटिपूर्ण सेवाओं और अनुचित व्यापार परिपाटियों जैसे विभिन्न प्रकार के शोषण से उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को बदलने के लिये अगस्त 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया।
- इसके अतिरिक्त 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumers Right Day) के रूप में मनाया जाता हैं। इसकी घोषणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी (John F. Kennedy) द्वारा की गई थी, जिसमें चार मूलभूत अधिकार बताए गए हैं-
  - सुरक्षा का अधिकार
  - सूचना पाने का अधिकार
  - चुनने का अधिकार
  - सुनवाई का अधिकार

नोट :

ईट राइट मेला

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Minister of Health & Family Welfare) द्वारा दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम में ईट राइट मेले (Eat Right Mela) के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया।

- भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) द्वारा ईट राइट मेले का आयोजन किया जाता है।
  - यह नागरिकों को शुद्ध भोजन करने की दिशा में उन्हें प्रेरित करने के लिये एक प्रयास है। यह नागरिकों को विभिन्न प्रकार के भोजन के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित लाभों से अवगत कराने के लिये आयोजित किया जाता है।

मेले के विषय में:

- इस अवसर पर 'PURPLE Book' नामक एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। जो विभिन्न रोगों के लिए मुख्य आहार के दिशा-निर्देशों से संबंधित है-
  - यह पुस्तिका एक सरल प्रारूप में सामान्य चिकित्सा स्थितियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, आँत के विकार आदि के लिये उपयुक्त आहार पर अस्पतालों को सामान्य दिशा-निर्देश प्रदान करती है।
  - इसे भोजन एवं पोषण क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विकसित एवं निरीक्षित किया गया है।
- इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण हेतु वैज्ञानिक सहयोग के लिये एक नेटवर्क (Network for Scientific Co-operation for Food Safety and Applied Nutrition- NetSCoFAN) भी लॉन्च किया गया।
  - यह NetSCoFAN के दिशा-निर्देश के साथ-साथ खाद्य एवं पोषण के क्षेत्र में काम करने वाले अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों का एक नेटवर्क है जिसका कार्य प्रमुख निदेशकों एवं वैज्ञानिकों की विस्तृत जानकारी को कवर करना तथा इससे संबद्ध संस्थानों का नेतृत्व करना है।
  - इसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जैविक, रासायनिक, पोषण एवं लेबलिंग, पशुओं से संबंधित भोजन, पौधों से संबंधित भोजन, जल एवं पेय पदार्थ, खाद्य परीक्षण, और सुरक्षित एवं स्थायी पैकेजिंग जैसे संस्थानों के आठ समूह शामिल होंगे।
  - यह संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान अंतराल की पहचान करेगा और जोखिम मूल्यांकन गतिविधियों के लिये खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर डेटाबेस को इकट्ठा, एकत्र तथा विकसित करेगा।
- इस अवसर पर 'सेव फूड शेयर फूड' (Save Food Share Food) के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया।
  - इस संदर्भ में, इंडियन फूड शेयरिंग एलायंस (Indian Food Sharing Alliance- IFSA) खाने की बर्बादी तथा भुखमरी को कम करना, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना और भूखों को व्यवस्थित तरीके से अधिशेष भोजन देने की मांग करता है।

कलारिपयट्टु

हाल ही में केरल राज्य युवा कल्याण बोर्ड (Kerala State Youth Welfare Board) द्वारा युवा महिलाओं के आत्मविश्वास और मानसिक एवं शारीरिक शक्ति बढ़ाने हेतु 'कलारिपयट्टु' (Kalaripayattu) प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।

कलारिपयट्टु के विषय में:

- इसकी उत्पत्ति के संबंध में दो मत हैं, कुछ लोग केरल को इसका उत्पत्ति स्थल मानते हैं तथा कुछ पूरे दक्षिण भारत को इसका उत्पत्ति स्थल मानते हैं।
- कलारिपयट्टु दो शब्दों कलारि तथा पयट्टु से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ युद्ध की कला का अभ्यास होता है।
- ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में यह युद्ध शैली अगस्त्य ऋषि एवं भगवान् परशुराम द्वारा सिखाई जाती थी, इसके साथ ही इस युद्ध कला का वेदों में भी वर्णन मिलता है।
  - इसके अलावा इसका उल्लेख संगम साहित्य में भी मिलता है।
- प्राचीन समय में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चो को इस युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया जाता था।

नोट :

- केरल की मार्शल कला कलारिपयट्टु को विश्व में मार्शल कला का सर्वाधिक प्राचीन और वैज्ञानिक रूप माना जाता है।
- लड़ाई का 'कलारि याती' नामक प्रशिक्षण स्कूलों में दिया जाता है।
- इसकी शुरुआत शरीर की तेल मालिश से होती है इसके बाद चाट्टोम (कूद), ओट्टम (दौड़), मिरिचिल (कलाबाजी) आदि करतब दिखाए जाते हैं जिसके बाद भाला, कटार, तलवार, गदा,धनुष बाण जैसे हथियारों को चलाना सिखाया जाता है।

भारत में प्रचलित अन्य युद्धकलाएँ:

- सिलांबम (तमिलनाडु)
- मर्दानी (महाराष्ट्र)
- थांग-टा, सरित- साराक और छीबी गद-गा (मणिपुर)
- ठोडा (हिमाचल प्रदेश)
- मुष्टि युद्धकला (उत्तर प्रदेश)
- पारीकदा (पश्चिम बंगाल और बिहार)
- कथी सामू (आंध्र प्रदेश)
- गतका (पंजाब)
- पाईका अखाड़ा (ओडिशा)

बेलम गुफा महोत्सव

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में अवस्थित बेलम गुफाओं (Belum Caves) को लोकप्रिय बनाने के लिये बेलम गुफा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

महोत्सव के विषय में:

- इस महोत्सव का उद्देश्य लोगों को कुरनूल के इतिहास के बारे में जानकारी देना है।
- पाँच वर्षों के अंतराल के बाद ज़िले में आयोजित होने वाला यह पहला पर्यटन महोत्सव होगा।
- महोत्सव के लिये 'कंदनवोलू सम्बरालु' (Kandanavolu Sambaralu) नाम प्रस्तावित किया गया है यह कुरनूल का मूल नाम है।

बेलम गुफा के विषय में

- भारतीय उप-महाद्वीप में यह सबसे बड़ी गुफा प्रणाली और एक संरक्षित स्मारक है जिसमें जनता को प्रवेश की अनुमति है। इन्हें 'बेलम गुहलू' (Belum Guhalu) के नाम से भी जाना जाता है।
  - भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाएँ मेघालय में क्रेम लियत प्राहा गुफाएं (Krem Liat Prah caves) हैं।

निर्माण:

- ये गुफाएँ हज़ारों वर्ष पुरानी हैं तथा इनका विकास भूमिगत जल के निरंतर प्रवाह द्वारा हुआ है।

भौगोलिक विशेषताएँ:

- ये गुफाएं स्टैलेक्टाइट (Stalactite) और स्टैलेग्माईट (Stalagmite) संरचनाओं की तरह स्पेलोटेम (Speleothem) संरचनाओं के लिये प्रसिद्ध हैं।
  - स्पेलोटेम किसी गुफा में एकत्रित द्वितीयक खनिज भंडार हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- प्राचीन काल में इन गुफाओं पर जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था। बौद्ध-पूर्व युग से संबंधित 4500 वर्ष पुराने पात्र इनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करते हैं।

नोट :

स्नोएक्स

शीत ऋतु के दौरान हुई बर्फ बारी में जल की मात्रा का पता लगाने के लिये नासा (NASA) ने एक मौसमी अभियान शुरू किया है यह अभियान नासा के 5 वर्षीय कार्यक्रम स्नोएक्स (SnowEx) का हिस्सा है।

स्नोएक्स के विषय में:

- इसकी शुरुआत 2016-17 में की गई थी तथा इसका भौगोलिक केंद्र-बिंदु उत्तरी अमेरिका है जिसमें टुंड्रा (अल्पाइन या आर्कटिक), टैगा (बोरेल वन), वार्म (समशीतोष्ण) वन, समुद्री, प्रेयरी और अल्पायु (Ephemeral) जैसे जलवायु क्षेत्र शामिल हैं।

महत्त्व:

- स्नोएक्स 'अर्थ सिस्टम एक्सप्लोरर' (Earth System Explorer) अभियान के लिये रिमोट सेंसिंग और मॉडल की सहायता से विश्व के समग्र स्नो वाटर इक्वालैंट (Snow Water Equivalent- SWE) के मानचित्रण में सहायक होगा।
  - SWE एक सामान्य स्नो पैक्स (Snow Packs) माप है। अर्थात यह बर्फ के भीतर निहित पानी की मात्रा है।

कार्य:

- स्नोएक्स किसी भौगोलिक सीमा के भीतर कहाँ कितनी बर्फ गिरी है तथा इसकी विशेषताओं में परिवर्तन का आकलन करता है।
- आकलन करने के लिये एयरबोर्न मापन (Airborne Measurements), भू-आधारित मापन और कंप्यूटर मॉडलिंग (Computer Modelling) का उपयोग किया जाता है।
- एयरबोर्न माप में बर्फ की गहराई को मापने के लिये रडार और लिडार, SWE को मापने के लिये माइक्रोवेव रडार तथा रेडियोमीटर, सतह की तस्वीर लेने के लिये ऑप्टिकल कैमरे, सतह के तापमान को मापने के लिये अवरक्त रेडियोमीटर एवं बर्फ की सतह व संरचना के लिये हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजर्स का उपयोग किया जाता है।
- ग्राउंड टीमें बर्फ की गहराई, घनत्व, संचय परतों, तापमान, गीलापन और बर्फ के दाने के आकार को मापती हैं।
- इस वर्ष वास्तविक समय के लिये कंप्यूटर मॉडलिंग को भी अभियान में एकीकृत किया जाएगा।

पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.- DFCCIL) ने रेवाड़ी (हरियाणा) से मदार (राजस्थान) के बीच पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (Western Dedicated Freight Corridor- WDFC) का 300 किलोमीटर से अधिक का खंड व्यावसायिक परीक्षण के लिये खोला है।

यह निर्माणाधीन 1,500 किलोमीटर के पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर का पहला खंड है।

WDFC के विषय में:

- 1,504 किलोमीटर का पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू होकर देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट - जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई तक फैला हुआ है।
- यह कॉरिडोर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगा।
  - इसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति को ध्यान में रखते हुए बनाया है।

DFCCIL के विषय में:

- DFCCIL रेल मंत्रालय के अधीन एक 'विशेष प्रयोजन माध्यम' (Special Purpose Vehicle) संस्था है जिसे पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर और पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर (DFCs) को मिलाकर 3,306 किलोमीटर की योजना को पूरा करने का काम सौंपा गया है।

नोट :

राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान

राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान (National Institute of Mountaineering and Allied Sports-NIMAS) के दीरांग स्थित कर्मचारियों का एक साइक्लिंग अभियान दल 25 दिसंबर, 2019 को यांगो (म्यांमार) पहुंचा।

NIMAS के विषय में:

- NIMAS अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है तथा इस संस्थान ने 30 मई, 2013 से प्रभावी कार्य करना शुरू किया है।
- यह संस्थान भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण और अधीक्षण के तहत काम करता है।
- संस्थान में केंद्रीय और अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ सात सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल है।
- संस्थान के अध्यक्ष की भूमिका केंद्रीय रक्षा मंत्री तथा उपाध्यक्ष की भूमिका अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा निभाई जाती है।
- यह संस्थान न केवल राज्य में बल्कि भारत में भी अपनी तरह का पहला संस्थान है जो नागरिकों की विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के समाधान का अनुभव करने के साथ-साथ साहसिक खेलों में कैरियर बनाने का अवसर देता है।
- इसके अलावा यह संस्थान एक सतत् लक्ष्य के साथ स्थायी रोजगार के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।

एमसीएक्स इंडिया कमोडिटी इन्डिसीज़

देश के सबसे बड़े जिंस एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (Multi Commodity Exchange) ने इस मंच पर कारोबार किये जाने वाले जिंस वायदा अनुबंधों के आधार पर नए सूचकांकों की श्रृंखला MCX इंडिया कमोडिटी इन्डिसीज़ (MCX iCom-dex) जारी की है।

- एक आंतरिक अनुसंधान और विकास दल द्वारा विकसित यह सूचकांक सेबी और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमिशंस (International Organisation of Securities Commissions-IOSCO) के मानकों के अनुरूप है।
- नए सूचकांकों का यह नया सेट उस मौजूदा सेट का स्थान लेगा जिसे कुछ साल पहले थॉमसन रॉयटर्स के साथ मिलकर विकसित किया गया था।
- MCX iCOMDEX एक्सेस रिटर्न इंडेक्स हैं जो एक कंपोज़िट इंडेक्स, सेक्टोरल इंडेक्स और सिंगल कमोडिटी इंडेक्स से मिलकर बनते हैं।
- ये भौतिक वस्तुओं के बजाय आगामी निवेश सूची से उत्पन्न वास्तविक रिटर्न को दर्शाते हैं।
- अत्यधिक रिटर्न आधारित ट्रेडेबल इंडेक्स (Tradable Index) श्रृंखला होने के कारण MCX iComdex S&P GSCI और ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स (Bloomberg Commodity Index) जैसे वैश्विक बेंचमार्क सूचकांकों की रैंक में शामिल होता है, जिस पर कमोडिटी की कीमतों से रिटर्न ट्रैक करने वाले डेरिवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किये जा सकते हैं।
- MCX ने खंड और जिंस विशेष से संबंधित सूचकांक भी पेश किये हैं जिन्हें विनियामक द्वारा अनुमति दिये जाने पर कारोबार के लिये स्वीकृत किया जा सकता है। जब इन सूचकांकों पर उत्पादों (उदाहरण के लिये वायदा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF आदि) की शुरुआत की जाएगी, तब सभी वर्ग के निवेशक काफी कम लागत वाले तरीके से जिंस/जिंस खंडों तक अपनी पहुँच बना सकेंगे।

फ्लेमिंगो महोत्सव

जनवरी-2020 के पहले सप्ताह में पुलीकट झील के पास वार्षिक फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में स्थित पुलिकट झील समृद्ध जैव-विविधता एवं मछली, झींगे और प्लैंक्टन के उच्च बायोमास के लिये प्रसिद्ध है।
- प्रत्येक वर्ष लगभग 75 जलीय और स्थलीय पक्षी प्रजातियाँ इस क्षेत्र में प्रवास करने आती हैं।
- इस बार यहाँ ब्लैक-टेल्ड गॉडविट (Black-Tailed Godwit) और केंटिश प्लोवर (Kentish Plover) जैसे दुर्लभ प्रवासी पक्षी भी देखे जा रहे हैं।

नोट :

पुलिकट झील:

- यह चिल्का झील (ओडिशा) के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
- आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित इस झील का 96% भाग आंध्र प्रदेश एवं 4% भाग तमिलनाडु के अंतर्गत आता है।
- पुलिकट झील को तमिल भाषा में पजहवेर्कादु एरी कहा जाता है।
- बंगाल की खाड़ी से यह झील श्रीहरिकोटा द्वारा अलग होती है जो एक बैरियर द्वीप की तरह कार्य करता है।
- ग्रे पेलिकन (Grey Pelican), चित्रित सारस (Painted Stork) जैसे पक्षियों की प्रजातियाँ प्रत्येक वर्ष यहाँ आती हैं।
  - ग्रे पेलिकन (Grey Pelican) और चित्रित सारस (Painted Stork) दोनों को IUCN की लाल सूची में 'निकट संकटग्रस्त' (Near Threatened) श्रेणी में रखा गया है।

डल झील

'डल' झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। कश्मीरी भाषा में 'डल' का अर्थ- 'झील' होता है।

- यह कश्मीर में पर्यटन और मनोरंजन के लिये प्रसिद्ध है। इसे "कश्मीर का मुकुट" या "श्रीनगर का गहना" भी कहा जाता है।
- गौरतलब है कि यह जम्मू-कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। जम्मू-कश्मीर में ही स्थित वूलर झील जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ भारत की भी सबसे बड़ी झील है।
- 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई यह झील तीन दिशाओं से शंकराचार्य पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा है जिसमें तैरते बगीचे (floating Gardens) भी शामिल है
  - तैरते बगीचों (floating Gardens) को कश्मीरी भाषा में "राड" (Raad) के रूप में जाना जाता है जिनमें जुलाई और अगस्त के दौरान कमल के फूल खिलते हैं।
  - आद्रभूमि को चार बेसिनों में विभाजित किया जाता है; गगरीबल, लोकुट डल, बोड डल तथा नागिन। लोकुट डल और बोड डल, दोनों के केंद्र में द्वीप स्थित हैं, जिन्हें क्रमश: 'रूप लंक' (या चार चिनारी) और 'सोना लंक' के रूप में जाना जाता है।
- डल झील के प्रमुख आकर्षक हाउसबोट (शिकारे) हैं जो श्रीनगर में पर्यटकों को आवास भी प्रदान करते हैं।

खोंड जनजाति

खोंड जनजाति विशेष तौर पर ओडिशा राज्य की पहाड़ियों और जंगलों में निवास करती है।

- यह जनजाति कुई (Kui) (द्रविड़ भाषा) और इसकी दक्षिणी बोली कुवी (Kuwi) बोलती है।
- अधिकांश खोंड अब चावल की खेती करते हैं, लेकिन कुट्टिया खोंड जैसे कुछ समूह अभी भी झूम कृषि करते हैं।
- ओडिशा की नियामगिरी पहाड़ियों में डोंगरिया खोंड निवास करते हैं, जो 'विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह' (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs) है।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs):

- आदिवासी समूहों में PVTGs अधिक कमज़ोर हैं। वर्ष 1973 में धेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups-PTGs) को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया था ।
- वर्ष 2006 में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर PVTG कर दिया था।
- गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 75 सूचीबद्ध PVTGs में से सबसे अधिक संख्या ओडिशा में पाई जाती है।
- PVTGs की कुछ बुनियादी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
  - इनमें अधिकतर समरूपता पाई जाती है।
  - इनका शारीरिक कद अपेक्षाकृत अलग होता है।
  - इनकी कोई लिखित भाषा नहीं होती है।

नोट :

चीन, रूस और ईरान का संयुक्त नौसेना अभ्यास

चीन, रूस और ईरान ने अपनी नौ-सेनाओं के मध्य विनिमय एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिये 27- 30 दिसंबर, 2019 तक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया।

- यह अभ्यास चाबहार के दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर के पास ओमान की खाड़ी में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के जलमार्गों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

  उल्लेखनीय है कि चाबहार बंदरगाह को भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- यह संयुक्त अभ्यास तीनों देशों के बीच "सामान्य सैन्य सहयोग" का एक हिस्सा है।
- इस अभ्यास के दौरान चीन ने अपने निर्देशित-मिसाइल विध्वंसक (Guided-Missile Destroyer)- कैरिअर किलर (Carrier Killer) और लैंड-अटैक क्रूज़ मिसाइलों का प्रदर्शन किया।

टाइफून फानफोन

25 दिसंबर, 2019 को तेज़ हवाओं और भारी वर्षा के साथ टाइफून फानफोन (Typhoon Phanfone) फिलीपींस के तट से टकराया।

- टाइफून फानफोन (स्थानीय भाषा में उर्सुला) टाइफून कम्मुरी के बाद फिलीपींस के तट से टकराने वाला दूसरा टाइफून है।
- प्रशांत महासागर में स्थित फिलीपींस ऐसा पहला बड़ा भू-क्षेत्र है जो प्रशांत महासागरीय चक्रवात बेल्ट (Pacific Cyclone Belt) से उठने वाले चक्रवातों का सामना करता है।

टाइफून के बारे में:

- ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन सागर क्षेत्र में टाइफून कहते हैं।
- ज़्यादातर टाइफून जून से नवंबर के बीच आते हैं जो जापान, फिलीपींस और चीन जैसे देशों को प्रभावित करते हैं। दिसंबर से मई के बीच आने वाले टाइफूनों की संख्या कम ही होती है।
- उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवातों को 'हरिकेन', दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन में 'टाइफून' तथा दक्षिण-पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' कहा जाता है।

चक्रवात सराय

28 दिसंबर, 2019 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात सराय फिजी के तट से टकराया।

- यह श्रेणी दो का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो लगभग 10 किमी./घंटा की गति से पूर्व में टोंगा के जल क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है।

फिजी और टोंगा:

- फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में एक देश और द्वीपसमूह है। यह न्यूज़ीलैण्ड के आकलैण्ड से करीब 2000 किमी. उत्तर में स्थित है। इसके नज़दीकी पड़ोसी राष्ट्रों में पश्चिम में वनुआत, पूर्व में टोंगा और उत्तर में तुवालु हैं।
- टोंगा, आधिकारिक तौर पर टोंगा साम्राज्य (जिसे Friendly Islands भी कहा जाता है) दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह फिजी के पूर्व में अवस्थित है।

सैफिर-सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल (Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale):

- सैफिर-सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल में 1 से 5 तक रेटिंग होती है जो हरिकेन की गति पर आधारित होती है। यह स्केल संपत्ति के संभावित नुकसान का अनुमान लगाता है।

नोट :

श्रेणी	हवाओं की गति	हरिकेन से होने वाले नुकसान के प्रकार
1	119-153 किमी/घंटा	कुछ नुकसान
2	154-177 किमी/घंटा	व्यापक नुकसान
3 (गंभीर)	178-208 किमी/घंटा	विनाशकारी क्षति
4 (गंभीर)	209-251 किमी/घंटा	प्रलयकारी नुकसान
5 (गंभीर)	252 किमी / घंटा या अधिक	प्रलयकारी नुकसान

लाल रेत बोआ सांप

हाल ही में मध्य प्रदेश में एक लाल रेत बोआ साँप (Red Sand Boa Snake) को तस्करों से बचाया गया जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रूपए बताई जा रही है।

मुख्य बिंदु:

- इसका वैज्ञानिक नाम- एरिक्स जॉनी (Eryx Johnii) है।
- यह एक दुर्लभ गैर-जहरीला साँप है। इसका उपयोग विशेष प्रकार की दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और काले जादू में किया जाता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अधिक मांग है।
- यह उत्तरी बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और भारतीय द्वीपों को छोड़कर पूरे भारत में पाया जाता है।
- आमतौर पर इसे 'दो मुँह वाला सांप ' या 'दो सिर वाला सांप' (Two-Headed Snake) के रुप में जाना जाता है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत लाल रेत बोआ सांप को पकड़ना और इसका व्यापार करना अपराध है। यह प्रजाति अधिनियम की अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध है।
- यह प्रजाति CITES परिशिष्ट II में सूचीबद्ध है।

ब्रह्मोस मिसाइल

भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के नवीनतम संस्करण के दो सफल परीक्षण (भूमि और वायु से) किये हैं।

उद्देश्य:

इसका उद्देश्य ब्रह्मोस मिसाइल को नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ तकनीकी रुप से उन्नत बनाना है।

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में:

- ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम ने तैयार किया है।
- इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।
- यह एक क्रूज़ मिसाइल है किंतु जब इसकी गति 2.8 मैक होती है अर्थात् इसकी मारक क्षमता ध्वनि की गति से भी तीन गुना अधिक होती है, तो यह एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल कहलाती है।
- इसकी वास्तविक रेंज 290 किलोमीटर है परंतु लड़ाकू विमान से दागे जाने पर यह लगभग 400 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। भविष्य में इसे 600 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है।
- इसकी लक्ष्य भेदन क्षमता अचूक है, इसलिये इसे 'दागो और भूल जाओ' (Fire and Forget) मिसाइल भी कहा जाता है। यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है।
- इसे पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट, हवा और ज़मीन से दागा जा सकता है।
- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के पहले संस्करण को वर्ष 2005 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
  इस मिसाइल का हाइपरसोनिक संस्करण विकसित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी गति लगभग 5 मैक से अधिक होगी।

नोट :

तेलंगाना औद्योगिक स्वास्थ्य क्लिनिक

सूक्ष्म और लघु विनिर्माण उद्यमों (Micro and Small Manufacturing Enterprises- MSMEs) को उनकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति से बचाने के लिये तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना औद्योगिक स्वास्थ्य क्लिनिक लिमिटेड (Telangana Industrial Health Clinic Ltd.-TIHCL) नामक एक पहल शुरू की थी।

प्रमुख बिंदु:

- इसे एक फिनटेक (Fintech-Financial Technology) के रूप में वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था जो गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (Non-Banking Finance Company-NBFC) के अंतर्गत आती है।
- इसे तेलंगाना सरकार और तेलंगाना औद्योगिक विकास निगम (Telangana Industrial Development Corporation-TSIDC) द्वारा मिलकर स्थापित किया गया है।

उद्देश्य:

- उत्तरदायी परामर्श जैसी सेवाओं के माध्यम से सूक्ष्म और लघु विनिर्माण उद्यमों की स्थिति में सुधार लाना।
- बेहतर अनुपालन मानकों द्वारा सूक्ष्म और लघु विनिर्माण उद्यमों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना।
- एक स्थायी कामकाजी वातावरण का समर्थन और संवर्द्धन करना।
- सूक्ष्म और लघु विनिर्माण उद्यमों के क्रेताओं द्वारा शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने में भूमिका निभाना।
- इक्विटी प्लेटफार्मों जैसे-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में क्षमताशील सूक्ष्म और लघु विनिर्माण उद्यमों को बढ़ावा देना।

बांधवगढ़ रिज़र्व फॉरेस्ट

मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में पहली बार हाथियों की एक बस्ती मिली है।

बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व (Bandhavgarh Tiger Reserve):

- इसे वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के तहत वर्ष 1993 में इसे एक बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया।
- भौगोलिक रुप से यह मध्य प्रदेश की सुदूर उत्तर-पूर्वी सीमा और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तरी किनारे पर स्थित है।
- वर्ष 2019 की बाघ जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश में 526 बाघ (सबसे अधिक) दर्ज किये गए थे।

नोट:

- हाथी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972 की अनुसूची-1 के तहत सूचीबद्ध एक प्रजाति है।
- भारत में एशियाई हाथियों की 50% आबादी पाई जाती है और वर्ष 2017 की हाथी जनगणना के अनुसार, देश में कुल 27,312 हाथी हैं जो वर्ष 2012 की जनगणना से लगभग 3,000 कम हैं।

नोट :

विविध

विश्व एड्स दिवस

दुनियाभर में जानलेवा रोग एड्स (AIDS-Acquire Immuno Deficiency Syndrome) के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस का आयोजन किया जाता है। यह HIV (Human Immunodeficiency Virus) संक्रमण से होने वाला रोग है। विश्व एड्स दिवस 2019 की थीम- कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस (Communities Make the Difference) है। सरकार इसकी रोकथाम के लिये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत रोकथाम, परीक्षण और उपचार की त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई जाती है। वर्ष 2030 तक एड्स के खात्मे का सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने के लिये सरकार ने वर्ष 2017 से वर्ष 2024 तक सात वर्षीय राष्ट्रीय कार्य नीति योजना भी तैयार की है। इसके अलावा सरकार ने नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (NACO) भी बनाया है।

विदित है कि भारत में वर्ष 1986 में एड्स का पहला मामला सामने आया था। सभी के संगठित प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में HIV/AIDS के नए मामलों में लगभग 90 प्रतिशत तक की कमी आई है। वर्ष 2017 के आँकड़ों के अनुसार देश में 21 लाख 40 हज़ार लोग एड्स के ग्रस्त हैं।

सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस

प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल (BSF-Border Security Force) अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस वर्ष BSF अपना 55वाँ स्थापना दिवस मना रहा है। घुसपैठ, तस्करी और सैन्य हमलों के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के विशेष उद्देश्य के मद्देनज़र वर्ष 1965 में BSF की स्थापना की गई थी। BSF भारत का सबसे प्रमुख अर्द्धसैनिक बल है। इस समय BSF की 188 बटालियन में लगभग 2.57 लाख से ज्यादा कर्मी तैनात है, जिनका मुख्य उद्देश्य देश की 6,385 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना हैं। इधर BSF का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, सीमाओं की सुरक्षा के अलावा देश की आंतरिक समस्याओं से निपटने में भी इस बल का इस्तेमाल होता रहा है; नक्सल विरोधी अभियानों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा BSF प्राकृतिक आपदाओं और संकट की स्थिति के दौरान नागरिकों की सहायता करता है। BSF गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

उ.प्र. का जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

राज्य के गौतमबुद्ध नगर जनपद में बनने वाले देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जेवर को बनाने का ठेका ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को मिला है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। अभी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमानों का संचालन हो रहा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्तावित जेवर हवाई अड्डे की दूरी 80 किलोमीटर है। यह एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेस-वे के जेवर टोल प्लाजा से काफी नज़दीक होगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों और विमानों की संख्या का दबाव कम होगा। इस हवाई अड्डे को बनाने के लिये चार कंपनियों ने बोली लगाई थी, जिसमें अडानी समूह, एनकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) शामिल थे। जेवर हवाई अड्डे का नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। जेवर हवाई अड्डों का क्षेत्रफल लगभग 5,000 हेक्टेयर होगा। इसके निर्माण में 29,560 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। पूरी तरह बन जाने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इस पर छह से आठ रनवे होंगे जो भारत में स्थित सभी हवाई अड्डों में सबसे ज्यादा होंगे। हवाई अड्डे का पहला चरण 1,334 हेक्टेयर में फैला होगा और इस पर 4,588 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका पहला चरण वर्ष 2023 में पूरा होने की उम्मीद है।

नोट :

हरित फिल्मोत्सव

हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण पर लघु फिल्म प्रतियोगिता के पुरस्कार प्रदान किये। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में विद्यार्थियों और पेशेवर फिल्मकारों को उनकी फिल्मों और वृत्तचित्रों के लिये पुरस्कार दिये गए। चार दिन के हरित फिल्मोत्सव में चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। 10वें सीएमएस वातावरण फिल्म महोत्सव में 90 फिल्मों को निर्णायक समिति के समक्ष स्क्रीनिंग के लिये चयनित किया गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से आयोजित इस 'हरित फिल्म महोत्सव' में भारत के साथ-साथ स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, कनाडा, नेपाल, अर्जेंटीना, अमेरिका, नीदरलैंड, ईरान, इज़रायल, नॉर्वे, जर्मनी और न्यूज़ीलैंड शामिल हैं। गौरतलब है कि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस वर्ष जून में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरित फिल्मोत्सव की घोषणा की थी।

सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट

लखनऊ में खेले गए सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के सौरभ शर्मा को विश्व के 22वें नंबर के चीनी खिलाड़ी ताइपे के वांग जु वेई ने 21-15, 21-17 से हराकर पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया। सौरभ शर्मा को विश्व में 36वीं वरीयता प्राप्त है। सौरभ शर्मा ने इस साल बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए तीन खिताब जीते हैं। इनमें स्लोवेनिया इंटरनेशनल चैलेंजर, हैदराबाद ओपन सुपर 100 और वियतनाम ओपन शामिल हैं। महिला वर्ग में रियो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता स्पेन कैरोलिना मारिन ने चौथी वरीयता प्राप्त थाइलैंड की फितायापोन चाइवान को हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।

ध्यातव्य है कि सैयद मोदी 1980 में भारतीय बैडमिंटन जगत के प्रमुख खिलाड़ी रहे। वर्ष 1980 से 1987 तक वे नेशनल चैंपियन रहे तथा कई अंतर्राष्ट्रीय खिताबों के अलावा वर्ष 1982 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने एकल खिताब जीता। 28 जुलाई 1988 को लखनऊ में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई।

मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी

कर्नाटक ने बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु को एक रन से मात देकर लगातार दूसरी बार सैयद मुश्ताक टी-20 टूर्नामेंट ट्रॉफी जीत ली है। कर्नाटक ने पहले पाँच विकेट पर 180 रन बनाए और फिर तमिलनाडु को छह विकेट पर 179 रन पर रोक दिया। विदित है कि इससे पहले इसी वर्ष अक्तूबर में कर्नाटक ने तमिलनाडु को 60 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी पर भी कब्जा किया था। भारतीय घरेलू क्रिकेट में यह पहला मौका था जब विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में खेलने वाले दोनों टीमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी आमने-सामने थीं।

मुश्ताक अली 1930-40 के दशक में भारतीय टीम के सदस्य थे। वे पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने विदेशी धरती (1936 में इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड में 112 रन) पर शतक जमाया था।

अग्नि-3 का रात में पहली बार सफल प्रक्षेपण

परमाणु क्षमता से लैस सतह-से-सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का 30 नवंबर को पहली बार रात में परीक्षण हुआ। अग्नि 3 का यह नाइट ट्रायल सफल रहा। ओडिशा के बालासोर तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से रात 7 बजकर 20 मिनट पर मिसाइल का परीक्षण किया गया। अग्नि-3 जो पहले से ही सेना का हिस्सा है, का पहली बार रात को सफल परीक्षण किया गया। विदित हो कि इसका परीक्षण इंडियन आर्मी की स्ट्रैटजिक कमांड फोर्स ने किया और DRDO ने इसे लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान किया। रात को भी दुश्मन को ढेर कर देने वाली अग्नि-3 की सबसे बड़ी खासियत इसकी मारक क्षमता है। यह मिसाइल 3500 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है। अग्नि-3 का वज़न करीब 50 टन, लंबाई 17 मीटर, व्यास 2 मीटर है और यह डेढ़ टन तक परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। अग्नि-3 हाइब्रिड नेविगेशन से लैस है और इसमें उन्नत ऑन-बोर्ड, कंप्यूटर कंट्रोल पैनल के साथ जुड़ा हुआ है।

सोमा रॉय बर्मन

1986 बैच की भारतीय नागरिक लेखा सेवा (आईसीएएस) अधिकारी सोमा रॉय बर्मन ने अकाउंट कंट्रोलर (CGA) में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार संभाल लिया। वे 24वीं लेखा महानियंत्रक हैं और इस पद को संभालने वाली सातवीं महिला हैं। उन्होंने अपने 33 साल के लंबे करियर के दौरान, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण, उद्योग, वित्त, मानव संसाधन विकास और नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

नोट :

आदि मंत्रालयों में विभिन्न स्तरों पर कैडर पदों पर कार्य किया है। उन्होंने केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) के मुख्य नियंत्रक (पेंशन) और सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान (आईएनजीएएफ), नई दिल्ली में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। CGA का प्रभार संभालने से पहले सोमा रॉय बर्मन ने लेखा नियम, नीति और सुधार, वित्तीय रिपोर्टिंग, डेटा विश्लेषिकी, नकद और बजट प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को संभालते हुए CGA कार्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्य किया।

हरिमोहन

हरिमोहन ने 1 दिसंबर से ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने सौरभ कुमार की जगह ली है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 1982 बैच के ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड सेवा (IOFS) के अधिकारी हरिमोहन ने अपने 39 साल लंबे करियर में ऑर्डिनेंस से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इसके अलावा उन्हें बख्तरबंद वाहनों, आर्टिलरी, टैंक और गोला बारूद, लघु हथियार गोला बारूद, परियोजना प्रबंधन एवं कॉर्पोरेट प्रशासन के निर्माण के क्षेत्र में विविध अनुभव प्राप्त हैं। उन्होंने अजमेरा टैंक, एमबीटी अर्जुन, ब्रिज लेयर और ट्रैवल्स टैंक जैसे आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के उत्पादन को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

भास्कर मेनन

वरिष्ठ पत्रकार भास्कर मेनन का 1 दिसंबर को निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। वह PTI न्यूज़ एजेंसी में उप-संपादक के तौर पर शामिल हुए थे और तरक्की पाते हुए PTI के क्षेत्रीय ब्यूरो प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने कई प्रमुख घटनाओं की रिपोर्टिंग की, जिनमें राजीव गांधी हत्याकांड भी शामिल है। सेवानिवृत्ति के बाद भी कई वर्षों तक वह पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे।

लियोन मेसी को मिला बैलन डि ओर अवार्ड: अर्जेंटीना के दिग्गज स्ट्राइकर लियोन मेसी ने छठी बार प्रतिष्ठित बैलन डि ओर अवार्ड (Ballon d'or) अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है। मेसी विश्व में सबसे ज़्यादा बार इस खिताब को जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में लियोन मेसी ने दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़' दिया है। विदित है कि फ्राँस फुटबॉल मैगज़ीन द्वारा दिये जाने वाले इस अवार्ड के लिये विश्व के 30 खिलाड़ियों को नामित किया था, जिसमें अर्जेंटीना के लियोन मेसी और जुवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लिवरपूल के विर्गिल वान डिज्क का नाम भी शामिल था।

भारतीय पोषण एंथेम: मंगलवार को उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने ''भारतीय पोषण एंथेम'' की शुरुआत की जिसका उद्देश्य भारत को वर्ष 2022 तक कुपोषण से मुक्त करना है। गौरतलब है कि इस गान (एंथेम) की अवधारणा का सुझाव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया गया था। इसे मशहूर गीतकार प्रसून जोशी ने लिखा है और शंकर महादेवन ने आवाज़ दी है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मार्च 2018 में 'पोषण अभियान मिशन' की शुरुआत की थी जिसका उद्देश्य भारत को 2022 तक कुपोषण मुक्त करना है। इसका लक्ष्य गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों का पर्याप्त पोषण और संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है।

अल्फाबेट की ज़िम्मेदारी भी संभालेंगे सुंदर पिचाई: सुंदर पिचाई की कहानी में सफलता एक और किस्सा जुड़ गया है। अब तक वो सिर्फ गूगल के सीईओ थे, लेकिन नए ऐलान के बाद सुंदर पिचाई अल्फाबेट (Alphabet) के भी सीईओ बन गए हैं। गौरतलब है कि गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट है जिसके अंतर्गत गूगल के सभी प्रोडक्ट्स और सर्विस आते हैं। गूगल के दोनों फाउंडर्स सेर्गे ब्रिन और लार्री पेज अब अपना पद छोड़ रहे हैं। हालाँकि ये दोनों को-फाउंडर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पर कंपनी के साथ बने रहेंगे।

बॉब विलिस: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और तेज़ गेंदबाज़ बॉब विलिस का 4 दिसंबर, 2019 को निधन हो गया। विदित है बॉब विलिस 70 साल के थे। अपने समय के बेहतरीन तेज़ गेंदबाज़ो में शुमार रहे बॉब विलिस को चिर प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ष 1981 की एशेज सीरिज़ में उनके शानदार प्रदर्शन के लिये याद किया जाता है। बॉब विलिस ने अपने करियर में इंग्लैंड टीम के लिये कुल 90 टेस्ट मैच खेले थे, जो कि किसी भी खिलाड़ी के लिये एक बड़ा आँकड़ा है। इन टेस्ट मैचों में बॉब विलिस ने कुल 325 विकेट अपने नाम किये थे।

कमला हैरिस: कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक सांसद भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अगले साल राष्ट्रपति पद के लिये होने वाले चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। उल्लेखनीय है कि हाल के सप्ताहों में हुए एग्जिट पोल में उनका प्रदर्शन खराब बताया जा रहा था। 2 दिसंबर, 2019

नोट :

को जारी एक नये एग्जिट पोल में उनकी रेटिंग घटकर मात्र तीन प्रतिशत रह गई जो दिखाता है कि उनका अभियान आगे बढ़ने के लिये संघर्ष कर रहा है। हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की पहली बड़ी नेता थीं जिन्होंने जनवरी, 2018 में राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल होने की घोषणा की थी। उस समय कार्यक्रम में 20,000 से अधिक समर्थक शामिल हुए थे।

अंतर्राष्ट्रीय वालंटियर दिवस: संपूर्ण विश्व में 05 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस'/अंतर्राष्ट्रीय वालंटियर दिवस मनाया जाता है। गौरतलब है कि यह दिन उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करने हेतु मनाया जाता है जो बिना किसी मौद्रिक लाभ के मुफ्त में काम कर रहे हैं और अन्य लोगों की सहायता करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2019 का मुख्य विषय- 'वालंटियर फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर (Volunteer for an inclusive future)' है। यह दिवस स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर परिवर्तन करने में लोगों की भागीदारी के सम्मान का एक वैश्विक उत्सव है।

बाबा साहब अंबेडकर की 63वीं पुण्यतिथि: प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को संविधान निर्माता और समाज सुधारक डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में बाबा साहब की 63वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उन्होंने 6 दिसंबर, 1956 को अंतिम सांस ली थी और इसीलिये आज के दिन को 'परिनिर्वाण दिवस' के रूप में मनाया जाता है। अंबेडकर दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिये जीवन भर संघर्ष करते रहे और उन्होंने सामाजिक छुआ-छूत और जातिवाद के खात्मे के लिये काफी आंदोलन किये। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, दलितों और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये न्योछावर कर दिया। 14 अप्रैल, 1891 को मध्यप्रदेश के छोटे से गाँव महू में जन्मे डॉ. अंबेडकर अपने माता-पिता की चौदहवीं संतान थे। अंबेडकर ने 14 अक्तूबर 1956 को नागपुर में एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया. इस समारोह में उन्होंने श्रीलंका के महान बौद्ध भिक्षु महत्थवीर चंद्रमणी से पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया।

डैनी काये ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ की ओर से 'डैनी काये ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है। प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित समारोह 'यूनिसेफ स्नो फ्लेक बॉल' में यह पुरस्कार ग्रहण किया। ध्यातव्य है कि इस पुरस्कार की घोषणा जून में की गई थी और यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंड ने प्रियंका को इस अवॉर्ड के लिये नॉमिनेट किया था। गौरतलब है कि प्रियंका कई सालों तक यूनिसेफ की गुडविल एंबेसडर भी रही हैं। डैनी काये ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड एक अमेरिकी अभिनेता और समाज सेवक डैनी काये के नाम पर रखा गया है, जो यूनिसेफ के पहले सद्भावना दूत थे।

निर्भया फंड से बनेगी महिला हेल्प डेस्क: केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिये बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिये 'निर्भया फंड' से 100 करोड़ रुपए मंज़ूर किये हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से सभी थानों में महिला सहायता डेस्क और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके लिये 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था।

अवंती मेगा फूड पार्क: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को मध्यप्रदेश के देवास में 52 एकड़ में फैले अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिये किसान अपनी उपज में मूल्य वृद्धि करके अपनी आमदनी को दोगुना करने में सफल हो सकता है। केंद्र सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मज़बूती प्रदान कर रही है, ताकि किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य मिल सके और उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस: हर साल 7 दिसंबर को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 7 दिसंबर, 1949 को मनाया गया था। यह दिवस को भारतीय सैनिकों, जल सैनिकों तथा वायुसैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है। झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण के लिये लोगों से धन जुटाया जाता है तथा इस धन का उपयोग सेवारत सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये किया जाता है।

सर्वश्रेष्ठ थानों की सूची: गृहमंत्रालय ने देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 10 पुलिस थानों की सूची जारी की है। इस सूची में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अबरडीन पुलिस थाना संपत्ति विवाद, महिलाओं और कमज़ोर वर्ग के लोगों के खिलाफ अपराध से निपटने के मामलों में पहले स्थान पर है। देश में हज़ारों पुलिस थानों में से चयनित अधिकांश थाने छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। देश के 15 हज़ार पाँच सौ पुलिस थानों में से 10 पुलिस थानों की रैंकिंग डाटा विश्लेषण, प्रत्यक्ष निरीक्षण और जनता के फीडबैक के आधार पर की गई है।

नोट :

चयनित थानों की सूची			
रैंकिंग	थाना	जिला	राज्य
1.	अबेरदीन	अंडमान	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
2.	बालासिनोर	माहीसागर	गुजरात
3.	एजेके बुरहानपुर	बुरहानपुर	मध्य प्रदेश
4.	एडब्ल्यूपीएस थेनी	थेनी	तमिलनाडु
5.	अनिनि	दिबांग घाटी	अरुणाचल प्रदेश
6.	बाबा हरिदास नगर, द्वारका	दक्षिण-पश्चिम ज़िला	दिल्ली
7.	बकानी	झालावाड़	राजस्थान
8.	चोप्पाडंडी(एम)	करीमनगर	तेलंगाना
9.	बिकोलीम	उत्तर गोवा	गोवा
10.	बरगावा	शिवपुर	मध्य प्रदेश

- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गुजरात के कच्छ में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह निर्देश दिया था कि फीडबैक के आधार पर थानों की ग्रेडिंग और उनके कार्य के आकलन के लिये मानक तैयार किये जाने चाहिये।

8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फोटो प्रभाग, प्रेस सूचना ब्यूरो ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों के लिये प्रविष्टियाँ आमंत्रित की हैं। फोटो प्रभाग हर साल फोटोग्राफी के माध्यम से कला, संस्कृति, विकास, विरासत, इतिहास, जीवन, लोक, समाज और परंपरा जैसे देश के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने के लिये और पेशेवर और एमेच्योर (Amateur) फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने के लिये ये पुरस्कार प्रदान करता है।

राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिये जाते है:

1. लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड: इस पुरस्कार के तहत 3,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है।
2. व्यावसायिक फोटोग्राफ़रों के लिये पुरस्कार: व्यावसायिक श्रेणी के तहत एक 'प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर' पुरस्कार (1,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार) तथा पाँच विशेष उल्लेख पुरस्कार (प्रत्येक को 50,000 रुपए नकद) दिये जाते हैं। व्यावसायिक फोटोग्राफरों के लिये इस वर्ष की थीम 'जीवन और जल' है।
3. एमेच्योर फ़ोटोग्राफ़र के लिये पुरस्कार: इस श्रेणी के तहत एक 'एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर' पुरस्कार (75,000 रुपए के नकद) और पाँच विशेष उल्लेख पुरस्कार (प्रत्येक को 30,000 रुपए नकद) दिये जाते हैं। एमेच्योर फोटोग्राफरों के लिये इस वर्ष की थीम 'भारत की सांस्कृतिक विरासत' है।

राष्ट्रीय आयुष ग्रिड

आयुष मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों के परामर्श से आयुष ग्रिड परियोजना के घटकों को अंतिम रूप दे दिया है। आयुष ग्रिड परियोजना के लिये परियोजना प्रबंधन परामर्श की ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है और प्रक्रिया के जरिये योग्य एजेंसी का चयन कर लिया गया है। आयुष ग्रिड की परिकल्पना आयुष क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए एक व्यापक आईटी आधार के रूप में की गई है। आयुष मंत्रालय ने आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, योगा लोकेटर एप्लीकेशन, टेलिमेडिसिन, योगा पोर्टल, आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रशिक्षण, आयुष प्रोफेशनल्स के लिये आईटी कोर्स इत्यादि जैसी विभिन्न पायलट परियोजनाओं को आरंभ किया है, पायलट अवधि की पूर्णता के बाद इनका विलय आयुष ग्रिड योजना में कर दिया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड परियोजना में तकनीकी सहायता के लिये इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये हैं। विदित हो कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग को संक्षिप्त में आयुष कहा जाता है।

नोट :

सुपर 30-आनंद कुमार

पटना स्थित सुपर 30 के जाने-माने गणितज्ञ आनंद कुमार को जनवरी में अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किये जाने वाले भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के लिये आमंत्रित किया गया है। यह कार्यक्रम अप्रवासी भारतीयों का एक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन (FIA) आयोजित कर रहा है, जो वर्ष 2020 में अपनी स्थापना के 50 साल पूरे कर रहा है। हाल ही में सुपर 30 फिल्म अमेरिका में रिलीज़ हुई और लोग उनसे मिलना चाहते हैं। यह फिल्म जुलाई 2019 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें उनकी जिंदगी के उतार-चढ़ाव से लेकर उनकी उपलब्धियों तक को दिखाया गया था। ध्यातव्य है कि आनंद कुमार सुपर 30 की अवधारणा के तहत समाज के वंचित वर्ग के 30 छात्रों को सालाना मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि इया प्रतिष्ठित IIT की प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें। उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में वर्ष 2002 में सुपर 30 की शुरुआत की थी। 2018 तक उनके द्वारा पढ़ाए गए 481 में से 422 विद्यार्थियों ने IIT की प्रवेश परीक्षा पास की थी। डिस्कवरी चैनल ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है।

एशियाई अकादमी क्रिएटिव अवाड्र्स

ज़ोया अख्तर के निर्देशन में बनी फिल्म 'गली बॉय' को एशियाई अकादमी क्रिएटिव अवाड्र्स में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले फिल्म को 92वें ऑस्कर अकादमी अवाड्र्स के लिये भी नामांकन किया गया है। इसमें अभिनेता रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने प्रमुख भूमिकाएँ अदा की हैं। स्लम रैपर्स की कहानी पर आधारित यह फिल्म इस साल की क्लासिक फिल्मों में से एक बन गई है। यह फिल्म इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में 'बेस्ट फिल्म' का पुरस्कार भी जीत चुकी है और जल्द ही इसे जापान में रिलीज़ किया जाएगा। गौरतलब है कि 'गली बॉय' देश में 14 फरवरी, 2019 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के अलावा नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ 'दिल्ली क्राइम' को एशियाई अकादमी क्रिएटिव अवाड्र्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का खिताब मिला है।

हैंड-इन-हैंड सैन्याभ्यास

भारत और चीन के बीच हैंड-इन-हैंड नामक वार्षिक संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन मेघालय के शिलॉन्ग में उमरोई में 7 दिसंबर को शुरू हुआ जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों से 130 से अधिक सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समन्वय में वृद्धि होगी। इस दौरान आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के लिये भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

गौरतलब है कि इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2007 में चीन के कुनमिंग में हुई थी। इसके दूसरे संस्करण का आयोजन भारत में कर्नाटक के बेलगाम में किया गया था, लेकिन उसके बाद इस अभ्यास का आयोजन बंद कर दिया गया। पाँच साल बाद वर्ष 2013 में इसका आयोजन पुन: आरंभ हुआ। हैंड-इन-हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास, 2019 इस अभ्यास का आठवाँ संस्करण है। डोकलाम विवाद के चलते वर्ष 2017 में इसका आयोजन नहीं हुआ था था। वर्ष 2018 में इस अभ्यास का आयोजन चीन के चेंगदू में किया गया था।

गोल्डन टारगेट अवॉर्ड

भारत की युवा निशानेबाज़ एलावेनिल वालारिवान (Elavenil Valrivan) को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज़ी महासंघ (ISSF) ने वर्ष 2019 में 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्द्धा में उनके शानदार प्रदर्शन के लिये गोल्डन टारगेट अवॉर्ड से नवाज़ा है। उन्होंने वर्ष 2019 सत्र में विश्वकप में दो स्वर्ण पदक जीते और नंबर-1 बनने वाली एकमात्र भारतीय रहीं। उन्होंने चीन में ISSF विश्वकप फाइनल्स और रियो में ISSF विश्वकप में स्वर्ण पदक जीते। उन्हें म्यूनिख ISSF विश्वकप में चौथा स्थान मिला। उनके अलावा जयपुर के राइफल शूटर दिव्यांश सिंह पंवार को भी गोल्डन टारगेट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। दुनिया का नंबर-1 निशानेबाज़ बनने पर उन्हें यह अवॉर्ड दिया गया। उल्लेखनीय है कि दिव्यांश ने हाल ही में वर्ल्ड कप फाइनल में दो स्वर्ण पदक जीते थे। पहला 10 मीटर एयर राइफल इंडीविज़ुअल में और दूसरा, मिक्स्ड इवेंट में। इन दोनों के साथ सौरभ चौधरी (10 मीटर एयर पिस्टल) भी दुनिया में नंबर-1 निशानेबाज़ बन गए हैं। पिछले 10 महीने में सौरभ ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्हें भी गोल्डन टारगेट अवॉर्ड से नवाज़ा गया। यह सम्मान समारोह जर्मनी के म्युनिख में आयोजित किया गया था।

नोट :

वन धन विकास केंद्र

आदिवासी समाज के सशक्तीकरण के लिये आरंभ की गई 'प्रधानमंत्री वन धन योजना' के पहले 100 दिनों में 18 राज्यों में 676 वन धन विकास केंद्र खोलने को मंज़ूरी दी गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वन धन योजना की शुरुआत इसी वर्ष 27 अगस्त को की थी और इसके क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी ट्राईफेड को सौंपी गई। (ट्राईफेड के बारे में अधिक जानकारी के लिये दृष्टि की वेबसाइट पर महत्त्वपूर्ण संस्थान/संगठन का अवलोकन करें)। वन धन विकास केंद्रों के लिये अभी तक 99.81 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है। अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष 3000 वन धन केंद्र खोलने की योजना तैयार की गई है। इनके दायरे में लगभग 45 लाख आदिवासी परिवार और दो करोड़ लोग होंगे। इन केंद्रों के ज़रिये तैयार होने वाले हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर में फैले 117 'ट्राइब्स इंडिया' स्टोर के माध्यम से बेचा जाएगा। इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासी स्व-सहायता समूहों का गठन किया जा रहा हैं जो एक कंपनी के रूप में विकसित होंगे।

मिस यूनिवर्स

दक्षिण अफ्रीका की ज़ोज़िबिनी टूंजी (Zozibini Tunzi) ने वर्ष 2019 का मिस यूनिवर्स खिताब जीत है। 68वें मिस यूनिवर्स समारोह का आयोजन अमेरिका के अटलांटा में किया गया। भारत की वर्तिका सिंह टॉप-10 में जगह नहीं बना पाई। वर्ष 2018 की मिस यूनिवर्स फिलीपींस की कैट्रिओना ग्रे (Catriona Gray) ने विजेता और रनर-अप के नामों की घोषणा की। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर प्यूर्टो रिको की मैडिसन एंडरसन (Madison Anderson) तथा तीसरे स्थान पर मेक्सिको की सोफिया अरागोन (Sofia Aragon) रहीं। ध्यातव्य है कि भारत के लिये पहली बार यह खिताब वर्ष 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था। उनके बाद वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने भारत के लिये यह खिताब जीता।

सना मरीन

फिनलैंड की सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिये 34 वर्षीय पूर्व परिवहन मंत्री सना मरीन (Sanna Marin) को चुना। इसी के साथ वह विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। मरीन ने मतदान मंa विजय हासिल कर निवर्तमान नेता एंटी रिने का स्थान लिया, जिन्होंने डाक हड़ताल से निपटने के मामले में गठबंधन सहयोगी सेंटर पार्टी का विश्वास खोने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि मरीन के अलावा न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डेन की आयु 39 वर्ष, यूक्रेन के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होन्चारुक की आयु 35 वर्ष और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन की आयु 35 वर्ष है।

फिनलैंड उत्तरी यूरोप के फेनोस्केनेडियन क्षेत्र में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे से लगती है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है।

उत्तर प्रदेश में काऊ सफारी

उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के खतरे से बचने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार गाय (Cow) सफारी शुरू करने की योजना बना रही है। राज्य के डेयरी विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने उत्तर प्रदेश में काऊ सफारी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। अधिकारियों से उन ज़मीनों की पहचान करने को कहा गया है, जहाँ आवारा पशुओं को खुलेआम घूमने की अनुमति दी जा सकती है। इन क्षेत्रों को बाद में सफारी के रूप में विकसित किया जा सकता है। जैसे मथुरा में एक जगह पर मवेशी रखे जाते हैं, लेकिन वे बँधे नहीं होते और लोग वहाँ उन्हें देखने जाते हैं। एक पर्यटक आकर्षण होने के अलावा काऊ सफारी आवारा पशुओं को एक नया जीवन प्रदान करेगी। गौरतलब है कि गायों की सुरक्षा के लिये राज्य सरकार ने कई फैसले लिये हैं। इसी साल अगस्त महीने में 'मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' शुरू की गई है। इस योजना में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये प्रति गाय 30 रुपए की रखरखाव राशि देने की बात भी कही गई थी, ताकि अन्य लोग भी आवारा पशुओं को पालने के लिये आगे आएँ। सरकार ने अलग से गोशाला के लिये बजट भी दिया था, जिससे इन गायों को रखने के लिये अलग से व्यवस्था की जा सके। इस काम के लिये प्रशासन और म्युनिसिपल से भी सहयोग देने को कहा गया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने सभी कॉरपोरेट हाउस को आदेश जारी करते हुए कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड का प्रयोग कर ग्रामीण इलाकों में छुट्टे गायों के रखरखाव की व्यवस्था करने को कहा था।

नोट :

उत्तर प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट

राज्य सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के मद्देनज़र प्रदेश में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की मंज़ूरी दी है। इनमें से 144 नई अदालतें केवल बलात्कार के मामलों की सुनवाई करेंगी, जबकि 74 अदालतें पॉक्सो एक्ट वाले मामले सुनेंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिये जजों की भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। इन अदालतों के गठन पर होने वाले खर्च का 60% हिस्सा केंद्र सरकार तथा 40% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। किसी राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय संबंधित राज्य सरकार हाई कोर्ट से चर्चा के बाद करती है। हाई कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिये समय-सीमा तय कर सकता है (जैसे कि मामले की सुनवाई कब तक पूरी होनी है)। इसी के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट तय करता है कि मामले को हर रोज़ सुना जाना है या कुछ दिनों के अंतराल पर। सभी पक्षों को सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट तय समय-सीमा में अपना फैसला सुनाता है।

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस

9 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 31 अक्तूबर, 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया, इसके बाद से हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन रखी गई है। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स-2018 के अनुसार, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में भारत की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना शेष है। भारत भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों की सूची में 78वें स्थान पर है। वर्ष 2017 में भारत इस सूचकांक में 81वें स्थान पर था।

म्याँमार को INS सिंधुवीर पनडुब्बी

हाल ही में भारत और म्याँमार के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 18वें दौर का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं, म्याँमार में भारत की चल रही परियोजनाओं की स्थिति, क्षमता निर्माण की पहल, द्विपक्षीय व्यापार संबंधों, सीमा सहयोग और द्विपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन को बढ़ाने की योजनाओं की समीक्षा की।

म्याँमार के साथ द्विपक्षीय संबंध मज़बूत बनाने के पीछे भारत की योजना एशिया में चीन की चुनौती से निपटना है। म्याँमार में चीन के दखल को रोकने के लिये भारत अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। इसी के तहत एक नवीनतम घटनाक्रम में भारत ने INS सिंधुवीर नामक पनडुब्बी म्याँमार को देने का फैसला किया है और उसके नाविकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। रूस निर्मित 'सिंधुवीर' 31 साल पुरानी है, लेकिन नई तकनीक से लैस है और इसकी उपयोगिता बनी हुई है।

गिरीश चंद्र चतुर्वेदी

प्रमुख शेयर बाज़ार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में पूर्व सचिव गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को NSE के संचालन मंडल का चेयरमैन नियुक्त किया है। NSE ने पूंजी बाज़ार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI-सेबी) की मंज़ूरी के बाद यह नियुक्ति की है। यह पद अशोक चावला द्वारा जनवरी में NSE के चेयरमैन पद से इस्तीफे के बाद से खाली था।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाज़ार है। वर्ष 1992 में स्थापित एनएसई एक परिष्कृत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करने वाला स्टॉक एक्सचेंज है। वर्ष 2015 में इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के अनुसार यह दुनिया में चौथे स्थान पर रहा। आज यह एक्सचेंज थोक ऋण, इक्विटी और डेरिवेटिव मार्केट में लेनदेन करता है। इसका लोकप्रिय बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स है, जो भारतीय इक्विटी बाज़ार में सबसे बड़ी संपत्तियों को ट्रैक करता है। वर्ष 2000 में इंटरनेट ट्रेडिंग शुरू करने वाला यह भारत में अपनी तरह का पहला एक्सचेंज था।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस

प्रतिवर्ष विश्व भर में 11 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस' (International Mountain Day) मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पर्वतीय क्षेत्र के सतत् विकास के महत्त्व के बारे में जानने और पर्वतीय क्षेत्र के प्रति दायित्वों के लिये जागरूक करना है। यह दिवस पहाड़ों में सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम Mountains Matter for Youth रखी गई है। इस साल की थीम का उद्देश्य युवाओं को पर्वतो के महत्त्व की जानकारी देना, आपदा जोखिम में कमी, पानी, भोजन एवं स्वदेशी लोगों और जैव विविधता के बारे में अवगत कराना है। संपूर्ण पृथ्वी की सतह के लगभग 22 प्रतिशत हिस्से पर पहाड़ हैं, जहाँ पर विश्व भर के 915 मिलियन लोग (विश्व की जनसंख्या का 13%) निवास करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस (International Day of Neutrality) मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक घोषणा फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी और उसी वर्ष पहली बार 12 दिसंबर को इस दिवस को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाए जाने का उद्देश्य निवारक कूटनीति के उपयोग को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage-UHC) दिवस प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage-UHC) का मतलब देश के किसी भी भाग में बसे नागरिक की आय के स्तर, सामाजिक स्थिति, लिंग, जाति या धर्म के बिना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य वहनीय, उत्तरदायी, गुणवत्तापूर्ण एवं यथोचित स्वास्थ्य सेवाओं के आश्वासन को सुनिश्चित करना है। इसमें रोगों की रोकथाम, उपचार एवं पुनर्वास, देखभाल शामिल हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य को भी शामिल किया गया है। इसके तहत आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रोगों की रोकथाम, उपचार, अस्पताल संबंधी देखभाल आदि को शामिल किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्वभर में लगभग एक अरब लोग आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसके कारण लगभग 150 मिलियन लोगों के समक्ष प्रतिवर्ष वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के भुगतान के परिणामस्वरूप 100 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। सार्वभौमिक कवरेज' WHO के 1948 के संविधान पर आधारित है, जो यह उद्घोषणा करता है कि स्वास्थ्य मनुष्य का आधारभूत अधिकार है तथा यह सभी के स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है। भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिये 10 सिद्धांत निर्देशित किये गए हैं, इनमें समानता, बहिष्कार एवं भेदभाव न करना, तर्कसंगत एवं गुणवत्तापूर्ण व्यापक देखभाल, वित्तीय सुरक्षा, रोगियों के अधिकारों का संरक्षण, मज़बूत सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये प्रावधान, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, समुदाय की भागीदारी तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुँच शामिल हैं। इस वर्ष इस दिवस की थीम Keep the Promise रखी गई है।

भारत-मालदीव संयुक्त आयोग की बैठक

द्विपक्षीय सहयोग को और मज़बूत बनाने के लिये भारत और मालदीव के विदेश मंत्रियों के बीच 13 दिसंबर को नई दिल्ली में वार्ता हुई। दोनों देशों के संयुक्त आयोग की यह बैठक चार साल बाद हुई। इससे पहले दोनों देशों के संयुक्त आयोग की पाँच बैठकें हो चुकी हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और मालदीव के उनके समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग पर विस्तृत वार्ता हुई। मालदीव के विदेश मंत्री के साथ 31 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी हैं। दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की वार्ता से सहयोग का दायरा और विस्तृत होगा। ध्यातव्य है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अपने खास और समुद्री इलाके के दोस्त मालदीव के विकास के लिये भारत वचनबद्ध है। अभी हाल ही में भारत-मालदीव की दोस्ती को बढ़ावा देते हुए नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये

नोट :

दोनों देशों की प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। कई तरह के क्षेत्रों को कवर करने वाली प्रमुख विकास परियोजनाओं का संयुक्त उद्घाटन यह बताने के लिये पर्याप्त है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट और मालदीव सरकार की इंडिया फर्स्ट नीतियों ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत किया है।

सोशल मीडिया पोर्नोग्राफी पर अंकुश के लिये समिति

राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के बढ़ते प्रसार और इससे बच्चों तथा समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की समस्या को लेकर उच्च सदन के सदस्यों की एक तदर्थ समिति गठित की है। यह समिति इस समस्या को दूर करने के उपाय सुझाएगी। इस विषय पर उच्च सदन के सदस्यों के औपचारिक समूह को ही तदर्थ समिति में तब्दील किया गया है। समूह के संयोजक कॉन्ग्रेस के राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के बच्चों सहित समूचे समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिये बनाए गई इस तदर्थ समिति में सपा की जया बच्चन, आप के संजय सिंह, बीजद के डा. अमर पटनायक, कॉन्ग्रेस के एम.वी. राजीव गौड़ा और अमी याज्ञिक, तृणमूल कॉन्ग्रेस की डोला सेन, जदयू की कहकशां परवीन, भाजपा के राजीव चंद्रशेखर, विनय पी सहस्त्रबुद्धे तथा रूपा गांगुली, द्रमुक के तिरुचि शिवा, राकांपा की वंदना चव्हाण एवं अन्नाद्रमुक की विजिला सत्यनाथ शामिल हैं। समिति को इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार कर समस्या के समाधान के बारे में अपनी रिपोर्ट एक महीने के भीतर पेश करने को कहा गया है।

मल्टी सेल बॉक्स लोड क्लास 70 पुल

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मु ने राजौरी में हर मौसम के अनुकूल 72 मीटर लंबा मल्टी सेल बॉक्स लोड क्लास 70 पुल राष्ट्र को समर्पित किया। यह पुल द्राज नाला पर है और द्राज क्षेत्र को राजौरी ज़िले के अंतर्गत तहसील कोट्रान्का से जोड़ता है। इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया है। द्राज पुल सेना और साथ-ही-साथ राजौरी ज़िले के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है। यह पुल सेना और स्थानीय लोगों को सभी प्रकार की और त्वरित आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। यह पुल क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को मज़बूती प्रदान करेगा। गौरतलब है कि आवागमन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के कारण मौजूदा सेतु को राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशों से युक्त उन्नत बनाना आवश्यक था। द्राज पुल अब भारी यातायात के आवागमन में बिना किसी अवरोध के हर मौसम में आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा, क्योंकि यह लोड क्लास 70 के लिये डिज़ाइन किया गया है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस

पूरे देश में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को दर्शाना और जलवायु परिवर्तन में कमी लाकर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण के महत्त्व के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 9 से 14 दिसंबर, 2019 तक 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह' मनाया। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निष्पादित किया गया था, जो ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिये नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन ऐसी नीतियाँ एवं रणनीतियाँ विकसित करने में सहायता प्रदान करना है, जिनसे इस व्यापक ऊर्जा मांग में कमी करने में मदद मिलेगी। यह ऊर्जा दक्षता उपायों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिये आवश्यक प्रोत्साहन दिये जाने से ही संभव हो सकता है।

44 हज़ार वर्ष पुराना भित्तिचित्र

इंडोनेशिया के द्वीप में दो साल पहले खोजी गई सुलावेसी की एक गुफा में 44 हज़ार साल पुराना एक भित्तिचित्र मिला है। शोधकर्त्ताओं का दावा है, 4.5 मीटर चौड़ा यह दुर्लभ भित्तिचित्र दुनिया के इतिहास में सबसे पुराना है। इस कलाकृति में गुफा की दीवार पर गहरे लाल रंग से एक सींग वाला जानवर बनाया गया है, जिसका एक शिकारी पीछा कर रहा है।

शोधकर्त्ताओं का मानना है कि यूरोप की गुफाओं में भी चारकोल से बने भित्तिचित्र मिले हैं, लेकिन इंडोनेशिया में पाई गईं रॉक पेंटिंग यूरोप के भित्तिचित्रों से हज़ारों साल पहले की है। दावा किया जाता है कि यूरोप की गुफाओं में पाई गईं रॉक पेंटिंग्स को 14 हज़ार से लेकर 21 हज़ार

नोट :

साल के बीच की होने का दावा किया जाता है। अब तक इन्हें दुनिया की सबसे पुरानी कलाकृति का दर्जा हासिल था। ये प्रागैतिहासिक काल के भित्तिचित्र हैं। इससे पहले इंडोनेशिया के ही बोर्नियो द्वीप में 40 हज़ार साल पुराने एक और चित्र की खोज हुई थी। इन भित्तिचित्रों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़ारो साल पहले भी कलाकारी कितनी उन्नत थी।

ज़मीन पर सबसे गहराई वाली जगह की खोज

शोधकर्त्ताओं ने अंटार्कटिका का नवीनतम भौगोलिक मानचित्र जारी किया है। इसे बेडमशीन परियोजना द्वारा विकसित किया गया है। बेडमशीन अंटार्कटिका की बर्फ की चादर का नया मानचित्र है, जिसे सबसे ज़्यादा दुरुस्त माना जाता है। शोधकर्त्ताओं ने यह जगह अंटार्कटिका के डेनमान ग्लेशियर में खोजी है जो समुद्रतल से 3500 मीटर नीचे है। यह खोज अंटार्कटिका का नवीनतम भौगोलिक मानचित्र बनाने के बाद हुई। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में UCI की एक टीम के शोधकर्त्ताओं ने अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे की भूमि की आकृति का अभी तक का सबसे सटीक चित्र बनाया है। नए निष्कर्षों से शोधकर्त्ताओं को पर्यावरण बदलावों के प्रभावों का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। हालाँकि ज़मीन पर दुनिया की सबसे गहरी घाटी पूर्वी अंटार्कटिका में डेमन ग्लेशियर के नीचे पाई गई थी। पिछले अध्ययनों के अनुसार घाटी को उथला माना जाता था, लेकिन नए अध्ययन ने इसकी वास्तविक गहराई को उजागर किया है। वैज्ञानिकों ने छिपी हुई घाटी की गहराई का पता लगाने के लिये उसमें भरी हुई बर्फ की मात्रा और लॉ ऑफ कंज़र्वेशन का सहारा लिया है। वैसे दुनिया की सबसे गहरी ज्ञात जगह प्रशांत महासागर में 'मारियाना ट्रेंच' है।

लिसिप्रिया कंगुजम

केवल आठ साल की उम्र में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली भारतीय लड़की लिसिप्रिया कंगुजम ने अपनी चिंताओं से दुनिया को झकझोर दिया है। मणिपुर की इस नन्ही पर्यावरण कार्यकर्त्ता ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड में CoP25 जलवायु शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से अपनी धरती और उन जैसे मासूमों के भविष्य को बचाने के लिये तुरंत कदम उठाने का आह्वान किया। इतनी छोटी उम्र में इतने अहम मसले पर बात रखने के कारण लिसिप्रिया स्पेन के अखबारों की सुर्खियाँ बन गईं। स्पेनिश अखबारों ने उन्हें भारतीय ग्रेटा थनबर्ग बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की। लिसिप्रिया अब तक 21 देशों का दौरा कर चुकी हैं और जलवायु परिवर्तन मसले पर विविध सम्मेलनों में अपनी बात रख चुकी हैं। वह दुनिया में सबसे कम उम्र की पर्यावरण कार्यकर्त्ता बताई जा रही हैं। केवल छह साल की उम्र में लिसिप्रिया को वर्ष 2018 में मंगोलिया में आपदा मसले पर हुए मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन में बोलने का अवसर मिला था। मंगोलिया से लौटने के बाद लिसिप्रिया ने अपने पिता की मदद से 'द चाइल्ड मूवमेंट' नामक संगठन बनाया। वह इस संगठन के ज़रिये वैश्विक नेताओं से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम उठाने की अपील करती हैं।

भारत का सिक्सर किंग

भारतीय टीम के ओपनर रोहित शर्मा ने छक्कों के मामले में इतिहास रच दिया है। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मुंबई के मैदान पर दूसरे टी-20 इंटरनेशनल मैच में अपनी पारी का पहला छक्का जड़ते ही रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने कॅरियर का 400वाँ छक्का जड़ा। ऐसा करने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यह उनके टी-20 अंतर्राष्ट्रीय कॅरियर का 116वाँ छक्का था। वर्ल्ड क्रिकेट में दाएँ हाथ के बल्लेबाज़ रोहित शर्मा से पहले पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी (476 छक्के) और वेस्टइंडीज़ के क्रिस गेल (534 छक्के) ने यह उपलब्धि अपने नाम की थी। रोहित शर्मा से पहले महेंद्र सिंह धौनी (359 छक्के) इस उपलब्धि को अपने नाम कर सकते थे, लेकिन वह फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा ने महज 360वीं पारी में यह 400वाँ छक्का लगाया है, जबकि शाहिद अफरीदी ने 437 पारियों में 400 छक्के लगाए थे। हालाँकि उस दौरान टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बहुत कम हुआ करता था।

नवाचार किसान मॉडल के लिये समझौता

सतत् कृषि और जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड (NABARD) ने एक्शन रिसर्च एवं विभिन्न तकनीकों को बेहतर बनाने एवं नवाचार किसान मॉडल के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

नोट :

किये। एक्शन रिसर्च का अर्थ है चुनौतियों के लिये समाधान ढूँढने हेतु किसानों की सक्रिय भागीदारी से शोध करना। नवाचार किसान मॉडलों को ICAR ने विकसित किया है, जिसमें जलवायु अनुकूल अभ्यास, मॉडल और वॉटरशेड प्लेटफॉर्म पर आधारित शोध के तहत सहभागिता के साथ उच्च तकनीक वाले कृषि अभ्यास आदि शामिल हैं। इस समझौते के तहत सतत कृषि, एकीकृत कृषि प्रणाली, कृषि-वानिकी, पौधरोपण, बागवानी, पशु विज्ञान, कृषि-इंजीनियरिंग, फसल कटाई के बाद की तकनीक आदि क्षेत्रों में स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में मदद मिलेगी।

ICAR देश का एक प्रमुख संगठन है जो कृषि, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। यह 113 संस्थानों के अपने विशाल नेटवर्क के ज़रिये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और विस्तार प्रणाली पर कार्य करता है। दूसरी ओर, NABARD एक प्रमुख संगठन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य गतिविधियों के लिये ऋण हेतु नीति बनाने, योजना तैयार करने और इसे संचालित करने का कार्य करता है।

नेपाल ने 72 साल पुराने त्रिपक्षीय समझौते की समीक्षा की मांग की

नेपाल के विदेश मंत्री ने 72 साल पुराने त्रिपक्षीय समझौते की समीक्षा की माँग की है। यह समझौता किसी विदेशी सेना में गोरखा युवाओं की भर्ती प्रक्रिया में नेपाल को कोई भूमिका निभाने की अनुमति नहीं देता। इस समझौते के कुछ प्रावधान अब अप्रासंगिक हो गए हैं। इसलिये नेपाल ने ब्रिटेन से इसकी समीक्षा करने और इसे द्विपक्षीय समझौता बनाने की बात कही है। नए समझौते में ब्रिटिश सेना के गोरखा जवानों की पेंशन समेत कई समस्याओं का समाधान भी होना चाहिये। नेपाल ने यह मांग ऐसे समय की है, जब ब्रिटिश सेना गोरखा बिग्रेड में पहली बार नेपाली महिलाओं की भर्ती करने की तैयारी में है। पिछले वर्ष यह बात सामने आई थी कि ब्रिटिश सेना के गोरखा ब्रिगेड में वर्ष 2020 तक महिलाओं को शामिल कर लिया जाएगा। इसके मुताबिक, इस भर्ती की चयन प्रक्रिया पुरुषों की चयन प्रक्रिया जैसी ही होगी। गौरतलब है कि करीब 200 वर्षों से गोरखा ब्रिगेड ब्रिटेन की सेना का हिस्सा बनी हुई है।

ब्रिटेन वर्ष 1815 से अपनी सेना में गोरखा जवानों की भर्ती कर रहा है। वर्ष 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद नई दिल्ली, लंदन और काठमांडू के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत भारतीय सेना की चार गोरखा रेजिमेंट को ब्रिटिश सेना में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में ब्रिटिश सेना में लगभग 3000 से अधिक गोरखा सैनिक हैं। वर्तमान में इन जवानों की तैनाती इराक, अफगानिस्तान और बाल्कन में है। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष 'कायरता से बेहतर मर जाना' है। गोरखा सैनिकों की गिनती दुनिया के सबसे तेज़ और फुर्तीले जवानों में होती है। ब्रिटेन की महारानी की रक्षा में लगे इन सैनिकों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। वर्ष 2007-2008 में अफगानिस्तान में तैनात प्रिंस हैरी रॉयल गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन के साथ काम कर चुके हैं।

मनोज मुकुंद नरवणे

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे (Lt. Gen. Manoj Mukund Naravane) भारतीय थल सेना के नए चीफ होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे वर्तमान में थल सेना के उपप्रमुख के रूप में सेवारत हैं। वर्तमान आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जनरल नरवणे श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का भी हिस्सा रहे हैं। उन्हें जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकरोधी कार्रवाइयों का लंबा अनुभव है। साथ ही जम्मू-कश्मीर में अपनी बटालियन के प्रभावी रूप से कमान के लिये उन्हें सेना पदक (विशिष्ट) से सम्मानित किया गया है।

राजस्थान में देश का चौथा भालू अभयारण्य

जल्दी ही राजस्थान में भालू अभयारण्य (Bear Sanctuary) बनाया जाएगा। यह प्रदेश का पहला और देश का चौथा भालू अभयारण्य होगा। इसे जालोर के सुंधा माता क्षेत्र (Sundha Mata Area) में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में पहली बार भालुओं के लिये अभयारण्य बनाया जा रहा है। यह भालू अभयारण्य सिरोही ज़िले की माउंट आबू सेंक्चुअरी के 326.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और जालोर के सुंधा माता कंज़रवेशन रिज़र्व के 117.49 वर्ग किलोमीटर के जंगल को मिलाकर बनाया जाएगा। यह पूरा इलाका प्रदेश के तीनों टाइगर रिज़र्व से अलग है। इस इलाके में जंगल भी घना है और यहाँ भालुओं की आबादी भी अच्छी है। यहाँ उनके के लिये भोजन की भी कमी नहीं है।

वन्यजीव गणना के मुताबिक, माउंट आबू के संरक्षित क्षेत्र के जंगलों में 352 भालू हैं, जबकि संरक्षित क्षेत्र के बाहर जालोर ज़िले में 58 और सिरोही ज़िले में मांउट आबू के बाहर भी 63 भालू हैं। इन दोनों इलाकों में भालू के अलावा पैंथर, भेड़िये, लकड़बग्घा, साही और चिंकारा की संख्या भी अच्छी खासी है। हालाँकि राजस्थान के तीनों टाइगर रिज़र्व में से रंणथंभौर और मुकंदरा हिल्स में भी भालुओं की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन उसके बावजूद भालुओं का गढ़ माउंट आबू को ही माना जाता है।

नोट :

भारतीय शांति रक्षक पुरस्कृत

दक्षिण सूडान में तैनात लगभग 850 भारतीय शांति सैनिकों को समर्पण और बलिदान के लिये संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पदक प्रदान किया गया है। दक्षिण सूडान में शांति बनाए रखने में भारतीय शांति सैनिकों ने उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने स्थानीय समुदायों की सहायता करने के लिये अपने कर्त्तव्य से भी बढ़कर काम किया। भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे ज़्यादा सैनिकों का योगदान करने वाले देशों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों के अंतर्गत इस समय भारत के 2342 जवान और 25 पुलिसकर्मी तैनात हैं। ध्यातव्य है कि पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में इंजीनियर और चिकित्साकर्मियों के रूप में सेवारत कुल 323 भारतीय शांति सैनिकों को विशिष्ट सेवाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया था।

मिस वर्ल्ड

लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट 2019 का खिताब भारतीय मूल की जमैका की टोनी एन सिंह ने जीता। भारत की सुमन राव ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान (Second Runner-up) हासिल किया। राजस्थान की 20 वर्षीय सुमन राव ने जून में मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता था। जबकि फ्रांस की Ophely Mezino दूसरे स्थान पर रही।

जमैका ने लंबे समय के बाद मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले वर्ष 1993 में लीजा हेन्ना ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। उनके पहले वर्ष 1963 और वर्ष 1976 में जमैका की सुंदरियों ने मिस वर्ल्ड के खिताब पर अपना कब्ज़ा जमाया था।

बी.एस. सिरपुरकर

हैदराबाद गैंग रेप और हत्या तथा उसके बाद हुए आरोपियों के एनकाउंटर की सच्चाई का पता लगाने के लिये जाँच को आवश्यक बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश बी.एस. सिरपुरकर की अध्यक्षता में एक जाँच आयोग गठित की है। जाँच आयोग के अन्य सदस्यों में बंबई उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रेखा संदूर बाल्डोटा और CBI के पूर्व निदेशक डी.आर. कार्तिकेयन शामिल हैं। आयोग को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपनी होगी तथा इसके साथ ही तेलंगाना उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इस घटना के संबंध में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। 6 दिसंबर की घटना की जाँच करने के लिये जाँच आयोग को कानून के तहत सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

प्रवीर कुमार

पूर्व IAS प्रवीर कुमार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission- UPSSSC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके अलावा रचना पाल व ओम नारायण सिंह को आयोग के सदस्य घोषित किया गया हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष और आठ सदस्य होते हैं। आयोग में अब कुल सात सदस्य हो गए हैं। ध्यातव्य है कि UPSSSC के अध्यक्ष का पद एक वर्ष से खाली था। वर्तमान सरकार में आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गए रिटायर्ड IAS सी.बी. पालीवाल ने 11 दिसंबर, 2018 को निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। तभी से आयोग के सदस्य रिटायर्ड IAS अरुण सिन्हा कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य देख रहे थे।

डा. श्रीराम लागू

प्रसिद्ध अभिनेता डा. श्रीराम लागू का 17 दिसंबर, 2019 को पुणे में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। वे पिछले कुछ समय से बीमार थे। श्रीराम लागू का जन्म 16 नवंबर, 1927 को सतारा (महाराष्ट्र) में हुआ था। वे हिंदी फिल्मों के एक जाने-माने अभिनेता थे। उन्होंने लगभग 100 से अधिक हिंदी और 40 से अधिक मराठी फिल्मों में काम किया। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में 'आहट: एक अजीब कहानी', 'पिंजरा', 'मेरे साथ चल', 'सामना', 'दौलत' आदि शामिल हैं। वे सिनेमा के अतिरिक्त मराठी, हिंदी और गुजराती रंगमंच से भी जुड़े रहे। वे पेशे से नाक, कान, गले के सर्जन थे। 42 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में प्रवेश किया। वर्ष 1978 में फिल्म 'घरौंदा' के लिये उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

नोट :

साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2019

साहित्य अकादमी ने 23 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। कविता की सात पुस्तकों के लिये डॉ. फूकन चौधरी बसुमतारी (बोडो), डॉ. नंद किशोर आचार्य (हिंदी), श्री नीलबा ए. खांडेकर (कोंकणी), श्री कुमार मनीष अरविंद (मैथिली), श्री वी मधुसूदनन नायर (मलयालम), श्रीमती अनुराधा पाटिल (मराठी) और प्रो. पन्ना मधुसूदन (संस्कृत) को पुरस्कार प्रदान किया गया। चार उपन्यासों के लिये डॉ. जयश्री गोस्वामी महंत (असमिया), श्री एल. बीरमंगल सिंह (बेरिल थंगा) (मणिपुरी), श्री चौधरी धर्मन (तमिल) और श्री बंदी नारायण स्वामी (तेलुगू) को पुरस्कार दिये गए। छह लघु कथाओं के लिये श्री अब्दुल अहद हज़िनी (कश्मीरी), श्री तरुण कांति मिश्रा (ओडिया), श्री कृपाल कजाक (पंजाबी), श्री रामस्वरूप किसान (राजस्थानी), श्री काली चरण हेम्ब्रम (संथाली) और श्री ईश्वर मुरजानी (सिंधी) को पुरस्कार प्रदान किये गए। डॉ. शशि थरूर (अंग्रेज़ी), डॉ. विजया (कन्नड़) और प्रो. शफी किदवई (उर्दू) को क्रमश: गैर काल्पनिक कथा, आत्मकथा और जीवनी के लिये साहित्य पुरस्कार दिये गए। निबंध की तीन पुस्तकों के लिये डॉ. चिन्मय गुहा (बांग्ला), श्री ओम शर्मा जंदरीयारी (डोगरी) और श्री रतिलाल बोरिससागर (गुजराती) को पुरस्कार दिये गए।

साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित साहित्य उत्सव के दौरान 25 फरवरी, 2020 को इन लेखकों को ये पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे। पुरस्कार के रूप में तांबे की पट्टिका का, एक शॉल और एक लाख रुपए नकद भेंट दी जाएगी।

साहित्य अकादमी पुरस्कार

साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह अकादमी प्रतिवर्ष मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1955 में की गई थी।

अभ्यास अपहरण

कोस्टल पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सभी संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर भारतीय नौसेना ने 18-19 दिसंबर, 2019 को कोच्चि बंदरगाह पर एंटी हाइजैकिंग एक्सरसाइज का आयोजन किया। 'अपहरण' नामक इस अभ्यास का उद्देश्य प्रतिक्रिया तंत्र/तैयारी को कारगर बनाना था, ताकि देश विरोधी तत्त्वों द्वारा किसी व्यापारी जहाज़ को हाईजैक करने या किसी अपहृत जहाज़ को ज़बरन प्रवेश कराने के प्रयासों को विफल किया जा सके।

तटीय सुरक्षा के संदर्भ में व्यापारी पोत का अपहरण एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, जिसकी प्रतिक्रिया के लिये राज्य सरकार सहित सभी हितधारकों के संसाधनों, परिसंपत्तियों और प्रयासों के मध्य तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

रॉय जॉर्जन स्वेनिंगसेन

हाल ही में कनाडा के रॉय जॉर्जन स्वेनिंगसेन 'अंटार्कटिक आइस मैराथन' को पूरा करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज़ व्यक्ति बन गए हैं। स्वेनिंगसेन की आयु 84 वर्ष है। उन्होंने इस दौड़ को 11 घंटे, 41 मिनट और 58 सेकेंड में पूरा किया।

सेतुरमण पंचनाथन

भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सेतुरमण पंचनाथन को अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) का निदेशक बनाया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी नियुक्ति को मंज़ूरी दी है। अमेरिकी सरकार की संस्था NSF विज्ञान और इंजीनियरिंग सहित सभी गैर-चिकित्सा क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में मदद करती है। जबकि चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने के लिये एक अलग संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ काम करती है। व्हाइट हाउस के विज्ञान और तकनीकी नीति विभाग के निदेशक केल्विन ड्रोगेमीयर के अनुसार, डॉ. सेतुरमण पंचनाथन ने अनुसंधान, नवाचार, अकादमिक प्रशासन और नीतिगत अनुभव के साथ नई ज़िम्मेदारी संभाली है। विदित है कि 58 वर्षीय पंचनाथन, फ्राँस कोर्डोवा का स्थान लेंगे, जो 2020 में संस्था के निदेशक के तौर पर अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायर होंगी।

नोट :

वसीम ज़ाफर

भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम ज़ाफर को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सत्र के लिये किंग्स इलेवन पंजाब का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। टीम की वेबसाइट पर सहयोगी स्टाफ में ज़ाफर का नाम से इस बात की पुष्टि हुई। गौरतलब है कि वर्तमान में विदर्भ के लिये रणजी ट्रोफी खेलने वाले ज़ाफर ने वर्ष 2000 से 2008 के बीच भारत के लिये 31 टेस्ट खेलकर 1944 रन बनाए जिसमें पाँच शतक और 11 अर्धशतक शामिल है। वहीं उन्होंने आठ वर्ष के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में भारत के लिये दो वनडे मैच भी खेले हैं।

नागरिकता शिक्षा पुरस्कार

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री अंतोनियो कोस्टा ने हाल ही में महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने हेतु उनके विचारों और उद्धरणों से प्रेरित 'गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार' आरंभ करने की घोषणा की है। 'गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार' सामाजिक कल्याण के लिये समर्पित होगा। अंतोनियो के अनुसार, पहले साल का पुरस्कार पशु कल्याण के लिये समर्पित होगा क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि किसी भी राष्ट्र की महानता पशुओं के प्रति उसके व्यवहार से आँकी जा सकती है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का प्रेम एवं सहिष्णुता का संदेश आज भी क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है।

फोर्ब्स इंडिया लिस्ट

फोर्ब्स इंडिया मैगज़ीन ने वर्ष 2019 की टॉप 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी की है, जिसमें टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन साल से इस लिस्ट में सलमान खान शीर्ष स्थान पर थे। यह पहली बार है जब कोई खिलाड़ी फोर्ब्स इंडिया की इस लिस्ट में पहले पायदान पर पहुँचा है। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट के लॉन्च होने के आठ साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बॉलीवुड स्टार को रिप्लेस कर कोई खिलाड़ी टॉप पर पहुँचा है।

अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस

20 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को विविधता में एकता का महत्त्व बताते हुए जागरूकता उत्पन्न करना है। विश्व के विभिन्न देश इस दिन अपने नागरिकों के बीच शांति, भाईचारा, प्यार, सौहार्द और एकता के संदेश का प्रसार करते हैं। विदित है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 दिसंबर 2005 को घोषणा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाएगा।

सबसे पुराना जीवाश्म वन

अमेरिका में बलुआ पत्थर की खदान में लगभग 38.6 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ों का एक व्यापक झुंड मिला है। वैज्ञानिक इसे दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म वन के अवशेष मान रहे हैं। ये जंगल अब तक के सबसे पुराने गिल्बोआ स्थित जंगलों से 20 से 30 लाख साल पुराने हैं। करंट बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि यह खोज पेड़ों के विकास और जिस दुनिया में हम रहे हैं उसके बदलाव पर एक नई रोशनी डालती है। शोध से पता चलता है कि जंगल में कम से कम दो प्रकार के पेड़ थे। एक तीसरे प्रकार के पेड़ का भी एक एकल उदाहरण भी देखने को मिला। माना जा रहा है कि यह लाइकोपोड हो सकता था। ये सभी पेड़ बीज के बजाय केवल बीजाणुओं का उपयोग कर विकसित हुए। शोधकर्त्ताओं ने पाया कि इन पेड़ों की जड़ें कई मीटर तक लंबी रही होंगी, जो एक नेटवर्क के रूप में कई एकड़ों में फैली हुई हो सकती हैं।

इंडियन फार्माकोपिया

अफगानिस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के औषधि नियामक तथा स्वास्थ्य उत्पादों के राष्ट्रीय विभाग ने भारतीय औषधि कोष (द इंडियन फार्माकोपिया-आईपी) को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। इसके साथ ही एक नई शुरूआत हुई है और अफगानिस्तान, भारतीय औषधि कोष (फार्माकोपिया) को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। ऐसा वाणिज्य विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के

नोट :

प्रयासों से हुआ है। दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा इसके अंतर्गत नियम 1945 के मानकों के अनुसार, भारतीय औषधि कोष मान्यता प्राप्त शब्दकोष है। यह शब्दकोष दवाओं की पहचान, शुद्धता और शक्ति की दृष्टि से दवाओं को बनाने तथा विपणन के मानकों की जानकारी देता है।

सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम- बेल्जियम

फुटबॉल की नियामक संस्था-फीफा ने बेल्जियम को लगातार दूसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है। बेल्जियम इस समय फीफा विश्व रैंकिंग में शीर्ष पायदान पर मौजूद है। विश्व चैंपियन फ्राँस दूसरे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुँच गया है जबकि उरुग्वे दो पायदान ऊपर उठकर पांचवें नंबर पर आ गया है। बेल्जियम 2015 और 2018 साल की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार जीत चुकी है। बेल्जियम ने इस वर्ष सभी अपने 10 ए-स्तर के मैच जीते हैं और उसने यूईएफए यूरो-2020 के लिए क्वालीफाई किया है।

बोइंग का परीक्षण

बोइंग के सीएसटी-100 स्टारलाइनर अंतरिक्षयान को नासा के कमर्शियल क्रू कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (आईएसएस) पर एक मानवरहित मिशन के लिये पहले कक्षीय उड़ान परीक्षण के लिये तैयार किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि स्टारलाइन 28 दिसंबर, 2019 को आईएसएस को कार्गो पहुँचाने के बाद वापस धरती पर लौट आएगा।

राष्ट्रीय गणित दिवस

प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को देश में राष्ट्रीय गणित दिवस (National Mathematics Day) मनाया जाता है। यह देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को समर्पित है जिनका जन्म 22 दिसंबर, 1887 को हुआ था। गणित का मानवता के विकास में बड़ा महत्त्व है। इस महत्त्व के प्रति लोगों के बीच जागरुकता पैदा करना राष्ट्रीय गणित दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इलाहाबाद स्थित सबसे पुरानी विज्ञान अकादमी नेशनल अकैडमी ऑफ साइंस इंडिया प्रत्येक वर्ष गणित के अनुप्रयोगों और रामानुजन पर कार्यशाला का आयोजन करती है।

गणित में रामानुजन का सबसे बड़ा योगदान हार्डी-रामानुजन नंबर को माना जाता है। एक बार जब जी.एच. हार्डी अस्पताल में रामानुजन से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि वह एक टैक्सी कैब से आए जिसका नंबर 1729 था। हार्डी ने कैब के नंबर को बोरिंग बताया, जिस पर रामानुजन ने तुरंत कहा, "नहीं, यह बोरिंग नहीं बल्कि बहुत दिलचस्प नंबर है। यह सबसे छोटी संख्या है जिसको दो अलग-अलग तरीके से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है।" तब से 1729 को उनके सम्मान में हार्डी-रामानुजन नंबर कहा जाता है।

अमेरिकी स्पेस कमांड

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 738 बिलियन डॉलर के रक्षा बजट को मंज़ूरी देने के साथ ही अंतरिक्ष में अपनी स्थिति को और मज़बूत करने के उद्देश्य से आधिकारिक तौर पर स्पेस कमांड शुरू करने का ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन की ओर से नई US स्पेस फोर्स के गठन की दिशा में यह बेहद अहम कदम माना जा रहा है। US स्पेस फोर्स अमेरिकी सेना की छठी शाखा होगी। जॉन रेमंड को स्पेस कमांड का पहला प्रमुख बनाया गया है। विदित हो कि अमेरिकी सेना ने वर्ष 2018 में अमेरिकी साइबर कमांड की स्थापना के बाद से कोई और कमांड नहीं बनाया था। SPACECOM सेना की 11वीं लड़ाकू कमान है और प्रत्येक के पास सैन्य अभियानों के लिये एक भौगोलिक या कार्यात्मक मिशन तय है। अमेरिका ने इस स्पेस कमांड की स्थापना अंतरिक्ष में चीन और रूस से होने वाले खतरों से बचाव हेतु की है। वर्तमान में अमेरिकी सेना की पाँच शाखाएँ हैं: आर्मी (Army), वायु सेना (Air Force), नौसेना (Navy), मरीन (Marines) और तटरक्षक बल (Coast Guard)। अमेरिकी वायु सेना के पास पहले से ही एक समर्पित अंतरिक्ष युद्ध ऑपरेशन (Space Warfare Operation) है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी अंतरिक्ष कमांड का गठन पहले भी किया गया था और वह वर्ष 1985 से वर्ष 2002 के बीच कार्यान्वित था।

नोट :

चार्ल्स मिशेल

बेल्ज़ियम के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिल तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। 751 सदस्यों वाली यूरोपीय संसद में उनके नाम को बहुमत का समर्थन मिला। इस निकाय यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ सभी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख या सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं। इसकी बैठकों की अध्यक्षता उस सदस्य देश का प्रतिनिधि करता है जिसके पास उस समय यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता होती है। परिषद के पास कोई औपचारिक कार्यकारी या वैधानिक अधिकार नहीं है, पर यह उन प्रमुख मुद्दों और निर्णयों से संबद्ध रहती है जो यूरोपीय संघ के सामान्य राजनीतिक दिशा-निर्देशों को परिभाषित करते हैं। परिषद की बैठक एक वर्ष में कम-से-कम दो बार जस्टस लिपसियस बिल्डिंग में होती है, जो यूरोपीय संघ का कॉन्सीलियम है। इसके नि-वर्तमान अध्यक्ष एलन टस्क हैं, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो गया।

सेतुरमन पंचनाथन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन की अध्यक्षता के लिये भारतीय-अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉ. सेतुरमन पंचनाथन को चुना है। नेशनल साइंस फाउंडेशन एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के सभी गैर-चिकित्सकीय क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान एवं शिक्षाओं को समर्थन देती है। इसका चिकित्सकीय समकक्ष नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ है। डॉ. सेतुरमन पंचनाथन का अनुसंधान, नवोन्मेष, अकादमिक प्रशासन एवं नीति में लंबा एवं विशिष्ट अनुभव है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के वर्तमान निदेशक फ्रांस कोरडोवा का छह वर्ष का कार्यकाल 2020 में समाप्त होगा जिसके बाद पंचनाथन यह पदभार संभालेंगे।

त्रिपुरा में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने त्रिपरा में अभी तक का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) बनाने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित SEZ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 130 किलोमीटर दूर दक्षिणी त्रिपुरा के सबरूम ज़िले के पश्चिम जलेफा में बनाया जा रहा है। यह विशेष रूप से कृषि उत्पादों से जुड़े प्रसंस्करण उद्योग पर केंद्रित होगा, त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम की ओर से विकसित इस SEZ परियोजना पर करीब 1550 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। इसमें विशेष कौशल आधारित करीब 12 हज़ार नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इस विशेष आर्थिक क्षेत्र में रबड़, कपड़ा, वस्त्र उद्योग, बांस तथा कृषि उत्पादों से जुड़ी प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। SEZ बनने के बाद पहले पाँच वर्षों तक यहाँ लगाई जाने वाली इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10AA के तहत निर्यात आय पर 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके अलावा उससे अगले पाँच वर्षों के लिये छूट की यह सीमा 50 प्रतिशत होगी।

मैनुअल मार्रेरो/मरेरो

अमेरिका के लिये बराबर परेशानी का सबब बने रहने वाले वाले कम्युनिस्ट देश क्यूबा को बीते 40 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री मिला है। क्यूबा के लंबे समय से पर्यटन मंत्री रहे मैनुअल मार्रेरो ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपना पदभार संभाला। सरकार के प्रमुख के तौर पर मार्रेरो की नियुक्ति रेवोल्यूशनरी ओल्ड गार्ड से पीढ़िगत बदलाव और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है जिसका ऊद्देश्य कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की रक्षा करना है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिग्वेल डियाज कैनल और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। मार्रेरो क्यूबा के क्रांतिकारी नायक फिदेल कास्त्रो के प्रशासन में वर्ष 2004 से अब तक पर्यटन मंत्री रहे थे। फिदेल के भाई राउल और राष्ट्रपति डियाज कैनल के शासन में भी वह इस पद पर बने रहे। मैनुअल मार्रेरो ने वर्ष 1999 में क्यूबा सरकार में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वर्ष 1999 में मैनुअल क्यूबा के ताकतवर गाविओता होटल ग्रुप के उपाध्यक्ष चुने गए थे। यह ग्रुप क्यूबा के सुरक्षा बलों का है। इसके एक साल बाद ही मैनुअल मार्रेरो इस ग्रुप के अध्यक्ष बन गए।

रोहित शर्मा

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने सभी प्रारूपों में सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने के श्रीलंकाई बल्लेबाज सनथ जयसूर्या का 22 साल पुराना रिकार्ड तोड़ दिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में रोहित शर्मा ने 63 रन की पारी खेलकर इस साल 2442 रन बनाए। इस बल्लेबाज ने 47 पारियों में 53.08 के औसत से इस वर्ष सभी प्रारूपों में 10 शतक और इतने ही अर्द्धशतक लगाए हैं।

नोट :

हनुक्का फेस्टिवल

दुनिया भर तथा इज़राइल में यहूदी समुदाय के आठ दिन तक चलने वाले हनुक्का फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और रोशनी के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। आठ दिनों तक चलने वाला हनुक्का यहूदियों का एक बड़ा त्योहार है। इसे 'फेस्टिवल ऑफ लाइट्स' भी कहा जाता है। इस वर्ष हनुक्का का आयोजन 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक किया जा रहा है। मान्यता है कि दूसरी सदी में यहूदी समुदाय ने ग्रीक और सीरियाई उत्पीड़कों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसे मकैबियन विद्रोह नाम दिया गया। इसी की याद में यहूदी प्रत्येक वर्ष हनुक्का का आयोजन करता हैं। हिब्रू में हनुक्का का अर्थ है समर्पण। एक अन्य मान्यता यह भी है कि यहूदियों के मंदिर के तेल का एक जार मंदिर के शाश्वत दीपक को पूरे आठ दिनों तक जलाए रखता था। उस रोशनी और तेल का इस त्योहार में खास महत्त्व रहा है। इसी वजह से हनुक्का में ज़्यादातर तेल से बनी चीज़ें खाई जाती हैं और लगातार आठ दिनों तक मोमबत्ती जलाई जाती है। हिब्रू कैलेंडर के अनुसार, हनुक्का किसलेव (Kislev) महीने (साल के नौवें महीने यानी सितंबर) से शुरू हो जाता है। वहीं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, हनुक्का दिसंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाता है।

वर्नन फिलेंडर

दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वर्नन फिलेंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फिलेंडर इंग्लैंड के विरुद्ध खेली जानी वाली आगामी टेस्ट सीरीज़ के बाद संन्यास ले लेंगे। वर्नन फिलेंडर ने अपने टेस्ट करियर में 60 मैच में कुल 216 विकेट और वनडे में 30 मैच खेलकर 41 विकेट लिये हैं।

भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी:

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिलनगर खंड में ट्रांसजेंडरों के लिये भारत के पहले विश्विद्यालय की स्थापना की जा रही है। यह देश में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा जहाँ थर्ड जेंडर के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसका निर्माण अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट (All-India Transgender Education Service Trust) द्वारा किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तथा Ph.D तक की उपाधि/डिग्री हासिल की जा सकेगी।

केंद्र सरकार आल इंडिया रेडियो:

केंद्र सरकार आल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी में परिवर्तन करके वर्ष 2024 तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने की योजना बना रही है। आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार समारोह 2019 के दौरान इसकी घोषणा केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई। डिजिटल रेडियो के माध्यम से रेडियो की ध्वनि गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा इसकी रेंज भी काफी व्यापक होगी। ध्यातव्य है कि आल इंडिया रेडियो भारत का राष्ट्रीय रेडियो प्रसारक है। "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" इसका आदर्श वाक्य है। वर्तमान में आकाशवाणी 23 भाषाओँ तथा 179 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

गंगा प्रसाद विमल:

हाल ही में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार गंगा प्रसाद विमल का निधन हो गया। वह हिंदी के जाने माने लेखक, अनुवादक और जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय के पूर्व प्रोफेसर थे। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें 'अकहानी आंदोलन' के जनक के रूप में जाना जाता था। उनका पहला काव्य संग्रह 'विज्प' वर्ष 1967 में, प्रथम उपन्यास 'अपने से अलग' वर्ष 1972 में तथा पहला कहानी संग्रह 'कोई भी शुरुवात' वर्ष 1967 में प्रकाशित हुआ था। उनके प्रसिद्ध कविता संग्रहों में 'बोधि-वृक्ष', 'इतना कुछ', 'सन्नाटे से मुठभेड़', 'मैं वहाँ हूँ' एवं 'कुछ तो है' आदि तथा कहानी संग्रह 'कोई शुरुआत', 'अतीत में कुछ', 'इधर-उधर', 'बाहर न भीतर' तथा 'खोई हुई थाती' का भी हिंदी साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनका अंतिम उपन्यास 'मानुसखोर' वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ।

नोट :

भारत की प्रथम 'CNG बस':

भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने और CNG को देश में लंबी दूरी के आवागमन का पर्यावरण-अनुकूल विकल्प बनाने की दिशा में एक प्रमुख कदम उठाते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लंबी दूरी तय करने वाली भारत की प्रथम CNG बस का अनावरण किया। इसमें संयोजित (कंपोजिट) CNG सिलेंडर लगाए गए हैं, जो एक बार पूरी तरह CNG से भर जाने पर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इस परियोजना को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने कार्यान्वित किया है। यह उपलब्धि बसों में उत्कृष्ट डिज़ाइन वाले टाइप-IV संयोजित सिलेंडरों के इस्तेमाल से संभव हो सकी है जिसने परंपरागत अत्यंत भारी टाइप-I कार्बन स्टील सिलेंडरों का स्थान लिया है।

मिग-27

करगिल युद्ध में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिये पहचाने जाने वाला लड़ाकू विमान मिग-27 भारतीय वायुसेना से रिटायर हो गया है। गौरतलब है कि मिग-27 ने लगभग 38 वर्षों तक भारतीय वायु सेना को अपने सेवाएँ दी हैं। भारतीय वायु सेना के बेड़े में 1985 में शामिल किया गया यह अत्यंत सक्षम लड़ाकू विमान ज़मीनी हमले की क्षमता का आधार रहा है। वायु सेना के सभी प्रमुख ऑपरेशन्स में भाग लेने के साथ मिग-27 ने वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में भी एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी।

सुशासन संकल्प वर्ष

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य में वर्ष 2020 को 'सुशासन संकल्प वर्ष' के तौर पर मनाया जाएगा और इस दौरान राज्य की जनता से शासन के संबंध में सुझाव आमंत्रित किये जाएंगे। खट्टर ने गुरुग्राम में राज्यस्तरीय 'सुशासन दिवस' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस उद्देश्य के लिये एक विशेष वेबसाइट तैयार की जाएगी जिस पर लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। साथ ही वेबसाइट पर आने वाले सर्वश्रेष्ठ सुझावों पर राज्य सरकार विचार करेगी।

पोलियो मार्कर

पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट ने भारत से केवल एक बार के लिए पोलियो मार्कर के आयात की अनुमति दी है। विदित है कि मार्कर से उन बच्चों की अंगुलियों पर निशान लगाए जाते हैं जिन्हें पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है। यह प्रक्रिया विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा स्वीकृत है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त किये जाने के पश्चात् पाकिस्तान ने एकतरफा कदम उठाते हुए भारत के साथ होने वाले कारोबार पर रोक लगा थी जिसके कारण आम पाकिस्तानी नागरिकों को कई ज़रूरी दवाओं और अन्य उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ रहा था।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक कर कुछ चुनिंदा पेमेंट मोड पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क को खत्म करने की घोषणा की है। निर्मला सीतारमण के अनुसार, नोटिफाइड पेमेंट मोड पर किसी भी प्रकार का MDR शुल्क देने की ज़रूरत नहीं होगी। सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो जब किसी दुकान पर कोई व्यक्ति अपना कार्ड स्वैप करता है तो जो शुल्क दुकानदार को अपने सेवा प्रदाता को देना होता है, उसे ही MDR शुल्क कहते हैं। विदित हो कि यह शुल्क ऑनलाइन लेन-देन एवं QR आधारित ट्रांजैक्शन पर लागू होता है। वित्त मंत्री के अनुसार, जनवरी 2020 से 50 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले सभी कारोबारी बिना किसी MDR शुल्क के रूपे डेबिट कार्ड और UPI QR कोड के जरिये भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना

केंद्र सरकार ने 6.5 लाख घरों का निर्माण करने की योजना को मंज़ूरी दे दी है। इन घरों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस योजना से मिले अनुदान के तहत निर्मित होने वाले घरों की कुल संख्या 1 करोड़ के पार पहुँच गई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार, अगले तीन से चार महीने में सरकार 1.12 करोड़ घरों के निर्माण का अपना लक्ष्य पूरा कर लेगी।

नोट :

शिजियान-20

हाल ही में चीन ने अपना सबसे उन्नत और सबसे भारी संचार उपग्रह शिजियान-20 लॉन्च किया है। इस उपग्रह को लेकर उसका सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च-5 अंतरिक्ष के लिये रवाना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह रॉकेट दूर अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। दक्षिणी चीन के हेनान प्रांत में स्थित वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से छोड़ा गया शिजियान-20 आठ हज़ार किलोग्राम से ज्यादा वज़न का है। यह चीन का सबसे भारी कृत्रिम उपग्रह है। इसका निर्माण चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने किया है।

चीनी भाषा में साइन बोर्ड

उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक महत्त्व के पाँच संरक्षित स्थलों पर चीनी भाषा में साइन बोर्ड लगाए गए हैं। इन स्थलों में बौद्धकालीन अवशेष वाला सारनाथ का चौखंडी स्तूप, कुशिनगर, महापरिनिर्वाण मंदिर, पिपरवाह और श्रावस्ती शामिल हैं। साइन बोर्ड पाँच विदेशी भाषाओं में लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत नवंबर 2019 में सिंहली भाषा के साइन बोर्ड लगाने के साथ की गई थी। ऐसा श्रीलंका से बड़ी संख्या में लोगों के मध्यप्रदेश में स्थित सांची स्तूप देखने आने के मद्देनज़र किया गया।

सेतुरमन पंचनाथन

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सेतुरमन पंचनाथन को नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) का प्रमुख (निदेशक) नियुक्त किया गया है। इस पद पर वह फ्रेंच ऐनी डोमिनिक कोरडोवा (France Anne-Dominic C□rdova) का स्थान लेंगे। NSF एक अमेरिकी सरकारी संस्था है जो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के सभी गैर-चिकित्सकीय क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान एवं शिक्षा में सहायता करती है। वर्तमान में पंचनाथन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी (ASU) में कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य अनुसंधान एवं नवोन्मेष अधिकारी के रूप में नियुक्त है।

देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय

देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में खोला जाएगा। इस विश्वविद्यालय में देश-दुनिया के ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा मुफ्त मिलेगी। कुशीनगर ज़िले की कसया तहसील में ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर शिक्षा सेवा ट्रस्ट (All-India transgender education service trust) द्वारा इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा।

पश्चिमी अफ्रीकी देशों की साझी मुद्रा 'इको'

हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका के आठ देशों ने अपनी साझा मुद्रा (करेंसी) का नाम बदल कर 'इको' करने का निर्णय लिया है। इन देशों ने उपनिवेश काल के शासक फ्राँस से मौजूदा मुद्रा 'CFA फ्रैंक' को भी अलग करने का निर्णय लिया है। ये आठ देश बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी-बिसाउ, आईवरी कोस्ट, माली, नाइजर, सेनेगल और टोगो हैं। इन देशों ने फ्राँसीसी औपनिवेशिक काल के अस्तित्व को समाप्त करने का फैसला किया है। गिनी-बिसाउ को छोड़कर ये सभी देश फ्राँस के पूर्व उपनिवेश हैं। यह नई मुद्रा 2020 में प्रचलन में आ जाएगी। मुद्रा का नाम बदलने के बाद इन देशों की मुद्रा के संबंध में फ्राँस का किसी भी तरह का हस्तक्षेप रुक जाएगा।

CBDT ने बढ़ाई पैन को आधार से जोड़ने की तारीख

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात् CBDT ने पैन (PAN) को आधार से जोड़ने की तारीख को मार्च 2020 तक बढ़ा दिया है। ध्यातव्य है कि पहले इस कार्य के लिये 31 दिसंबर 2019 अंतिम तारीख थी। इस संदर्भ में सूचना देते हुए CBDT के कहा कि "आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (A)(A) की उप-धारा (2) के तहत पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 की गई है।" उल्लेखनीय है कि यह आठवीं बार है जब CBDT ने पैन को आधार से जोड़ने कि समयसीमा में बढ़ोतरी की है।

नोट :

हुआवे को 5G ट्रायल की अनुमति

केंद्र सरकार ने चीनी टेक कंपनी हुआवे (Huawei) को अगले वर्ष होने वाले 5G ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि हुआवे वही चीनी कंपनी है जिस पर अमेरिका ने जासूसी का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकी इंटेलिजेंस विभाग का मानना था कि हुआवे द्वारा तैयार किये जा रहे उपकरण देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने विश्व के कई देशों के लिये भी हुआवे के साथ व्यापार न करने कि चेतावनी जारी की थी। भारत के लिये एक बड़ी समस्या यह थी कि वह चीन जैसे महत्त्वपूर्ण पड़ोसी देश की कंपनी को अपने बाज़ार में स्थान न देकर उसके साथ अपने संबंधों को खराब नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में भारत ने एक दूरगामी दृष्टिकोण अपनाते हुए हुआवे को अनुमति देने संबंधी अपना आधिकारिक रुख तय कर लिया है।

पीटर सिडल

ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज़ के दूसरा मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम के तेज़ गेंदबाज़ पीटर सिडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। पीटर सिडल ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिये 67 टेस्ट, 20 वनडे इंटरनेशनल और 2 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ पीटर सिडल 67 टेस्ट मैचों की 126 पारियों में गेंदबाज़ी करते हुए कुल 221 विकेट अपने नाम किये हैं। साथ ही उन्होंने टेस्ट मैच में 6777 रन भी बनाए हैं, जिसमें 2 अर्द्धशतक भी शामिल हैं।

क्रिस्टीना कोच

नासा (NASA) की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं। फ्लाइट इंजीनियर क्रिस्टीना ने बीते शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISA) में 288 दिनों तक रहने का नासा की ही अंतरिक्ष यात्री पेगी व्हिट्सन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ज्ञात हो कि क्रिस्टीना कोच इस वर्ष अक्तूबर में ISA से बाहर आकर अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली महिलाओं की टीम में भी शामिल थीं।

नोट :